वस्त्र मंत्रालय

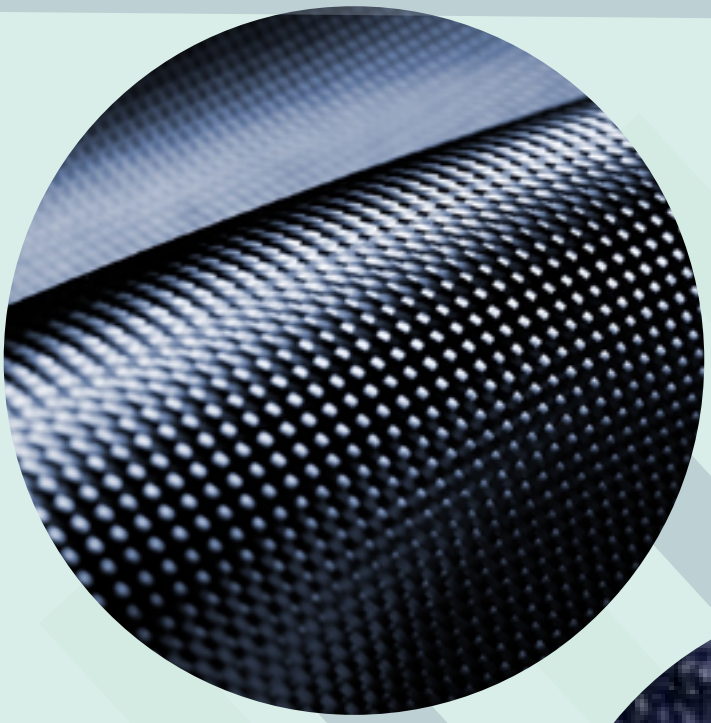

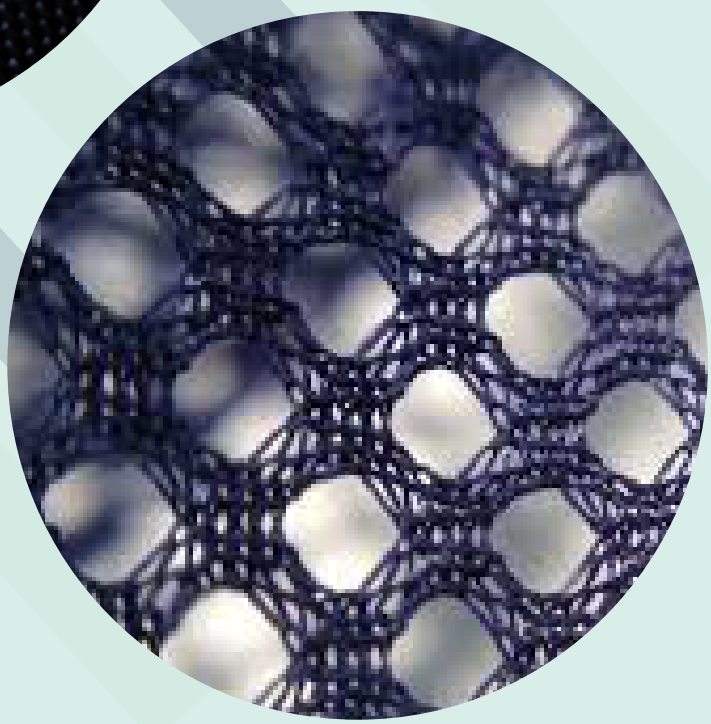

21-22

वार्षिक रिपोर्ट

वस्त्र मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

विषय-सूची

अध्याय संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	सिंहावलोकन	01
2	कार्य एवं संगठनात्माक ढांचा	10
3	निर्यात संवर्धन	28
4	कच्ची सामग्री सहायता	31
5	प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता	62
6	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सहायता	66
7	अवसंरचना हेतु सहायता	82
8	तकनीकी वस्त्र	88
9	क्षेत्रगत योजनाएं	92
10	वस्त्र क्षेत्र में आईसीटी पहलें	136
11	राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	138
12	एसी/एसटी महिलाओं तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय	140
13	सतर्कता क्रियाकलाप	143

सिंहावलोकन

1.1 भारतीय वस्त्र उद्योग, समग्र मूल्य श्रृंखला में एक विशाल अद्वितीय कच्चे माल के आधार और विनिर्माण शक्ति के साथ दुनिया में सबसे बड़ा है। भारत दुनिया में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत का वस्त्र और वस्त्र उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) की हिस्सेदारी 2020-21 में काफी अधिक 11.4% है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4% है। उद्योग की विशिष्टता हाथ से बुने हुए क्षेत्र के साथ-साथ पूंजी गहन मिल क्षेत्र दोनों में निहित है। मिल क्षेत्र दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। हथकरघा, हस्तशिल्प और लघुविद्युतकरघा इकाइयों जैसे पारंपरिक क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत हैं। यह लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और उनकी आजीविका का स्रोत है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल हैं। इस क्षेत्र में सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण युवा रोजगार की महत्वपूर्ण पहलों के अनुरुप है।

भारत के विकास को समावेशी तथा सहयोगी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य जोर वस्त्र क्षेत्र में सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, कौशल तथा परम्परागत शक्तियों को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण में वृद्धि करना रहा है। कुछ प्रमुख पहलें तथा मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1.2 निर्यात

भारत विश्व में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के कुल निर्यात में वस्त्र, परिधान और हस्तशिल्प की हिस्सेदारी 2020-21 में 11.4% थी। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4% है।

हथकरघा और हस्तशिल्प सहित भारत के वस्त्र उत्पादों का निर्यात 100 से अधिक देशों में किया जाता है। भारत के वस्त्र और अपैरल के निर्यात में यूएसए और यूरोपियन यूनियन-27 तथा यूके को निर्यात का लगभग 47% भाग निर्यात किया जाता है। यह क्षेत्र रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीण आबादी सहित लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और उनकी आजीविका का स्रोत है।

1.3 कच्ची सामग्री सहायता

क. कपास

कपास सबसे महत्वपपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और यह कुल वैश्विक फाइबर उत्पादन का लगभग 25% है। भारतीय वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की खपत में कपास का अनुपात लगभग 60% है। कपास की खपत प्रति वर्ष 300 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किग्रा.) से अधिक की होती है। भारत लगभग 133 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है जो 320.54 लाख हैक्टेयर वैश्विक क्षेत्र का लगभग 41% है। लगभग 62% भारतीय कपास का उत्पादन वर्षा आधारित क्षेत्रों में और 38% सिंचित भूमि पर किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की उत्पादकता 460 किग्रा. हैक्टेयर थी। भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में उभरा है।

जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात रोटी, कपडा और मकान में से कपडा भोजन के बाद दूसरी आवश्यकता है। कपास, कच्ची कपास, मध्यवर्ती उत्पादों जैसे धागे और फेब्रिक तथा परिधान, मेड-अप्स और निटवियर के रूप में रेडी मेड उत्पादों का निर्यात करके भारत की कुल विदेशी मुद्रा में सर्वाधिक योगदान करता है। भारत में इसके आर्थिक महत्व के कारण, इसे "सफेद सोना" भी कहा जाता है।

कपास, लगभग 5.8 मिलियन कपास किसानों तथा कपास प्रसंस्करण तथा व्यापार जैसे संबंधित क्रियाकलापों में लगे 40-50 मिलियन लोगों की आजीविका को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कपास उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने कपास के दो आधारभूत स्टेपल समूहों यथा मध्यम स्टेपल और लंबी स्टेपल कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया है। वस्त्र मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय कपास निगम (सीसीआई) प्रचलित बीज कपास (कपास) के मूल्यों के एमएसपी स्तर को छूजाने पर एमएसपी अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है। कपास वर्ष 2020-21 के दौरान सीसीआई द्वारा एमएसपी के तहत कपास की 91.89 लाख गांठों की खरीद की गई है।

ख. पटसन

पटसन उद्योग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के प्रमुख उद्योगों में से एक है। यह अनुमान लगाया गया है कि पटसन उद्योग, तृतीय श्रेणी के उद्योग (गौण क्षेत्र) और संबंधित

क्रियाकलापों सहित संगठित मिलों और विविधीकृत इकाइयों में 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है तथा कई लाख किसानों की आजीविका में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, पटसन के कारोबार में बडी संख्या में लोग शामिल हैं।

भारत सरकार पटसन उत्पादकों को न केवल भारतीय पटसन निगम द्वारा संचालित एमएसपी अभियानों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराती है बल्कि पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को लागू करके खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए प्रति वर्ष लगभग 7584 करोड़ रुपए के मूल्यों वाले पटसन बोरों की सीधी खरीद के माध्यम से भी पटसन उत्पादकों को सहायता उपलब्ध कराती है। यह न केवल पटसन किसानों बल्कि पटसन मिल कामगारों के लिए भी एक बहुत बड़ी सहायता है।

दिनांक 1 नवंबर, 2016 से पटसन सैकिंग की खरीद के लिए एक ई-प्लेटफॉर्म 'जूट-स्मार्ट' (जूट सैकिंग सप्लाई मैनेजमेंट एंड रिक्वीरजिशनटूल) को क्रियान्वित किया गया है। वर्तमान में, 'जूट-स्मासर्ट' सॉफ्टवेयर प्रचालनशील हो गया है तथा पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आादि के एसपीए ने दिसंबर, 2021 माह तक जूट-'स्मार्ट' के माध्यम से 42.215 हजार करोड़ रुपए (लगभग) मूल्या की 148.42 लाख गांठों के मांग पत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं और विभिन्न मध्य स्थोंट को शामिल करके कई पटसन मिलों से राज्य सरकारों की राज्यों में स्थित पटसन मिलों को इन गांठों के लिए पीसीओ प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

प्रमाणित बीजों, बेहतर कृषि संबंधी प्रक्रियाओं और पटसन प्लांट का पुन: प्रयोग करके माइक्रोबियल रेटिंग के प्रयोग को बढ़ावा देकर पटसन किसानों की आय में कम-से-कम 50% तक वृद्धि करने के लिए जूट-आईकेयर की शुरूआत की गई है। इस कार्यक्रम ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

मुख्य रूप से पटसन क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए सृजित किए गए एक सांविधिक निकाय, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा पटसन क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं ।

ग. रेशम

रेशम एक कीट फाइबर है जिसमें चमक, ड्रेप और मजबूती होती है। इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण रेशम को विश्व भर में 'वस्त्र की रानी' के रूप में जाना जाता है। भारत, प्राचीन सभ्यता की भूमि रही है और इसने विश्व को कई चीजें प्रदान की हैं, रेशम भी उनमें से एक है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इसके बावजूद, भारत ही केवल एक ऐसा देश है जो मुख्य वाणिज्यिक किस्मों के रेशम अर्थात मलबरी ट्रापिकल टसर, ओक टसर, मूगा और एरी का उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेशम उद्योग की मुख्य विशेषता इसकी उच्च रोजगार क्षमता, कम पूंजी आवश्यकता है तथा यह रेशम उत्पादकों को लाभप्रद आय प्रदान करता है।

भारत 33,770 मी.ट. रेशम के उत्पादन के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। कुल 33,770 मी.ट. कच्ची रेशम के उत्पादन में रेशम की चार किस्मों में मलबरी की हिस्सेदारी 70.76% (23,896 मी.ट.) टसर 7.96% (2,689 मी.ट.), एरी 20.57% (6,946 मी.ट.) और मूगा 0.71% (239 मी.ट.) है। वर्ष 2020-21 के दौरान बाइवोल्टाइन कच्ची रेशम का उत्पादन 3.2% घटकर 6,783 मीट्रिक टन हो गया, जो 2019-20 के दौरान 7,009 मीट्रिक टन था। इसी तरह, वान्या रेशम, जिसमें तसर, एरी और मूगा रेशम शामिल हैं, 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान क्रमशः 14.3%, 3.6% और 0.8% कम हो गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 के दौरान रेशम का उत्पादन कम हुआ है।

घ. ऊन

ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम' (आईडब्यूडीपी) के युक्तिकरण और इसे जारी रखने का अनुमोदन दिया था, जिसे स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा दिनांक 15.06.2021 को आयोजित बैठक में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत अनुमोदित किया गया है। आईडब्ल्यूडीपी योजना का उद्देश्य, प्रौद्योगिकीय पहल और ऊन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों को अनुकूलित करके भारत को एक प्रतिस्पर्धी और ऊनी उत्पाद के गुणवत्तापरक निर्माता/आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना है:- (i) राज्य सरकार की कच्ची ऊन खरीद क्षमता को बढ़ाकर ऊन आपूर्ति श्रृंखला को सुमेलित करना और बैक वर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज को बढ़ाना,

(ii) ऊन उद्योग को ऊन उत्पादकों से जोड़ने के लिए सुविधाएं बनाना,

(iii) एक्सपो के माध्यम से छोटे ऊनी उत्पाद निर्माण के लिए विपणन मंच प्रदान करना,

(iv) ऊन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मशीन शेयरिंग के माध्यम से अधिक भेड़ों को शामिल करना,

(v) आधुनिक ऊन प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना करके तैयार ऊनी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार,

(vi) ऊन परीक्षण, बेल बनाने की सुविधाएं और ऊनी उत्पादों के निर्माण के लिए उपकरण प्रदान करना,

(vii) मोटे ऊन का उपयोग और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों में ऊन का उपयोग,

(viii) हस्त निर्मित पारंपरिक डिजाइन की गुणवत्ता वाले ऊनी उत्पादों के निर्माण के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण,

(ix) पश्मीना और कालीन ग्रेड ऊन की ब्रांडिंग और

(x) हिमालयी क्षेत्र में पश्मीना ऊन क्षेत्र का विकास करना।

1.4. प्रौद्योगिकी सहायता

प्रौद्योगिकी उन्नयन: संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)

एटीयूएफएस को जनवरी, 2016 में 17,822 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2022 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए के नए निवेश को जुटाने तथा लगभग 35 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्यप से अधिसूचित किया गया था। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार एटीयूएफएस के तहत 56453.00 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से कुल 13135 यूआईडी जारी किए गए हैं।

1.5 कौशल प्रशिक्षण हेतु सहायता

समर्थ को आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हेल्पलाइन नंबर के साथ समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑन-लाइन निगरानी आदि जैसी विकसित सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल प्रशिक्षण रूपरेखा के तहत तैयार किया गया था।

कार्यान्वयन और निगरानी में आसानी के लिए एक मजबूत प्रणाली को लागू करने के प्रयास के साथ हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद समर्थ के तहत प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने, प्रस्तावों के ऑनलाइन डेस्क मूल्यांकन, प्रशिक्षण केंद्रों का मोबाइल ऐप समर्थित भौतिक सत्यापन, आधार प्रमाणन के पश्चात प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन पंजीकरण, एईबीएएस, मूल्यांकन के लिए अलग मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने आदि के प्रावधानों को शामिल करते हुए एंड टु एंड सॉल्यूशन के साथ एक सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म प्रारंभ किया गया है।

1.6 अवसंरचना विकास

1.6.1 पीएम-मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल पार्क (पीएम-मित्र): वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने अक्टूबर 2021 में पीएम-मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल पार्क (मित्र) योजना की शुरूआत की है ताकि भारतीय वस्त्र उद्योग को प्रचालन के समर्थकारी पैमाने के माध्यम से, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर रखकर लाजिस्टिक की लागत को कम करके, निवेश आकर्षित करके, रोजगार का सृजन करके और निर्यात क्षमता में वृद्धि करके मजबूत किया जा सके। यह योजना वस्त्र उद्योग की कुल मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़ा पैमाना और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना की सुविधा विकसित करेगी, उदाहरण के लिए, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान, वस्त्र निर्माण, प्रसंस्करण और प्रिंटिंग मशीनरी उद्योग। इन पार्कों को उन स्थलों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें वस्त्र उद्योग के फलने-फूलने के लिए अंतर्निहित क्षमता है और सफल होने के लिए आवश्यक लिंकेज हैं। इस योजना में समयबद्ध तरीके से शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का लाभ उठाने की परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार इच्छुक राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करके ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों में 7 पीएम-मित्र पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। इस योजना से 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित एक आधुनिक, एकीकृत बड़ा पैमाना, विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण होगा।

1.6.2 वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस): मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही वस्त्र मूल्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों अर्थात् पावरटेक्स इंडिया (10 घटक वाली), एकीकृत वस्त्र पार्क योजना और व्यापक विद्युत करघा कलस्टर विकास योजना (सीपीसीडीएस) की सहायता के लिए बहुत सी अवसंरचनात्मक योजनाएं हैं। प्रचालनात्मक रूप से और वित्तीय रूप से उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए मौजूदा और भावी वस्त्र इकाइयों के लिए एकीकृत कार्यस्थल और लिंकेज आधारित इको प्रणाली का निर्माण करने के लिए मंत्रालय ने इन योजनाओं को युक्तिसंगत बनाया है और इन्हें वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) में शामिल किया गया है। यह वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए होगी। टीसीडीएस का क्लस्टर विकास मॉडल हस्तक्षेपों के अनुकूल, संचालन में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता, लागत कुशल, प्रौद्योगिकी और सूचना तक बेहतर पहुंच आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रगति एवं लाभ लाएगा। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजना का कुल परिव्यय 853 करोड़ रु. है।

1.6.3 एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस): वस्त्र उद्योग को आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने और नए सामान्य अपशिष्ट ट्रीटमेंट संयंत्रों (सीईटीपी) की सहायता करने/मौजूदा प्रसंस्करण समूहों के साथ-साथ नए प्रसंस्करण पार्कों, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में सीईटीपी के उन्नयन की सुविधा के लिए, मंत्रालय 12वीं पंचवर्षीय योजना से एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) लागू कर रहा है।

1.7 क्षेत्रगत योजना

हथकरघा क्षेत्र

हथकरघा क्षेत्र सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है और ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है। हथकरघा बुनाई भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सबसे समृद्ध और सबसे जीवंत पहलुओं में से एक है, और 35.22 लाख बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इस क्षेत्र को कम पूंजी गहन, बिजली का न्यूनतम

उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल, और छोटे उत्पादन के लचीलेपन, नवाचारों के लिए खुलापन और बाजार की आवश्यकताओं के अनुकूल होने का लाभ है। यह एक प्राकृतिक उत्पादक संपत्ति और कुटीर स्तर पर एक परंपरा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौशल के हस्तांतरण से कायम और विकसित हुई है।

हथकरघा वस्त्र उत्पादन और निर्यात

हथकरघा बुनाई काफी हद तक विकेंद्रीकृत है और बुनकर मुख्य रूप से समाज के संवेदनशील और कमजोर वर्गों से हैं, जो अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बुनाई करते हैं और वस्त्र क्षेत्र के उत्पादन में भी योगदान करते हैं। इस उद्योग के बुनकर विभिन्न राज्यों के पारंपरिक शिल्प को जीवित रख रहे हैं। हथकरघा वस्त्रों में हासिल की गई कलात्मकता और जटिलता का स्तर अद्वितीय है और कुछ बुनाई/डिजाइन अभी भी आधुनिक मशीनों के दायरे से बाहर हैं। हथकरघा क्षेत्र उत्तम वस्त्रों से लेकर, जिन्हें बुनने में महीनों का समय लगता है, दैनिक उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की लोकप्रिय वस्तुओं तक हर जरूरत को पूरा कर सकता है।

हथकरघा निर्यात को अंतरर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में संगठन/भागीदारी, बड़े टिकट कार्यक्रमों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, और रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों, प्रचार और ब्रांड विकास के माध्यम से इंडिया हैंडलूम ब्रांड और हैंडलूम मार्क के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद अपने हथकरघा उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए सदस्य हथकरघा निर्यातकों के साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेती है। वर्ष 2019-20 के दौरान हथकरघा वस्तुओं का निर्यात 2248.33 करोड़ रुपये और वर्ष 2020-21 के दौरान 1644.78 करोड़ रूपये था।

हथकरघा योजनाएं:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी):

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी):

एनएचडीपी के घटकों में से एक, सीडीपी एक दृश्य इकाई के रूप में बुनकरों के समूहों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि समूह आत्मनिर्भर बन सकें। क्लस्टर की आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक क्लस्टर के लिए सहायता की मात्रा, क्लस्टर संगठन की गतिविधियों के दायरे, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता परिपक्वता के स्तर और क्लस्टर के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड आदि की परिकल्पना की गई है। अधिकतम अनुमेय भारत सरकार की वित्तीय सहायता प्रति क्लस्टर 2.00 करोड़ रुपये तक है।

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित प्रमुख पहलें, भूमि लागत को छोड़कर, जागरूकता कार्यक्रम, उत्पाद विकास, ज्ञान दौरा, क्लस्टर गतिविधियों का प्रलेखन, परियोजना प्रबंधन लागत, वस्त्र डिजाइनरों की तैनाती, कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षुओं को वैतनिक मुआवजा, आईए को प्रोत्साहन आदि हैं। हथकरघा संवर्धन सहायता और लाइटिंग यूनिट जैसे व्यक्तिगत बुनकरों को सीधे लाभान्वित करने वाली अन्य पहलों को भारत सरकार और लाभार्थी द्वारा क्रमशः 90:10 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है। व्यक्तिगत वर्कशेड-एससी/एसटी/महिला/विकलांगों को भारत सरकार के शेयर द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाता है। अन्य मदों को भारत सरकार द्वारा 75% और लाभार्थी द्वारा 25% के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है। कॉमन वर्कशेड के लिए कॉमन वर्कशेड और सोलर लाइटिंग सिस्टम को 90% भारत सरकार द्वारा और 10% लाभार्थी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत क्लस्टर (31.1.2022 तक):

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत क्लस्टर की संख्या
1	2018-19	16
2	2019-20	21
3	2020-21	2
4	2021-22	66

हथकरघा विपणन सहायता (एचएमए):एचएमए का उद्देश्य घरेलू और निर्यात बाजारों में विपणन चैनलों को विकसित करना और बढ़ावा देना है और दोनों के बीच समग्र और एकीकृत तरीके से संबंध बनाना है, और प्रतिभाशाली और छूटे हुए बुनकरों पर विशेष ध्यान के साथ हथकरघा श्रमिकों को विपणन के अवसर प्रदान करना है। एचएमए के विभिन्न घटकों में घरेलू विपणन संवर्धन, हथकरघा निर्यात संवर्धन, शहरी हाटों की स्थापना, शिल्प मेला आदि शामिल हैं।

शहरी हाट: देश में प्रमुख स्थानों पर शहरी हाट स्थापित करने की योजना 1997-98 में शुरू की गई थी ताकि भाग लेने वाले बुनकरों/शिल्प व्यक्तियों को हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेचने में सक्षम बनाया जा सके और रोटेशन द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों के शिल्प और प्रामाणिक भारतीय बुनाई को प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान की जा सके। शहरी हाटों की स्थापना के लिए 8.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें से 80% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है और 20% कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किया जाता है। अभी तक, पूरे देश में 38 शहरी हाट स्वीकृत किए गए हैं।

हथकरघा पुरस्कार: वस्त्र मंत्रालय बुनाई श्रेणी में संत कबीर पुरस्कार प्रदान करता है। बुनाई, हथकरघा में डिजाइन विकास और हथकरघा उत्पादों के विपणन में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, इन श्रेणियों के बुनकरों को हथकरघा क्षेत्र

में उत्कृष्टता दिखाने के लिए राष्ट्रीय योग्यता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

सामान के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999

सामान का भौगोलिक संकेत उत्पत्ति का एक संकेत या पदवी है। इसका उपयोग एक निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले कृषि प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भौगोलिक स्थिति के लिए विशिष्ट जलवायु या उत्पादन विशेषताओं के आधार पर एक विशेष गुणवत्ता या विशेषताएं अथवा प्रतिष्ठा होनी चाहिए।

डिजाइन/उत्पादों के पंजीकरण में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए 1.50 लाख रुपये रुपये की वित्तीय सहायता और आईए के कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए और जी.आई. पंजीकरण के प्रभावी प्रवर्तन के लिए 1.50 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

अभी तक भारत में जीआई अधिनियम के तहत कुल 72 हथकरघा उत्पादों और 06 उत्पाद लोगो पंजीकृत हैं। जीआई पंजीकृत हथकरघा उत्पाद जीआई अधिनियम के भाग-ख के तहत अधिकृत उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं।

मेगा हैंडलूम क्लस्टर

देश के विभिन्न हिस्सों में मेगा हैंडलूम क्लस्टरों को उनके समग्र विकास के लिए लिया जाएगा, जिसमें व्यापक विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। प्रत्येक मेगा हैंडलूम कलस्टर में कम से कम 10,000 हथकरघा शामिल होंगे, जिसमें प्रति मेगा क्लस्टर 30.00 करोड़ रुपये तक का भारत सरकार का योगदान होगा। प्रत्येक मेगा क्लस्टर की प्रकृति और सहायता का स्तर आवश्यकता आधारित होगा। परियोजना की अवधि 5 वर्ष है।

वित्त पोषण की पद्धति

सामान्य राज्य - भारत सरकार: राज्य सरकार/आईए - 80:20
उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, - भारत सरकार: राज्य सरकार/आईए - 90:10
जम्मू, कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश

भूमि की लागत राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन की जाती है और यह परियोजना लागत का हिस्सा नहीं होगी। अब तक आठ मेगा हैंडलूम क्लस्टरों को लिया जा चुका है।

बुनकर मुद्रा योजना

ऋण तीन वर्षों की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा ब्याज सहायता 7% तक सीमित है, मार्जिन मनी सहायता 25,000 रु. प्रति हथकरघा बुनकर और 20.00 लाख रु. (प्रत्येक 100 बुनकर/श्रमिकों के लिए 2.00 लाख रु.) प्रति हथकरघा संगठन तक क्रेडिट गारंटी शुल्क भी तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। वित्तीय सहायता के समय पर हस्तांतरण के लिए, ऑनलाइन दावा और मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी शुल्क के वितरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से 'हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल' नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है। मार्जिन मनी सीधे बुनकर के ऋण खाते में स्थानांतरित की जाती है और ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी शुल्क संबंधित बैंकों को हस्तांतरित किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान 31.03.2020 तक 22353 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 119.86 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि शामिल है। वर्ष 2020-21 के दौरान 31.03.2021 तक 8456 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 47.38 करोड़ रूपये की स्वीाकृत राशि शमिल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 31.01.2022 तक 7575 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी स्वीकृत राशि 42.05 करोड़ रूपये है।

पुरुस्कृत बुनकरों/श्रमिकों को विषम परिस्थितियों में सहायता
विषम परिस्थितियों में 60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों, जिनकी वार्षिक आय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित 1.00 लाख रुपये से कम है, के लिए प्रति पुरस्कार 8,000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति

केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/ केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वस्त्र संस्थान के 3/4 वर्षीय डिप्लोमा/स्नातकोत्तर/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए हथकरघा बुनकरों/ श्रमिकों के बच्चों (2 बच्चों तक) को छात्रवृत्ति के रूप में अधिकतम 2.00 लाख रु. प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी।

2. कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस):
आरएमएसएस के तहत, परिवहन सब्सिडी के तहत,प्रत्येक यार्न (सभी प्रकार) के लिए निर्धारित दरों पर यार्न के परिवहन के लिए माल ढुलाई प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। साथ ही मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ यार्न (डीबीटी के माध्यम से लिंक किए गए बैंक खाते से) पर 15% मूल्य सब्सिडी, मात्रा प्रतिबंधों के साथ कपास हैंकयार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन यार्न और प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न पर प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत बुनकरों के लिए लाभ उपलब्ध हैं। वे एजेंसियां जिनमें बुनकर सदस्य हैं

अर्थात स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और सहकारी समितियां, हथकरघा उत्पादक कंपनियां और बुनकर उद्यमी।

यह योजना भारत सरकार के उपक्रम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के तहत भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो संचालन शुल्क 2% की दर से डिपो संचालन एजेंसियों को दिया जाता है। वर्तमान में पूरे देश में ऐसे 511 यार्न डिपो कार्यरत हैं। इसके अलावा, डिलीवरी की अवधि को कम करने और कम मात्रा में आपूर्ति करने के लिए, एनएचडीसी ने हर राज्य में बुनकरों की उपस्थिति में कम से कम एक वेयर हाउस खोला है। तदनुसार, एनएचडीसी 46 यार्न वेयर हाउसों का संचालन कर रहा है।

(v) हथकरघा का ब्रांड निर्माण

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान और बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में अधिसूचना संख्या 2(14)/2015/डीसीएच/पीएंडई दिनांक 29 जुलाई 2015 के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2015 से शुरू होकर हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अभी तक चेन्नई, वाराणसी, गुवाहाटी, जयपुर, भुवनेश्वर और नई दिल्ली (2) (वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर) में 07 राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित किए जा चुके हैं।

'हैंडलूम मार्क' योजना-'हथकरघा मार्क'योजना वर्ष 2006 में हथकरघा उत्पादों को एक सामूहिक पहचान प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और इसका उपयोग न केवल हाथ से बुने हुए उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा सकता है बल्कि खरीदार के लिए गारंटी के रूप में भी काम कर सकता है कि खरीदा उत्पाद वास्तव में हाथ से बुना हुआ है। यह उत्पाद या निर्माता की पहचान करने में विशिष्ट नाम भी प्रदान करता है। अभी तक 22639 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

"इंडिया हैंडलूम" ब्रांड- 7 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने के दौरान, 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड को उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए लॉन्च किया गया था ताकि दोष रहित और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव सहित उच्च गुणवत्ता वाले विशिष्ट हैंडलूम उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। "इंडिया हैंडलूम" ब्रांड के लॉन्च के बाद से, 184 उत्पाद श्रेणियों के तहत 1714 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

हाल की पहलें

1. हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन-उन्मुख उत्कृष्टता का निर्माण और सृजन करने के उद्देश्य से निफ्ट के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और कांचीपुरम में 08 बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) में डिजाइन संसाधन केंद्र (डीआरसी) स्थापित किए गए हैं, और नमूना/उत्पाद सुधार और विकास के लिए बुनकरों, निर्यातकों, निर्माताओं और डिजाइनरों को डिज़ाइन रिपॉजिटरी तक पहुँच को सुगम करना है। कोलकाता, बेंगलुरु, भागलपुर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, कन्नूर, मेरठ, नागपुर और पानीपत में अन्य 10 डीआरसी स्थापित किए जा रहे हैं।

2. आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने, उत्पादकता और विपणन क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न राज्यों में 133 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।

3. शिल्प संवर्धन को पर्यटन के साथ जोड़ने के लिए, क्राफ्ट हथकरघा गांवों को शरण (हिमाचल प्रदेश), कनिहामा(जम्मू-कश्मीर), मोहपारा (असम), कोवलम (केरल) और रामपुर, बोधगया (बिहार) में प्रमुख पर्यटक सर्किटों पर स्थापित किया जा रहा है।

4. हथकरघा क्षेत्र का समर्थन करने और हथकरघा बुनकरों के लिए व्यापक बाजार को सक्षम करने के लिए, सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) पर लाने के लिए बुनकरों के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि वे अपने उत्पादों को सीधे विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को बेच सकें। अब तक लगभग 1.50 लाख बुनकरों को जेम पोर्टल से जोड़ा जा चुका है।

ख. हस्तशिल्प. क्षेत्र:

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शिल्पकारों के एक विशाल वर्ग को रोजगार प्रदान करता है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उत्पन्न करता है। हस्तशिल्प में काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि वे न केवल देश के कोने-कोने में फैले लाखों कारीगरों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि शिल्प गतिविधि में बड़ी संख्या में नए प्रवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में, हस्तशिल्प रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालाँकि, हस्तशिल्प क्षेत्र को, असंगठित होने, शिक्षा की कमी, कम पूंजी, नई प्रौद्योगिकियों की जानकारी न होने, बाजार की खुफिया जानकारी का अभाव और खराब संस्थागत ढांचे के कारण नुकसान उठाना पड़ा है।

इस क्षेत्र में 68.86 लाख कारीगरों को रोजगार देने का अनुमान है, जिनमें से 30.25 लाख पुरुष और 38.61 लाख महिला कारीगर हैं। अक्टूबर 2021 तक हस्तनिर्मित कालीन सहित हस्तशिल्प का निर्यात 29020.94 करोड़ रु. है। वर्ष 2021-22 के दौरान योजना आवंटन 371.00 करोड़ रुपये है, 30 नवंबर 2021 तक 143.78 करोड़ रु. (38.75%) व्यय किया गया है।

विकास आयुक्त [हस्तशिल्प] का कार्यालय "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम [एनएचडीपी]" और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के तहत हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रचार और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है ताकि समग्र रूप से हस्तशिल्प क्लस्टर के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर दिया जा सके।

(i) योजना: "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम"

उप योजनाएं:
1. विपणन सहायता और सेवाएं।
2. हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास
3. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
4. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
5. आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी सहायता
6. अनुसंधान और विकास।

(ii) योजना: "व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना"

नई पहलें 2021-22:

1. राष्ट्रीय खिलौना मेला: जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अपने "मन की बात" में जोर दिया गया था कि हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित खिलौना के उत्पादों सहित भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आत्म निर्भर भारत के विषय पर ध्यान देते हुए सभी को "खिलौने के लिए एक जुट होना" चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित पहल की गई है:

- 13 खिलौना कलस्टरों की पहचान की गई है।
- भारत सरकार के 14 मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से भारतीय टॉय स्टोरी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है।
- भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 27.02.2021 को भारतीय खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन वर्चुअली किया। भारत सरकार के 8 मंत्रालयों की भागीदारी से आयोजित मेले में 1178 प्रदर्शकों ने वर्चुअली भाग लिया है।

2. कोविड-19 वैश्विक महामारी ने सामाजिक मेलजोल पर प्रतिबंध लगाकर हस्तशिल्प क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है, साथ ही इसने अवसरों की नए द्वार खोले हैं जो पहले कम खोजे गए थे। इसके अलावा, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय ने अत्यधिक असंगठित क्षेत्र द्वारा किए गए नुकसान के संबंध में कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया है। हालांकि पूरे देश में स्थित फील्ड पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय ने "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)" और "हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)" के तहत हस्तशिल्प कारीगरों को सतत आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए कारीगरों को लाभ दिया है और हस्तशिल्प कारीगरों को मिशन मोड में सभी लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और उनकी एजेंसियों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय में पंजीकृत कार्यान्वयन एजेंसियों से भी हस्तशिल्प कारीगरों को सहयोग देने का अनुरोध किया गया है।

3. आमेर (राजस्थान) और कोवलम (केरल) में दो शिल्प पर्यटन गांवों को बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी विकास योजना के तहत शिल्प पर्यटन गांव की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है।

4. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय ने क्लस्टर कारीगरों के समग्र विकास के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में क्लस्टर मेंटरशिप विकास कार्यक्रम के तहत अपनाने के लिए देश भर में 41 व्यवहार्य समूहों की पहचान की है और तदनुसार, इन समूहों को आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप प्रदान किया गया है। इसी तरह क्लस्टर कारीगरों/स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के समग्र विकास के लिए, उत्पादक कंपनी का सफलपूर्वक निर्माण हो जाने पर वित्त वर्ष 2021-22 में 14 निर्माता कंपनियों को आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप प्रदान किया गया है। इस प्रकार लगभग 29404 क्लस्टर कारीगरों/स्वयं सहायता समूहों के सदस्य लाभान्वित हुए हैं।

5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय ने मंजूर किए गए 337 घरेलू विपणन कार्यक्रमों जैसे पहलों के माध्यम से कारीगरों के विकास के लिए निर्माता कंपनी के लिए इन अपनाए गए कलस्टरों, खिलौना कलस्टरों और पहचान किए गए कलस्टरों को विभिन्न गतिविधियां प्रदान की हैं, जिसमें एसएचजी के 24280 कारीगरों/सदस्यों ने भाग लिया है, 187 डिजाइन विकास कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं जिसमें 7530 कारीगरों / एसएचजी के सदस्यों ने भाग लिया है और 1500 प्रतिभागियों के साथ 15 राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय स्तर पर संगोष्ठी आयोजित की गई है। 27 फरवरी 2021 से 4 मार्च 2021 के दौरान वर्चुअल खिलौना मेले का

आयोजन किया गया जिसमें 1074 प्रदर्शकों ने भाग लिया।

6. हाल ही में, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने ई-कॉम पोर्टल/जेएम पोर्टल पंजीकरण, पहचान आईडी का वितरण/ पहचान आईडी के लिए नए कारीगरों का ऑन-स्पॉट नामांकन, पहचान आईडी के लाभ, बीमा योजना, मुद्रा ऋण, जीआई पंजीकरण प्रक्रिया, हस्तशिल्प हेल्पलाइन केंद्र के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विकास आयुक्त हस्तशिल्प, कार्यालय की योजनाओं, श्रमदान के बारे में क्लस्टर कारीगरों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से देश भर में 670 चौपालों का आयोजन किया है।चौपालों में लगभग 43550 कारीगर/स्वयं सहायता समूहों के सदस्य और उनके बच्चे महामारी से जुड़ी समस्याओं सहित जागरूकता पैदा करेंगे।

7. माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा "व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना (सीएचसीडीएस)" योजना को 06.08.2021 को अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए कुल 160.00 करोड़ रु. की लागत के साथ अनुमोदित किया गया है।

8. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) को माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा दिनांक 22.09.2021 को अनुमोदित किया गया है और आगे राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) को जारी रखने के लिए आंशिक रूप से संशोधन के साथ दिनांक 09.10.2021 को इसे कुल 998.00 करोड़ रु. की लागत के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तदनुसार, दोनों योजनाओं (i) राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और (ii) व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के योजना दिशानिर्देशों को निम्नानुसार अंतिम रूप दिया गया है:

I. योजना: "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम"

उप योजनाएं:
1. विपणन सहायता और सेवाएं।
2.हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास
3.अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
4.कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
5.अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता
6.अनुसंधान और विकास।

II. योजना: "व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना"

9. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली द्वारा अक्टूबर 2021 के महीने के दौरान ग्रेटर नोएडा में 28 से 31अक्टूबर 2021 तक भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला आयोजित किया गया।

10. कुल 66.31 करोड़ रु. की लागत से गुजरात, ओडिशा और उत्तराखंड में 3 सीएचसीडीएस परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

11. इस वर्ष 73 क्लस्टर जोड़े गए हैं और आवश्यकता आधारित इटरवेंशन प्रदान किए जा रहे हैं।

1.8 फैशन प्रौद्योगिकी का संवर्धन

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना वर्ष 1986 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में की गई थी। अपनी स्थापना के समय से ही, निफ्ट ने फैशन शिक्षा में एक बेंचमार्क स्थापित किया है, जो डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभर रहा है। संस्थान की विस्तार योजनाओं में शैक्षणिक समावेशन एक उत्प्रेरक रहा है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है कि देश के विभिन्न हिस्सों के संभावित छात्र प्रस्तावित कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उच्चतम क्षमता प्राप्त करें। पेशेवर रूप से प्रबंधित 17 परिसरों के नेटवर्क के माध्यम से, निफ्ट तकनीकी क्षमता के साथ रचनात्मक प्रतिभा के अपने अद्वितीय एकीकरण के साथ शैक्षणिक मानकों और विचार नेतृत्व में उत्कृष्टता निर्धारित करता है। निफ्ट अधिनियम 2006 ने संस्थान को डिग्री और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को प्रदान करने का अधिकार दिया है। इन-हाउस फैकल्टी को बुद्धिजीवियों के एक विशिष्ट समूह से लिया गया है, जो प्रभावी ज्ञान के लिए एक मार्ग बनाने वाली गतिशीलता की भावना सामने रखते हैं।

अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों से, संस्थान ने डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फैशन शिक्षा में एक मजबूत आधार प्रदान किया है। तब से, निफ्ट ने उच्च शैक्षणिक मानकों को बढ़ाया है। संस्थान के संकाय, प्रमुख प्रैक्टिसनरों, शिक्षा के प्रति उत्साही, उद्यमियों, रचनात्मक विचारकों, शोधकर्ताओं और विश्लेषकों के समुदाय के रूप में विकसित हुए हैं।

1.9 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के क्रियान्वयन का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाना और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित निधियों के वितरण से चोरी को समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की योजनाओं का लाभ आधार पंजीकरण के साथ बैंक/डाक खाते के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को प्रदान करने का लक्ष्य है अर्थात लाभार्थी के राज्य राजकोष खाते के माध्यम से

अथवा एनजीओ अथवा एलआईसी आदि जैसी किन्हीं क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से मामले अथवा इस प्रकार के अन्य मामले का सीधा अंतरण करना है। भारत पोर्टल और पीएफएमएस के साथ आपस में जोड़कर लाभार्थी और निधि के लेनदेन के बारे में रियल टाइम सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक योजना के लिए एक सीधा एमआईएस पोर्टल भी है। इलैक्ट्राटनिक अंतरण हेराफरी और दोहराव को समाप्त करने के अलावा, वांछित लाभार्थी को समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करता है।

मंत्रिमंडल सचिवालय में डीबीटी मिशन ऑनलाइन अर्थात डीबीटी भारत पोर्टल के माध्यम से डीबीटी योजना के क्रियान्वयन को मॉनीटर कर रहा है। आर्थिक प्रभाग लाभार्थी का डिजिटलीकरण, आधार नंबर, डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एमआईएस का एकीकरण आदि सहित डीबीटी भारत – पोर्टल के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय की पहचान की गई 17 परियोजनाओं को उपलब्ध करवाने के लिए समन्वयन कर रहा है। 17 योजनाओं के लिए एमआईएस पोर्टल तैयार किया गया है और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ 9 योजनाओं का एकीकरण किया गया है तथा शेष योजनाओं के लिए एमआईएस का शीघ्र विकास करने और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ उनका एकीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1 कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग के नीति निर्माण, योजना और विकास के लिए उत्तरदायी है। वस्त्र मंत्रालय के प्रमुख वस्त्र मंत्री हैं जिन्हें वस्त्र राज्य मंत्री, सचिव (वस्त्र) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 विजन

तकनीकी वस्त्र, पटसन, रेशम, कपास तथा ऊन सहित सभी प्रकार के वस्त्रों के विनिर्माण व निर्यात में प्रमुख वैश्विक स्थान प्राप्त करना और सतत आर्थिक विकास के लिए गतिशील हथकरघा और हस्त शिल्प क्षेत्र का विकास करना तथा इन क्षेत्रों में वर्षों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना और बचाए रखना है।

2.3 मिशन

- सभी क्षेत्रों को पर्याप्त फाइबर उपलब्ध कराकर वस्त्र के सुनियोजित व सामंजस्य पूर्ण विकास का संवर्धन करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उद्योग का आधुनिकीकरण करना।
- सभी वस्त्र कामगारों की क्षमता और कौशल का विकास करना।
- कार्य का समुचित वितरण और स्वास्थ सुविधाओं की आसान पहुंच तथा जीवन की बेहतर गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए बुनकरों और कारीगरों को बीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- वस्त्र और क्लोदिंग तथा हस्त शिल्प के निर्यात का संवर्धन करना और इन क्षेत्रों में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना।

2.4 मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए निम्नलिखित सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सलाहकार बोर्डों द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है:-

2.4.1 संबद्ध कार्यालय:-

(i) विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय, नई दिल्ली

इस कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हथकरघा) हैं। यह हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इसके अधीनस्थ कार्यालयों में 28 बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यू एससी), 06 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) तथा हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को लागू करने के लिए प्रवर्तन तंत्र शामिल हैं।

(ii) विकास आयुक्त, (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रमुख हैं। यह हस्तशिल्प के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यों को क्रियान्वित करता है और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को क्रियांवित करके राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करता है। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, गुवाहाटी तथा नई दिल्ली में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय तथा देश भर में 61 हस्त शिल्प सेवा केंद्र हैं।

2.4.2 अधीनस्थ कार्यालय

(I) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय (टीएक्ससी) का मुख्यालय मुंबई में है तथा अमृतसर, नोएडा, इंदौर, कोलकाता, बेंगलूरु, कोइंबटूर, नवीं मुंबई और अहमदाबाद में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय के प्रमुख तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, प्रौद्योगिकि-आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं और सरकार को वस्त्र उद्योग की सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में सलाह देते हैं । वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के विकासात्मक कार्यकलाप वस्त्र तथा क्लोदिंग क्षेत्र की समानांतर उन्नति और विकास की योजना के आस-पास केंद्रित रहते हैं। देश भर में कार्यरत सैंतालीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों (पीएससी) में से पन्द्रह वस्त्र आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। यह पीएससी की वस्त्र एवं क्लोंदिंग उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति तथा विकेंद्रीकृत विद्युतकरण क्षेत्र को तकनीकी परामर्श/ सेवाओं की जरूरत को पूरा करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों एवं राज्यों सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित किए जा रहे शेष 32 विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का समन्वय करता है और उनका मार्ग दर्शन भी करता है। यह कार्यालय तकनीकी वस्त्र, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), समूह विद्युतकरघा योजनाओं पर विभिन्न विकासात्मक और संवर्धनात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनकी मॉनीटरिंग भी करता है।

(II) पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता

पटसन आयुक्त का कार्यालय के कार्य तथा गतिविधियां

(i) मशीनरी विकास सहित पटसन उद्योग से संबंधित नीतिगत

मामलों की तैयारी के संबंध में मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना। (ii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) जैसे वस्त्र मंत्रालय के पटसन संबंधी निकायों के माध्यम से विशेष रूप से भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा) और अन्य वस्त्र अनुसंधान संघों के माध्यम से ऐसे क्षेत्र तथा आरएंडडी कार्यक्रमों में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र तथा उद्यमशीलता कौशल में पटसन हस्तशिल्प और पटसन हथकरघा के संवर्धन के लिए विकासात्मक कार्यकलापों, का क्रियान्वयन करना।

(iii) पटसन और मेस्टा उत्पादकों को एमएसपी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पटसन निगम के माध्यम से कच्ची पटसन और पटसन सामानों दोनों के मूल्य परिवर्तन की मानीटरिंग तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान का क्रियान्वयन करना।

(iv) स्वदेशी तथा निर्यात बाजार दोनों में पटसन सामानों के बाजार की तलाश करने के लिए विशेष रूप से बाजार संवर्धन करना । उन पटसन उत्पादक क्षेत्रों में पटसन संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहित/प्रोन्नत करने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां ऐसे कार्यकलाप अपर्याप्त हैं और पूर्वोत्तर राज्यों सहित गैर पटसन उत्पादक राज्यों में हैं।

पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा 4 के अंतर्गत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए पटसन आयुक्त, बी.ट्विल बैगों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को उत्पादन नियंत्रण आदेश (पीसीओ) जारी करता है। पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए एफसीआई सहित विभिन्न राज्य खाद्यान्न खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी के अंतर्गत खरीदे गए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए इन बैगों की आवश्यकता होती है। पटसन आयुक्त, नियमित और समयबद्ध आधार पर पटसन क्षेत्र की समस्याओं और स्थिति की सूचना भी मंत्रालय को भेजते हैं। पटसन संबंधी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पटसन सामानों के आयातक और निर्यातक को लाइसेंस जारी करना पटसन आयुक्त का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वर्ष 2020-21 में कुल 37 लाइसेंस जारी किए गए और 22 नवीकृत किए गए हैं। दिसंबर 2021 तक कुल 13 लाइसेंस जारी किए गए और 42 नवीकृत किए गए हैं।

2.4.3 इसके अलावा, निम्नलिखित सांविधिक निकाय तथा पंजीकृत सोसाइटियां मंत्रालय के कार्यों से संबद्ध हैं।

सांविधिक निकाय :

(i) वस्त्र समिति: वस्त्र समिति की स्थापना, वस्त्र समिति अधिनियम,1963 (1963 का 41) के अंतर्गत की गई थी। वस्त्र समिति ने एक संगठन के रूप में 22 अगस्त,1964 से कार्य करना प्रारंभ किया। अधिनियम की धारा 3 द्वारा वस्त्र समिति निरंतर उत्तराधिकार के साथ एक सतत अनुक्रमणशील सांविधिक निकाय है। मुंबई स्थित वस्त्र समिति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। वस्त्र समिति का मुख्य उद्देश्य आंतरिक खपत तथा निर्यात उद्देश्यों के लिए वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

(ii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड: राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार किया गया है, जो 01 अप्रैल, 2010 से लागू है और तत्कालीन पटसन विनिर्माण विकास निगम तथा राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) में विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के खंड-। के उप-खंड (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को उस तिथि के रूप में निर्धारित किया है जिससे राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के प्रावधान लागू होंगे। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना पटसन की खेती, विनिर्माण तथा पटसन के विपणन के विकास तथा पटसन उत्पादों और उनसे संबद्ध मामलों के लिए की गई है।

एनजेबी को सांविधिक रूप से निम्नलिखित कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है:-

- पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने तथा तत्संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से योजना की तैयारी, विस्तार कार्य, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन के मामलों में पटसन की खेती के लिए एकीकृत एप्रोच विकसित करना;
- बेहतर गुणवत्ता वाली कच्ची पटसन के उत्पादन का संवर्धन;
- कच्ची पटसन की उत्पादकता को बढ़ाना;
- कच्ची पटसन के बेहतर विपणन तथा कच्ची कपास के मूल्यों का स्थिरीकरण करने के लिए प्रोन्नत करना अथवा व्यवस्था करना;
- कच्ची पटसन तथा पटसन उत्पादों के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- अवशिष्ट को समाप्त करने, अधिकतम उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार तथा लागत में कमी के उद्देश्य से पटसन उद्योग के लिए दक्षता के मानकों के लिए सुझाव देना;
- कच्ची पटसन के उत्पादकों तथा पटसन उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपयोगी सूचना का प्रचार करना;
- गुणवत्ता नियंत्रण अथवा कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों का संवर्धन करना और उपाय करना।

- कच्ची पटसन के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, ग्रेडिंग की तकनीकी और पैकेजिंग में सुधार के लिए सहयोग करना और अध्यन तथा अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना।

- कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों के संबंध में आंकड़ों का संग्रह तथा निष्पादन करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण अथवा अध्ययन को बढ़ावा देना अथवा करना;

- पटसन विनिर्माताओं के मानकीकरण का संवर्धन करना;

- पटसन उद्योग की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करके पटसन विनिर्माताओं के उत्पादन के विकास का संवर्धन करना;

- पटसन क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक तथा विपणन अनुसंधान के लिए स्पॉन्सर, सहयोग, समन्वय, प्रोत्साहित अथवा आरंभ करना;

- पटसन विनिर्माताओं के लिए देश के भीतर और बाहर मौजूदा बाजारों को बनाए रखना और नए बाजार विकसित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे विनिर्माताओं के लिए मांग के अनुरूप विपणन रणनीतियां तैयार करना;

- नयी सामाग्रियों, उपकरण तथा पद्धतियों की खोज और विकास तथा पटसन उद्योग में पहले ही प्रयोग में लायी जा रही पद्धतियों में सुधार करने सहित सामाग्रियों, उपकरण, उत्पादन की पद्धतियों, उत्पाद विकास से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान के लिए प्रायोजित, सहयोग, समन्वय अथवा प्रोत्साहित करना;

- उद्यमियों, कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों, विनिर्माताओं, निर्यातकों, गैर - सरकारी एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध, कराकर विविधीकृत पटसन उत्पादों के लिए अनुकूल परिस्थितियां और आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराना और उनका सृजन करना;

- कार्यशालाओं, सम्मेलनों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना तथा पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन तथा विकास के उद्देश्य से अध्ययन समूह गठित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;

- पटसन फसलों की जेस्टेशन अवधि को कम करने तथा पटसन बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान करना;

- पटसन क्षेत्र के सुस्थिर मानव संसाधन विकास तथा इसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने हेतु उपायों को करना;

- पटसन क्षेत्र का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय विकास;

- पटसन उत्पादकों तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा आजीविका के माध्यमों द्वारा उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाना;

- पटसन उद्योग में लगे कामगारों के लिए सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों में सुधार करना तथा बेहतर कार्यशील परिस्थितियों तथा प्रावधानों की व्यवस्था करना;

- वैकल्पिक आधार पर उत्पादकों तथा विनिर्माताओं का पंजीकरण करना;

- संकलन तथा प्रकाशन के लिए पटसन एवं पटसन उत्पादों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना;

- पटसन क्षेत्र के संवर्धन अथवा भारत एवं विदेशों में पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन के लिए किसी अन्य निकाय के साथ कोई अनुबंध (भागीदार, संयुक्त व उद्यम अथवा किसी अन्य तरीके से) करना अथवा शेयर कैपिटल प्राप्त करना।

(iii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू: केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है। संसद के एक अधिनियम (1948 का अधिनियम सं एलएक्सआइ) द्वारा 1948 में स्थापित सीएसबी को रेशम के आयात एवं निर्यात को अभिशासित करने वाली नीतियों के प्रतिपादन सहित रेशम यार्न के उत्पादन के लिए खाद्य पौधों के विकास से रेशम कोकून तक देश में रेशम उत्पादन के कार्यकलापों की समग्र प्रक्रिया को शामिल करते हुए रेशम उद्योग को विकसित करने का पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। सीएसबी मूल रूप से अनुसंधान और विकास संगठन है। सीएसबी के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य करने के लिए सहयोग तथा प्रोत्साहित करना है। रेशम-उत्पादन तथा रेशम वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम राज्य रेशम उत्पादन/वस्त्र विभागों द्वारा प्राथमिक रूप से प्रतिपादित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, केंद्रीय रेशम बोर्ड अपने देशव्यापी नेटवर्क केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान और विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुणवत्ता पूरक रेशम कीट के प्राथमिक तथा वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करता है और विभिन्न रेशम उत्पादन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी राज्यों को सहयोग प्रदान करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर रेशम उत्पादन के आंकड़ों का संग्रह तथा संकलन भी करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड निम्नलिखित दृष्टि और मिशन के साथ काम कर रहा है:

विजन:

रेशम के लिए विश्व बाजार में भारत को अग्रणी के रूप में उभरते हुए देखना।

मिशन:

- अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण में निरंतर प्रयास करना।
- वैज्ञानिक रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रसार के माध्यम से रेशम उत्पादन में लाभप्रद रोजगार और आय के स्तर में सुधार के लिए बड़े अवसरों का सृजन करना है।
- रेशम उत्पादन के सभी स्तरों में उत्पादकता सुधार करना।
- गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्धता के माध्यम से क्षमता के स्तरों को सुदृढ़ करना।

(iv) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट): वर्ष 1986 में स्थापित, निफ्ट हमारे देश में फैशन शिक्षा का प्रमुख संस्थान है और वस्त्र और अपैरल उद्योग के लिए व्यवसायिक मानव संसाधन उपलब्ध कराने में कार्यरत है। भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भारतीय संसद अधिनियम द्वारा वर्ष 2006 में इसे एक सांविधिक निकाय बनाया गया जिसके विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं और पूरे देश में इसके अपने परिसर हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान फैशन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं जिसमें ज्ञान, शैक्षिक आजादी, महत्वपूर्ण आजादी तथा रचनात्मक सोच का एकीकरण किया जाता है। तीन दशक से संस्थान की मजबूत उपस्थिति से अपने मूलभूत सिद्धांतों के प्रमाण के रूप में जाना जाता है जहां शिक्षण की उत्कृष्टता महत्वंपूर्ण है।

2.4.4 पंजीकृत सोसाइटियां

(i) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्योडीबी) का गठन 1987 में किया गया था जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

(ii) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम)

सरदार वल्लभभाई पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान को कोयंबटूर में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (एनटीसी) स्टाफ कॉलेज के परिसर में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 2002 में तमिलनाडु सोसायटी अधिनियम, 1975 के तहत पंजीकृत किया गया था। यह वर्ष 2004 में चालू हुआ। इसे वर्ष 2010 में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल के रूप में अपग्रेड किया गया था। संस्थान का दृष्टिकोण वस्त्र और प्रबंधन शिक्षा में उत्कृष्टता के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र के रूप में उभरना है, जो पेशेवर प्रबंधकों का एक मजबूत कैडर तैयार करेगा जो प्रेरक निष्पादक, और निर्णायक बन जाएगा और, भारतीय वस्त्र उद्योग को सबसे आगे लाने के लिए उच्च मानकों और प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने में सक्षम होगा। मिशन छात्रों को मजबूत सांस्कृतिक मूल्यों के साथ प्रबंधकों, उद्यमियों और अग्रणियों के रूप में सक्षम बनाने के लिए जीवंत, व्यापक और नवीन शिक्षा प्रदान करना है और वैश्विक कारोबारी माहौल की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने कौशल को विकसित करने के लिए एक माहौल प्रदान करना है।

एसवीपीआईएसटीएम 2016 से तमिलनाडु केंद्रीय विश्व विद्यालय (सीयूटीएन) के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रम चलाता है:

एसवीपीआईएसटीएम के मौजूदा कार्यक्रम:

बीएससी-टेक्सटाइल (100) - 3 वर्ष (पूर्णकालिक)
एमबीए - टेक्सटाइल (50) - 2 वर्ष (पूर्णकालिक)
- परिधान (50) - 2 वर्ष (पूर्णकालिक)
- खुदरा (50) - 2 वर्ष (पूर्णकालिक)

वर्ष 2022-23 से अतिरिक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों की पेशकश करने का प्रस्ताव:

बीएससी- टेक्नीकल टेक्सटाइल्स- 3 वर्ष (पूर्णकालिक)
बीबीए- टेक्सटाइल बिजनेस एनालिटिक्स - 3 वर्ष (पूर्णकालिक)
एमबीए- टेक्निकल टेक्सटाइल मैनेजमेंट - 2 वर्ष (पूर्णकालिक)

संस्थान ने वर्ष 2026 के अंत तक वैध तीन स्नातक और चार स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पांच साल के लिए तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूटीएन) के साथ दिनांक 21.12.2021 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसकी स्थापना के बाद से लगभग 1221 छात्रों ने इस संस्थान से स्नातकोत्तर और स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। लगभग सभी छात्र या तो नियुक्त हो गए हैं या उद्यमी बन गए हैं। संस्थान समन्वन्मेषकों और उद्यमियों को उद्योग के लिए तैयार करने के लिए छात्रों के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए उत्सुक रहा है। उद्योग के प्रमुखों के साथ आयोजित विभिन्न बातचीत और उद्योग के दौरे और प्रेरक कार्यक्रम इस दिशा में कुछ प्रयास हैं।

संस्थान ने दिनांक 15.07.2021 को मौजूदा निम्नलिखित एमबीए कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की मंजूरी प्राप्त की है:

- एमबीए (वस्त्र प्रबंधन)
- एमबीए (परिधान प्रबंधन)
- एमबीए (खुदरा प्रबंधन)

संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 तक छात्रों से 1844.67 लाख रुपये की शुल्क भी एकत्र किया है और किराये, परियोजनाओं और अन्य आय के माध्यम से 1342.80 लाख रुपये का आंतरिक आय जुटाई है। इसके अलावा, एसवीपीएसटीएम को अब तक 84.75 लाख रुपये का नकद /इस तरह का दान प्राप्त हुआ है।

2.4.5 सलाहकार बोर्ड:

(i) कपास सलाहकार बोर्ड: वस्त्र मंत्रालय द्वारा कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति (सीओसीपीसी) का गठन 14 सितंबर, 2020 को किया गया था। सीओसीपीसी को कपास क्षेत्र के विकास के लिए आयोजना रणनीति बनाने में मदद करने के लिए प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए अधिदेशित किया गया है:-

i. कपास की फसल और कपास उत्पादन का राज्यवार बुवाई क्षेत्र;
ii. कॉटन बैलेंस शीट में आपूर्ति, मांग, मिल की खपत और अंतिम स्टॉक;
iii. एमएसपी अभियान और वाणिज्यिक प्रचालन;
iv. निर्यात और आयात का डाटा;
v. अतिरिक्त लंबे स्टेपल (ईएलएस), रंगीन और आर्गनिक कपास का उत्पादन और तत्संबंधी मामले;
vi. कपास की प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता और तत्संबंधी मामले;
vii. कपास की खेती के आधुनिकीकरण की परीक्षा और तत्संबंधी मामले; तथा
viii. जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण का स्तर।

(ii) पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति - भारत सरकार के विजन "न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन" के अनुरूप, एक दुर्बल सरकारी मशीनरी और सरकारी निकायों के व्यवस्थित युक्तिकरण की आवश्यकता के अनुरूप, वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 06.08.2020 के पत्र के माध्यम से पटसन सलाहकार बोर्ड (जेएबी) को समाप्त कर दिया है। पटसन और पटसन के सामानों के उत्पादन, आपूर्ति और निर्यात के आंकड़ों के आकलन के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.09.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-7/4/2020-जूट के तहत पटसन पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष पटसन आयुक्त हैं।

पटसन पर विशेषज्ञ समिति की नवीनतम बैठक दिनांक 27.04.2021 को आयोजित की गई थी। विभिन्न हितधारकों के विचारों पर विचार करने के बाद, समिति ने वर्ष 2020-21 के लिए कच्ची पटसन की आपूर्ति-मांग की स्थिति पर पहुंची है जो नीचे दिए अनुसार है: -

मात्रा: लाख गांठों में

	2020-21
(क)	आपूर्ति
i) आरंभिक स्टॉक	18.0
ii) जूट और मेस्टा फसल	60.00
iii)आयात	2.0
कुल :	**80.00**
(ख) वितरण	
iv) मिल की खपत	62.00
v)घरेलू/औद्योगिक खपत	8.00
vi) निर्यात	5.0
कुल:	**75.00**
(ग) अंतिम स्टाक	5.0

जहां तक वर्ष 2021-22 के मौसम के लिए फसल के आकार के आकलन का संबंध है, लगभग सभी प्रतिभागियों ने दिनांक 27.04.2021 को आयोजित ईसीजे में बताया था कि फसल के आकार का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी तक बुवाई चल रही है। हालांकि, उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा वर्ष 2020-21 में बेहतर कीमत की प्राप्ति को देखते हुए, फसल का आकार काफी अधिक होने की उम्मीद है। भारतीय पटसन निगम ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए कच्ची पटसन की आपूर्ति और वितरण का अनुमान प्रस्तुत किया था जो नीचे सूची में दिया गया है: -

2021-22 के लिए कच्ची पटसन की आपूर्ति एवं वितरण

मात्रा: लाख गांठों में

	(अनुमान) 2021-22
(क) आपूर्ति	
i) आरंभिक स्टाक	11.0 (5.0 ईसीजे द्वारा परिगणित)
ii) पटसन और मेस्टा फसल	86.0
iii) आयात	3.0
कुल :	**100.0**
(ख) वितरण	
iv) मिल की खपत	72.0
v) घरेलू/औद्योगिक खपत	10.0
vi) निर्यात	0.0
कुल:	82.0

(ग) अंतिम स्टाक	18.0 (12.0 ईसीजे के आरंभिक स्टाक के आधार पर)

(iii) हस्तशिल्प सलाहकार बोर्ड: भारत सरकार के दृष्टिकोण "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के अनुरूप अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड को 04.08.2020 से समाप्त कर दिया गया है।

2.4.6 निर्यात संवर्धन परिषदें**:**

वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के सभी क्षेत्रों अर्थात सिले-सिलाए परिधानों, सूती, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्त शिल्प और कालीनों का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं। वैश्विक निर्यात बाजार में अपने-अपने क्षेत्र के विकास का संवर्धन करने के लिए ये परिषदें वस्त्र मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करती हैं। अपैरल मेले तथा प्रदर्शनियां और भारत तथा विदेशी बाजारों में स्टैंड एलोन शो का आयोजन निर्यात को बढ़ाने और नए बाजारों तक पहुंच के लिए किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1 अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)

2 सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्स प्रोसिल)

3. सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)

4. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ई पी सी)

5. ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संगठन (वूल टेक्सप्रो)

6. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)

7. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)

8. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)

9. विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)

10. हथकरघा निर्यात सवंर्धन परिषद (एचईपीसी)
11. पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

2.4.7 अन्य. संगठन:

(i) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही।
(ii) राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्त कला अकादमी।
(iii) धातु शिल्पि सेवा केंद्र, मुरादाबाद

2.5. सार्वजनिक क्षेत्र

2.5.1 नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एनटीसी)

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक अनुसूची "क" वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह पूरे भारत में स्थित अपने 7.68 लाख स्पिंडलों तथा 408 करघों के साथ अपनी 23 मिलों के माध्यम से धागे तथा वस्त्र के उत्पादन में नियोजित है और प्रति वर्ष लगभग 550 लाख किलो के धागे तथा तथा 200 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करता है। एनटीसी अपनी संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से वस्त्रों का भी विनिर्माण करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय वस्त्र निगम का देशभर में सुस्थापित रिटेल नेटवर्क हैं जिसमें इसके 85 खुदरा स्टोर हैं। वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या 10449 है। एनटीसी का वर्तमान निवल मूल्य लगभग 920.10 करोड़ रूपए है (अनंतिम)।

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एनटीसी) की स्थापना मुख्य रूप से वर्ष 1974, 1986 और 1995 में तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए गए रूग्ण वस्त्र उपक्रमों के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। पुरानी प्रौद्योगिकी, अधिक जनशक्ति, खराब उत्पादकता आदि के कारण इसकी 9 सहायक कंपनियों में से 8 को वर्ष 1992-93 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने सभी 9 सहायक कंपनियों के लिए पुनरूद्धार योजना अनुमोदित की - उनमें से 8 को वर्ष 2002-03 में और 9वीं को वर्ष 2005 में अनुमोदित किया गया था। यह कंपनी तब से लेकर अभी तक पुनरूद्धार योजना को क्रियान्वित कर रही है। वर्ष 2002-03 की स्वीकृत मूल्य योजना (एसएस-02) को 53 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित 736 करोड़ रुपए के संघटक के साथ कुल 3937 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया गया था। यह योजना 2 बार संशोधित की गई थी – पहली बार 5267 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2006 (एमएस-06) में जिसमें 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 530 करोड़ रुपए का संघटक शामिल था और दूसरी बार यह योजना 4 नए मिलों की स्थापना सहित बढ़ाई गई क्षमता के साथ 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 1155 करोड़ रुपए के संघटक के साथ 9102 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2008 (एमएस-08) में संशोधित की गई थी। बीआईएफआर द्वारा इस योजना का विस्तार 31.03.2012 तक किया गया था।

तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत की गई

कुल 124 मिलों में से बीआईएफआर को संदर्भित 119 मिलों और हसन में स्थापित एक नई मिल का ऐतिहासिक ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

•77 मिलें बंद हो गईं (औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 78 मिलें बंद हो गईं, किन्तु एक बंद मिल अर्थात विदर्भ मिल, अचलपुर को फ़िनले मिल्स, अचलपुर के रूप में पुन: चालू किया गया है)।

• एनटीसी द्वारा 23 मिलें चालू है। (हसन में स्थापित एक नई मिल सहित)।

•जेवी मार्ग के माध्यम से पुनरूद्धार की जाने वाली 16 मिलों में से 5 का पुनरूद्धार कर लिया गया है और शेष 11 मिले जहां जेवी के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया गया था, समीक्षा करने पर पुनरूद्धार हेतु निरस्त कर दिया गया है। इन 11 मिलों में मामला न्यायालय/मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष लंबित है।

• दो मिलें पुद्दुचेरी सरकार को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

• राजस्थान में उदयपुर और बीवर में 2 मिले बंद है।

वर्तमान में एनटीसी देश भर में स्थित निम्नलिखित 23 वस्त्र मिलों का संचालन कर रहा है:

	क्रम सं.	मिलों का नाम	स्थान
आंध्र प्रदेश			
	1	तिरुपति कॉटन मिल्स	रेनीगुंटा
गुजरात			
	2	राजनगर मिल्स	अहमदाबाद
कर्नाटक			
	3	न्यू मिनर्वा मिल्स	हसन
केरल			
	4	अलगपा टेक्टाइल मिल्स	अलगप्पानगर
	5	कन्नानोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	कन्नानोर
	6	केरला लक्ष्मी मिल्स	त्रिचूर
	7	विजयमोहिनी मिल्स	त्रिवेंद्रम
मध्य प्रदेश			
	8	बुरहानपुर तापी मिल्सी	बुरहानपुर
	9	न्यू भोपाल टेक्टाइल मिल्स	भोपाल
महाराष्ट्र			
	10	पोद्दार मिल्स	मुंबई
	11	टाटा मिल्स	मुंबई
	12	इंडिया युनाइटेड मिल नं. 5	मुंबई
	13	बरशी टेक्स्टाइल मिल्स	बरशी
	14	फिनले मिल्स	अचलपुर
माहे			
	15	कन्नीनोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	माहे
तमिलनाडु			
	16	पायनियर स्पिनर मिल्स	कमुदकुदी
	17	कलेसरवर मिल्स 'बी' यूनिट	कलायारकोइल
	18	कम्बोडिया मिल्स	कोयम्बटूर
	19	कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स	कोयम्बटूर
	20	पंकजा मिल्स	कोयम्बटूर
	21	श्री रंगा विलास स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स	कोयम्बटूर
	22	कोयम्बटूर स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स	कोयम्बटूर
पश्चिम बंगाल			
	23	अराती कॉटन मिल्स	दास नगर

एनटीसी की निवल संपत्ति धनात्मक हो जाने के कारण, यह बीआईएफआर के दिनांक 20/10/2014 के आदेश के तहत एसआईसीए की धारा 3(1)(0) के तहत एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रह गई है। कंपनी की वर्तमान निवल संपत्ति लगभग 920.10 करोड़ रूपए है (30.09.2021 के अनुसार) (अनंतिम)।

एनटीसी की कुल भूमि लगभग 3661.20 एकड़ (1010.27 एकड़ - लीज होल्ड, 2650.93 एकड़- फ्रीहोल्ड) है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान एनटीसी का निष्पादन:-

उत्पादन

उत्पाद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
यार्न (लाख किग्रा.)	521.95	527.81	505.95	410.84	17.83
फैब्रिक (लाख मीटर)	201.81	191.58	190.06	88.88	1.31

क्षमता उपयोग

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21* (गैर लेखा परीक्षित)
क्षमता उपयोग (%)	84.81	87.61	85.38	75.82	52.64

उत्पादकता

मापदंड	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21* (गैर लेखा परीक्षित)
कपास की उत्पादकता (40 परिवर्तित)	जीएमएस	93.05	93.17	93.28	94.77	91.91
मिश्रित उत्पादकता (40 परिवर्तित)	जीएमएस	94.84	95.89	96.66	99.21	103.37

कारोबार

मापदंड	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21* (गैर लेखा परीक्षित)
संचालन से राजस्व	करोड़ रुपए	1168.50	1066.27	1081.85	850.42	148.91

लाभप्रदता

मापदंड	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21* (गैर लेखा परीक्षित)
23 कार्यशील मिलों का नकद / (हानि)	करोड़ रु.	(135.12)	(170.44)	(163.93)	(215.84)	(210.18)
कुल लाभ/ (हानि) (समग्र एनटीसी)	करोड़ रु.	969.38	(307.95)	(310.22)	(350.11)	(315.50)

*लॉकडाउन के कारण मिलें बंद थीं।.

2.5.2 भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी):

भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में "भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड" के रूप में दोहरे उद्देश्य के साथ की गई थी (i) निर्यात संवर्धन तथा (ii) हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का व्यापार विकास। वर्ष 1962 में इसका नाम बदल कर "भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड" किया गया था। निगम वर्तमान में एक स्टार निर्यात घर है जो सोना एवं चाँदी के आभूषण/वस्तुओं का निर्यात करने के अतिरिक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों (हाथ से बुने हुए ऊनी गलीचे एवं सिले सिलाए वस्त्र सहित) के कार्य में लगा है। निगम को वर्ष 1997-98 में सोने-चाँदी के आयात तथा घरेलू बाजार में बिक्री के लिए नामित किया गया था। एचएचईसी को 2015-16 से लगातार घाटा हो रहा है और इसका कारोबार लगभग ठप हो गया है। व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य

होने के कारण, 16.03.2021 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एचएचईसी को बंद करने को मंजूरी दी गई थी। वीआरएस की लागत, लंबित वेतन, सांविधिक बकाया का भुगतान, व्यापार देयता, आकस्मिक देनदारियों और लॉकडाउन-पश्च प्रशासनिक व्ययों के लिए निगम की तत्काल निधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए 66.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इस संबंध में डीपीई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एचएचईसी को अंतिम रूप से बंद करने का कार्य चल रहा है।

2.5.3 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड की स्थापना, भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत फरवरी, 1983 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप की गई थी। एनएचडीसी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2000 लाख रुपये है और इसकी प्रदत्त पूंजी 1900 लाख रुपये है। एनएचडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं:

• हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए सभी प्रकार के धागे की आपूर्ति करना।

• हथकरघा क्षेत्र द्वारा आवश्यक गुणवत्ता वाले रंगों और संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति करना।

• हथकरघा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुपालन में, एनएचडीसी निम्नलिखित गतिविधियां कर रही है:

यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) आंशिक संशोधन के साथ और कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के रूप में नाम बदलकर 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई है। हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के यार्न उपलब्ध कराने के लिए कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना पूरे देश में क्रियांवित की जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, राज्य सरकारें हथकरघा और वस्त्र आयुक्त/निदेशक, शीर्ष सोसायटियों और राज्य हथकरघा निगमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 से आपूर्ति किये गये यार्न का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	यार्न की आपूर्ति	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मात्रा (लाख किग्रा. में)
2018-19	442.04	897.15
2019-20	406.17	700.61
2020-21	215.09	521.67
2021-22 (31 दिसंबर, 2021 तक)	148.82	443.31

कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के तहत, भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो परिचालन शुल्क डिपो ऑपरेटिंग एजेंसियों को आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का 2% (प्रति माह 15,000 / - रुपये तक सीमित) दिया जाता है। वर्तमान में देश भर में ऐसे 630 यार्न डिपो और 46 गोदाम काम कर रहे हैं। एनएचडीसी हथकरघा क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्तापूर्ण रंगों और रसायनों की आपूर्ति भी कर रहा है। वर्ष 2018-19 के बाद से रंगों और रसायनों की आपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	रंग एवं रसायन	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (रु. करोड़ में)
2018-19	40.51	45.43
2019-20	33.07	42.13
2020-21	35.17	45.34
2021-22 (31 दिसंबर, 2021 तक)	27.45	42.63

2. हथकरघा उत्पादों के बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेशन, सिल्क फैब्स एवं वूल फैब्स और राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो जैसी विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। भारत सरकार इन प्रदर्शनियों में निगम द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करता है। विगत 5 वर्षों के दौरान प्रदर्शनियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	कार्यक्रमों की सं.	स्टायलों की सं.	कुल बिक्री
2018-19	48	2165	15.00
2019-20	37	1957	75.80
2020-21	9	406	12.85

3. एनएचडीसी, बुनकरों को नवीनतम रंगाई तकनीकों के विषय में शिक्षित करने के लिए तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए एवं बुनकरों की जानकारी के लिए भारत सरकार की जारी योजनाओं के विषय में भी निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करता है:

- क्रेता-विक्रेता बैठकें
- एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम।
- विभिन्न प्रकार के यार्न का प्रयोग करते हुए नए उत्पादों के विकास पर कार्यक्रम।

पिछले 3 वर्षों के दौरान एनएचडीसी का कुल कारोबार, लाभ, जारी किया गया लाभांश इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

वर्ष	कारोबार	कुल लाभ	लाभांश
2018-19	95093.59	(1621.82)	-
2019-20	74866.74	(1119.22)	-
2020-21	57203.63	(963.15)	-

2.5.4 भारतीय कपास निगम (सीसीआई)

सीसीआई को भारत सरकार द्वारा 1970 में कपास विपणन के क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। अपनी शुरूआत से निगम निजी कपास व्यापारियों और अन्य संस्थागत खरीदार क्रेताओं से प्रतिस्पतर्धा में चल रहा है। इसकी बाजार हिस्सेदारी एमएसपी अभियानों के अंतर्गत कुछ वर्षों को छोड़कर जब यह 31 प्रतिशत तक चली गई, 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत है।

बदलते कपास परिदृश्य के साथ निगम की भूमिका और कार्यों की समीक्षा की गई थी और समय-समय पर संशोधित की गई। वर्ष 1985 में मंत्रालय से प्राप्त हुए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई, न्यूनतम मूल्य समर्थन अभियान चलाने के लिए सरकार की एकमात्र एजेंसी है, जब कभी कपास का मूल्यों (बीज कपास) न्यूनतम समर्थन स्तर से नीचे पहुंचता है। एमएसपी अभियानों के अलावा, घरेलू वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने के लिए, विशेष रूप से जब इसकी फसल का समय नहीं होता है, कारपोरेशन अपने जोखिम पर वाणिज्यिक खरीद अभियान चलाता है।

- कपास का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम हो जाने पर किसी मात्रात्मक सीमा के बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाना
- सीसीआई को अपने जोखिम पर केवल वाणिज्यिक अभियान की शुरूआत करना।

वित्तीय परिणाम

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीसीआई ने पिछले वर्ष के कुल 6452.21 करोड़ रुपए के कारोबार की तुलना में 34632.32 करोड़ रुपए का कारोबार किया।

- वित्तीय वर्ष एवं 2020-21 और 2019-20 के दौरान वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थी:

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2020-21	**2019-20**
खरीद (गांठ लाख में)	112.67	84.51
बिक्री (गांठ लाख में)	101.71	2.17
कारोबार (रुपए करोड़ में)	34632.32	6452.23
कर पश्चात लाभ (रुपए करोड़ में)	26.12	38.07

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निगम के अल्पावधि ऋण की रेटिंग एसीयूआईटीई ए1+ और दीर्घावधि ऋण की रेटिंग एसीयूआईटीई एएए अर्थात 35,000 करोड़ रुपए की इस श्रेणी की उधारियों में सौंपी गई उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है जो सुरक्षा, न्यूनतम ऋण जोखिम की बहुत मजबूत श्रेणी को दर्शाता है।

लाभांश: सीसीआई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 18.63 करोड़ रुपए के लाभांश की सिफारिश की है।

2.5.5 सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी)

सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी) दिनांक 4 फरवरी, 1976 से वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। सीसीआईसी का मुख्य उद्देश्य कारीगरों/बुनकरों/शिल्पकारों से खरीदे गए भारत और विदेशों में उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का विकास, संवर्धन और विपणन करना है। निगम के दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, केवडिया (गुजरात) और वाराणसी में एम्पोरियम हैं। शिल्पकारों और कलाकारों के हितों की देखरेख के लिए कोविड के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद सीसीआईसी उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

1. पूंजी: निगम की प्राधिकृत पूंजी 1200 लाख रुपए और प्रदत्तए पूंजी 1085 लाख रुपए है।

2 कार्यशील परिणाम:

क. कारोबार और लाभप्रदता- वर्ष 2020-21 के लिए निगम का सकल कारोबार 1082.98 लाख रूपए है, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष अर्थात 2019-20 में यह 5261.15 लाख रुपए था। वर्ष 2020-21 के दौरान निगम का कुल निर्यात पिछले वर्ष के 186.17 लाख रूपए की तुलना में 8.47 रूपए लाख है। वर्ष 2020-21 पिछले वर्ष अर्थात 2019-20 में 930.57 लाख रूपए की इसी हानि के सापेक्ष 2998.71 लाख रूपए की कर-पूर्व हानि के साथ समाप्त हुआ।

(ख) सांख्यिकी - पिछले तीन वर्षों के लिए संक्षिप्त कार्यशील परिणाम नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(रु. लाख में)

	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22** (अनुमानति)
कारोबार	6808.84	5261.15	1082.98	1700.00
कर पूर्व शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)	(-)545.38	(-) 930.57	(-)2998.71	(-)2800.00
कर पश्चात शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	(-)538.86	(-)925.19	(-)2992.17	(-)2800.00
लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. पुनरुद्धार और पुनर्संरचना – चूँकि सीसीआईसी का पुनरूद्धार और पुनर्संरचना करने का निर्णय लिया गया है। इस दिशा में, मैसर्स राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को इसके अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया है।

4. सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लक्ष्य- सीसीआईसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में कुल खरीद का 88.35% सीधे कारीगरों से खरीदा, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में यह 92.74% था।

5. राजभाषा नीति - नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक), ने वर्ष 2020-21 के लिए आयोजित प्रतियोगिता में निगम के एक कर्मचारी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया है। मार्च, 2021 में दिल्ली में सीसीआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित टॉलिक के पांच सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा संयुक्त रूप से राजभाषा सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।

6. ऑनलाइन शॉपिंग: सीसीआईसी की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अर्थात https://shoponline.cottageemporium.in है। वेबसाइट ऑनलाइन खरीदारी के विवरण के साथ लगभग 12,897 (6100 सक्रिय) हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित

करती है। खरीदे गए उत्पादों को दुनिया भर में भेजा जा सकता है।

7. लैंगिक न्याय - 30/9/2021 की स्थिति के अनुसार, महिला कर्मचारियों की संख्या कुल जनशक्ति का 25.47 प्रतिशत थी। (कुल जनशक्ति (212) - पुरुष कर्मचारी (158) - महिला कर्मचारी (54)। वित्त, निर्यात, आईडीएस/डिस्प्ले आदि जैसे प्रमुख विभागों की अध्यक्षता महिला अधिकारी कर रही हैं।

8. जनशक्ति की संख्या और प्रशिक्षण - 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, निगम में 225 कर्मचारी थे, जबकि 31 मार्च, 2020 तक 239 कर्मचारी थे।

9. प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास/उपलब्धियां :

क. पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ईआईएल इंडिया, ओएनजीसी, मारुति इंडिया, वोडाफोन, इन्वेस्ट इंडिया और लार्सन एंड टुब्रो आदि जैसे बहुत से कॉर्पोरेट ग्राहक सफलतापूर्वक संस्थागत बिक्री के लिए तैयार हो गए हैं।

ख. सीसीआईसी ने सभी शाखाओं में विभिन्न बिक्री अभियान द्वारा 775 लाख रुपए के पुराने और अप्रचलित स्टॉक का सफलतापूर्वक मुद्रीकरण किया है।

ग. सीसीआईसी ने वर्ष 2020 के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र में सात डिजाइन विकास परियोजनाएं पूरी की हैं। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए संयोजन बनाने के लिए, सीसीआईसी ने एनईएचएचडीसी के साथ व्यवस्था/समझौता-ज्ञापन करने के लिए चर्चा की है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) उत्पाद सभी प्रमुख एम्पोरियम में उपलब्ध कराए जाएंगे।

घ. सीसीआईसी को गोवा में एमसीएमवी कमांड बिल्डिंग के लिए मैसर्स गोवा शिपयार्ड और दिल्ली में नौसेना भवन के डिजाइन और परामर्श कार्य के लिए सफलतापूर्वक कार्य प्रदान किया गया है।

ङ. सीसीआईसी ने हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक खुदरा काउंटर खोलने के लिए शिल्प संग्रहालय और सालारजंग संग्रहालय के साथ समझौता किया है।

च. सीसीआईसी ने महानिदेशक, एएसआई से सारनाथ (उत्तर प्रदेश), खुजराहो (मध्य प्रदेश), ताजमहल (उत्तर प्रदेश), आगरा किला (उत्तर प्रदेश), कुतुब मीनार (दिल्ली) और मट्टनचेरी पैलेस संग्रहालय (केरल) और विट्ठला मंदिर हम्पी (कर्नाटक) जैसे प्रमुख स्मारक/पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या के विश्लेषण के आधार पर स्मारिका वस्तुओं की दुकान खोलने देने का अनुरोध किया है।

छ. विशेष रूप से एचएचईसी के बंद करने के निर्णय के पश्चात निर्यात अवसरों का लाभ उठाने के लिए हाल ही में निर्यात विभाग की स्थापना की गई है।

ज. सीसीआईसी ने हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट में पुनर्निर्माण और सुधार किया है। ई-कॉमर्स वेबसाइट की सूची वास्तविक समय में ईआरपी डेटाबेस से जुड़ी हुई है।

झ. उत्पादों की बिक्री और प्रचार के लिए अमेजन,जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस), फिलिपकार्ट (प्रक्रिया में) जैसे ई-मार्केटप्लेस के साथ पंजीकरण को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

ञ. वर्ष 2020-21 के दौरान एम्पोरियम में और बाहर 5 (पांच) विषय आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

10. नि:शक्तजन अधिनियम, 1955 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम) का कार्यान्वयन - सीसीआईसी नि:शक्त व्यक्तियों के लाभ और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में पदों को भरने के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को लागू कर रहा है।

11. लोक शिकायत निवारण - सीसीआईसी में एक शिकायत निवारण तंत्र है जहां सीसीआईसी में महाप्रबंधक स्तर का एक शिकायत अधिकारी होता है।

2.5.6 ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (बीआईसी)

ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईसी) को 24 फरवरी, 1920 को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा इसे 11 जून, 1981 को अधिग्रहित किया गया था। बीआईसी लिमिटेड, कानपुर दो ऊनी मिलों जैसे (1) कानपुर वूलन मिल्स ब्रांच, कानपुर (2) न्यू एगर्टन वूलन मिल्स ब्रांच, धारीवाल का मालिक है और उनका प्रबंधन करता है। इन दो मिलों के उत्पादों को क्रमशः "लाल इमली" और "धारीवाल" के ब्रांड नामों से जाना जाता है। ये इकाइयां ऊनी/मिश्रित सूटिंग, ट्वीड, वर्दी के कपड़े, लोइ, शॉल, कालीन, कंबल आदि का निर्माण करती हैं।

बीआईसी लिमिटेड का आधुनिकीकरण/पुनर्वासन

वित्तीय स्थिति के आधार पर, बी.आई.सी. लिमिटेड को 1992 में बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था और उसे रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया था। बीआईएफआर द्वारा 2002 में कुल 211 करोड़ रु. की लागत से एक पुनर्वासन योजना को मंजूरी दी

गई थी। योजना को समग्र रूप से लागू नहीं किया जा सका क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लीजहोल्ड संपत्ति को फ्रीहोल्ड संपत्ति में बदलने की अनुमति नहीं दी गई थी। बीआईएफआर द्वारा संशोधित पुनर्वास योजना 2008 में 273 करोड़ रुपये की राशि से मंजूरी दी गई थी, जिसमें भारत सरकार की ओर से 273 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता और शेष 116 करोड़ रु. की परिकल्पना अधिशेष भूमि की बिक्री से की गई थी। वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण ब्यूरो (बीआरपीएसई) की सिफारिश के आधार पर एक अन्य संशोधित योजना 2011 में 338 करोड़ रुपये से स्वीकृत की गई थी। एक एमडीआरएस तैयार किया गया था और बीआईएफआर के सामने रखा गया था और दिनांक 14.02.2008 की सुनवाई में, 157.35 करोड़ रुपए की सरकारी बजटीय सहायता और शेष अधिशेष भूमि की बिक्री से कुल 273.28 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित किया गया था। बीआरपीएसई ने 28.07.2010/18.12.2010 को हुई अपनी बैठक में 338.04 करोड़ रुपये से एक संशोधित योजना की सिफारिश की थी। संशोधित योजना को, मंत्रिमंडल, द्वारा दिनांक 09.06.2011 को हुई इसकी बैठक में, इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार से अधिशेष भूमि की बिक्री करने की अनुमति प्राप्त की जाए। योजना में परिकल्पित वित्त-व्यवस्था के साधन निम्नानुसार थे:-

(रुपए करोड़ में)

1	भारत सरकार से अनुदान वीआरएस	17.10
2	परिचालन घाटा 9/10, 10/11 अनुदान	66.99
3	जमीन की बिक्री पर ब्याज मुक्त ऋण	128.66
4	वेतन के लिए भारत सरकार से सॉफ्ट ब्याज ऋण (2 वर्ष)	78.00
5	कंवर्जन शुल्क के भुगतान के लिए भारत सरकार से ब्याज रहित ऋण	47.35
6	योजना की लागत	338.04

योजना का कार्यान्वयन अभी शुरू किया जाना है क्योंकि अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अभी आवश्यक अनुमति प्राप्त की जानी है। इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया था और अभी भी समाधान होना बाकी है। नीति आयोग ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है, प्री-क्लोजर गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं। इस संबंध में बीआईसी ने कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और वैधीकरण के लिए एनबीसीसी (आई) लिमिटेड को नियुक्त किया है।

प्रमुख संकेतकों के संबंध में वर्ष 2017-18, 2018-19 (लेखापरीक्षित) और 2019-20 (गैर-लेखापरीक्षित) के दौरान निगम का निष्पादन निम्नानुसार है: -

विवरण	लेखा परीक्षित		गैर-लेखा परीक्षित
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**
कारोबार/ बिक्री	0.05	0.08	0.02
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(106.20)	(94.20)	(101.28)
कर पश्चात लाभ/(हानि)	(106.20)	(94.20)	(101.28)

बीआईसी लि. की सहायक कंपनियां

एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर

एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1864 में हुई थी और इसे वर्ष 1911 में पंजीकृत किया गया था, जिसमें एल्गिन नंबर 1 एवं एल्गिन नंबर 2 के रूप में 2 इकाइयां शामिल थीं। ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक एक अध्यादेश द्वारा (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम 1981 द्वारा भारत सरकार ने बीआईसी लिमिटेड के सभी शेयरों का अधिग्रहण किया और इस तरह 11 जून 1981 से यह एक सरकारी कंपनी बन गई। एल्गिन मिल्स कंपनी ने सरकारी कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया। कंपनी नागरिक बाजार और रक्षा, अर्धसैनिक, सरकारी और अन्य वस्तुओं (तौलिए, चादरें, सूट और शर्टिंग, ड्रिल, सेलुलर आदि) के लिए कपास और मिश्रित कपड़े के उत्पादन में लगी हुई थी।

कंपनी को निरंतर हो रहे घाटे के कारण, एसआईसीए के प्रावधान के तहत एक संदर्भ बीआईएफआर को दिया गया और उसे रुग्णं घोषित कर दिया गया। बीआईएफआर ने 1994 में कंपनी के समापन की सिफारिश की। एएआईएफआर ने 1997 में उक्त आदेश की पुष्टि की और तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 1999 में एक समापन आदेश पारित किया और आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया। भारत सरकार ने जून, 2001 में स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) लागू की। मेसर्स एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड ने 1980 के आसपास कार्यशील पूंजी और आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया था। इन ऋणों को धन की कमी के कारण चुकाया नहीं जा सका और मैसर्स कोटक महिंद्रा बैंक, मैसर्स आईसीआईसीआई के समनुदेशिती ने 2009 में माननीय उच्च न्यायालय में अपने बकाए की वसूली के लिए एक मामला दायर किया और परिसमापन के आदेश 2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए थे। एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए मामला माननीय उच्च न्यायालय में न्यलयाधीन है। कंपनी ने ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) के तहत सुरक्षित लेनदारों की बकाया राशि का निपटान कर दिया है।

सुरक्षित लेनदार, आईसीआईसीआई बैंक के समनुदेशिती कोटक महिंद्रा बैंक (केएमबी) को भी अन्य सुरक्षित लेनदारों की भावना और निपटान की शर्तों के अनुसार ऋण का भुगतान किया गया

था, लेकिन केएमबी ने एनओसी नहीं दिया है और उनकी गणना के अनुसार ऋण की वसूली के लिए मामला चल रहा है। हालाँकि, कंपनी की अधिकांश संपत्ति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक के पास है और कंपनी को परिसमापन से बाहर लाने के लिए कंपनी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अनुमति भी मांग रही है।

कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कानपुर

ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार की एक कंपनी है। कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, बीआईसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और इसे वर्ष 1920 में निगमित किया गया था। कंपनी घरेलू सिविल बाजार और रक्षा, अर्धसैनिक, सरकार और अन्य वस्तुओं के लिए वस्त्र और यार्न के उत्पादन में लगी हुई थी।

निरंतर घाटे और कंपनी के निवल मूल्य के घटने/ऋणात्मक हो जाने के कारण, कंपनी को एसआईसीए के प्रावधान के तहत बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था और कंपनी को 1992 में रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया था। 1999 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समापन के लिए आदेश पारित किया था और एक सरकारी परिसमापक नियुक्त किया था। भारत सरकार ने 2001 में स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) लागू की। सुरक्षित लेनदारों ने माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया और कानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड के मिल और आवासीय परिसर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिमापक द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। सभी सुरक्षित लेनदारों को ओटीएस के अनुसार भुगतान कर दिया गया है। सरकारी परिमापक ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अनुमति से कंपनी की सभी चल संपत्तियों को बेच दिया है। कंपनी को परिसमापन से बाहर लाने के लिए बीआईसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अनुमति लेने के लिए मुकदमा लड़ रही है।

2.5.7 भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि. कोलकाता

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) 1971 में स्थापित भारत सरकार का एक उद्यम है। जेसीआई वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) की सरकारी एजेंसी है जो पटसन उत्पादकों के लिए एमएसपी नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है और कच्चे पटसन बाजार में एक स्थिर कर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करता है । जब एमएपी नहीं चल रहा होता है, व्यवसाय उत्पन करने के लिए उस समय एमएसपी से अधिक मूल्य पर पटसन की खरीद करके जेसीआई वाणिज्यिक प्रचालन भी करता है। जेसीआई के मूल्य समर्थन अभियानों में जब भी पटसन का प्रचलित बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना छोटे और सीमांत किसानों से एमएसपी पर कच्चे पटसन खरीदना शामिल है। ये अभियान, कच्चे पटसन के मूल्य में अंतर-मौसमी और अंतरा-मौसमी उतार-चढ़ाव को रोकने के उद्देश्य से अत्यधिक आपूर्ति करके बाजार में एक नेशनल बफर के सृजन मे सहायता करते हैं। जेसीआई के विभागीय क्रय केन्द्र (डीपीसी), जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, किसानों से पटसन सीधे खरीदते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा और त्रिपुरा आदि राज्यों में जेसीआई के लगभग 110 डीपीसी हैं।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार निगम की प्राधिकृत और प्रदत्ति पूंजी 5 करोड़ रूपए और निवल मूल्य 155.23 करोड़ रुपए है। संपूर्ण प्राधिकृत पूंजी भारत सरकार द्वारा सब्सक्राइब की गई है।

मिशन:

(i) देश के पटसन/मेस्टा उत्पादकों को न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की नीति का क्रियान्वयन करना।
(ii) कच्चे पटसन क्षेत्र में मूल्य स्थिर एजेंसी के रूप में काम करना और इस संबंध में आवश्यक उपाय करना।
(iii) पटसन संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विस्तार पर उपाय करना।

विजन:

पटसन व्यापार क्रियाकलाप जो विविधीकृत के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए आत्म-निर्भरता और सतत् लाभकारिता के दोहरे उद्देश्य के साथ पर्यावरण के अनुकूल है, पर विशेष ध्यान देते हुए किसानों के हित और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था बढ़ावा देने और राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कच्ची पटसन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाना।

मुख्य कार्य

i. जब कच्ची पटसन का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर तक पहुंच जाने पर किसी मात्रात्मक सीमा के बिना सरकार की ओर से समर्थन मूल्य अभियान चलाना।

ii. जब भी आवश्यकता हो अन्य प्रयोजन के लिए एनजेएमसी की पटसन मिलों के लिए वाणिज्यिक कार्य शुरू करना।

iii. कारपोरेशन पटसन आईकेयर परियोजना की एक कार्यान्वयन एजेंसी जिसका उद्देश्य खेत स्तर पर पटसन उत्पादकों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान करके सुदृढ़ कृषि विज्ञान पद्धति को प्रसार करने और प्रोत्साहित करना है। कारपोरेशन आईकेयर परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत

किसानों को रेटिंग उद्देश्य के लिए सब्सिडी गत पटसन बीजों और माइक्रोबाइल कन्सोर्टियम नामत- क्रिजाफा सोना पाउडर वितरण भी करता है।

iv. कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत योजना और योजनाओं का कार्यान्वयन करना।

v. ई-कॉमर्स, जेडीपी फ्रेंचाइजी पैन इंडिया, खुदरा बिक्री और कमीशन एजेंटों के माध्यम से विभिन्न चैनलों के माध्यम से पटसन विविधीकृत उत्पादों का विपणन। तिरुपति में प्रसाद वितरण के लिए अल-कोटेड पटसन बैग की आपूर्ति।

vi. जियो-टेक्सेटाइल्स, एग्री-टेक्संटाइल्स के बैगों का विपणन।

vii. विभिन्न सरकारी एजेंसियों को बी-ट्वील, ए-टवील डीडब्ल्यू टर्पोलिन गनी बैग की आपूर्ति।

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड का निष्पादन नीचे दिया गया है:

मात्रात्मक विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(लाख गांठ में)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कच्ची पटसन की खरीद	0.57	0.05	2.25	3.15	0.73	1.00	0.91	0.56
कच्ची पटसन की बिक्री	1.46	0.20	0.71	2.49	2.50	1.55	0.99	0.05
अंतिम स्टॉक	0.17	0.02	1.57	2.24	1.35	0.20	0.13	0.18
वित्तीय (रु./लाख)								
कच्ची पटसन की बिक्री	8027.07	1506.45	5097.70	17406.26	18547.44	12173.06	10569	6075
बिक्री-पटसन बीज	895.44	627.55	1214.1	580.79	322.50	392.54	816	1000

2.5.8 राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एन.जे.एम.सी.)

राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी) को भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के रूप में 3 जून 1980 को पंजीकृत और/अथवा निगमित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित 6 (छह) पटसन मिलें अर्थात पश्चिम बंगाल की नेशनल, किन्निसन, खारदाह, एलेक्जेंड्रा, यूनियन और कटिहार, बिहार में आरबीएचएम यूनिट शामिल थीं। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सरकार के खाद्य प्रसंस्करण एजेंसियों को आपूर्ति के लिए पटसन सामानों (सेकिंग) के निर्माण का व्यवसाय करना है।

कंपनी को इसकी स्थापना के बाद से लगातार घाटा होने और निवल मूल्य में कमी होने के कारण इसे वर्ष 1992 में बीआईएफआर के लिए संदर्भित किया गया था। मार्च 2010 में कुल 1417.53 करोड़ रु. की लागत से मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित और नवंबर 2010 में संशोधित कर 1562.98 करोड़ रुपये की मसौदा पुनरुद्धार योजना को जनवरी 2011 में बीआईएफआर द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। वस्त्र मंत्रालय के हस्तक्षेप पर मंत्रिमंडल के दिनांक 19 मार्च 2010 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए छ: पटसन मिलों में से स्वयं एनजेएमसी द्वारा इसकी तीन मिलों पश्चिम बंगाल में (किन्निसन, खड़ाह) और बिहार में यूनिट:आरबीएचएम को चलाने के लिए बीआईएफआर ने दिनांक 31.03.2011 को आयोजित अपनी बैठक में मंजूरी दे दी। पुनरुद्धार योजना में अनिवार्य रूप से तीन मिलों नामत: नेशनल, यूनियन और एलेक्जेंड्रा को बंद करना और शेष तीन मिलों का चलाना शामिल है। इसमें सभी कर्मचारियों को वीआरएस देने, 3 मिलों को चलाने के लिए मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, पूंजीगत व्यय आदि का प्रावधान था। तदनुसार, सभी कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया था। तीन मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं हुए।

अंत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 10.10.2018 को एनजेएमसी को बंद किए जाने का अनुमोदन दिया।

(क) एनजेएमसी को बंद किए जाने के कारण: प्रचालन के लिए चिन्हित की गई तीन मिलों यथा कटिहार में आरबीएचएम; तथा कोलकाता में खारदाह और किन्नीकसन मिलों को 2010 तथा 2011 में प्रचालनशील बना दिया गया था। श्रमिकों को कमीशन आधार पर काम पर रखकर उत्पादन शुरू कर दिया गया। चूंकि मिलें घाटा उठा रही थीं इसलिए अप्रैल, 2014 में खारदाह मिल तथा बाद में

आरबीएचएम और किन्नीसन मिल में उत्पादन संविदा के आधार पर श्रमिकों को संविदा पर रखने के एक नए मॉडल की शुरूआत की गई। तथापि, इस मॉडल के माध्यम से प्रचालन में कुछ सुधार दर्शाने के बावजूद मिलें औद्योगिक विवाद मामलों, जल्दी-जल्दी होने वाली हड़तालों तथा ठेकेदार द्वारा संविदा के नियम एवं शर्तों का उल्लघंन किए जाने के कारण ये मिलें सफलतापूर्वक नहीं चल सकीं। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि उद्योग के पास पटसन के बोरों के विनिर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। तदनुसार, नीति आयोग ने एनजेएसमी को बंद करने की सिफारिश कर दी।

2.5.9 बड्र्स जूट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल), एनजेएसीकी सहायक कंपनी: -

पटसन फैब्रिक की एक प्रसंस्करण इकाई, बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) लैंसडाउन जूट मिल प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी थी जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) ने 1980 में राष्ट्रीयकरण से परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया। 1980 और बीजेईएलके इक्विटी शेयरों का 58.94% की हिस्सेादार बन गई। इसके बाद भारत सरकार ने 1986 में बीजेईएल के शेयरों को एनजेएमसी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार यह 1986 में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई।

बीजेईएल ने अक्टूबर 2002 से उत्पादन कार्यों को रोक दिया। तब से लेकर वर्ष 2014-15 तक कंपनी का कोई बिक्री कारोबार नहीं हुआ। मार्च 2016 से, बीजेईएल विपणन कार्यों में शामिल है और छोटे निर्माताओं तथा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित सामान्य सुविधा केंदों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। बीआईएफआर ने अगस्त, 2012 में कुल 1,37.88 करोड़ की लागत वाली एक पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी। पुनरुद्धार योजना के मसौदे (डीआरएस)को बीआईएफआर द्वारा निम्नलिखित दो शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया था:

i) एक परिसंपत्ति बिक्री समिति (एएससी) का गठन किया जाना था, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य थी।
ii) अपने वर्तमान भूमि उपयोग को "औद्योगिक" से "वाणिज्यिक" में बदलने के लिए बीजेईएल को पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करना होगा।
मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल सरकार के गैर-सहयोगी रुख होने के कारण इन दो शर्तों के पूरा न होने से पुनरुद्धार योजना पर कोई प्रगति नहीं हुई।

(क) बंद किए जाने की प्रक्रिया:- पुनरुद्धार योजना के भाग के रूप में, एनजेएमसी के सभी कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया था। वर्तमान में एनजेएमसी और बीजेईएल की पंजी में कोई कर्मचारी नहीं है। नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर, एनजेएमसी और बीजेईएल के बंद किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्तमान में एनजेएमसी की कुल देनदारियां/देय राशि 561.5 करोड़ रु. (31.3.2021 के अनुसार लेखापरीक्षित) और बीजेईएल की कुल देनदारियां/देय राशि 146.63 करोड़ रु. (31.3.2021 के अनुसार लेखापरीक्षित) (मंत्रिमंडल नोट के अनुसार) है। हालांकि, एनजेएमसी की कुल परिसंपत्ति (2017 के निर्धारित मूल्य के अनुसार) 2392.09 करोड़ रु. मूल्य की और बीजेईएल की कुल परिसंपत्ति 738.58 करोड़ रु. मूल्य की है।

(ख) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 को हुई अपनी बैठक में दिनांक 13 सितंबर,2018 के मंत्रिमंडल नोट सं.11/18/2014-पटसन (खंड-II) पर विचार किया और दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 के अनुपूरक नोट में एनजेएमसी और इसकी सहायक कंपनी बीजेईएल को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रकाशित दिनांक 14.06.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार एनजेएमसी और बीजेईएल को बंद किया जाएगा।

एनबीसीसी (आई) लिमिटेड को भूमि संपत्तियों के निपटान के लिए भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है और एमएसटीसी लिमिटेड को एनजेएमसी लिमिटेड और बीजेईएल द्वारा अलग-अलग भवनों सहित चल संपत्तियों के निपटान के लिए नीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी बीच चल और अचल संपत्तियों के सत्यापन, मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार एनबीसीसी (आई) लिमिटेड को प्री-एलएमए के रूप में नियुक्त किया गया है। सत्यापन प्रक्रिया को अग्रिम स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अनुमोदित पैरा निम्नानुसार है :-

i) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एनजेएमसी) तथा इसकी सहायक कंपनी बड्र्स जूट एंड एक्स) पोर्ट्स लि. (बीजेईएल) को बंद करना;

ii) भारत सरकार के पास तत्काल आधार पर 200 करोड़ रुपए जमा करना; न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए तात्कालिक आकस्मिक देयताओं के लिए 21.21 करोड़ रुपए को बचाकर रखना; एनजेएमसी को बंद किए जाने के लिए प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना तथा इसकी बंदी प्रक्रिया के साथ-साथ प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय हेतु बीजेईएल को 5 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करना;

iii) एनजेएमसी तथा बीजेईएल की परिसंपत्तियों का निपटान डीपीई द्वारा दिनांक 14.06.2018 को जारी कार्यालय

ज्ञापन संख्यास डीपीई/5(1)/2014-वित्ती (भाग-I) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। एनजेएमसी तथा बीजेईएल चल तथा अचल परिसंपत्तियों का सत्याापन करेंगे तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान के लिए अचल संपत्तियों का दायित्व नामित की गई भूमि प्रबंधन एजेंसी को सौंप सकते हैं। नामित की गई भूमि प्रबंधन समिति अचल संपत्तियों के संबंध में सूचना एकत्र करेगी और इसका सत्यापन करेगी तथा दिनांक 14.06.2018 के डीपीई दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

iv) परिसंपत्तियों के निपटान के माध्यम से सृजित निधि से देयताओं को चुकाना; और

v) शेष राशि को भारत सरकार तथा स्टेक होल्डरों को लौटाना।

भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा)

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

वर्तमान में इजिरा चौदह आरएंडडी प्रायोजित परियोजनाएं संचालित कर रहा है; वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित बारह, पटसन उद्योग और राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा प्रायोजित एक अभी तक क्रियांवित की जा रही परियोजना-वार गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं -

1. थ्रेसहोल्ड मैकेनिकल संपत्तियों और भौतिक मापदंडों पर विचार करते हुए 50 किग्रा. क्षमता वाले पटसन थैलों का डिजाइन और विकास:

किफायती बैग आयाम, थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, खाद्यान्न पैक करने के लिए इष्ट पोरसिटी पर विचार करके एक व्यवस्थित अध्ययन के माध्यम से, 550 ग्राम क्षमता वाले पटसन थैलों को तैयार किया गया है। वर्तमान बी. ट्विल पटसन बैग के लिए सामान्य बैच का उपयोग करते हुए और इजिरा की प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए 29 विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक बैग तैयार किए गए हैं। इन प्रायोगिक बैगों से, टाइप ए और टाइप बी बैग दोनों को अंतिम रूप दिया गया है।

2. औद्योगिक उपयोगों के लिए मूल्य वर्धित रसायनों के निष्कर्षण के लिए जूट की छड़ियों और जूट अपशिष्ट का उपयोग सेलूलोज़, हेमिकेलुलोस और लिग्निन से युक्त जूट स्टिक और फाइबर अपशिष्ट, लिग्नोसुलफोनेट्स, बिथनॉल, बायो-ऑयल, बायो-चार और नैनोकैल्यूलोज़ जैसे मूल्य वर्धित रसायनों के संभावित स्रोत हैं। सोडियम लिग्नोसल्फ़ोनेट, बायो-इथेनॉल, बायो-ऑयल, बायो-चार और नैनोकैल्यूलोज़ को इजिरा के रासायनिक प्रसंस्करण पायलट प्लांट में जूट की छड़ें और जूट के कचरे से सफलतापूर्वक निकाला गया है। लीड एसिड बैटरी में जूट से उत्पादित सोडियम लिग्नोसुलोनेट द्वारा लीड इलेक्ट्रोड बैटरी के जीवनकाल में वृद्धि के संबंध में सीईसीआरआई, कराईकुडी में अध्ययन किया जा रहा है। जूट की छड़ से बायो-ऑयल और बायो-चार उत्पादन करने में सक्षम इजिरा पायलट प्लांट में एक तीव्र पायरोलिसिस प्लांट स्थापित किया गया है।

3. जैव-रासायनिक पहल के माध्यम से जूट के पौधे की तीव्र गति से रेटिंग

जूट के पौधों की नवीन तरीके से तीव्र गति से रेटिंग के लिए बीएलएएसटी विश्लेषण द्वारा अपनाई गई 16एस आरएनए आनुवांशिक लक्षण की विशिष्टता वाली तकनीक का उपयोग करके एक कुशल माइक्रोबियल कंसोर्टियम (इजिरा सुभरा) को सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ में प्रस्तुत किया गया है। पहचान किए गए उपभेद हैं (ए) स्यूडोमोनास हुनानेंसिस (बी) लिसिनिबासिलस फुसिफॉर्मिस (सी) मायकोप्लाणा रैमोसा। वर्ष 2019 के जूट रेटिंग मौसम में, नार्थ 24-परगना, पश्चिम बंगाल, को एक मॉडल जिले के रूप में पहचान किया गया था ताकि इजिरा में विकसित माइक्रोबियल कंसोर्टियम (इजिरा सुभरा) का उपयोग करते हुए जूट के पौधों की तेजी से रेटिंग पर फील्ड प्रदर्शन ट्रायल किया जा सके। नार्थ 24-परगना के 22 ब्लॉक में से, 17 जूट उगाने वाले ब्लॉकों में रेटिंग ट्रायल किए गए। 1560 से अधिक क्षेत्र परीक्षण, 8500 सीमांत जूट किसानों को पंजीकृत करके दस किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के एक अन्य प्रमुख जूट उगाने वाले जिले मुर्शिदाबाद में जूट संयंत्र के तेजी से पुन: संचालन पर प्रदर्शन परीक्षण भी आयोजित किए गए। रेट किए गए जूट फाइबर को भी क्षेत्र से एकत्र किया गया था और आईएस मानक के अनुसार उनका मूल्यांकन किया गया था। इजिरा सुभरा में जूट के रेशों की गुणवत्ता में कम से कम 1.5-2.0 ग्रेड के पारम्परिक रूप से रेट किए गए जूट के रेशों की गुणवत्ता में सुधार हुआ था, इसलिए इसे किसानो के लिए लाभप्रद पाया गया। इजिरा के किण्वन प्रयोगशाला में 100 किलोलीटर से अधिक इजिरा सुभरा उत्पादित किए गए और किसानों के बीच वितरित किए गए। जल सीमा की स्थिति के तहत इजीरा-सुभरा का उपयोग करके भूमि पर जूट के पौधों की सूखी रेटिंग को भी कई जूट के बढ़ते स्थानों पर करने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार नवीन जूट रेटिंग प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण पर काम किया जा रहा है।

4. बेहतर उपयोग के लिए जूट के कठोर जड़ की कटिंग की बायो-केमिकल साफ्टनिंग

इजिरा में विकसित जैव रासायनिक हार्ड रूट सॉफ्टनिंग तकनीक, विशेष रूप से कटे हुए जूट के स्थान पर नरम हार्ड कटिंग और अनट्यूट जूट फाइबर के उच्च प्रतिशत को शामिल करके बैच लागत में काफी कमी जैसे के कई लाभों के कारण इसे जूट मिलों में

व्यावसायीकृत किया गया है। इस `हार्ड रूट सॉफ्टनिंग प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता जूट यार्न के गुणों में देखी जाती है जिसमें 8.0 पौंड से लेकर 24 एलबी/ एसपीवाई होती है। उक्त तकनीक को अभी तक 19 जूट मिलों को हस्तांतरित किया गया है। इजिरा ने अपनी किण्वन प्रयोगशाला से उपयोगकर्ता जूट मिलों को लगभग 82,000 लीटर बायोकेमिकल रूट सॉफ्टनिंग सॉलुशन' की आपूर्ति की है। व्यावसायीकरण के एक भाग के रूप में इजिरा के तकनीकी मार्गदर्शन में अब तक पांच जूट मिलों में नई किण्वन प्रयोगशाला' की स्थापना की गई है। इस रूट सॉफ्टनिंग तकनीक का व्यवसायीकरण किया जा रहा है।

5. ग्रामीण सड़कों में पटसन जियो-टेक्सटाइल्स (जेजीटी) के उपयोग के लिए मानकों का विकास

प्रयोगशाला फुटपाथ मॉडल के आधार पर जेजीटी युक्त ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए "अनुशंसित डिजाइन पद्धति" का अध्ययन किया गया है। इसे सीधे आईआरसी: एसपी: 72-2015 में ग्रामीण सड़कों की डिजाइन पद्धति में शामिल किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जेडजीटी का प्रयोग करके मणिपुर में एक पीएमजीएसवाई सड़क का निर्माण किया गया है और समय-समय पर सड़क के निष्पादन की निगरानी की जा रही है।

निर्यात संवर्धन

3.1 निर्यात

भारत विश्व में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 11.4% थी। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यावपार में भारत की हिस्सेदारी 4% है।

हथकरघा और हस्तशिल्प सहित भारत के वस्त्र उत्पादों का निर्यात 100 से अधिक देशों में किया जाता है। भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात में यूएसए और ईयू-27तथा यू.के. की हिस्सेदारी लगभग 47% है। अन्य प्रमुख निर्यात गंतव्य चीन, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, वियतनाम आदि हैं।

वस्त्र और अपैरल का निर्यात ब्यौरा निम्नलिखित है:-

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

वर्ष/ विवरण	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	सीएजीआर	**2020-21** (अप्रै.-दिसं.)	**2021-22** (अप्रै.-दिसं.) (अनंतमि)	% परिवर्तन
भारतीय वस्त्र एवं अपैरल	36,558	33,379	29,872	-9.6%	20011	30450	52%
हस्तलशिल्प	3,804	3,564	3,443	-4.9%	2377	3323	40%
हस्तशिल्प सहित कुल टी एण्ड ए	40,362	36,943	33,315	-9.1%	22388	32029	43%
भारत का समग्र निर्यात	3,30,078	313,361	2,91,808	-6.0%	201380	305046	51%
समग्र निर्यात का % टी एण्ड सी निर्यात	12.2%	11.8%	11.4%		11.1%	10.5%	

डाटा स्रोत : डीजीसीआईएण्ड एस

- 2020-21 में रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) कुल वस्त्र निर्यात का लगभग 37% है। इसके अलावा निर्यात में योगदान करने वाले मुख्य भाग सूती वस्त्र (33.4%), मानव निर्मित वस्त्र (12.5%), कार्पेट (4.5%) तथा हस्त निर्मित कार्पेट को छोड़कर हस्तशिल्प (5.7%) है।
- भारत से हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान उत्पादों का निर्यात 2019-20 के दौरान 33.3 बिलियन अमेरीकी डालर से घटकर वर्ष 2020-21 के दौरान 36.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक रह गया, जिसने 9.8 प्रतिशत की कमी की हुई है। निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से जारी वैश्विक मंदी के कारण हुई है, जो कोविड-19 संकट के कारण और बढ़ गई। कोविड-19 के कारण से आपूर्ति श्रृंखलाओं और मांग में बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न हुए जिसके परिणामस्वरूप आर्डर रद्द हो गए। गिरावट का अन्य मुख्य कारण यूरोपीय संघ बाजारों में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और तुर्की जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारतीय वस्त्रों के लिए अंतर टैरिफ से नुकसान होता है।
- वर्ष 2021-22 के दौरान ठीक होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल-दिसंबर' 21 (अनंतिम) में, कुल वस्त्र और परिधान (टीएंडए) निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के 20.01 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 30.45 अरब अमेरिकी डॉलर है। 52% की वृद्धि एक आर्थिक बदलाव का संकेत देती है।

आयात :

- भारत, वस्त्र तथा अपैरल का निर्यातक देश है और यहां व्यापक व्यापार अधिशेष की स्थिति बनी हुई है।
- अधिकांश आयात पुन: निर्यात के लिए अथवा कच्चे माल की उद्योग की आवश्यकता के लिए किया जाता है।
- 2020-21 में तदनुरूप अवधि की तुलना में भारत द्वारा वस्त्र और अपैरल उत्पाद अप्रैल-दिसम्बर, 2021 (अनंतिम) में 53 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

मिलियन अमेरीकी डालर में मूल्य

वर्ष/विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर)	2020-21 (अप्रैल-दिसम्बर) (अनंतिम)
हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल का आयात	7,549	8262	5,873	3,933	6,006
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में		9.4%	-29%		53%

डाटा स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस

3.2 निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- राज्य और केंद्रीय करों और उद्ग्रहणों (आरओएससीटीएल) की छूट :मार्च 2019 से प्रभावी राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट योजना परिधान/वस्त्र (अध्याय 61 और 62) और मेड-अप (अध्याय 63) के निर्यात के लिए 31 मार्च 2024 तक जारी रखी गई है।

- निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी): अध्याय 50-60 के अधीन आने वाले निर्यातित वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया पर शुल्क और करों की छूट की योजना (आरओडीटीईपी) के अतर्गत केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के करों/शुल्कों/लेवियों की प्रतिपूर्ति के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किए गए उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात उन्मुख विनिर्माण उद्योगों में बेहतर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। यह योजना घरेलू उद्योग और भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने जा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादकों के लिए एक समान अवसर प्रदान करती है ताकि घरेलू करों/शुल्कों का निर्यात न हो।

- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना : सरकार ने देश में वस्त्र क्षेत्र को आकार और पैमाना प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाने के लिए एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्ष की अवधि में 10683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। योजना के दो भाग हैं; भाग-1 में प्रति कंपनी न्यूनतम 300 करोड़ रुपये के निवेश और प्रति कंपनी 600 करोड़ रुपये के न्यूनतम टर्नओवर की परिकल्पना की गई है; और भाग-2 में प्रति कंपनी न्यूनतम 100 करोड़ रुपये के निवेश और न्यूनतम 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर की परिकल्पना की गई है। योजना के तहत दो साल की प्रतीक्षा अवधि (वित्तीय वर्ष : 2022-23 और वित्तीय वर्ष : 2023-24) होगी। इस योजना के तहत कंपनियों को सीमांत निवेश और सीमांत टर्नओवर और उसके बाद वृद्धियात्मक टर्नओवर प्राप्त करने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

3.3 अन्य पहलें

- वर्ल्ड एक्सपो दुबई में भागीदारी: दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 जिसका उद्घाटन 01.10.2021 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था और यह 31.03.2022 तक जारी रहेगा, यह एक वैश्विक कार्यक्रम है। एक्सपो वस्त्र निर्माताओं, निवेशकों, खरीदारों और भारत सरकार के बीच मजबूत और रचनात्मक संबंध स्थापित करने का अवसर देता है, जिससे वस्त्र क्षेत्र के विकास के नए रास्ते खुलते हैं। यह आयोजन वैश्विक स्तर पर भारतीय वस्त्र उद्योग की अनूठी सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को प्रदर्शित करने का एक केंद्रीय मंच भी प्रदान करता है। भारतीय पैविलियन की थीम खुलापन, अवसर और विकास की थीम है।

3.4 निर्यात संवर्धन परिषदें:

वस्त्र एवं अपैरल क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के विभिन्न सेगमेंट अर्थात फाइबर, यार्न, फैब्रिक, सिले-सिलाए परिधान, कपास, रेशम, पटसन आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारवीं वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं। ये परिषदें वैश्विक बाजार में अपने संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि और निर्यात का संवर्धन करने के लिए वस्त्र मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ निकट सहयोग से कार्य करती हैं। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात संवर्धन परिषदों का विवरण निम्न्लिखित हैं:

i) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)
ii) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्स प्रोसिल)
iii) सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)
iv) ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ईपीसी)
v) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संघ (वूल टेक्सप्रो)
vi) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)
vii) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)

viii) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)
ix) विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)
x) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)
xi) पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

3.5 ईपीसी के क्रियाकलाप

- निर्यात बढ़ाने और नए बाजारों तक पहुंचने के लिए भारतीय वस्त्रों का प्रदर्शन करने हेतु भारत और विदेशी बाजारों अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों और स्टैंडअलोन शो में प्रतिभागिता।
- संबंधित ईपीसी द्वारा न्यूजलेटर का प्रकाशन।
- बाजारों, नीतिगत विकास/पहलों, निर्यात से संबंधित समाचार, सरकारी अधिसूचनाएं, विदेशी व्यापार पूछताछ, फैशन और प्रौद्योगिकी विकास पर नवीनतम जानकारी प्रदान करना।
- वर्तमान के साथ-साथ अल्पकालिक/दीर्घकालिक भविष्य के लिए लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना। इसके अलावा वे निर्यात लक्ष्यों की पूर्ति के लिए रणनीति तैयार करने में शामिल हैं।

कच्ची सामग्री सहायता

4.1 कपास

प्रस्तावना

कपास देश की प्रमुख फसलों में से एक है और यह घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है। यह लाखों किसानों तथा कपास उद्योग में शामिल कामगारों को कपास के प्रसंस्करण से लेकर व्यापार तक आजीविका उपलब्ध कराता है। भारत में वस्त्र उद्योग में कच्चे माल खपत में कपास और मानव निर्मित रेशों तथा फिलामेंट यार्न का अनुपात 59:41 है।

परिदृश्य :

क. उत्पादन एवं खपत : भारत में कपास की खेती तीन भिन्न कृषि-पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में की जाती है, उत्तरी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य शामिल हैं, मध्य क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्य आते हैं और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और तमिलनाडु आते हैं। कपास की खेती पश्चिम बंगाल आदि जैसे गैर-परंपरागत राज्यों के छोटे क्षेत्रों में भी की जाती है। भारत ने आजादी के पश्चात से कपास के उत्पादन में एक गुणात्मक तथा गुणवत्तापूर्ण सुधार किया है। भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातकों में से एक बन गया है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन तथा खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2015-16	332	315.28
2016-17	345	310.41
2017-18	370	319.06
2018-19	333	311.21
2019-20 (पी)	365	269.19
2020-21 (पी)	360	303.00

स्रोत: कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 30/04/2021 *पी-अनंतिम

ख. क्षेत्रफल/उत्पादकता : भारत में कपास की खेती के अंतर्गत 133.41 लाख हेक्टेयर के कपास क्षेत्रफल अर्थात 320.54 लाख हैक्टेयर के विश्व क्षेत्रफल का लगभग 41% के साथ विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल है। लगभग 62 प्रतिशत भारतीय कपास वर्षा सिंचित क्षेत्रों और 38 प्रतिशत सिचिंत भूमियों पर उगाई जाती है। गत 5 वर्ष हेतु भारत में कपास की उत्पादकता निम्नानुसार है :

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में)

वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन
2015-16	122.92	459.00
2016-17	108.26	542.00
2017-18	125.86	500.00
2018-19	126.14	449.00
2019-20 (पी)	134.77	460.00
2020-21 (पी)	133.41	459.00

स्रोत : कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 30/04/2021 *पी-अनंतिम

ग. आयात/निर्यात : वर्तमान में कपास, भारत से मुक्त रूप से निर्यात योग्य वस्तु* है। भारत प्रमुख रूप से बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड आदि को कपास का निर्यात करता है जिसमें से बांग्लादेश और चीन भारतीय कपास का सबसे बड़े आयातक हैं। यद्यपि भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक व आयातक है एक्स्ट्रा लांग स्टेपल किस्म जो देश में उपलब्ध नहीं है, की कुछ मात्रा आयात की जाती है। निम्नलिखित तालिका में पिछले पांच वर्षों के आयात और निर्यात आंकड़े दिए गए हैं:

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2015-16	22.79	69.07
2016-17	30.94	58.21
2017-18	15.80	67.59
2018-19	35.37	43.55
2019-20 (पी)	15.50	47.04
2020-21 (पी)	11.00	70.00

स्रोत : कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 30/04/2021 *पी-अनंतिम

घ. कपास का तुलन पत्र : गत पाँच वर्षों के लिए नीचे

दिया गया है:

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (पी)	2020-21 (पी)
आपूर्ति						
प्रारंभिक स्टॉक	66.00	36.44	43.76	42.91	56.52	120.79
फसल आकार	332.00	345.00	370.00	333.00	365.00	360.00
आयात	22.79	30.94	15.80	35.37	15.50	11.00
कुल आपूर्ति	420.79	412.38	429.56	411.28	437.02	491.79
मांग						
मिल खपत	270.20	262.70	280.11	270.78	233.70	266.00
एसएसआई खपत	27.08	26.21	26.18	22.43	20.49	22.00
गैर वस्त्र खपत	18.00	21.50	12.77	18.00	15.00	15.00
कुल खपत	315.28	310.41	319.06	311.21	269.19	303.00
निर्यात	69.07	58.21	67.59	43.55	47.04	70.00
कुल मांग	384.35	368.62	386.65	354.76	316.23	373.00
अंतिम स्टॉक	36.44	43.76	42.91	56.52	120.79	118.79

स्रोत : कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 30/04/2021 *पी-अनंतिम

ड. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) अभियान :- बीज कपास (कपास) का मूल्य एमएसपी के स्तर से नीचे आ जाने पर किसी मात्रात्मक सीमा के बिना एमएसपी दरों पर विभिन्न एपीएमसी बाजार यार्डों में कपास किसानों द्वारा पेशकश की गई कपास की संपूर्ण मात्रा की खरीद करने के लिए अभियान चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को नामित किया गया है।

देश के कपास किसानों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष कपास मौसम (अक्टूबर से सितम्बर) के प्रारंभ होने से पहले कृषि मंत्रालय, भारत सरकार अपने परामर्शदाता बोर्ड कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर कपास के दो आधारभूत स्टेपल समूहों मध्यम लंबी स्टेपल किस्म (स्टेपल लंबाई 24.5 मिमी से 25.5 मिमी तथा माइक्रोनेअर मान 4.3 से 5.1) तथा लंबी स्टेपल कपास (स्टेपल लंबाई 29.5 मी. से 30.5 मिमी. तथा माइक्रोनेअर मान 3.5 से 4.3) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है।

2021-2022 कपास मौसम के लिए कृषि मंत्रालय ने एफएक्यू ग्रेड का एमएसपी मध्यम स्टेपल के लिए 5726 रुपए प्रति क्विंटल पर तथा लंबी स्टेपल कपास के लिए 6025 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा गत कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित है :-

वर्ष	मध्यम स्टेपल (स्टेपल लंबाई 24.5 मिमी से 25.5 मिमी तक माइक्रोनेयर के मूल्य 4.3 से 5.1)	लंबा स्टेपल (स्टेपल की लंबाई 29.5 मी से 30.5 मिमी तक माइक्रोनेयर मूल्य 3.5 से 4.3 तक)
2015-16	3800	4100
2016-17	3860	4160
2017-18	4020	4320
2018-19	5150	5450
2019-20	5255	5550
2020-21	5515	5825
2021-22	5726	6025

बीज कपास की इन दो आधारभूत किस्मों के समर्थन मूल्य के आधार पर और गुणवत्ता अंतर, सामान्य मूल्य अंतर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की बीज कपास की अन्य श्रेणियों हेतु एमएसपी भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा

निर्धारित की जाती है। भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा कपास मौसम 2021-2022 (अक्टूबर-सितम्बर) के लिए कपास की अन्य किस्मों हेतु एमएसपी नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	कपास की श्रेणियों और व्यापार द्वारा प्रयुक्त निर्दिष्ट किस्मों के नाम	फाइबर गुणवत्ता पैरामीटर		न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2021-22 रुपये / क्विंटल में
		मूल स्टेपल लंबाई (2.5% स्पैन लंबाई) मिमी में	माइक्रोनेयर मूल्य	
लघु स्टेपल (20.0 मिमी और नीचे)				
1	असम कोमिला	--	7.0-8.0	5226
2	बंग्ला देशी	--	6.8-7.2	5226
मध्यम स्टेपल (20.5 मिमी -24.5 मिमी)				
3	जयधर	21.5-22.5	4.8-5.8	5476
4	वी-797 / जी.कॉट.13 / जी.क्रॉट.21	21.5-23.5	4.2-6.0	5526
5	एके/वाइ-1 (महा.एवं म.प्र.)/ एमसीयू-7 (त.ना.)/ एसवीपीआर-2 (त.ना.)/ पीएसओ-2 (आ.प्र. एवं कर्ना.) / के.-11 (त.ना.)	23.5-24.5	3.4-5.5	5576
मध्यम लंबा स्टेपल (25.0 मिमी -27.0 मिमी)				
6	जे -34 (राज)	24.5-25.5	4.3-5.1	5726
7	एलआरए-5166 / के.सी.-2 (त.ना.)	26.0-26.5	3.4-4.9	5826
8	एफ-414 / एच-777 / जे-34 हाइब्रिड	26.5-27.0	3.8-4.8	5876
लंबा स्टेपल (27.5 मिमी -32.0 मिमी)				
9	एफ-414 / एच-777 / जे-34 हाइब्रिड	27.5-28.5	4.0-4.8	5925
10	एच-4/ एच-6/ एमईसीएच/ आरसीएच-2	27.5-28.5	3.5-4.7	5925
11	शंकर-6/10	27.5-29.0	3.6-4.8	5975
12	बन्नी/ब्रह्म	29.5-30.5	3.5-4.3	6025
अतिरिक्त लंबा स्टेपल (32.5 मिमी और अधिक)				
13	एमसीयू-5 / सुरभि	32.5-33.5	3.2-4.3	6225
14	डीसीएच-32	34.0-36.0	3.0-3.5	6425
15	सुविन	37.0-39.0	3.2-3.6	7225

च. वर्ष 2020-21 के दौरान कपास का एमएसपी अभियान :-

कपास मौसम 01 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितम्बर तक चलता है जबकि अंतरर्राष्ट्रीय कपास मौसम 1 अगस्त से प्रारंभ होता है तथा 31 जुलाई को समाप्त होता है। नवम्बर से फरवरी माह तक इस मौसम की शुरूआत आवक की गति में वृद्धि के साथ होती है तथा इसके पश्चात बाद वाले महीनों में गिरावट आनी शुरु होती है।

कपास मौसम 2020-21 के दौरान एमएसपी अभियान शुरू करने के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 12 कपास उत्पादक राज्यों के 141 जिलों में तीन 476 खरीद केंद्र खोलें। जहां कहीं भी बीज कपास का मूल्य एमएसपी स्तर से नीचे चला गया था, वहां 01 अक्टूबर, 2020 से एमएसपी अभियान के अधीन खरीद प्रारंभ की गई थी। एमएसपी अभियान के अधीन कपास की खरीद के अलावा, जहां व्यवहार्य हो, वहां सीसीआई ने व्यवसायिक अभियान के अधीन इसी प्रकार की खरीददारी की थी ताकि एमएसपी अवसंरचना के हिस्से का उपयोग किया जा सके और ओवरहेड व्यय के हिस्से की वसूली की जा सके।

इस प्रकार, कपास मौसम 2020-21 के दौरान सीसीआई ने 26700 करोड़ के मूल्य की 91.89 लाख गाँठों की खरीद की थी। उपरोक्त स्टॉक को ई-नीलामी के माध्यम से एमएसएमई सहित खरीददारों को बेचा जा रहा है।

छ. 2021-2022 के दौरान कपास का एमएसपी अभियान:

कपास का नया सत्र 2021-22, 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो गया है। कपास की बुवाई पूरी हो चुकी है और सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कटाई शुरू हो गई है। देश में कपास की खेती का क्षेत्रफल लगभग 125 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले वर्ष 133.41 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल था, यह कमी बुवाई के समय मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में मानसून की वर्षा में कमी के कारण हुई थी। हालाँकि, समाचारों में कीटों के हमले और भारी बारिश के कारण

नुकसान के कुछ मामले आए थे, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई प्रामाणिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। पिछले 5 वर्षों की औसत उपज को ध्यान में रखते हुए, कपास उत्पादन पिछले वर्ष के समान रहने की आशा है अर्थात 355 लाख गांठों से 360 लाख गांठों तक। इस उद्देश्य से कि आगामी कपास मौसम में एमएसपी अभियान एक पारदर्शी और सक्षम तरीके से कार्यान्वित किए जाएं, वस्त्र सचिव ने सभी कपास उत्पादक राज्यों के सरकारी अधिकारियों के साथ कपास मौसम 2021-22 के लिए एक बीज कपास (कपास) के एमएसपी प्रचालनों की तैयारी पर एक बैठक की अध्यक्षता की। इसके पश्चात सभी कपास उत्पादक राज्यों को निम्नलिखित मुख्यी उपाय करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया है :-

क. राज्य सरकारों के सहयोग से एपीएमसी/अधिसूचित एपीएमसी में एमएसपी खरीद की मौजूदा प्रणाली को जारी रखना।

ख. डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देना, एमएसपी योजना का पूरा लाभ वास्तविक कपास किसानों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में लीकेज से बचने के लिए एक त्रुटि-रहित प्रणाली बनाना।

ग. एमएसपी परिचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सभी दस्तावेज़ यथा बोली पर्ची, तौल पर्ची, टेकपट्टी आदि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न करना और मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना सीसीआई सर्वर में स्थानांतरित करना ताकि कपास किसानों के खाते में तेजी से सीधे भुगतान की सुविधा हो।

घ. राज्य सरकार द्वारा एफ.पी. कपास की गांठों के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करना।।

ड. राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में सभी एपीएमसी और राज्य के स्वामित्व वाले गोदामों में सीसीटीवी लगाने को सुनिश्चित करना ताकि एमएसपी संचालन की उचित निगरानी और बेहतर पारदर्शिता के लिए रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके।

च. सभी राज्य सरकारों द्वारा एमएसपी लाभ उठाने के लिए केवल एफएक्यू ग्रेड कपास लाने के बारे में कपास किसानों के बीच इसका व्यापक प्रचार करना।

सीसीआई ने कपास किसानों की सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i) 18 खरीद और बिक्री शाखाओं के अंतर्गत सभी कपास उत्पादक राज्यों में 12 कपास उत्पादक राज्यों के 141 जिलों को शामिल करते हुए 450 से अधिक खरीद केंद्र खोले गए हैं।

ii) एपीएमसी में बैनरों के प्रदर्शन, समाचार पत्रों में विज्ञापन, अलग-अलग किसानों को पैम्पलेटों के वितरण द्वारा कपास किसानों को एमएसपी दरों के बारे में आवश्य क सूचना का प्रसार।

iii) किसानों को उनके कपास के लिए उपयुक्त मूल्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से गांवों, एपीएमसी, जीएमपी फैक्ट्रियों आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पोस्टर लगाकर एपीएमसी में बिक्री के लिए सूती कपास लाने के लाभों पर जोर दिया जा रहा है।

iv) एमएसपी अभियान को समन्वित और मॉनीटर करने के लिए कॉरपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय में एमएसपी कक्ष गठित किया गया है।

v) एमएसपी स्टॉक की पर्याप्त भंडारण के लिए सीडब्ल्यूसी के साथ समझौता-ज्ञापन किया गया है।

vi) एमएसपी के अंतर्गत खरीदी गई कपास का शत-प्रतिशत भुगतान 72 घंटे के अंदर कपास किसानों को सीधे उनके खाते में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से करना।

vii) एमएसपी अभियान में प्रौद्योगिकी का प्रयोग:
- कॉरपोरेशन के 'कॉट-एली' मोबाइल एप के माध्यम से कपास किसानों के साथ सीधा संवाद और आउटरीच ।
- कपास किसानों को गुणवत्ता आधारित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल नमी मीटर जैसे आधुनिक उपकरण।
- कपास किसान के बैंक खातों में त्वरित सीधा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ताकपट्टी पर किसानों के फोटो सहित बिलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार करने के लिए वेब कैम और प्रिंटर सहित लैपटॉप उपलब्ध करवाना ।

4.2 पटसन और पटसन वस्त्र प्रस्तावना

पटसन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। पटसन, गोल्डन फाइबर, सुरक्षित पैकेजिंग हेतु सभी मानकों को पूरा करने के लिए एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, बायो-डिग्रेडेबल तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है। यह अनुमान है कि पटसन उद्योग कृषि में 40 लाख किसान परिवारों, संगठित मिलों में 2 लाख श्रमिकों, मूल्य वर्धित विविधीकरण में 2 लाख और तृतीयक और संबद्ध क्षेत्र में 3 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा पटसन के व्यापार में बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं।

कच्ची पटसन :

पटसन की वस्तुओं का उत्पादन: पटसन के रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार के पटसन के सामानों के उत्पादन के लिए किया जाता है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध हैं। पटसन उद्योग पैकेजिंग के लिए वस्त्र उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर है। निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों में प्रारंभिक स्टॉक, कच्चे पटसन के उत्पादन और कच्चे पटसन के आयात को दर्शाती है। यह समान अवधि के दौरान कच्चे पटसन के वितरण और उपभोग को भी दर्शाती है।

2015-16 से 2020-2021 तक कच्चे पटसन का तुलन-पत्र :

(मात्रा : 180 किलोग्राम प्रत्येक गांठ वाली लाख गांठों में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(क) आपूर्ति:						
i) प्रारंभिक स्टॉक	14.00	6.00	22.00	22.40	18.40	18.0
ii) पटसन और मेस्ता फसल	65.00	92.00	76.00	72.00	68.00	60.0
iii)आयात	6.00	4.00	3.40	3.00	4.00	2.0
कुल :	85.00	102.00	101.40	97.40	90.40	80.0
(ख) वितरण:						
iv) मिल खपत	70.00	70.00	69.00	69.00	54.00	62.0
v)घरेलू/ औद्योगिक खपत	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.0
vi)निर्यात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.0
कुल:	79.00	80.00	79.00	79.00	64.00	75.0
(ग) अंतिम स्टॉक:	6.00	22.00	22.40	18.40	26.40	5.0

स्रोत: 2019-20 तक: पटसन सलाहकार बोर्ड और 2020-21: पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति

पटसन के तहत क्षेत्र:

राज्य	पटसन का क्षेत्रफल ('हजार हेक्टेयर)					
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
असम	72.13	75.14	69.95	65.79	64.25	65.00
बिहार	93.91	91.38	83.47	70.63	48.39	42.48
मध्य प्रदेश	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	6.66	6.67	6.67	6.68	6.68	
नागालैण्ड	3.06	3.07	3.08	3.08	3.08	
ओडिशा	1.20	0.75	0.95	0.20	0.15	0.76
त्रिपुरा	0.65	0.59	0.55	0.66	0.62	
पश्चिम बंगाल	544.70	522.47	515.08	518.26	505.23	506.16
अन्य						10.32
समग्र भारत	728.31	706.07	685.75	665.30	628.39	624.72

* चौथा उन्नत अनुमान, डीईएस, भारत सरकार

अन्य में वर्ष 2020-21 के लिए मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा शामिल हैं।

राज्य	मेस्टा का क्षेत्रफल ('हजार हेक्टेयर)					
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
आंध्र प्रदेश	5.00	7.00	5.00	3.00	2.00	1.00
असम	4.30	3.54	3.42	3.29	3.22	3.00
बिहार	16.48	16.32	20.73	14.48	13.70	12.86
छत्तीसगढ	1.20	1.10	1.08	1.10	0.97	0.66
कर्नाटक	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00
मेघालय	4.47	4.46	4.47	4.48	4.48	
नागालैण्ड	1.85	1.88	1.90	1.93	1.96	
ओडिशा	8.69	6.39	6.26	0.00	4.69	3.77
त्रिपुरा	0.63	0.58	0.54	0.49	0.43	

पश्चिम बंगाल	9.38	13.70	10.36	10.75	12.43	12.47
अन्य		0.26				4.40
समग्र भारत	54.00	57.34	55.76	39.52	44.88	38.16

* चौथा उन्नत अनुमान, डीईएस, भारत सरकार

राज्य	कच्चे पटसन का क्षेत्रफल ('000 हेक्टेयर)					
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
आंध्र प्रदेश	5.00	7.00	5.00	3.00	2.00	1.00
असम	76.43	78.68	73.36	69.08	67.47	68.00
बिहार	110.39	107.70	104.20	85.12	62.09	55.34
छत्तीसगढ	1.20	1.10	1.08	1.10	0.97	0.66
कर्नाटक	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	8.00	8.00	8.00	0.00	1.00	0.00
मेघालय	11.13	11.13	11.14	11.15	11.16	
नागालैण्ड	4.91	4.95	4.98	5.01	5.04	
ओडिशा	9.89	7.14	7.21	0.20	4.84	4.53
त्रिपुरा	1.28	1.17	1.09	1.15	1.05	
पश्चिम बंगाल	554.08	536.17	525.44	529.01	517.66	518.63
अन्य	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	14.72
अखिल भारतीय	782.30	763.41	741.77	704.82	673.28	662.88

* चौथा उन्नत अनुमान, डीईएस, भारत सरकार

स्रोत: - पटसन विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कोलकाता

कच्चे पटसन की वार्षिक मूल्य की प्रवृत्ति (रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष (जुलाई से जून)	टीडी-5 (पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त) के लिए कच्चे पटसन का वार्षिक औसत मूल्य	एमएसपी
2011-12	2306	1675
2012-13	2638	2200
2013-14	2821	2300
2014-15	3137	2400
2015-16	5025	2700
2016-17	3997	3200
2017-18	3720	3500
2018-19	4370	3700
2019-20	4365	3950
2020-21	6447	4225
2021-22 (21 अक्टूबर तक)	6116	4500

पटसन के सामान : पटसन के रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार की पटसन की वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है जो घरेलू के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी उपलब्ध हैं। पटसन उद्योग पैकेजिंग के लिए वस्त्र उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर है। निम्नलिखित तालिका पिछले दस वर्षों में सैकिंग, हेसियन और अन्य सभी उत्पादों के उत्पादन को दर्शाती है।

पटसन वस्तुओं के उत्पादन की प्रवृत्ति

(मात्रा हजार मी.ट. में)

अवधि अप्रैल-मार्च	हेसियन	सैकिंग	गलीचा	अन्य	कुल
2011-12	239.9	1165.1	3.6	173.8	1582.4
2012-13	210.0	1218.2	2.9	160.3	1591.3
2013-14	202.5	1150.4	3.3	171.5	1527.7
2014-15	211.3	901.8	3.0	151.2	1267.3
2015-16	196.5	891.9	0.0	128.9	1217.3
2016-17	178.6	871.6	0.0	92.3	1142.5
2017-18	175.3	910.3	0.0	101.5	1187.1
2018-19	147.6	912.3	0.0	101.3	1161.2
2019-20	127.5	923.5	0.0	114.1	1165.1
2020-21	118.4	739.2	0.0	105.1	962.7
2021-22 (अक्टूबर 2021 तक)	54.5	413.5	0.0	44.0	512.0

स्रोत: पटसन मिलों द्वारा प्रस्तुत डाटा

पटसन के सामानों की घरेलू मांग:

(मात्रा हजार मी.ट. में)

अप्रैल-मार्च	हेसियन	सैकिंग	गलीचा बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2010-11	182.3	1034.4	0.9	133.4	1351.5
2011-12	184.2	1079.7	0.1	117.9	1381.9
2012-13	165.8	1118.7	0.8	113.9	1399.0
2013-14	157.6	1043.1	0.4	126.4	1327.5
2014-15	171.7	873.2	0.1	111.4	1156.2
2015-16	164.2	890.2	0.0	90.2	1144.6
2016-17	140.9	855.9	0.0	78.9	1075.7
2017-18	141.9	894.2	0.0	76.5	1112.6
2018-19	130.5	900.0	0.0	82.7	1113.2
2019-20	113.8	907.9	0.0	95.0	1116.7
2020-21	96.0	738.2	0.0	84.1	918.3
2021-22 (अक्टूबर 2021 तक)	42.8	406.9	0.0	33.3	483.0

स्रोत: पटसन मिलों द्वारा प्रस्तुत डाटा

सरकारी एजेंसियों द्वारा बी-ट्विल बैग की खरीद

भारत सरकार ने पटसन उद्योग में शामिल कच्चे पटसन उत्पादकों और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 26.11.2020 को का.आ.4250 (अ) वाला एक आदेश जारी किया हैं जिसमें 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को पटसन पैकेजिंग सामग्री में अनिवार्य रूप से पैक किया जाना आवश्यक है।

वस्तुत: 30.11.2018 से वस्त्र मंत्रालय के आदेश द्वारा खाद्यान्न के आरक्षण को 100% तक बढ़ा दिया गया था, जो कि पूर्ववर्ती वर्षों में 90% था, जो पटसन उद्योग को अधिक सुरक्षा/सहायता के लिए भारत सरकार के बढ़े हुए संरक्षण को दर्शाता है जिसे निम्न तालिका से देखा जा सकता है:

तालिका : पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा अनुशंसित आरक्षण का स्तर :

वर्ष	चीनी	खाद्यान्न
2014-15	20%	90%
2015-16	20%	90%
2016-17	20%	90%
2017-18	20%	90%
2018-19	20%	100%
2019-20	20%	100%
2020-21	20%	100%
2021-22	20%	100%

विभिन्न राज्य खाद्यान्न खरीद एजेंसियां हर माह पटसन आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से खाद्यान्न पैकिंग के लिए पटसन बैग खरीदती हैं। नीचे दी गई तालिका से, यह देखा गया है कि राज्य सरकारों और एफसीआई द्वारा बी ट्विल बैग की खरीद की बढ़ती मांग के कारण पिछले कुछ वर्षों में खरीद की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है :

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22** (दिसंबर, 2021 तक)
मात्रा	2188	2496	2600	2709	3161	2826	2546	1711

(ख) कच्चे पटसन तथा मेस्टा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

किसानों के हितों की रक्षा हेतु कच्चे पटसन तथा मेस्टो के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। विभिन्न ग्रेडों हेतु मूल्यों का निर्धारण करते समय, निम्न ग्रेड की पटसन के उत्पादन को हतोत्साहित करने तथा उच्च ग्रेड के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के मामले पर भी विचार किया जाता है ताकि किसानों को उच्च ग्रेड की पटसन के उत्पादन हेतु प्रेरित किया जा सके।

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन हेतु भारत सरकार की मूल्य सहायता एजेंसी है। इसकी स्थापना अप्रैल, 1971 में मुख्यत : समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्ची पटसन की खरीद के माध्यम से पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा पटसन किसानों के लाभ के लिए कच्ची पटसन बाजार तथा समग्र रूप से पटसन अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भी की गई थी।

जेसीआई आवश्यकता पड़ने पर एमएसपी अभियान चलाता है। देश भर के 500 से अधिक केंद्रों पर कच्ची पटसन का लेन-देन किया जाता है। पिछले कई वर्षों के दौरान जेसीआई द्वारा राज्य सहकारी संस्थाओं के सहयोग से खरीदी गई कच्ची पटसन का विवरण निम्नलिखित है:-

(मात्रा हजार गांठ में)

अवधि (जुलाई-जून)	उत्पादन	खरीद			उत्पादन के प्रतिशत के रूप में खरीद
		समर्थन	वाणिज्यिक	कुल	
2012-13	9300	319.0	44.2	363.8	3.91
2013-14	9000	138.0	52.1	190.2	2.11
2014-15	7200	15.5	41.1	56.6	0.77
2015-16	6500	0	4.9	4.9	0.075
2016-17	9200	57.4	168.7	226.1	2.46
2017-18	7600	339	0	339	4.46
2018-19	7200	72	0	72	1.0
2019-20	6800	81.1	0	81.1	1.2
2020-21	6000*	3.9	0	3.9	0.06

1 गाँठ = 180 किग्रा.

* पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमानित। वर्ष 2020-21 से पूर्व के उत्पादन आंकड़ों का अनुमान पटसन सलाहकार बोर्ड द्वारा लगाया गया है।

(ग) पटसन सामानों का उत्पादन

भारत विश्व में कच्ची पटसन तथा पटसन वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी देश है जो विश्व के अनुमानित उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत का उत्पादन करता है। विनिर्मित पटसन वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा मुख्यतः घरेलू बाजार में पैकेजिंग प्रयोजनों में प्रयोग की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों और वर्तमान वर्ष में पटसन वस्तुओं के उत्पादन की प्रवृत्ति नीचे दी गई है :-

(हजार एमटी में मात्रा)

अवधि अप्रैल-मार्च	हेसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2011-12	239.9	1165.1	3.6	173.8	1582.4
2012-13	210.0	1218.2	2.9	160.3	1591.3
2012-13	202.5	1150.4	3.3	171.5	1527.7
2013-14	211.3	901.8	3.0	151.2	1267.3
2014-15	196.5	891.9	0.0	128.9	1217.3
2015-16	178.6	871.6	0.0	92.3	1142.5
2016-17	175.3	910.3	0.0	101.5	1187.1
2017-18	147.6	912.3	0.0	101.3	1161.2
2018-19	127.5	923.5	0.0	114.1	1165.1
2019-20	118.4	739.2	0.0	105.1	962.7
2020-21	54.5	413.5	0.0	44.0	512.0
2021-22 (अक्टूबर 2021 तक)	42.8	406.9	0.0	33.3	483.0

निर्यात में गिरावट, हेसियन तथा अन्य के साथ-साथ सस्ते व बढ़िया गुणवत्ता के हेसियन फैब्रिक के आयात के कारण हेसियन का उत्पादन कम हो रहा है जबकि पिछले 3-4 वर्षों से पिछली बढ़त से गिरावट के बाद सैकिंग का उत्पादन सरकारी एजेंसियों के द्वारा निरंतर मांग के कारण लगभग धीमा रहा है।

(घ) पटसन सामानों की घरेलू खपत

भारत मुख्यत: अपने वृहद घरेलू बाजार के कारण विश्व में पटसन उत्पादों का प्रमुख उत्पादक रहा है। कुल उत्पादन में से औसत घरेलू उत्पादन लगभग 90% रहा है। पिछले कुछ वर्षों तथा चालू वर्ष हेतु पटसन उत्पादों की घरेलू खपत का रुख निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

(मात्रा हजार मी.टन में)

अप्रैल-मार्च	हेसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2010-11	182.3	1034.4	0.9	133.4	1351.5
2011-12	184.2	1079.7	0.1	117.9	1381.9
2012-13	165.8	1118.7	0.8	113.9	1399.0
2013-14	157.6	1043.1	0.4	126.4	1327.5
2014-15	171.7	873.2	0.1	111.4	1156.2
2015-16	164.2	890.2	0.0	90.2	1144.6
2016-17	140.9	855.9	0.0	78.9	1075.7
2017-18	141.9	894.3	0.0	76.5	1112.7
2018-19	130.5	900.0	0.0	82.7	1113.2
2019-20	113.8	907.9	0.0	95.0	1116.7
2020-21	96.0	738.2	0.0	84.1	918.3
2021-22 (अक्टूबर 2021 तक)	42.8	406.9	0.0	33.3	483.0

(i) निर्यात निष्पादन

वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान निर्यात रुझान इस प्रकार हैं:

(मात्रा 'हजार' मी.टन में, मूल्य करोड़ रुपए में)

प्रकार	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (अप्रैल-अक्टूबर 21)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हेसियन	77.7	827.3	78.6	930.2	86.8	917.24	64.1	802.69	56.3	758.42	56.4	805.72	53.5	622.99
सैकिंग	38.7	307.5	46.6	411.9	44.8	407.20	37.1	432.91	38.9	489.49	31.0	438.48	25.1	305.15
यार्न	16.9	118.5	9.3	72.8	17.0	130.20	13.6	109.42	14.1	117.91	11.6	131.54	5.9	83.91
जेडीपी	-	562.3	-	590.9	-	631.50	-	815.51	-	963.44	-	1260.79	-	931.60
अन्य	7.4	76.7	6.2	68.4	4.2	72.43	6.9	112.74	4.4	94.58	4.2	103.93	3.6	77.80
कुल	140.7	1892.3	140.7	2074.2	152.8	2158.57	121.7	2273.27	113.7	2423.84	102.8	2740.46	88.1	2021.45

स्रोत: डीजीसीआई एण्डस एस

(ii) कच्ची पटसन एवं पटसन सामानों का आयात

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान आयात रुझान इस प्रकार हैं :

भारत में कच्चे पटसन और पटसन सामानों का आयात

वर्ष	कच्चा पटसन		पटसन सामान (मूल्य : करोड़ रुपए में)				
	मात्रा (हजार मी.टन)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	हेसियन	सैकिंग	यार्न	जेडीपी	कुल (अन्यों सहित)
2016-17	138.9	704.22	57.56	307.43	502.43	10.02	931.61
2017-18	68.2	289.16	122.38	413.73	310.94	9.43	880.29
2018-19	57.3	235.93	184.40	432.66	292.13	12.34	951.92
2019-20	77.2	350.39	237.84	666.32	404.78	11.72	1362.77
2020-21	28.9	179.28	267.11	428.99	338.48	6.07	1116.84

स्रोत : डीजीसीआई एण्डे एस

(ङ) पटसन क्षेत्र हेतु पहलें/प्रोत्साहन

(i) पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम,1987

पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) कच्ची पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री और इसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हितों में कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग करने के लिए लागू किया गया है। पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का खंड 4(1) केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्तियों को शामिल करके स्थायी सलाहकार समिति के गठन का अधिकार देता है, जो कि सरकार की राय में, वस्तु निर्धारण अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा पटसन पैकेजिंग सामग्री के संबंध में उनके प्रतिशत के मामले में, जिनकी पैकिंग हेतु पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग किया जाना हो, परामर्श देने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता रखते हों।

केंद्र सरकार एसएसी की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात पटसन पैकेजिंग सामग्री अथवा उससे संबंधित किसी वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा प्रतिशतता के अनिवार्य प्रयोग के लिए जेपीएम अधिनियम की धारा 3(1) के तहत समय-समय पर आदेश जारी कर सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि कच्चे पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री के हित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकार कच्चे पटसन तथा पटसन वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के आधार पर पटसन में पैक किए जाने वाली वस्तुओं का आरक्षण निर्धारित कर सकती है। सरकार वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण श्रृंखला में रूकावट पैदा किए बिना देश में उत्पादित पटसन की फसल का उपयोग करने के लिए यथा संभव आरक्षण प्रदान करने का प्रयास कर सकती है।
वस्त्र मंत्रालय ने जेपीएम अधिनियम, 1987 के अंतर्गत दिनांक 27.12.2021 के 30.06.2022 तक वैध का.आ.सं. 5421(अ) के आदेश के तहत निम्नलिखित को निर्धारित किया :-

वस्तुएं	पटसन में पैकेजिंग हेतु आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रतिशतता
खाद्यान्न	उत्पादन का 100%*
चीनी	उत्पादन का 20%**

प्रारंभिक रुप से खाद्यान्नों के 10% मांगपत्र जैम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के द्वारा जारी किए गए है।

** मिलों या खुले बाजार से खरीद एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद के अंतर्गत विविध पटसन थैलों में

सीसीईए निर्णय में निम्नालिखित अधिदेश दिया गया है –

- खाद्यानों की पैकिंग के लिए पटसन थैलों के खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर शुरु होंगे। शुरुआत में राज्य खरीद एजेंसियों (एसपीए) के द्वारा 10% के मांगपत्र जैम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के माध्यम से जारी किए गए हैं। एक सीमा तक जैम पोर्टल बिडिंग के माध्यम से स्वीकृत 30 दिनों के भीतर पूर्ति करने में असमर्थ होने पर, वस्त्र मंत्रालय अनिवार्य पैकेजिंग नियमों के अपफ्रंट विचलन की अनुमति देगा। जैम पोर्टल में जूट मिलों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन सह-आपूर्ति आदेशों (पीसीएसओ) के आबंटन का फार्मूला संशोधित किया जाएगा।

- जूट पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में अवरोध या कमी होने पर अन्य आकस्मिकता/अत्यावश्यकता की स्थिति में वस्त्र मंत्रालय प्रयोक्ता मंत्रालय के परामर्श से इन प्रावधानों को खाद्यान्न उत्पादन के प्रावधानों के अलावा अधिकतम 30% तक सरल कर सकता है।

- यदि खरीद एजेंसियां खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तैयार की गई आपूर्ति योजना के अनुसार खाद्यान्नों की पैकेजिंग हेतु पटसन थैलों की मांग नहीं करती हैं और मांग (इंडेंट) की संख्या बढ़ जाती है तो पटसन थैलों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को पर्याप्त अतिरिक्त समय मिलेगा। तथापि, यदि मिलें बढ़ाई गई अवधि में थैलों की आपूर्ति करने में असफल होती हैं तो उनके विलय से संबंधित शर्तें लागू होंगी।

- यह सुनिश्चित करने के लिए की कच्ची पटसन में लगे लोग अनिवार्य पैकेजिंग से लाभान्वित हैं, पटसन कार्मिकों को सांविधिक बकायों की अदायगी कराने तथा पटसन किसानों तथा पटसन के खरीद पर बैलर्स को त्वरित भुगतान के लिए एक यथोचित व्यवस्था बनाई जाएगी। व्यवस्था में कच्चे पटसन की आपूर्ति के लिए त्वरित भुगतानों पर मिलों से कार्मिकों के सांविधिक भुगतान तथा स्वप्रमाणन से संबद्ध राज्य सरकार के श्रम विभाग से आवधिक प्रमाणन प्राप्त करने को शामिल किया जाएगा।

इस निर्णय से देश के पूर्वी तथा पूर्वात्तर क्षेत्र विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय तथा त्रिपुरा में अवस्थित किसानों तथा कामगारों को लाभ होगा।

(ii) जूट-स्मार्ट, सुशासन दिवस 2016 को माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा प्रारंभ एक ई-शासन पहल बी-ट्विल बोरों की खरीद हेतु एक स्मार्ट अस्त्र के रूप में ई-शासन पहल है। जूट-स्मार्ट, सभी हितधारकों द्वारा उपयोग हेतु एक एकीकृत मंच

मुहैया करवाने की मंशा रखता है जिससे सूचना पर आसान पहुंच, अधिक पारदर्शिता और पटसन क्षेत्र हेतु व्यापार करने की आसानी हो सके।

बी-ट्विल आपूर्ति प्रबंधन तथा मांग उपस्कर है, जिसे संक्षेप में जूट-स्मार्ट कहा जाता है, वास्तव में एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जिसे बी-ट्विल बोरे की खरीद से संबंधित समग्र लेन-देन को सुकर बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह निम्नलिखित उद्देश्य हेतु बनाया गया है :

- » एसपीए द्वारा बी-ट्विल के इंडेंटिंग प्रणाली का एकीकरण
- » एसपीए द्वारा उनके संबंधी बैंक खातों में आवश्यक फंड का प्रेषण
- » पटसन आयुक्त के कार्यालय द्वारा उत्पादन नियंत्रण सह आपूर्ति आदेश (पीसीएसओ) का नियम आधारित आबंटन
- » पटसन मिलों द्वारा इंस्पैक्शन कॉल किया जाना तथा निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षकों का आबंटन
- » निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना।
- » लोडर्स / पटसन मिलों द्वारा रेल /रोड़ तथा कौन्कोर से परिवहन के लिए प्रेषण सूचना आपलोड करना
- » जूट मिलों द्वारा बिल बनाना तथा अंतत: इस कार्यालय द्वारा पटसन मिलों को संबंधित बैंकों में भुगतान जारी करना।
- » एसपीए द्वारा यदि कोई शिकायत हो तो ऑनलाइन शिकायत जेनरेट करना।
- » एसपीए द्वारा फंड का रियल टाइम समाधान

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने राज्य खरीद एजेंसियों (एसपीए) द्वारा बी-ट्विल बोरे की खरीद तथा आपूर्ति के प्रचालन को आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) से लेकर 1 नवम्बर, 2016 से पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता को अंतरित करने का निर्णय लिया था। वार्षिक तौर पर भारतीय पटसन कामगारो तथा किसानों को समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 7584 करोड़ रु. मूल्य की पटसन के बोरों की खरीद की जाती है।

पूर्ववर्ती प्रणाली अधिकांशत: कागजों पर निर्भर थी और हितधारकों, मुख्यत: राज्य खरीद एजेंसियां, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पटसन मिलें, निरीक्षणकर्ता एजेंसी, लोडर, प्रेषिति, वेतन एवं लेखा कार्यालय आदि के मध्य सूचना साझा करने में बाधाएं थी। चूंकि बी-ट्विल बोरी खाद्यानों की खरीद हेतु एक आधारभूत आवश्यकता है, अत: समूचे प्रचालन समयबद्ध हैं और इनकी निकट रूप से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में राज्य खरीद एजेंसियों को उनकी निधि में ब्याज की कमी के कारण लागत कम करने के लिए बैंकों के माध्यम से स्वचालित लेन-देन हेतु प्रावधान हैं।

एसपीए ने पहले ही अपने बैंकों तथा निरीक्षण एजेंसियों का चयन प्रस्तावों हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर के माध्यम से चयनित एजेंसियों में से कर लिया है। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए राज्य खरीद एजेंसियों, बैंकों, निरीक्षण एजेंसियो तथा आपूर्ति करने वाली पटसन मिलों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

वर्तमान में जूट-स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्रचालनशील है और 42.21 हजार करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की 148.42 लाख गांठ के कुल मांग पत्र नवंबर, 2016 से दिसम्बर, 2021 तक जूट स्मार्ट के माध्यम से पहले से ही जारी किए जा चुके हैं।

जूट-स्मार्ट एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर मंच है जो राज्य सरकारों तथा एफसीआई द्वारा बी-ट्विल की खरीद की प्रक्रिया को काफी आसान, पूर्णत: पारदर्शी तथा नियम आधारित बनाएगा तथा एसपीए हेतु लागतों में भी कमी लाएगा।

(iii) इसरो के साथ भुवन जम्प परियोजना : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ 'भुवन जम्प' परियोजना

'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने जेसीआई के परामर्श से पटसन फसल के आंकलन हेतु एक उपग्रह आधारित एप्लिकेशन विकसित किया है। इस प्रणाली में भू-संबंधित डाटा खेतों से पटसन फसल की स्थिति तथा चित्र दोनों का कैप्चर करने तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र सर्वर पर डाटा अपलोट करने के लिए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन शामिल है। वर्तमान फसल मौसम 2017-18 में विविध पटसन उत्पादक राज्यों से जेसीआई द्वारा भेजे गए फील्ड डाटा के आधार पर लगभग 7026 फील्ड डाटा इसरो सर्वर को भेजे गए।

(iv) पटसन विविधिकृत उत्पादों का विकास तथा संवर्धन: पटसन उद्योग मुख्यत: उद्योग के भविष्य हेतु पटसन के बोरों पर निर्भर है जोकि लंबे समय से विविधिकरण तथा आधुनिकीकरण के अभाव से स्पष्ट होता है। विभिन्न अन्य विविधिकृत उत्पादों के विकास हेतु पटसन क्षेत्र को समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। पटसन विविधिकृत उत्पादों (जेडीपी) में 2012-13 की तुलना में 28 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है जो ऐसे उत्पादों हेतु एक बढ़ती हुई वैश्विक मांग को दर्शाता है। पटसन के खरीददारी वाले थैले, पटसन की फर्श कवरिंग, पटसन आधारित गृह साज-सज्जा तथा दीवार कवरिंग और पटसन आधारित हस्तशिल्पों जैसे विभिन्न जेडीपी का उत्पादन तथा विपणन आवश्यक हो जाता है। विविधिकरण का संवर्धन पटसन उद्योग को राज्य सहायता निर्भरता कम करने में सहायता करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा की उद्योग प्रतिस्पर्धी तथा स्वधारणीय बने ताकि वैश्विक तथा घरेलू बाजारों में मौजूद अवसरों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।

पटसन खेती में बेहतर कृषि-विज्ञान व्यवहारों को बढ़ावा देने, पटसन विविधिकृत उत्पादों के संवर्धन तथा उनका विपणन, पटसन मिलों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु सहायता आदि के लिए

कदम उठाए गए हैं। डिजाइन, प्रशिक्षण, कच्चा माल तथा समान सुविधा आधारभूत ढ़ांचा जैसे अग्रगामी तथा पश्चगामी संयोजनों पर सहायता मुहैया करवाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्लैक स्तर पर महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा प्रचालित जेडीपी क्लस्टरों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इसके अनुपालन में मंत्रालय ने पटसन विविधिकृत उत्पादों के डिजाइन को सुकर बनाने हेतु राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(v) परियोजना जूट-आईकेयर (जूटः बेहतर खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया)

एनजेबी एक चरणबद्ध तरीके से पिछले 7 वर्षों से जूट-आईकेयर (जूट-बेहतर खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया) परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। जूट-आईकेयर का उद्देश्य कच्चे पटसन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है। भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई) तथा केंद्रीय पटसन व संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), कृषि मंत्रालय साथ मिलकर इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहे है। यह परियोजना पटसन कृषि में वैज्ञानिक तरीके से पटसन की खेती और रेटिंग व्यवहारों का पैकेज पेश करती है। इस योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए अनुमोदित राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी) के तहत भी रखा गया है।

(च)) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार 1 अप्रैल, 2010 को किया गया था और तत्कालीन पटसन विनिर्माता विकास परिषद और राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में विलय किया गया था। एनजेबी अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान एनजेबी की विभिन्न योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है -

(i) जूट-आईकेयर (जूटः बेहतर खेती तथा उन्नत रेटिंग प्रक्रिया)

एनजेबी एक चरणबद्ध तरीके से पिछले सात वर्षों से जूट-आईकेयर (जूट-बेहतर खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया) परियोजना को भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई) तथा केंद्रीय पटसन व संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्धान (सीआरआईजेएएफ), कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए अनुमोदित राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी) के तहत भी रखा गया है। जूट-आईकेयर परियोजना की भौतिक प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	आईकेयर–I (2015-16)	आईकेयर–II (2016-17)	आईकेयर–III (2017-18)	आईकेयर-IV (2018-19)	आईकेयर-V (2019-20)	आईकेयर-VII (2020-21)	आईकेयर-VII (2021-22)
कवर किए गए पटसन उत्पादक ब्लाक/राज्य की संख्या	असम और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 4 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 14 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 30 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 69 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 72 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के अंतर्गत 130 ब्लॉक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के अंतर्गत 140 ब्लॉक
कवर की गई भूमि (हैक्टेयर	12331	26264	70628	98897	106934	110893	125000
कवर किए गए किसानों की संख्या	21548	41616	102372	193070	243549	258324	300000
मुहैया करवाए गए प्रमाणित बीज (एमटी में)	64 एमटी	160 एमटी	500 एमटी	755 नई किस्म जेआरओ -204589 एमटी और जेबीओ2003एच 166 एमटी एनएससी द्वारा प्रमाणित बीज	535 एमटी	604 एमटी	35एमटी+765 एमटी वाणिज्यिक आधार पर
बीज ड्रिल मशीन	350 .	350 (पुरानी) + नई 350 = 700	700 (पुरानी) + नई 500	1200 (पुरानी) + नई 750 =1950	पुरानी = 1950 नई = 600 कुल = 2550	2550 + 600 (नई) =3150	3150 (पुरानी) + 1000 (नई) =4150
नेल वीडर मशीन	500 .	500 (पुरानी) + 200 नई = 700	700 (पुरानी) + 500 नई	1200 (पुरानी) + नई 750 =1950	पुरानी = 1950	2850 + 900 (new) =3750	3750 (पुरानी) + 1200 (नई) =4950
सीआरआईजेएएफ सोना (एमटी में)	83	273	206	610	612 एमटी	500 एमटी	600 एमटी + 50 एमटी

स्रोत : राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

परियोजना के परिणामस्वरूप पटसन कृषि में निम्नलिखित तरीके से सुधार हुआ: -

(क) पटसन उत्पादन (पैदावार) मौजूदा 22/23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 26/28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ।

(ख) कम से कम एक ग्रेड उच्च में गुणवत्ता उन्नयन हुआ।

(ग) उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के कारण किसानों की आय में लगभग 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई।

(ii) कामगार कल्याण योजना (सुलभ शौचालय) :

स्वच्छता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पटसन मिल कार्मिकों के काम की स्थिति के लिए एनजेबी पटसन मिलों को सहायता उपलब्ध कराता है। सहायता की दर वास्तविक व्यय की 90% तथा अधिकतम 60.00 लाख (प्रति मिल/वर्ष) है। पिछले 4 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लाख रुपए में	194.33	249.46	274.13	268.72	471.39

शौचालय ब्लॉक की संख्या	340	252	323	210	320
मिलों की संख्या	12	9	10	7	8

(टिप्पणी : वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान पटसन मिलों में शौचालय यूनिटों का निर्माण नहीं किया जा सका था।

(iii) पटसन मिलों, एमएसएमई-जेडीपी यूनिटों के कार्मिकों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना

पटसन मिल कार्मिकों और एमएसएमई-जेडीपी यूनिट कामगारों के बाल विद्यार्थियों को माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सफल होने लिए सहायता उपलब्ध की जाती है। पिछले 6 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है-

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
छात्रवृत्ति राशि लाख रुपए में	187.20	238.84	354.74	277.36	255.25	259.70	262.95
बालिकाओं की संख्या	2721	3151	4442	3835	3573	3618	3640

** अनंतिम

(iv) निर्यात बाजार विकास सहायता योजना

निर्यात बाजार विकास सहायता (ईएमडीए) योजना पटसन उत्पादों के पंजीकृत निर्माता तथा निर्यातकों को जीवनशैली तथा अन्य पटसन विविधिकृत उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा विदेशों में व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए सुविधा प्रदान करती है। पिछले 6 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है :

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	**2019-20**
ईमडी सहायता लाख रुपए में	272.78	306.48	428.12	384.39	439.81	174.29
पंजीकृत निर्यातकों की संख्या	51	63	73	60	70	52

(टिप्पणी : कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई प्रतिभागिता नहीं की गई थी)

(v) पटसन विविधिकृत उत्पादों तथा अधिक मात्रा में आपूर्ति योजना के रिटेल आउटलेट

संपूर्ण देश में विशेष रुप से उन क्षेत्रों में जहां पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया गया है जेडीपी का विस्तार करने के लिए रिटेल आऊटलेट योजना चुनिंदा और बड़े पैमाने के उपभोग हेतु पूर्ति श्रृंखला तथा बड़ी मात्रा में आपूर्ति को प्रोत्साहित करती है। पिछले 6 वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत निष्पादन निम्नलिखित है-

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
लाख रुपए में	71.11	94.75	95.15	51.87	30.60	5.00	25.30
इकाइयों की संख्या	11	20	25	14	10	3	8

* अनंतिम

(vi) डिजाइन विकास योजना-एनआईडी में एनजेबी पटसन डिजाइन सेल

एनआईडी (राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान) अहमदाबाद के प्राकृतिक रेशों के अभिनव केंद्र (आईसीएनएफ) में पटसन के शापिंग थैलों तथा जीवनशैली की अनुषंगी सामग्री के विकास के लिए एक पटसन उत्पादन डिजाइन सेल भी स्थापित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में एवं विदेशों में मूल्य संवर्धन तथा बेहतर बाजार हेतु डिजाइन तथा तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से नवीन व अभिनव उत्पादों का विकास करना है। एनआईडी ने पटसन नमूनों की जीवनशैली सामग्री के लिए 100 से अधिक बुने हुए, डाई किए हुए तथा तैयार नमूने विकसित किए हैं तथा प्लास्टिक बैग, नष्ट होने योग्य पटसन थैलों आदि के बदले में कम कीमत वाले पटसन कैरी बैग्स प्रदर्शनी में रखे हैं। फैशन थैले, टौटे थैले, मोड़ने योग्य हैंड बैग्स (प्राकृतिक व डाई किए हुए) नाम वाले पटसन थैलों को इंडिया डिजाइन मार्क

(I मार्क), 2017 से भी पुरस्कृत किया गया है। प्रसार कार्यक्रम के भाग के रुप में, पटसन विविधिकरण क्रियाकलापों, प्रतिमान गतिविधियों को मूल्य वर्धित जेडीपी के उत्पादन में संलग्न मिल/एमएसएमई इकाइयों के द्वारा बढ़ावा देने के लिए एनआइडी ने प्रसार कार्यक्रम के भाग के रुप में उद्योग के समक्ष नये डिजाइनों का प्रस्तुतीकरण किया है। एनजेबी ने इन उन्नत पटसन थैलों तथा जीवनशैली सामग्री को भावी व्यावसायिक गठबंधन हेतु विशिष्ट प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में प्रदर्शित किए जाने की व्यवस्था की है।

(vii) पटसन एकीकृत विकास योजना (जेआईडीएस)

जेआईडीएस योजना का उद्देश्य विविध क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए सही निकायों के सहयोग से संपूर्ण देश में सुदूर स्थानों पर स्थानीय इकाइयाँ स्थापित करना है। जेआईडी व संभावित उद्यमियों को फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकिंग उपलब्ध कराने, मुख्यतया तकनीकी एप्लीकेशन तथा डिजाइन /उत्पाद विकास व प्रसार पर आधारित स्तर पर प्रशिक्षण व जागरुकता प्रदान करने के लिए समन्वयक के रुप में कार्य करता है। पटसन विविधिकृत उत्पादों (जेडीपी) इकाइयों, एसएचजी, डब्ल्यूएसएचजी, एनजीओ को बाजार सुविधाओं के लिए जेआईडी एजेंसियां एक प्रमुख स्रोत होंगी। इस प्रकार यह उत्पादन इकाइयों के निर्माण व पोषण में सहयोग करता है जिसमें पश्चात उद्यमों मे विकास तथा स्व सहायता समूहों विशेषकर महिला स्व-सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजी) की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों के लिए रोजगार सृजन करने में सहायता मिलती है।

जेआईडी योजना की 2016-17 में शुरुआत से पिछले पांच वर्षो का निष्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
लाख रुपए में	39.68	62.20	29.64	9.57	8.92
इकाइयों की संख्या	18	25	10	7	5

* अनंतिम

परिणाम - कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या : 360 + 500 + 200 + 140 + 100 = 1300 (नियोजित सीए या स्व-रोजगार में होने वालों का 40 प्रतिशत)

पिछले चार वर्षों के दौरान (2016-17 व 2020-21) में 65 समन्वय एजेंसियां थी जो पटसन विविधिकृत उत्पादों के लिए 1300 लाभार्थियों को आधारभूत, उन्नत व डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान करता है। जैसा की मूल्यांकन किया जा चुका है, जॉब वर्क या स्वरोजगार पर पटसन विविधिकृत क्रियाकलापों में 520 से अधिक लाभार्थी है।

(viii) पटसन कच्ची सामग्री बैंक (जेआरएमबी) योजना

यह योजना पटसन असंगठित क्षेत्र तथा उत्पादन इकाइयों की आवश्यक्ताओं को पूरा करके देश में जेडीपी क्रियाकलापों की गति को बढ़ाती है ताकि उन्हें पटसन कच्चे माल की नियमित रुप से आपूर्ति की जाती रहे। जेडीपी के लिए उत्पादन आधार बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महिलाओं, जिनके लिए सक्षम संस्थानों/एजेंसियों के फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज प्राप्ती संयोजन हैं, को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह एक सतत प्रक्रिया है।
जेआरएफबी मौजूदा डब्ल्यूएचजी, कारीगरों व उद्यमियों की सेवा के अलावा नये डब्ल्यूएसएचजी, कारीगरों व उद्यमियों को विकसित करने के लिए जेआईडी द्वारा उनके संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण व कौशल विकास प्रयासों के लिए सहयोग करने का कार्य करते हैं। 2016-17 में इसकी शुरुआत से जेआरएमबी योजना का पांच वर्षों में निष्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21***
लाख रुपए में	14.87	34.30	69.56	87.79	138.45
इकाइयों की संख्या	9	11	19	10	12

* अनंतिम

(ix) राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी)

राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी) - पटसन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई एक छत्र योजना है। एनजेडीपी में 15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-2022 से 2025-2026) के दौरान कार्यान्वयन के लिए 485.58 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय पर राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) द्वारा कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित योजनाएं/उप-योजनाएं शामिल हैं :

1. पटसन-आईकेयर (उन्नत खेती और उन्नत रेटिंग प्रक्रिया) योजना

उद्देश्य - पटसन खेती में गुणवत्ता और उत्पादकता सुधार के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के पैकेज की शुरुआत।

2. पटसन विविधीकरण योजना (जेडीएस)

उप-योजना :

(I) विविधिकृत पटसन उत्पादों के लिए संयंत्र और मशीनरी (सीएसएपीएम) के अधिग्रहण हेतु पूंजीगत सब्सिडी

उद्देश्य - मौजूदा पटसन मिलों और एमएसएमई जेडीपी इकाइयों के आधुनिकीकरण/उन्नयन को सुकर बनाना, पटसन विविधिकृत उत्पादों का विनिर्माण

(II) पटसन संसाधन सह उत्पादन केंद्र (जेआरसीपीसी)

- उद्देश्य - नए कारीगरों और डब्ल्यूएसएचजी को प्रशिक्षण प्रदान करके और जेडीपी के उत्पादन के लिए निरंतर नियोजन प्रदान करके पटसन विविधीकरण कार्यक्रम का प्रसार करना।

(III) पटसन कच्चा माल बैंक (जेआरएमबी)

- उद्देश्य - मिल गेट मूल्य पर पटसन विविधिकृत उत्पादों के निर्माण के लिए पटसन कारीगरों, एमएसएमई जेडीपी उत्पादन इकाइयों और जेआरसीपीसी के लाभार्थियों को पटसन कच्चे माल की आपूर्ति करना।

(IV) पटसन खुदरा आउटलेट (जेआरओ)

- उद्देश्य: खुदरा दुकानों/शोरूम के माध्यम से जेडीपी के संवर्धन और बिक्री के लिए मौजूदा और नए कारीगरों/उद्यमियों की सुविधा प्रदान करना।

(V) पटसन डिजाइन संसाधन केंद्र (जेडीआरसी)

- उद्देश्य - बाजार योग्य नवीन पटसन विविधीकृत उत्पादों का डिजाइन और विकास तथा मौजूदा और नए जेडीपी निर्माताओं और निर्यातकों की मदद करना।

(VI) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)

उद्देश्य - जेडीपी को निर्यात करने वाली पटसन मिलों और एमएसएमई जेडीपी इकाइयों को जेडीपी के लिए निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने में मदद करने के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लागत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समर्थन देना।

3. बाजार विकास और संवर्धन योजना (एमडीपीएस)

उद्देश्य - घरेलू बाजार में जेडीपी के संवर्धन और बिक्री के लिए जेडीपी यूनिटों की सहायता करना और पटसन के सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत पटसन निर्यातकों को समर्थन देना। गुणवत्तापूर्ण पटसन विविधीकृत उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए पटसन मार्क लोगो का विकास तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पटसन को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान शुरू करना।

4. पटसन मिलों/एमएसएमई जेडीपी इकाई के कामगारों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना

उद्देश्य - बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा स्तर में सुधार के लिए पटसन श्रमिकों की कामगारों और परिवार को सहायता

(x) संयुक्त पटसन मिलों का सूचीकरण :

पटसन मिलों में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने शोर, धूल, अधिक रोशनी आदि में पटसन मिलों में काम करने वाले कार्मिकों के स्वास्थ्य निष्पादन निश्चित करने के लिए 67 पटसन मिलों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। 67 पटसन मिलों के अध्ययन के परिणाम प्रसारित कर दिए गए हैं, ताकि इसके लिए पर्याप्त उपचारात्मक प्रस्ताव/कार्रवाई के लिए अध्ययन की अनुशंसाओं को संज्ञान लिया जा सके।

(xi) तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन -

जेटीएम के अधीन कार्यान्वित 15 अनुसंधान एवं खोज परियोजनाओं के लिए एनजेबी द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए गए। व्यवहार्यता रिपोर्ट पटसन मिलों तथा मौजूदा व भावी उद्यमियों को प्रसारित कर दी गई है। महिलाओँ व बालिकाओं में मासिक-धर्म संबंधी स्वच्छता के लिए पटसन लुग्दी के प्रयोग से बने कम कीमत वाले सेनेटरी नैपकिन का विकास व्यवहार्यता रिपोर्ट के मुख्य परिणामों में से एक है। यह पटसन लुगदी एनजेबी द्वारा आईआईटी के सहयोग से विकसित की गई थी। एनजेबी ने इजिरा के लिए एक परियोजना को अनुदान दिया है जिसके अधीन पटसन सैनेटरी नैपकिन के निर्माण के लिए स्वचल व अर्ध-स्वचल मशीनों को विकसित किया गया व इजिरा में उत्पादन प्रारंभ किया गया। यह तकनीकी व साथ ही साथ मशीनरी को पटसन उद्योग सदस्यों के साथ-साथ रुचि रखने वाले उद्यमियों के बीच प्रसारित किया जा रहा है। यह तकनीकी विकेन्द्रित पटसन क्षेत्र विशेषकर महिला स्व-सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) की महिला लाभार्थियों तथा आय सृजन के लिए नए आयाम खोलेगा।

(xii) उत्तर-पूर्वी राज्यों में पटसन-जियो-टैक्सटाइल का प्रयोग

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पांच वर्ष (2014-15 व 2018-19) में 427 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ जियो-टैक्सटाइल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 5 वर्षों के लिए प्रारंभ की गई है तथा अब इसे अतिरिक्त वर्ष के लिए 31.03.2021 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य पटसन-जियो टैक्सटाइल समेत जियो टैकनिकल वस्त्रों के प्रयोग को उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की संवेदनशील भूवैज्ञानिक परिस्थितयों के अवसंरचनात्मक विकास में एक आधुनिक व दीर्घकालिक किफायती तकनीकी के रुप में प्रदर्शित करना तथा सड़कों व तटबंधों के स्थायित्व में सुधार करना है। 2020-21 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पटसन जियो टैक्सटाइल की खपत की दृष्टि से इस योजना की प्रगति 17,94,000 वर्ग मीटर रही है।

यह योजना एक संवर्धनात्मक योजना है और इसे 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में

जियोटेक्नीनकल टेक्सटाइल के प्रयोग के संवर्धन हेतु योजना' नाम दिया गया है और पटसन-जियोटेक्सेटाइल घटक का कार्यान्वयन उत्कृष्ट ता केंद्र-भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ द्वारा किया जा रहा है (पूर्वोत्तर में जेजीटी के लिए सीओई)।
इस योजना के कठोर हस्तक्षेप के तहत, पर्यावरण के अनुकूल घटक पटसन जियो टेक्सटाइल के उपयोग के साथ 8 सड़क निर्माण और ढलान स्थिरीकरण परियोजनाओं को पूरा किया गया था। इस योजना के तहत, पटसन जियो टेक्सटाइल के उपयोग की वृद्धि शील लागत को वस्त्र मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इन 8 परियोजनाओं के लिए कुल 1.53 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और जेजीटी के उपयोग के लिए वृद्धिशील लागत का 50% कार्यान्वयन एजेंसियों को पहले ही वितरित किया जा चुका है। इन सभी परियोजनाओं को मणिपुर और मेघालय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया है।

(xiii) कौशल विकास कार्यक्रम:

सुधार गृहों जैसे तिहाड़ जेल, नई दिल्ली के कैदियों, दिल्ली पुलिस के परिवारों/लाभार्थियों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा अन्य संस्थानों पर पटसन विविधिकृत उत्पादों के निर्माण पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विविध कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई लाभार्थियों ने एनजेबी के सहयोग से पटसन उत्पादों का उत्पादन तथा विपणन प्रारंभ कर दिया है।

(xiv) सतत बाजार सहायता-

इस योजना के अंतर्गत पटसन कारीगरों, उद्यमियों, बुनकरों, गैर-सरकारी संगठनों, महिला स्व-सहायता समूहों को भारत व विदेशों में अपने उत्पादों की बिक्री, विपणन तथा संवर्धन करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। एनजेबी द्वारा आयोजित मेले इन जनसमूहों की जीविका के साधन हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में थे- आईआईटीएफ, दिल्ली; पौष मेला शांति निकेतन, कोलकाता पुस्तक मेला, शिल्प ग्राम, माधापुर, हैदराबाद, सूरजकुंड मेला, हरियाणा, टेक्सश ट्रेंड्स, दिल्ली; ताज महोत्सव; लखनऊ महोत्सव; शिल्पुग्राम उदयपुर; गिफ्टेक्सु, मुंबई; भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला, ग्रेटर नोएडा आदि। अंतर्राष्ट्रीय मेले, जिनमें पंजीकृत पटसन निर्यातकों की भागीदारी को सुगम बनाया गया, ये; हांगकांग इंटरनेशनल गिफ्ट मेला, ऑटम फेयर बर्घिगंम, डोमटेक्सक हन्नोवर, एएसडी शो, लासवेगास आदि थे।

4.3. रेशम और रेशम उत्पादन

प्रस्तावना :
रेशम, कीट से निकले तंतु से बना एक वस्त्र है, जिसमें चमक-दमक, वस्त्र विन्यास और मजबूती का गुण होता है। इन्हीं अनूठी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में रेशम को "वस्त्रों की रानी'' के रूप में जाना जाता है । भारत प्राचीन सभ्यताओं का देश रहा है और इसने दुनिया को कई वस्तु प्रदान किए हैं, रेशम उनमें से एक है। भारत, रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तथापि, भारत एकमात्र देश है, जो रेशम की सभी पांच वाणिज्यिक किस्मों जैसे मलबरी, उष्ण कटिबंधीय टसर, ओक टसर, मूगा और एरी का उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेशम उद्योग में उच्च रोजगार सृजन क्षमता के साथ ही साथ कम पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है और रेशम उत्पादकों को अच्छी आय प्राप्त होती है।

4.3.1 भौतिक प्रगति

भारत 33,770 मीट्रिक टन रेशम के उत्पादन के साथ चीन के बाद दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादित रेशम की चार किस्मों में से, मलबरी का कुल कच्चे रेशम उत्पादन में 70.76 % (23,896 मीट्रिक टन), टसर 7.96% (2,689 मीट्रिक टन), एरी 20.57% (6,947 मीट्रिक टन) और मूगा 0.71% (239 मीट्रिक टन) का योगदान है। . 2020-21 के दौरान बाइवोल्टाइन कच्चे रेशम का उत्पादन 3.22% घटकर 6,783 मीट्रिक टन हो गया है, जो 2019-20 के दौरान 7,009 मीट्रिक टन था। इसी तरह, वन्य रेशम, जिसमें टसर, एरी और मूगा रेशम शामिल हैं, 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान क्रमशः 14.25%, 3.58% और 0.83% कम हो गए हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हुए व्यवधानों के चलते 2020-21 के दौरान देश में कुल रेशम उत्पादन में 5.72% की कमी आई है। वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान किस्म-वार कच्चे रेशम का उत्पादन, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए लक्ष्य और उपलब्धि (दिसंबर, 2021 तक) का ब्यौरा निम्नलिखित है:

विवरण	2017-18 उपलब्धियां	2018-19 उपलब्धियां	2019-20 उपलब्धियां	2020-21 उपलब्धियां	2021-22	
					लक्ष्य	उपलब्धियां (दिसंबर, 2021 तक)
मलबरी पौधारोपण (लाख हेक्टेयर)	2.24	2.35	2.39	2.38	2.55	2.47
कच्चा रेशम उत्पादन:						
मलबरी (बाईवोल्टाइन)	5874	6987	7009	6783	8500	5619
मलबरी (संकर नस्ल)	16192	18358	18230	17113	19250	13270
उप-जोड़ (मलबरी)	22066	25345	25239	23896	27750	18889
वन्य						
टसर	2988	2981	3136	2689	3825	1073
एरी	6661	6910	7204	6946	7650	6392
मूगा	192	233	241	239	275	233
उप जोड़ (वन्या)	9840	10124	10581	9874	11750	7698
कुल योग	31906	35468	35820	33770	39500	26587
संचयी अनुमानित रोजगार (लाख व्यक्ति)	8.6	9.1	9.4	8.7		

स्रोत: राज्य रेशम कृषि विभाग से प्राप्त एमआईएस रिपोर्ट से संकलित।

क. योजना एवं इसके घटक

केन्द्र-क्षेत्र की योजना नामत: "सिल्क समग्र" रेशम उद्योग के विकास की एक एकीकृत योजना है, जिसे निम्न चार घटकों के साथ संचालित किया जा रहा है :

1. अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल
2. बीज संगठन
3. समन्वयन तथा बाजार विकास
4. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली, निर्यात, ब्राण्ड उन्नयन व प्रौद्योगिकी उन्नयन

सिल्क समग्र के सभी चार मुख्य घटक आपस में जुड़े हैं और सबका सामान्य लक्ष्य एक है। अनुसंधान व विकास इकाईयां प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित करने की साथ-ही-साथ, पणधारियों को उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देती हैं और फ्रंट लाइन प्रदर्शन के माध्यम से तकनीक को क्षेत्र में स्थानांतरित करती हैं, जबकि बीज उत्पादन इकाइयों की जिम्मेदारी है कि प्रजातीय गुणवत्ता, संकर ओज और नस्लों की शक्ति बनाए रखने के लिए चार स्तरीय बीज प्रगुणन नेटवर्क को अद्यतन रखे तथा अपने एककों एवं राज्य की बीज उत्पादन इकाइयों को नाभिकीय एवं मूल बीज की आपूर्ति करें और राज्य इकाइयों को मूल बीज उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सुविधा प्रदान करें। केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बोर्ड सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकार के समन्वय से विकासशील योजनाएं तैयार कर इन्हें कार्यान्वित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेशम उद्योग के विकास के लिए उन योजना कार्यक्रमों के परिणाम राज्य सरकार के समन्वय से पणधारियों तक पहुँच रहे हैं। गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के अधीन कार्यरत इकाईयां, रेशमकीट बीज, कोसा, कच्चा रेशम तथा रेशम उत्पाद सहित संपूर्ण रेशम मूल्य श्रृंखला के लिए अनुसंधान व विकास इकाईयों द्वारा स्थापित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने तथा प्रमाणित करने में सहायता प्रदान करती हैं, इसके अलावा भारतीय रेशम मार्क संगठन (एसएमओआई) द्वारा उचित ब्रांड के माध्यम से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रेशम मार्क लेबल के माध्यम से शुद्ध रेशम उत्पादों का संवर्धन करता है ।

इन योजनाओं से संबंधित विवरण सीएसबी वेबसाइट http://www.csb.gov.in/में दिया गया है ।

वैयक्तिक लाभार्थी उन्मुख सिल्क समग्र घटक के लिए निधिकरण की पद्धति (%)निम्नानुसार है :

श्रेणी	भारत सरकार (सीएसबी)	राज्य	लाभार्थी
सामान्य राज्य	50	25	25
सामान्य राज्य – एससीएसपी व टीएसपी के लिए	65	25	10
विशेष दर्जा प्राप्त राज्य, पूर्वोत्तर राज्य व एससीएसपी व टीएसपी	80	10	10
सामूहिक गतिविधि	100%	--	--

ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार, 100% वित्त पोषण (सीएसबी) समूह गतिविधियों की पात्रता के प्रति है क्योंकि ये गतिविधियाँ बहुत सीमित हैं और सीएसबी संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। समूह गतिविधियों का तात्पर्य मुख्य रूप से किसानों/पणधारियों द्वारा अपनाये जिस के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन जैसे प्रतिदर्श के रूप में चॉकीके, सासुके आदि हैं। समूह गतिविधियों को राज्य विभागों द्वारा अपने फार्मों में भी लिया जा सकता है। यदि समूह गतिविधियों को राज्यों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो भारत सरकार व राज्य/एनजीओ/लाभार्थी द्वारा हिस्सेदारी पैटर्न 75:25 का होगा । समूह गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी सीएसबी और राज्य दोनों द्वारा की जानी है ।

4.3.2. सिल्क समग्र के मुख्य आकर्षण

1. आनुवंशिक आधार तथा संकर ओज को सुदृढ़ करने के लिए सहयोगी अनुसंधान पर जोर।
2. फसल चक्र को बढ़ाने के लिए अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देना, नियंत्रित कीटपालन के लिए वन्य रेशम के व्यवस्थित पौधा रोपण में विस्तार।
3. समूह पहल के माध्यम से उत्तर-पूर्व सहित गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रेशम उत्पादन के क्षैतिज विस्तार को बढ़ावा देना।
4. लाभार्थियों के लिए मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
5. जैव कृषि और पर्यावरण अनुकूल रेशम – वन्य रेशम, को बढ़ावा देना।
6. किसान नर्सरी से वस्त्र उत्पादन तक उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए लाभार्थियों को महत्वपूर्ण निवेश समर्थन प्रदान करना।
7. अतिरिक्त मूल्य प्राप्ति के लिए कुक्कुट आहार के लिए रेशमकीट उपोत्पाद (प्यूपा) का उपयोग, सौंदर्यवर्धक अनुप्रयोग के लिए सेरिसिन और गैर-बुने हुए कपड़े, रेशम डेनिम, रेशम बुनाई आदि में उत्पाद विविधीकरण।
8. राज्य के बीज प्रगुणन सुविधाओं के उन्नयन और कच्चे रेशम के उत्पादन-लक्ष्य से मेल खाने के लिए बीज उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
9. वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करके स्वचालित बीज उत्पादन केंद्रों, मूल बीज फार्मों और विस्तार केंद्रों द्वारा पंजीकरण और रिपोर्टिंग के माध्यम से बीज अधिनियम को सुदृढ़ बनाना।
10. धागाकरण प्रौद्योगिकी का उन्नयन और" मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के अधीन विकसित स्वदेशी स्वचालित धागाकरण मशीन और उन्नत वन्य धागाकरण उपकरणों को बढ़ावा देना।
11. रेशम उत्पादन के लिए ऋणप्रवाह को बढ़ावा देना – स्वयं सहाय समूह/समूह पहल को बढ़ावा देना।
12. ब्रांड उन्नयन- भारतीय रेशम के जेनेरिक उन्नयन और भारतीय रेशम उत्पादों के लिए वैश्विक छवि सृजित करना।
13. रेशम उत्पादन के विस्तार हेतु अधिक जिलों को शामिल करने के लिए एकल खिड़की आधारित सिल्क्स रेशम उत्पादन सूचना संबद्ध ज्ञान प्रणाली पोर्टल का विस्तार।
14. बेहतर योजना के लिए रेशम उत्पादन डेटाबेस का विकास सुनिश्चित करना। सभी पंजीकृत किसानों और धागाकारों तथा राज्य कार्यकर्ताओं को कोसा और कच्चे रेशम मूल्य संबधी मुफ्त एसएमएस सेवा।

योजनागत स्कीमों के लिए वित्तीय आबंटन :

वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक और चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान “सिल्क समग्र” योजना से संबंधित वर्ष-वार वित्तीय प्रगति का ब्यौरा निम्न तालिका में प्रस्तुत है :

(करोड़ रुपए में)

योजना	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (दिसंबर 21)
सिल्क समग्र	161.50	161.50	120.00	117.41	209.91	209.91	202.13	202.13	374.56	145.63
जिसमें से उत्तर पूर्व के लिए	16.00	16.00	14.00	11.41	11.50	11.50	22.75	22.75	35.47	11.22
जिसमें से एससीएसपी के लिए	23.00	23.00	25.00	25.00	30.00	30.00	41.25	41.25	35.00	13.46
जिसमें से टीएसपी के लिए	30.00	30.00	15.84	15.84	20.00	20.00	31.50	31.50	50.00	16.30

नोट : प्रशासनिक लागत को छोड़कर केवल योजना लागत।

4.3.3. उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना :

उत्तर पूर्व, रेशम उत्पादन का गैर-परंपरागत क्षेत्र है और इसी कारण, भारत सरकार ने उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्यववर्धन के साथ परपोषी पौधारोपण विकास से अंतिम उत्पाद तक महत्वपूर्ण मध्यस्थता से सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में रेशम उत्पादन के समेकन एवं विस्तार के लिए विशेष जोर दिया है । इसके एक भाग के रूप में उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस), वस्त्र मंत्रालय की एक छत्र योजना, के अधीन भारत सरकार ने सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के चयनित संभाव्य जिलों में 1,107.90 करोड़ रुपए की कुल लागत पर जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 956.01 करोड़ रुपए है, व्यापक श्रेणियों अर्थात एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी), सघन बाइवोल्टारइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी), एरी स्परन सिल्क मिल्क और महत्वाकांक्षी जिलों के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए 38 रेशम उत्पादन परियोजनाओं का अनुमोदन दिया है। इन परियोजनाओं से मलबरी, एरी, मूगा और ओक टसर सेक्टरों के अंतर्गत लगभग 38,170 एकड़ बागान लाने का प्रस्ताव है जिससे परियोजना अवधि के दौरान 2,650 मी.टन कच्चे रेशम का अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है।

4.3.3.1. एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी)

631.97 करोड़ रूपए की कुल लागत (भारत सरकार का हिस्सा 525.11 करोड़ रूपए) के साथ अठारह परियोजनाओं को आईएसडीपी के अंतर्गत मंजूरी दी गई है, जो बीटीसी सहित असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में हैं। ये परियोजनाएं सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 41,068 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 29,910 एकड़ के मलबरी, एरी और मुगा बागानों को कवर करेगी।

त्रिपुरा में सिल्क प्रिंटिंग यूनिट: त्रिपुरा में उत्पादित रेशम और फैब्रिक के मूल्यवर्धन के लिए रेशम प्रिंटिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए, एनईआरटीपीएस के तहत सिल्क प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग यूनिट की स्थापना के लिए 100% केंद्रीय सहायता से कुल 3.71 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना अनुमोदित की गई थी। इस यूनिट का लक्ष्य 1.50 लाख मीटर रेशम प्रति वर्ष प्रिंट और प्रसंस्करण करना है।

सीएसबी में बीज अवसंरचना इकाइयाँ : असम, बीटीसी, मेघालय और नागालैंड में मलबरी, एरी और मूगा क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने हेतु, 37.71 करोड़ रुपये की कुल लागत से 6 रेशमकीट बीज उत्पादन इकाइयाँ 100% केंद्रीय सहायता से स्थापित की गईं। राज्यों और हितधारकों को आपूर्ति करने के लिए इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता 30 लाख मलबरी डीएफएल और 21.51 लाख मूगा और एरी डीएफएल है।

4.3.3.2 गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी)

आयात प्रतिस्थापक बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन करने के लिए, आईबीएसडीपी के तहत 10 परियोजनाओं को 290.31 करोड़ रुपये की कुल लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 258.74 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में लगभग 4,900 एकड़ में मलबरी के बागान शामिल हैं और सभी पूर्वोत्तर राज्यों (मणिपुर को छोड़कर) में लगभग 10,607 महिला लाभार्थियों को लाभ मिला है।

4.3.3.3 एरी स्पन सिल्को मिल्सग (ईएसएसएम) :

प्रतिवर्ष 165 मी.टन एरी स्पन यार्न का उत्पादन करने के लिए कुल 64.59 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा 57.28 करोड़ रुपए) की लागत पर असम, बीटीसी और मणिपुर राज्यों में 3 एरी

स्पन सिल्क मिलों का अनुमोदन किया गया है जिससे मिलों की स्थापना के बाद लगभग 7500 स्टेक होल्डरों को लाभ मिलेगा।

4.3.3.4. आकांक्षी जिलों में रेशम उत्पाादन का विकास :

भारत सरकार ने राज्य सरकारों की सहभागिता से जिले की संभाव्यता के अनुसार मलबरी, एरी, मूगा या ओक टसर को शामिल करते हुए प्रति जिला एक/दो ब्लॉकों में आकांक्षी जिलों में रेशम उद्योग के विकास की शुरूआत की है। इस समय असम, बीटीसी, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में 79.60 करोड़ रुपए की कुल लागत पर जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 73.47 करोड़ रुपए है, 5 रेशम उत्पादन परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। इन परियोजनाओं में 3,360 एकड़ बागान शामिल है जिससे लगभग 4,245 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा।

4.3.4. अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सूचना प्रौद्योगिकी पहल

4.3.4.1. अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी) :

वर्ष 2021-22 के दौरान, दिसंबर, 2021 के अंत तक कुल 10 नई अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं और सीएसबी के विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों द्वारा 23 परियोजनाओं का समापन किया गया है और वर्तमान में कुल 96 अनुसंधान परियोजनाएं, जिनमें से मलबरी क्षेत्र की 42, वान्या क्षेत्र की 27, कोकून-पश्च क्षेत्र में 11 और विशेषीकृत क्षेत्रों (जर्मप्लासम, बीज विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी) में 13 प्रगतिशील हैं।

4.3.4.2. होस्ट पौध सुधार

- मलबरी में उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए पॉलीक्लोनल बीज बागान से कुल 461 पीसीएच संकर विकसित किए गए।

- जी4 मलबरी की खेती के कोटीलेडॉन और हाइपोकोटिल एक्सप्लांट्स का उपयोग करते हुए पूरे संयंत्र पुनर्जनन प्रोटोकॉल को अनुकूलित किया गया।

- जी4 मलबरी की खेती के कोटीलेडॉन और हाइपोकोटिल एक्सप्लांट्स का उपयोग करके एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थता आनुवंशिक परिवर्तन के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल बनाया गया।

- सूखा सहन करने वाले (सी-1730) पर 15% पत्ती उपज सुधार के साथ पांच आशाजनक सूखा सहन करने वाले और उच्च उपज देने वाले मलबरी जीनोटाइप (पीवाईडी-1, पीवाईडी-4, पीवाईडी-7, पीवाईडी-8 और पीवाईडी-21) और >6% वर्षा सिंचित परिस्थितियों के लिए ओवर रूलिंग चेक (सी-2038) किस्मों की पहचान की गई।

- सिंचित (>30%) और वर्षा आधारित (>20%) स्थितियों में एस1635 पर अधिक सुधार के साथ उच्च उपज देने वाले मलबरी जीनोटाइप (सी-01 और सी-11) की पहचान की गई।

- पूर्वोत्तर राज्यों में बेहतर गुणवत्ता और कम पीडीआई के साथ चेक किस्म (सी-2038) पर 10-35% सुधार के साथ उच्च उपज देने वाले मलबरी जीनोटाइप (पीपीवाई-8, पीपीवाई-10, पीपीवाई-24, पीपीवाई-7, पीपीवाई-20 और पीपीवाई-6) की पहचान की गई।

- मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग (एमएबी) के माध्यम से उपज की आनुवंशिक क्षमता की खोज के लिए एआरबीडी डिजाइन के तहत 5 प्रतिकृति के साथ 231 (183 स्वदेशी और 48 विदेशी) विविध मलबरी जर्मप्लाज्म सिद्ध किए गए।

- विभिन्न आणविक उपकरणों का उपयोग करके उच्च पत्ती उपज और गुणवत्ता के लिए टी. अर्जुन और टी. टोमेंटोसा के वास्तविक संकरों की पहचान की गई।

- मेघालय और असम के तीन अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों के तहत सोम की फाइटोकेमिकल विविधता का आकलन किया गया, जिससे सोम की फाइटोकेमिकल मात्रा, तनाव परिमाण और आंतरिक सुरक्षा क्षमता में क्षेत्र और मौसम के विशिष्ट अंतर का पता लगा। यह स्थापित किया गया है कि सोम क्षेत्रों में मिट्टी की आंतरिक पोषण क्षमता का परिमाण विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में भिन्न होता है।

- अल्टरनेरिया ब्लाइट के प्रति रोधी प्रभाव वाले देशी राइजोबैक्टीरिया का एक फॉर्मूलेशन अरंडी ब्लाइट रोग के प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है, जो पौधे की वृद्धि और पत्ती बायोमास की उत्पादकता को बढ़ाता है, जिसका स्टेशन परीक्षण जारी है।

- प्रजनन-पूर्व कार्यक्रम में उनके उपयोग के लिए पूर्वोत्तर में उगने वाले 08 जंगली/खेती वाले बारहमासी अरंडी के भौगोलिक निर्देशांक एकत्र किए गए थे। खेत से जंगली बारहमासी अरंडी के संग्रह ने इसके आगे के दोहन के लिए जीन पूल में परिवर्तनशीलता ला दी है।

- पिछले 10 वर्षों के दौरान, 14 मलबरी किस्मों को व्यावसायिक उपयोग के लिए जारी किया गया है, 3 एआईसीईएम मूल्यांकन के तहत है।

- अनुसंधान एवं विकास प्रयासों ने 2005-06 के दौरान मलबरी उत्पादकता को 50 एमटी/हेक्टेयर/वर्ष से बढ़ाकर 2020-21 के दौरान 65 एमटी/हेक्टेयर/वर्ष करने में सहायता की है।

4.3.4.3 रेशम कीट फसल सुधार, उत्पादन और संरक्षण

- एक कमरा कीटाणुनाशक "निर्मूल" और एक बिस्तर कीटाणुनाशक "सेरी-विन" विकसित किए गए।

- नया बाइवोल्टाइन डबल हाइब्रिड बीएफसी25 x बीएुसी11 विकसित किया गया, जिसमें शेल अनुपात 23.8%, फिलामेंट लंबाई 1,095 मीटर और रेंडीटा 5.8 का पता चला।

- रोग सहिष्णु लाइनों के चयन के लिए आइसोसाइट्रेटेड हाइड्रोजनेज (एस0803-आर) से रोग सहिष्णुता (बीएमडीएनवी1, बीएमआईएफवी और बीएमएनपीवी) से जुड़े संभावित मार्कर के रूप में पहचाना गया।

- एक बाइवोल्टाइन सिंगल हाइब्रिड एस 8 x सीएसआर 16 (2,84,550 डीएफएल) का मूल्यांकन किया गया, जिसने 69.0 किग्रा./100 डीएफएल सिंगल कोकून भार 1.782 ग्राम, सिंगल शेल भार, 0.395 ग्राम और 22 प्रतिशत शेल अनुपात की औसत कोकून उपज दर्ज की।

- क्रॉस ब्रीड को आईसीबी29 (एक उन्नत शुद्ध एमवी नस्ल) और एस 8 का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो एमवी1 × एस 8 के बराबर 2ए ग्रेड रेशम का उत्पादन करता है और यह मौजूदा क्रॉसब्रीड पीएम × सीएसआर 2 से बेहतर है। क्रॉसब्रीड में कोई हाइबरनेशन नहीं देखा गया था।

- एक बेहतर क्रॉस ब्रीड, एमवी1 × एस8 (कावेरी गोल्ड) का मूल्यांकन प्राधिकार परीक्षण के तहत किया गया, जिसमें 60 - 65 किग्रा/100 डीएफएल की औसत कोकून उपज, 6-6.5 रेंडिटा, 21.65% का शेल अनुपात, कच्चे रेशम की प्राप्ति 15.41% और 2 ए-3ए ग्रेड फाइबर की गुणवत्ता दिखाई गई थी।

- पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में ओएफटी के माध्यम से एक आशाजनक बहु x द्वि संकर के रूप में 12वाई x बीकॉन1.4 (12 वाई x बीएफसीआई) की पहचान की गई (औसत उपज: ~ 52 किग्रा. एन x एसके 6.7 पर ~ 10% सुधार के साथ)।

- एसके 6 x एसके 7 और बीकॉन 1 x बीकॉन 4 (औसत उपज: ~ 65 किग्रा.) पर एक बेहतर शेल (10-12%) के साथ एक बाइवोल्टाइन डबल हाइब्रिड (बीएचपी3.2 x बीएचपी8.9) विकसित किया गया।

- रेशमकीट में आर्द्रता सहनशीलता का आकलन करने के लिए आणविक मार्कर (पीवाई1 और पीवाई 2) विकसित किया गया।

- वीर्य संग्रह और उसके क्रायोप्रिजर्वेशन की तकनीक विकसित की और टसर रेशमकीट एंथेरिया मायलिट्टा में कृत्रिम गर्भाधान की विधि विकसित की गई।

- लेपिडोप्टेरान कैटरपिलर से मूगा रेशमकीट ए एसेमेंसिस हेल्फर में पेब्राइन बीजाणुओं के क्रॉस ट्रांसमिशन पर नियंत्रण उपाय विकसित किए गए।

- ए प्रोयली में टाइगर बाघ बैंड रोग पैदा करने वाले बैकोलोवायरस का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नैदानिक उपकरण विकसित किया गया।

- टसर रेशमकीट (ए. मायलिट्टा डी.) के लिए बीज कोकून और बीज संरक्षण प्रौद्योगिकी का विकास किया गया।

- तसर रेशमकीट बीडीआर10 मिश्रित अंडे (15 दिनों के लिए 15ºC पर) के लिए अल्पकालिक बीज संरक्षण अनुसूची दो दिनों के प्रगतिशील ऊष्मायन (कुल 17 दिन) के परिणामस्वरूप 90% हैचिंग में परिणत होने वाली को विकसित किया गया।

- अनुसंधान एवं विकास प्रयासों ने 2005-06 के दौरान 48 किलोग्राम/100 डीएफएल से उपज को 2020-21 के दौरान 70 किलोग्राम/100 डीएफएल तक बेहतर करने सुधारने में मदद की है।

4.3.4.4. कोकून-पश्च प्रौद्योगिकी का विकास

- फैब्रिक की विविधता को विकसित करने की प्रक्रिया की आर्थिकी का अध्ययन गुणवत्ता विशेषताओं पर व्यक्तिपरक विश्लेषण, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के अलावा कावाबाता और एफटीटी के संदर्भ में किया गया था।

- टसर कोकून पकाने/नरम करने के लिए एक सौर संचालित कोकून स्टफलिंग/सुखाने कक्ष, सौर कुकर विकसित किया गया।

- वान्या क्षेत्र में : टसर और मोगा कोकून की गीली रीलिंग, तसर सिल्क के लिए साइज़िंग मशीन, तसर कोकून के लिए संशोधित ड्राई रीलिंग मशीन, प्रेशराइज्ड हांक डिगमिंग

मशीन और सिल्क रीलिंग वॉटर के पुनर्चक्रण के उपकरण क्षेत्र में प्रचारित किए जा रहे हैं।

- अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले भारतीय रेशम का उपयोग करके विविधीकृत रेशम बुने हुए वस्त्र उत्पादों/वस्त्रों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई।

- वान्या रेशम कोकून पश्चिम क्षेत्र में : तसर और मोगा कोकून की गीली रीलिंग, तसर सिल्क के लिए साइज़िंग मशीन, तसर कोकून के लिए संशोधित ड्राई रीलिंग मशीन, प्रेशराइज्ड हांक डिगमिंग मशीन और सिल्क रीलिंग वॉटर के पुनर्चक्रण के उपकरण क्षेत्र में प्रचारित किए जा रहे हैं।

- रेड एरी सिल्क सेरिसिन का आणविक भार निर्धारण एसडीएस पेज द्वारा किया गया था और पाउडर के रूप में प्रोटेक्स 6 एल और हाइड्रोलाइज्ड व्हाइट रेड एरी सिल्क सेरिसिन का उपयोग करके सफेद और लाल एरी-सिल्क सेरिसिन का मानकीकृत एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस किया गया था।

- सोलर कुकर और कम बिजली की खपत वाले हॉट एयर ड्रायर की डिजाइनिंग और निर्माण को पूरा किया गया।

- बेहतर दक्षता के लिए सुवर्णा (संशोधित चरखा) का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया था।

- आर एंड डी प्रयासों ने रेंडिटा में सुधार करके इसे वर्ष 2005-06 के दौरान को 8.2 से वर्ष 2020-21 के दौरान इसे 6.3 करने में सहायता की है।

4.3.4.5 उत्पाद डिजाइन विकास और विविधीकरण:

- निफ्ट मुंबई और भुवनेश्वर के साथ चल रही सहयोगात्मक परियोजनाओं को मध्य प्रदेश के बाग, महेश्वर तथा उड़ीसा के नुवापटना और संबलपुरी जैसे क्लस्टरों में नए उत्पादों के विकास के साथ जारी रखा गया है। दोनों परियोजनाओं के अंतर्गत उत्पादों का विकास पूरा हुआ।

- विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और सिल्क मार्क प्रदर्शनियों में भाग लिया और नए विकसित सिल्क उत्पादों को प्रदर्शित किया।

4.3.4.6 पेटेंट प्राप्त/व्यावसायीकरण के लिए पेशकश किए गए प्रौद्योगिकी/उत्पाद

- सेरिसिलिन (31.07.2020 को पेटेंट संख्या 342953 प्रदान किया गया) - सीएसआर और टीआई बरहमपुर

- निर्मूल (एनआरडीसी के माध्यम से प्रगति पर) - सीएसआर और टीआई बरहामपुर

- मल्टी यूटिलिटी शेल्फ पालन स्टैंड - सीएसआर एंड टीआई पंपोर

4.3.4.7. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण :

सीएसबी के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग ने अपने सभी अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ वर्ष 2020-2021 से अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग के हितधारियों की कौशल बीजारोपण और कौशल उन्नयन को जारी रखा। प्रतिभागियों को विभिन्न संरचित तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से रेशम के सभी उप-क्षेत्रों (मलबरी, तसर, एरी व मूगा) को शामिल करते हुए रेशम क्षेत्र की अनुशंसित प्रौद्योगिकियों और अन्य आधुनिक विकास का प्रदर्शन किया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 12804 (आंतरिक एवं उद्योग पणधारी सहित) व्यक्तियों को शामिल किया गया। वर्ष 2020-2021 के दौरान (दिसंबर, 2021 तक), 11110 व्यक्तियों के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न 'कौशल बीजारोपण' और 'कौशल विकास' प्रशिक्षण के लिए 6171 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

4.3.4.8. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) :

समाप्त परियोजनाओं से विकसित प्रौद्योगिकियों को विभिन्न विस्तार संचार कार्यक्रमों अर्थात् कृषि मेला, समूह चर्चा, प्रबोधन कार्यक्रम, क्षेत्र दिवस, किसान सम्मेलन, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, आदि के माध्यम से क्षेत्र में हस्तांतरित किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 के अंत तक, कोकून-पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत कुल 259 ईसीपी आयोजित किए गए थे और संस्थानों द्वारा विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों को 13921 हितधारकों के मध्य प्रभावी रूप से अंतरित किया गया था। इसके अलावा, विभिन्न् मानकों के लिए 52,735 कोकून, कच्चे रेशम, फैब्रिक, रंग, जल आदि के लिए बहुत से परीक्षण किए गए।

4.3.4.9. सूचना प्रौद्योगिकी (दिसंबर, 2021 तक तक सूचना प्रौद्योगिकी पहल) :

i. एम-किसान : सीएसबी ने किसानों को उनके मोबाइल टेलीफोन से एम-किसान वेब पोर्टल के इस्तेमाल द्वारा वैज्ञानिक सुझावों को प्रदान करने हेतु सूचना-प्रसार के लिए वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की पहुंच को और विस्तृत किया है। सभी मुख्य संस्थान इस पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप

से सलाह प्रदान कर रहें हैं। दिनांक 31.12.2021 तक कुल 1003 एडवाइजरी और 88,00,041 एसएमएस संदेश भेजे गए।

ii. एसएमएस सेवा : किसानों तथा उद्योग के अन्य पणधारियों के उपयोग के लिए रेशम तथा कोकून की दैनिक बाज़ार दर के संबंध में मोबाइल फोन के माध्यम से एसएमएस सेवा प्रचालित की गई है। पुश और पुल दोनों एसएमएस सेवा प्रचालन में है। रेशम उत्पादन निदेशालय से प्राप्त मोबाइल नम्बर को अद्यतन किया गया है और दैनिक आधार पर सभी पंजीकृत 13862 किसानों को एसएमएस संदेश प्राप्त हो रहे हैं।

iii. सिल्क पोर्टल : उत्तर-पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से उपग्रह के माध्यम से छाया चित्रों को लेते हुए रेशम उत्पादन सूचना संपर्क एवं ज्ञान प्रणाली पोर्टल का विकास किया गया और रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए उपयोगी क्षेत्रों के चयन एवं विश्लेषण हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। बहुभाषी, बहु-जिला ऑकडा नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है ।

iv. वीडियो कान्फ्रेंस : केन्द्रीय रेशम बोर्ड में सीएसबी कॉम्प्लेक्स, बेंगलूरु, केरेअवप्रसं, मैसूरु व बहरमपुर, केतअवप्रसं, राँची, केरेअवप्रसं, पोम्पोर, केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में सुसज्जित वीडियो कान्फ्रेन्स सुविधा उपलब्ध है। 31.12.2021 तक 426 मल्टी-स्टुडियो वीडियो कान्फ्रेंस और वेब आधारित वीडियो कान्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी।

v. सीएसबी वेबसाइट : केन्द्रीय रेशम बोर्ड की वेबसाइट "csb.gov.in "द्विभाषी रूप अर्थात् अंग्रेजी तथा हिन्दी में उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से सामान्य नागरिकों के लिए, जिन्हें संगठन तथा इसकी योजनाओं एवं अन्य विवरण के बारे में जानना होता है, अधिकाधिक जानकारी प्रसारित की जाती है। वेबसाइट में रेशम उत्पादन योजना कार्यक्रम, उपलब्धियाँ तथा सफलता की कहानियाँ विशेष रूप से दी गई हैं।

vi. किसानों तथा रीलरों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस : राष्ट्रीय स्तर पर किसानों तथा धागाकारों का डेटाबेस बनाने के लिए किसान एवं धागाकार डेटाबेस को तैयार कर इसे विकसित किया गया है, इससे प्रभावी निर्णय लेने में समुचित सूचना के साथ नीति निर्धारकों को मदद मिलेगी। डेटाबेस में राज्यों द्वारा 31.12.2021 तक कुल 7,46,150 किसानों एवं 15,039 रीलरों के विवरण रिकार्ड किए गए हैं।

4.3.5. बीज संगठन- रेशमकीट बीज उत्पादन तथा आपूर्ति

सीएसबी के पास राज्यों को बुनियादी बीज की आपूर्ति करने वाले बुनियादी बीज फार्मों की एक श्रृंखला है। इसके वाणिज्यिक बीज उत्पादन केंद्र किसानों को वाणिज्यिक रेशम कीट बीज की आपूर्ति करने में राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। देश भर में फैले इसके बुनियादी/वाणिज्यिक बीज उत्पादन केंद्रों की नेटवर्क के माध्यम से राज्यों को बुनियादी और वाणिज्यिक बीज के उत्पादन और आपूर्ति के लिए मलबरी हेतु राष्ट्रीय रेशम कीट बीज संगठन (एनएसएसओ), टसर के लिए बुनियादी तसर रेशम कीट बीज संगठन (बीटीएसएसओ), मूगा के लिए मूगा रेशम कीट बीज संगठन (एमएसएसओ) और एरी के लिए एरी रेशम कीट बीज संगठन (ईएसएसओ) स्थापित किए गए हैं।

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2020-21 और 2021-2022 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान सीएसबी की बीज इकाईयों द्वारा प्राप्त प्रगति का विवरण दर्शाता है :

(यूनिट : लाख डीएफएल)

विवरण	2020-21		2021-22	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसंबर 2021 तक)
मलबरी	410	356.18	400	207.05
तसर	52.77	47.37	51.40	33.87
ओक तसर	0.576	0.50	0.138	0.023
मूगा	5.86	5.72	6.463	5.35
एरी	6.00	6.48	6.00	5.43
कुल	475.20	416.25	464.001	251.723

4.3.6. समन्वय तथा बाजार विकास

सीएसबी का लक्ष्य है "भारत विश्व में रेशम के अग्रणी देश के रूप में उभरे" और इस लक्ष्य परक कथन के समर्थन में बोर्ड ने सभी 3 विशेष क्षेत्रों – क) रेशम कीट बीज उत्पादन, ख) क्षेत्र/कोसा पूर्व क्षेत्र तथा ग) उद्योग अथवा कोसोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों एवं कार्यनीतियों को योजनाबद्ध किया है ।

सीएसबी के कार्यकलापों में अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शन, 4 स्तरीय रेशम कीट बीज उत्पादन नेटवर्क का रख-रखाव, वाणिज्यिक रेशम कीट बीज उत्पादन में नेतृत्व, विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता पैरामीटर स्थापित करना, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रेशम का उन्नयन तथा केन्द्र सरकार को रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों में सलाह देना। इन कार्यकलापों का संचालन विभिन्न राज्यों में स्थित 160 इकाइयों [01.01.2022 के अनुसार] के समूह द्वारा किया जा रहा है।

रेशम की बढ़ती आंतरिक मांग और भूमंडलीय ताप, अंतरर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, शहरीकरण एवं नए नाशक जीवों और रोगों के प्रकोप की चुनौतियों को पूरा करने एवं रेशम उत्पादन क्षेत्र को वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान व विकास संस्थान निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अनुसंधान व विकास संस्थान किसानों/विद्यार्थियों/ पणधारियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दे रहे हैं।

रेशम उद्योग के संपूर्ण विकास के लिए संबंधित राज्य के रेशम उत्पादन विभाग और निजी उद्यमियों के समन्वय से केंद्रीय क्षेत्र की योजना [सीएसएस] और रेशम उद्योग के विकास से संबंधित अन्य सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सीएसबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का भरपूर लाभ उठाया जा रहा है ।

4.3.7 गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली :

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली का एक प्रमुख्य उद्देश्य यह है कि गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता निर्धारण और गुणवत्ता प्रमाणन को सुदृढ़ करने के लिए समुचित उपाय किया जाए। योजनांतर्गत, दो घटकों यथा "कोसा एवं कच्चे रेशम के परीक्षण एकक" एवं "रेशम मार्क संवर्धन" को लागू किया जा रहा है। कोसों की गुणवत्ता से धागाकरण के दौरान निष्पादन तथा उत्पादित कच्चे रेशम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सीडीपी के समर्थन से विभिन्न कोसा बाज़ारों में स्थापित कोसा परीक्षण केंद्र कोसा परीक्षण के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय से संबद्ध केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रमाणन केंद्र निर्यात किए जाने वाले रेशम माल को लदान पूर्व स्वैच्छिक निरीक्षण करते हैं, ताकि भारत से निर्यात किए जा रहे रेशम माल की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, भारत के रेशम मार्क संगठन [एसएमओआई] के माध्यम से रेशम उत्पादों की शुद्वता के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड "रेशम मार्क" को लोकप्रिय बना रहा है । "रेशम मार्क", लेबल एक प्रकार का आश्वसन है, जो शुद्व रेशम के नाम पर कृत्रिम रेशम उत्पादों को बिक्री करने वाले व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

वर्ष 2020-21 एवं 2021-2022 [दिसंबर, 2021 तक] के दौरान रेशम मार्क योजना के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार है :

(यूनिट : लाख डीएफएल)

विवरण	2020-21		2021-22	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसंबर 2021 तक)
मलबरी	410	356.18	400	207.05
तसर	52.77	47.37	51.40	33.87
ओक तसर	0.576	0.50	0.138	0.023
मूगा	5.86	5.72	6.463	5.35
एरी	6.00	6.48	6.00	5.43
कुल	475.20	416.25	464.001	251.723

4.3.7.1 रेशम मार्क प्रदर्शनी :

रेशम मार्क की विश्वसनीयता एवं लोकप्रियता को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से देशभर के रेशम मार्क प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए रेशम मार्क प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। तथापि, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सुरक्षित दूरी इत्यादि पर सरकारी दिशानिर्देशों के मद्देनजर, 2020-21 और 2021-22 की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान किसी भी तरह की भौतिक प्रदर्शनियों की योजना नहीं बनाई गई थी। एसएमओआई सिल्क मार्क के अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा 'सिल्क मार्क' के साथ 100 प्रतिशत शुद्ध रेशम उत्पादों को ऑनलाइन बढ़ावा देने के लिए मैसर्स Amazon.in के साथ एक समझौता किया गया है।

4.3.8. योजना स्कीमों के लिए बजट आबंटन :

वर्ष 2020-21 एवं 2021-2022 [दिसंबर, 2021 तक] के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सीएसबी को आबंटित बजट और उपगत व्यय निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

#	सीएसबी के कार्यक्रम	2020-21		2021-22	
		आवंटन (सं.अ.)	व्यय	आवंटन (ब.अ. अनुमोदित)	व्यय (अनंतिम) (दिसंबर 2021 तक)
सिल्क समग्र (रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना)					
1	अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी पहल	577.25	577.25	790.00	483.53
2	बीज संगठन				
3	समन्वय एवं बाज़ार विकास (एचआरडी)				
4	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली एवं निर्यात/ ब्रांड संवर्धन तथा तकनीकी उन्नयन				
	एससीसीपी	41.25	41.25	35.00	13.46
	टीएसपी	31.50	31.50	50.00	16.03
	कुल जोड़	650.00 (*)	650.00 (*)	875.00 (*)	513.29 ($)

(*)-वर्ष 2020-21 के दौरान 650.00 करोड़ रुपए के आबंटन/ व्यय में "447.88 करोड़ रुपए का "जीआईए-वेतन घटक" शामिल है।

($)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 875 करोड़ रुपए की आबंटित राशि में "500.44 करोड़ रुपए की "जीआईए-वेतन घटक" और 483.53 करोड़ रुपए के व्यय में 367.66 करोड़ रुपए का "जीआईए-वेतन घटक" दिसंबर, 2021 तक के लिए शामिल है।

4.3.9. वर्ष 2021-22 के दौरान सिल्क समग्र योजना के तहत अनुसूचित जाति उप-योजना [एससीएसपी] और जनजाति उप-योजना [टीएसपी] का कार्यान्वयन।

4.3.9.1. अनुसूचित जाति उप-योजना [एससीएसपी]

वर्ष 2021-22 के दौरान वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने रेशम उत्पादन के तहत अनुसूचित जाति उप-योजना [एससीएसपी] के कार्यान्वयन के प्रति 35.00 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दी है। एससीएसपी के तहत घटकों के कार्यान्वयन के प्रति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों को 13.46 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2021 तक) की संपूर्ण स्वीकृत राशि विमोचित की गई।

4.3.9.2. जनजातीय उप-योजना [टीएसपी]

वर्ष 2021-22 के दौरान, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के कार्यान्वयन के लिए 25.00 करोड़ रुपये और आदिवासी रेशम उत्पादन हितधारकों के कल्याण के लिए पूर्वोत्तर जनजातीय (नेट) श्रेणी के तहत 25.00 करोड़ रुपये की रुपये की राशि मंजूर की है। दिसंबर-2021 तक टीएसपी के तहत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार और उत्तराखंड राज्यों को 10.05 करोड़ रुपये और लाभार्थी उन्मुख घटकों के कार्यान्वयन के लिए नेट के तहत अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को 6.25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

4.3.10. कनवर्ज

वस्त्र मंत्रालय, सीएसएस (रेशम समग्र) और एनईआरटीपीएस योजनाओं के अंतर्गत रेशम कृषि क्षेत्र के लिए सहायता दे रहा है। भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं की वित्तीय सहायता के अभिसरण से अतिरिक्त निधि की व्यवस्था के लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्यों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों से 1732.82 करोड़ रुपए की परियोजनाओं स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 829.95 करोड़ रुपए आरकेवीवाई, मनरेगा और अन्य अभिसरण कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिसंबर 21 तक) के दौरान राज्यों ने 320.37 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, 247.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और कन्वर्जेंस के माध्यम से रेशम उत्पादन के लिए 62.37 करोड़ रूपए की निधि प्राप्त की हैं। कुछ राज्यों से प्रगति रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के तहत उप-मिशन कृषि-वानिकी (एसएमएएफ) के साथ अभिसरण : नर्सरी की स्थापना, ब्लॉक और रेशमकीट मेजबान पौधों के लिए परिधीय वृक्षारोपण, वाटरशेड क्षेत्रों/समस्या ग्रस्त मिट्टी (मलबरी के लिए)/ एफआरए भूमि (वन्या मेजबान पौधों के लिए) के प्रभावी उपयोग आदि जैसे वृक्षारोपण क्रियाकलापों का समर्थन करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही हैं और अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया

में हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कन्वर्जेंस : वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रावधानों को जारी रखने के लिए वन्या रेशम की खेती हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों पर अ.शा. एफसी-11/76/2020-एफसी दिनांक 16.08.2021 के तहत विचार किया गया है।

4.4 ऊनी और ऊनी वस्त्र

4.4.1. केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर की स्थापना जुलाई, 1987 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। सीडब्ल्यूडीबी 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान सभी ऊन उत्पादक राज्यों में ऊन क्षेत्र की योजना 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम' (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए वस्त्र मंत्रालय की नोडल एजेंसी है।

4.4.2. योजनागत बजट

ऊन क्षेत्र के विकास के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने 15 वें वित्त आयोग की अवधि अर्थात 2021-22 से 2025-26 तक के दौरान 126 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ कार्यान्वयन के लिए एसएफसी नोट के माध्यम से एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के युक्तिकरण और जारी रखने को मंजूरी दी है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजना आवंटन 10.00 करोड़ रुपए और 30 जनवरी, 2022 तक सीडब्ल्यूडीबी द्वारा आईडब्ल्यूडीपी योजना के कार्यान्वयन के तहत व्यय 5.95 करोड़ रुपए (300.00 लाख रु. वेतन घटक सहित) है।

क. कार्यान्वयन के तहत योजनाओं का विवरण :

वस्त्र मंत्रालय ने,ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम' (आईडब्ल्यूडीपी) के युक्तिकरण और निरंतरता को मंजूरी दी थी, जिसे दिनांक 15-06-2021 को आयोजित स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक में अनुमोदित किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत आईडब्ल्यूडीपी योजना का उद्देश्य भारत को प्रतिस्पर्धी और ऊनी उत्पाद के गुणवत्ता निर्माता/आपूर्तिकर्ता के रूप में तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से और ऊन क्षेत्र के विभिन्न खंडों को अनुकूलित करने के माध्यम से:

(i) ऊन आपूर्ति श्रृंखला को सुसंगत बनाना और बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की कच्ची ऊन खरीद क्षमता बढ़ाकर, (ii) ऊन उद्योग को ऊन उत्पादकों के साथ जोड़ने के लिए सुविधाएं बनाना, (iii) एक्सपो के माध्यम से छोटे ऊनी उत्पाद निर्माण के लिए विपणन मंच प्रदान करना, (iv) सुधार के लिए मशीन शियरिंग के माध्यम से अधिक भेड़ों का कवरेज ऊन की गुणवत्ता, (v) आधुनिक ऊन प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना के माध्यम से तैयार ऊनी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, (vi) ऊन परीक्षण, बेल बनाने की सुविधाएं और ऊनी उत्पादों के निर्माण के लिए उपकरण प्रदान करना, (vii) मोटे ऊन का उपयोग, और ऊन का उपयोग अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से तकनीकी वस्त्र, (viii) हस्तनिर्मित व्यापार के निर्माण के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण उच्च गुणवत्ता वाले ऊनी उत्पाद, (ix) पश्मीना और कालीन ग्रेड ऊन की ब्रांडिंग और (x) हिमालयी क्षेत्र में पश्मीना ऊन क्षेत्र का विकास कार्यक्रम (i) ऊन विपणन योजना, (ii) ऊन प्रसंस्करण योजना, (iii) मानव संसाधन विकास और संवर्धनात्मक गतिविधियों और (iv) पश्मीना ऊन विकास योजना (पीडब्ल्यूडीएस) के घटकों को शामिल करके ऊन क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किया गया है। आईडब्ल्यूडीपीयोजना के घटक और उप-घटक निम्नानुसार हैं :

i) ऊन विपणन योजना (डब्ल्यू एमएस)

ऊन विपणन योजना के तहत उप-घटक, कच्चे ऊन के विपणन के लिए चक्रीय निधि का सृजन करके लाभकारी मूल्या पर कच्ची ऊन की अधिक खरीद के लिए सहायता करने, ऊन के विपणन/नीलामी के लिए ई-पोर्टल का निर्माण करने, ऊन उत्पादक समितियों / एसएचजी के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता करने, ऊन उत्पादकों के लिए कच्चे ऊन की बिक्री में आसानी सुनिश्चित करने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने, मौजूदा / नई ऊन मंडियों / ग्रेडिंग / संग्रह केंद्रों में ऊन विपणन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए ऊनी एक्सपो का आयोजन, ऊनी कारीगरों/बुनकरों/सोसाइटियों आदि को अपने ऊनी उत्पादों को बेचने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए होती हैं। ऊन के विपणन के लिए चक्रीय निधि का उपयोग कार्यान्वयन एजेंसियों (राज्य सरकार के ऊन विपणन बोर्ड/निगम) द्वारा ऊन की खरीद के लिए किया जाएगा और ऊन खरीदने के बाद कार्यान्वयन एजेंसियां ऊन उद्योगों को ऊन की बिक्री करेंगी। इस प्रकार वे अगले कतरन मौसम में ऊन की खरीद के लिए इसे फिर से उपयोग करने के लिए निधि वापस प्राप्त करते हैं। इस तरह से निधि का वर्ष में दो बार चक्रण होता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के अंतर्गत 50.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

ii) ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस)

यह योजना ऊन प्रसंस्करण मशीनों/सुविधाओं जैसे स्कोअरिंग, कार्बोनाइजिंग, स्पिनिंग, डाइंग, वीविंग, फिनिशिंग मशीन

(शॉल, कालीन, कपड़े), नान-वुवेन, फेल्ट, बुनाई, अंगोरा ऊन प्रसंस्करण और मशीनों को रखने के लिए कुछ भवन के निर्माण के प्रावधान सहित ईटीपीके लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इस घटक के तहत कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन/निगम होंगे और वे आगे अनुबंध/पट्टे के आधार पर परियोजना को लागू कर सकते हैं। भवन निर्माण के लिए अनुदान सहित सीएफ़सी के लिए मशीनरी की खरीद के लिए संबंधित सरकार की कार्यान्वयन एजेंसी को सहायता अनुदान के रूप में अधिकतम पांच करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदान किया जाएगा। मशीनरी के रखने से संबंधित निर्माण लागत सीएफ़सी के स्वीकृत अनुदान के 25% से अधिक नहीं होगी। कार्यान्वयन एजेंसी सीएफ़सी की स्थापना के लिए लाए गए सभी प्रकार के आवर्ती व्यय और सभी उपकरणों/मशीनरियों के रखरखाव की लागत वहन करेगी। ऊनी उद्योग में सीएफ़सी की स्थापना का उद्देश्य आधुनिक प्रसंस्करण मशीनों के माध्यम से बेहतर ऊन प्रसंस्करण सुविधाओं की उपलब्धता, घरेलू ऊन की बेहतर खपत और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता है। अन्य मशीनों/उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जैसे: - बेल प्रेस मशीन, ऊन परीक्षण उपकरण और ऊनी वस्तुओं के निर्माण के लिए छोटे उपकरणों का वितरण करना और आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के तहत स्पेयर पार्ट्स के साथ भेड़ कतरनी मशीनों की खरीद के लिए अनुदान भी प्रदान करना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के अंतर्गत 50.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

iii) मानव संसाधन विकास और संवर्धनात्मक क्रियाकलाप (एचआरडी)

आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के तहत क्रियाकलापों में, ऊनी उत्पादों के निर्माण/बुनाई के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, नवीनतम प्रौद्योगिकी मशीनों के संचालन के लिए औद्योगिक श्रमिकों को ऑनसाइट प्रशिक्षण, मशीन भेड़ कतरनी पर प्रशिक्षण प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय/घरेलू सहयोग हितधारकों की बैठक/सम्मेलन, ऊन सर्वेक्षण/अध्ययन करना शामिल है। ऊन क्षेत्र के मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने/अनुभवों को साझा करने और नई विकसित प्रौद्योगिकी/सुविधाओं का प्रसार करने के लिए संगोष्ठी/कार्यशाला/भेड़ मेला/बैठक भी आयोजित की जाएगी। दुनिया भर में भारतीय ऊनी उत्पादों को बढ़ावा देने और पूरे ऊन उद्योग/व्यापारियों/उपभोक्ताओं के लाभ के लिए भारतीय ऊन मार्क और कालीन (कालीन) मार्क विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उत्पाद विकास/प्रक्रिया संशोधन/ब्रांडिंग और ऊन के लेबलिंग/विविधीकरण या प्रक्रिया संशोधनों, नवीन उत्पादों के विकास और दक्कनी ऊन के बेहतर उपयोग, जैविक ऊन के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया, स्वदेशी ऊन के मानकीकरण, जियो-टैगिंग और तकनीकी वस्त्र में ऊन का उपयोग करने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रावधान किया गया है। अनुसंधान परियोजनाओं से मोटे ऊन से नवीन उत्पादों का विकास होगा जिसका वर्तमान में अधिक उपयोग नहीं है। यह अनुसंधान एवं विकास कार्यों के व्यावसायीकरण के लिए उद्योग के साथ सुनिश्चित करेगा। बीकानेर में मौजूदा ऊन परीक्षण केंद्र को संचालित करने का भी प्रावधान किया गया है। कुल्लू (हि.प्र.) में लैब और वीविंग एंड डिजाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर/ आईएससी का उन्नयन शामिल है।

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के अंतर्गत 150.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न क्रियाकलापों के लिए बीकानेर में ऊनी उद्योग को ऊन परीक्षण सेवाएं प्रदान करने, सीडब्ल्यूडीबी के कुल्लू प्रशिक्षण केंद्र में हथकरघा पर प्रशिक्षण के लिए 30 नवंबर, 2021 तक 39.00 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

iv पश्मीना ऊन विकास योजना (पीडब्ल्यूडीएस)

पश्मीना ऊन विकास योजना के कार्यान्वयन से पश्मीना घुमंतुओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और साथ ही घुमंतुओं को लाभकारी आय,गार्ड रूम के साथ शेल्टर का निर्माण, सहायक उपकरण के साथ पोर्टेबल टेंट, एलईडी लाइट के साथ शिकारी प्रूफ कोरल का निर्माण सुनिश्चित करके पश्मीना ऊन विपणन के लिए रिवाल्विंग फंड का सृजन करके उनकी पश्मीना बकरियों की सुरक्षा भी होगी। लेह में गुणवत्तापूर्ण पश्मीना यार्न प्रदान करने के लिए कताई, रंगाई, बुनाई, परिष्करण उत्पाद निर्माण (बुना / बुना हुआ) जैसी पश्मीना ऊन प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना ताकि पश्मीना उत्पादों का उत्पादन लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हो सके और बेरोजगार युवा इस पेशे को अपना सकते हैं और पश्मीना ऊन की मांग बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। पश्मीना ऊन के साथ-साथ पश्मीना उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए पश्मीना मार्क/लेबल के विकास के माध्यम से पश्मीना उत्पादों की ब्रांडिंग भी किया जा सके। शुद्ध पश्मीना उत्पादों की पहचान के लिए प्रयोगशाला की स्थापना से वास्तविक पश्मीना उत्पादों की बिक्री में मदद मिलेगी। लेह में डी-हेयरिंग प्लांट परिसर में पश्मीना ऊन के तैयार उत्पादों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए एक शोरूम का विकास भी किया जा रहा है। विकसित चारागाह से पश्मीना बकरियों के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

वर्ष 2021-22 के लिए, आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर के लिए 200.00 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया हैं। सामान्य सुविधा केंद्र, लेह में सहायक मशीनों की खरीद के लिए चल रही परियोजनाओं के तहत पिछली/प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में 30 नवंबर, 2021 तक 100 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

ख. निर्यात रुझान:

डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ऊन और ऊन मिश्रित उत्पादों का निर्यात किया गया है। 2020-21 और 2021-2022 (सितंबर, 2021 तक) के दौरान ऊनी उत्पादों के निर्यात निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :-

उत्पाद	2020-21 (सितम्बर, 2020 तक)	2021-22 (सितम्बर, 2021 तक)
	करोड़ रुपए में	करोड़ रुपए में
आरएमजी ऊन	327.65	581.35
ऊनी यार्न, फैब्रिक, मेड-अप्स: आदि	349.91	557.35
हस्त निर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर)	4332.39	6342.95
कुल	5009.95	7481.65
वृद्धि/कमी	49.34% वृद्धि	

ग. आयात रुझान

घरेलू उद्योग, अपैरल श्रेणी के ऊन के आयात पर बहुत अधिक आश्रित है। यह घरेलू उद्योगों को आयात पर निर्भर बनाता है। भारत कई देशों से कच्ची ऊन का आयात कर रहा है। आस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, तुर्की, आदि प्रमुख पांच आयात बाजार हैं। वर्ष 2020-21 और 2021-22 (सितंबर, 2021 तक) के दौरान कच्ची ऊन, ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स तथा सिलेसिलाए परिधान का आयात नीचे दिया गया है :

कच्ची ऊन का आयात

2020-21		2021-22 (सितंबर, 2021 तक)	
मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्य करोड़ रुपए	मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्या करोड़ रुपए मं
81.62	995.15	58.23	799.77

ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स आदि का आयात

2020-21	2021-22 (सितंबर, 2021 तक)
मूल्य करोड़ रुपए में	मूल्य करोड़ रुपए में
803.38	318.51

आरएमजी का आयात

2020-21	2021-22 (सितंबर, 2021 तक)
मूल्य करोड़ रुपए में	मूल्य करोड़ रुपए में
796.52	53.65

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता

5.1. वस्त्र क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता, निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय 1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) क्रियान्वित कर रहा है। टीयूएफएस एक ऋण संबद्ध योजना है जिसका क्रियान्वयन पात्र निवेशों पर सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति द्वारा अधिसूचित ऋणप्रदाता एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

5.2. यह योजना आरंभ में अप्रैल, 1999 में 31 मार्च, 2004 तक अनुमोदित की गई थी और इसे तत्पश्चात 2004 से 2007 तक बढ़ा दिया गया। वर्ष 2007 में यह स्कीम तकनीकी वस्त्र और गारमेंट के सेगमेंटों के लिए 10% की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी (सीएस) जैसे संशोधनों के साथ आगे बढ़ाई गई थी और इसे संशोधित टीयूएफएस(एमटीयूएफएस) के रूप में जाना जाता है। यह योजना 29.06.2010 से 27.04.2011 के दौरान स्थगित रही जिसे 'ब्लैक आउट अवधि' के रूप में जाना जाता है। स्कीम को पुनर्गठित किया गया था और पुनर्गठित टीयूएफ योजना (आरटीयूएफएस) 28.04.2011 से 31.03.2012 तक क्रियान्वित की गई।

5.3 यह योजना फिर से 01.04.2012 से संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के रूप में संशोधित की गई थी और 11 जुलाई, 2016 तक क्रियान्वित की गई थी।

5.4. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) :

5.4.1. एटीयूएफएस, पात्र बेंचमार्क मशीनरी के लिए एक-मुश्त पूंजी सब्सिडी के साथ 13 जनवरी, 2016 को आरआरटीयूएफएस के स्थापन पर शुरू की गई थी। गारमेंट और तकनीकी वस्त्र जैसे सेगमेंट पर फोकस है, जहां रोजगार और निर्यात की संभावना अधिक है 30 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 15% की दर पर पूंजी सब्सिडी के पात्र हैं। नए शटलर हित करघे (विविंग प्रीपेरेटरी और निटिंग सहित) के लिए वीविंग, प्रोसेसिंग, पटसन, रेशम और हथकरघा जैसे सेगमें ट20 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यीधीन 10% की दर पर सब्सिडी प्राप्त करेंगे। एटीयूएफएस के अंतर्गत विभिन्न सेगमेंटों की सब्सिडी की दरे और सीमा नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	क्षेत्र	पूंजी निवेश सब्सिडी की दर (सीआईएस)
1.	परिधान, तकनीकी वस्त्र	30 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के अधीन 15%
2.	नए शटल-रहित करघों के लिए बुनाई (प्रीपेरेटरी बुनाई एवं निटिंग सहित), प्रसंस्करण, पटसन, रेशम तथा हथकरघा	20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन 10%
3 (क)	मिश्रित इकाई/ मल्टीपल क्षेत्र-यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत से 50% अधिक है।	30 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन 15%
3(ख)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्र-यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश 50% से कम है।	20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन 10%

योजना का उद्देश्य नीचे दिया गया है:

क) देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और विनिर्माण में "शून्य प्रभाव और शून्य दोष" के साथ "मेक इन इंडिया" के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने और निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को प्राप्त करना।

ख) वस्त्र उद्योग में आयात प्रतिस्थापन के साथ-साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार, निर्यात में वृद्धि को सुकर बनाना। यह परोक्ष रूप से वस्त्र मशीनरी (बेंचमार्क तकनीक वाली) विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देगा।

5.4.2 यदि इकाई ने पूर्व में आर आरटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया हो, तो वह नई अथवा मौजूदा इकाइयों के लिए एक एकल इकाई के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर शेष सब्सिडी की सीमा तक पात्र होगी।

5.4.3 एटीयूएफएस के अंतर्गत 12671 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देयताओं और नए मामलों के लिए 5151 रुपए की देयताओं को पूरा करने के लिए 2015-16 से 2021-22 तक सात वर्षों के लिए 17822 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

5.4.4 पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए, योजना को एंड टू एंड वेब आधारित एमआईएस प्रणाली (आई-टीयूएफएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और मशीनरी की स्थापना और निरीक्षण के पश्चात सीधे यूनिट को सब्सिडी जारी की जाती है। योजना के तहत बेंचमार्क मशीनरी की खरीद को सत्यापित करने के लिए 100% संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया जाता है।

5.4.5 एटीयूएफएस के अंतर्गत 31.12.2021 तक 56453.00 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 13135 यूआईडी जारी किए गए हैं और 4105.71 करोड़ रुपए मूल्य की सब्सिडी जारी की गई है। एटीयूएफएस की खंड-वार प्रगति नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	खंड का नाम	जारी किए गए यूआईडी की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ में)	सब्सिडी धनराशि (करोड़ में)	रोजगार		
					नए	मौजूदा	कुल
1	गारमेंटिंग (15% सीआईएस)	1455	3021.63	305.05	92493	419384	511877
2	हथकरघा (10% सीआईएस)	92	70.07	05.64	477	226	703
3	पटसन (10% सीआईएस)	12	14.47	01.19	3258	15294	18552
4	विविध-गतिविधिया (10% सीआईएस/15% सीआईएस)	2214	25952.39	1689.10	164800	468055	632855
5	प्रसंस्करण(10%सीआईएस)	1424	5329.55	369.28	26711	169295	196006
6	रेशम (10% सीआईएस)	43	54.22	03.67	471	491	962
7	तकनीकी वस्त्र (15%सीआईएस)	473	3356.70	319.97	8341	25341	33682
8	विविंग (10% सीआईएस)	7422	18653.97	1411.80	63429	109215	172644
कुल		13135	56453.00	4105.71	359980	1207301	1567281

5.4.6 वेब आधारित प्रक्रिया को सुचारू बनाने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एटीयूएफएस को एक समग्र समाधान बनाने के लिए 02.08.2018 को एटीयूएफएस के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

क. स्वचालित यूआईडी तैयार करना
ख. डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त करना
ग. दस्तावेजों की कम संख्या
घ. मशीन की सूची बनाने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना
ङ. जेआईटी निरीक्षण के दौरान अनुमोदन आईटीयूएफएस सॉफ्टवेयर में जियोटैग युक्त और टाइम स्टैंरपयुक्त फोटोग्राफ अपलोड करना
च. सब्सिडी पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी इकाई के खाते में जारी की गई।
छ. पहचान के लिए मशीनरी पर मशीन पहचान कोड उकेरा गया है।

5.4.7 बाद में कार्यान्वयन को आसान करने के लिए, जेआईटी रिपोर्ट/सब्सिडी दावे को आगे बढ़ाने सहित अनुमोदन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है:

क. शक्तियों का प्रत्यायोजन : यूनिटों को सीधे 5 करोड़ तक सब्सिडी को जारी करने के लिए एटीयूएफएस के बजट शीर्ष को संचालित करने के लिए शक्तियां वस्त्र आयुक्त को प्रत्यायोजित की गई थी और 5.0 करोड़ रूपए से अधिक की राशि की सब्सिडी को 7 दिन के भीतर जारी करने के लिए आईएफडब्ल्यू की सहमति प्राप्त करने हेतु वस्त्र आयुक्त द्वारा अनुमोदन के पश्चात इसे वस्त्र मंत्रालय को भेजा जाएगा।
ख. जियोटैगिंग और डिजीटल हस्ताक्षर: मशीन की जियोटैगिंग प्रणाली क्रियान्वित की गई थी और आईटीयूएफएस में इकाइयों/बैंकों/वस्त्र् आयुक्त के कार्यालयों द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर की शुरूआत की गई है।
ग. दावों की कार्रवाई में विलंब को कम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्ति करने की की जिम्मेएदारी सौंपी गई है कि जेआईटी रिपोर्टें अनुमोदन के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को अग्रेषित किए जाने से पहले हर हालत में पूर्ण हों।
घ. कट-ऑफ तिथि और जियोटैगिंग के संबंध में विभिन्न नीतिगत स्पष्टीतकरण जारी किए गए हैं।
ङ. योजना के क्रियान्वियन में पारदर्शित में सुधार करने के लिए

पात्र दावों/मामलों की स्थिति और इस योजना के अंतर्गत लंबित मामलों को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

च. मशीनरी सूचीकरण के लिए तकनीकी सलाहकार-सह-निगरानी समिति और आईटीसी के माध्यम से हितधारकों के साथ नियमित नियोजन।

छ. टीयूएफएस के पिछले संस्ककरण के अंतर्गत खरीदी गई मशीनों का सत्यापन करने का आदेश दिया गया है ताकि दावों की प्रमाणिकता का सत्यापन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेंचमार्क वाली मशीनरी की खरीद की गई है।

ज. माननीय वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में 5वीं अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी) ने मौजूदा 100% भौतिक सत्यापन के स्थान पर संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा दावा की गई मशीनरी/परिसंपत्तियों के सत्यापन के स्वचालित/डिजिटल और ग्रेडेड मोड (निचले स्तर पर कम बोझ) के माध्यम से प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ लोड करने को अनुमेय बनाकर इसे और सरल बनाने के लिए विभिन्न उपायों को मंजूरी दी है। ।

5.4.8 मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में, विशेष रूप से कोविड-19 के बाद की अवधि में, वीसी माध्यम से निगरानी सहित, प्रारंभ किए गए विभिन्न उपचारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान एटीयूएफएस के साथ-साथ टीयूएफएस के पिछले संस्करणों के अंतर्गत भौतिक सत्यापन के पश्चात होने निपटान होने वाले दावों में सुधार हुआ, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है :

वित्तीय वर्ष	किए गए निरीक्षणों की संख्या	निपटान किए गए मामलों की संख्या
2016-17	117	12
2017-18	568	50
2018-19	2352	469
2019-20	1914	932
2020-21	1358	2239
2021-22*	484	1643

* 31.12.2021 के अनुसार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की बाधाओं के बावजूद, दावों के निपटान की दिशा में अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं और परिणामस्वरूप 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार पहली तीन तिमाही के दौरान 1643 मामलों का निपटारा किया जा सका जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल मामलों में से 2239 (61%) मामले सुलझाए गए थे। इसके अलावा, पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष में निर्धारित की गई संख्या और सब्सिडी राशि से काफी आगे जाने के लिए पर्याप्त पद्धतियां तैयार की गई हैं।

5.4.9 कोविड-19 महामारी के प्रभावों को कम करने के लिए किए गए उपाय:

i. गैर-बुने हुए फाइबर के उत्पादन में रत तथा एन-95 मास्क और पीपीई किट के उत्पादन की क्षमता वाली तकनीकी वस्त्र यूनिटों की पहचान की गई। यह दृढ़ता का एक आदर्श उदाहरण है, जिसमें सरकारी तंत्र की सुविधाजनक शक्तियों को उद्योगों की उद्यमी शक्ति के साथ मिलकर मिलाकर चुनौती को वस्त्र क्षेत्र के लिए अवसर में बदल दिया गया था

ii. नकदी प्रवाह को आसान करके उद्योग को राहत देने के लिए, अप्रैल 2020 में एटीयूएफएस और आरआरटीयूएफएस योजना में एक विकल्प प्रस्तुत किया गया है। यह सब्सिडी जारी किए जाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक गारंटी (बीजी) के प्रति आंशिक सब्सिडी जारी करने की अनुमति देता है। अभी तक बीजी के प्रति 125.50 करोड़ रुपये (आरआर-टीयूएफएस के अंतर्गत 42 करोड़ रुपये सहित) मूल्य की कुल सब्सिडी जारी की गई है।

iii. आंतरिक तकनीकी समिति (आईटीसी) की 15 बैठकें एटीयूएफएस के अंतर्गत मशीन विनिर्माताओं को सूचीबद्ध करने के लिए 631 अनुरोधों की जांच के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से आयोजित की गईं, जिनमें से 350 को अब तक तकनीकी-सपोर्ट सुविधाजनक बनाने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

iv. तकनीकी सलाहकार निगरानी समिति (टीएएमसी) की बैठकें इस अवधि के दौरान नियमित रूप से वीसी मोड के माध्यम से एटीयूएफएस के अंतर्गत महत्वपूर्ण तकनीकी और नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई हैं।

v. राहत देने/मंजूरी की गति बढ़ाने के लिए भी निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं :

क. लॉकडाउन अवधि के दौरान अटके हुए एटीयूएफएस के अंतर्गत दावों के लिए समयसीमा में विलंब को क्षमा करना।

ख. समग्र भारत आधार पर वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ पीएफएमएस के अंतर्गत एजेंसियों (यूनिट/लाभार्थी) के पंजीकरण का विकेंद्रीकरण।

ग. कार्यभार के अनुसार तेजी से निपटान के लिए वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच मामलों का पुन: वितरण।

घ. लंबित टीयूएफएस संबंधित कार्यों के निपटान में तेजी लाने के लिए पीएससी, सूरत में कैंप कार्यालय की स्थापना, यह देखते हुए कि अहमदाबाद क्षेत्र से 50 प्रतिशत से अधिक मामले संबद्ध थे।

ङ. प्रश्नों के समाधान के लिए वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रमुख शहर समूहों में आउटरीच शिविर का आयोजन करना।

च. कोविड की बाधाओं के दौरान संकल्पों को सुकर बनाकर व्यक्ति-से-व्यक्ति संपर्क को कम कर शिकायतों पर उच्चतम स्तर पर वीसी आयोजित करना।

5.5 एटीयूएफएस का फोकस और परिणाम :

- एमएसएमई के एटीयूएफएस अनुपात के अंतर्गत: गैर एमएसएमई 89:11 है जबकि टीयूएफएस के पिछले संस्करणों के तहत यह 30:70 था।
- रोजगार संभावित खंडों की संस्थाओं यथा तकनीकी वस्त्र और परिधान/मेड अप्स के लिए 15% (30 करोड़ रुपये) का उच्च प्रोत्साहन : पांच वर्षों में 15 लाख से अधिक रोजगार सहायता (3.6 लाख नए और 12.06 लाख मौजूदा)। कुल 3.6 लाख नए सृजित रोजगार में से 94491 (26%) महिलाओं को रोजगार की सहायता।
- पारदर्शी कार्यान्वयन: ऋणदाता एजेंसियों, उद्योग भागीदारों, आधिकारिक टीम के साथ संघों को शामिल करते हुए उचित सत्यापन के साथ ऑनलाइन एंड-टू-एंड समाधान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करना ।

5.6 टीयूएफएस के अंतर्गत बजट आवंटन:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2014-15	2300	1885.02	1884.31
2015-16	1520.00	1413.68	1393.19
2016-17	1480.00	2610.00	2621.98
2017-18	2013	1913.15	1913.15
2018-19	2300	622.63	621.92
2019-20	700	494.37	317.89
2020-21	761.90	545.00	556.25
2021-22	700.00	650.00	395.18*

* ओएई के बिना 14.01.2022 के अनुसार

पुराने टीयूएफएस (जो पहले बैंक के नेतृत्व में था) के लिए निपटान 2019 के वस्त्र मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार है जो पहले की प्रणाली में अनियमित/अस्वीकार्य निपटान की चिंताओं से उत्पन्न हुआ है। वस्त्र समिति और केंद्रीय रेशम बोर्ड के तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके संयुक्त निरीक्षण किया जाता है।

5.7 एटीयूएफएस को प्रतिस्थापित करने वाली नई योजना की संकल्पना

5.7.1 योजना का जारी संस्करण यथा संशोधित टीयूएफएस को 31.03.2022 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है। डीएमईओ, नीति आयोग द्वारा किए गए योजना के हालिया प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन ने न केवल प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए बल्कि वस्त्र मशीनरी के स्वदेशी विकास और विनिर्माण के समर्थन की दिशा में भी योजना को जारी रखने की सिफारिश की है। मंत्रालय द्वारा एक 'प्रौद्योगिकी अंतराल विश्लेषण' भी किया गया है जिसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण वस्त्र मशीनरी और 60 महत्वपूर्ण घटकों की पहचान की गई है जो स्वदेशी रूप से निर्मित नहीं हैं।

5.7.2 तदनुसार, भारत में वस्त्र इंजीनियरिंग उद्योग के विकास के लिए एक सुविधाजनक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु एक रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया में वस्त्र मशीनरी विनिर्माताओं और वस्त्र उद्योग के हितधारकों के साथ चर्चा की गई थी। इन चर्चाओं और अध्ययनों के आधार पर मंत्रालय ने एटीयूएफएस को प्रतिस्थापित करने के लिए नई योजना की अवधारणा की प्रक्रिया शुरू की है। वस्त्र क्षेत्र में आधुनिक विनिर्माण सुविधाओं और प्रौद्योगिकी उन्नयन का समर्थन करने के अलावा, नई योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं के सहयोग से 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत भारत में उच्च गुणवत्ता वाली वस्त्र मशीनरी के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशिष्ट घटक का भी प्रस्ताव है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सहायता

6.1 पृष्ठभूमि

वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर, जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है) समर्थ नामक मांग आधारित और रोजगार उन्मुख कौशल कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की तकनीकी और बाजार की मांग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को युक्तिसंगत बनाया गया है। समर्थ को प्रारंभ में दिनांक 20 दिसंबर, 2017 को 2017-18 से 2019-20 तक लागू करने करने के लिए मंजूरी दी गई थी।

सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2021 को आयोजितस्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक में समिति की सिफारिश के अनुसार, समर्थ योजना को माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा 31.03.2021 से तीन वर्ष की अवधि से आगे अर्थात 31.03.2024 तक के लिए अनुमोदित किया गया है।

वस्त्र उद्योग में कार्यबल की प्रवेश स्तर की आवश्यकता का समाधान करने के लिए गैर-कामगार को कामगार बनाने के लिए,प्रवेश स्तर पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा,अपैरल एवं परिधान क्षेत्र में मौजूदा कामगारों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए योजना के तहत कौशल उन्नयन/पुन्कौशल कार्यक्रम के लिए एक विशेष प्रावधान भी किया गया है।

6.2 समर्थ के कार्यान्वयन की प्रगति

6.2.1 आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी), प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हेल्पलाइन नम्बर के साथ समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑन-लाइन निगरानी आदि जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल रूपरेखा के अंतर्गत 'समर्थ' तैयार किया गया था।

6.2.2 कार्यान्वयन और निगरानी में सुलभता के लिए एक ठोस प्रणाली को बनाने के प्रयास के साथ, सम्पुर्ण समाधान वाले एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, जिसमें प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने, प्रस्तावों के ऑनलाइन डेस्क मूल्यांकन, प्रशिक्षण केंद्रों के मोबाइल ऐप समर्थित भौतिक सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण के बाद प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन पंजीकरण, एईबीएएस, मूल्यांकन के लिए अलग मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रमाणपत्र जारी करना आदि जैसे प्रावधान शामिल है, हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद समर्थ के अंतर्गत प्रचालनशील किया गया है।

6.2.3 इसके अलावा, कार्यान्वयन ढांचे की समीक्षा की गई थी और यह केवल राज्य सरकार की एजेंसियों, वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों, वस्त्र उद्योग इकाइयों और उद्योग संघों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु कार्यान्वयन भागीदारों के पास आवश्यक अवसंरचना होनी चाहिए और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बैक टू बैक व्यवस्था या उप-अनुबंध/ आउटसोर्सिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रक्रियाओं/ क्रियाविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनाए गए प्रमुख कदम नीचे दिए गए हैं :

- योजना के तहत प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अपनाए गए प्रोटोकॉल के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्रों को समर्पित सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भौतिक रूप से सत्यापित किया जाना होता है। वस्त्र उद्योग/ उद्योग संघों, राज्य सरकार की एजेंसियों और वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से कुल 162 संरेखित पाठ्यक्रम कार्यान्वित किए गए है।

- पैनल में शामिल करने और निगरानी के लिए सम्पुर्ण डिजीटल प्रक्रिया।

- प्रशिक्षुओं के अनिवार्य नियोजन के साथ कार्यान्वयन भागीदार - मुख्यधारा, क्षेत्रीय संगठनों के लिए स्व-रोजगार के अंतर्गत 70% प्रवेश स्तर के लिए और 90% कौशल उन्नयन के लिए।

- प्रशिक्षण केंद्रों के भौतिक सत्यापन के लिए एक मोबाइल ऐप जिसमें जियोटैगिंग/टाइम स्टांप फोटो लगे हों।

- इस उद्देश्य के लिए तृतीय पक्ष मूल्यांकन प्रशिक्षुओं और क्यूआर कोड सक्षम ई-प्रमाण पत्र को चालू कर दिया गया है। उद्योग की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) (ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड)।

- पाठ्यक्रम/मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) आदि के संचालन के लिए वस्त्र समिति में संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) को प्रचालनशील किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा जीवन चक्र ऑनलाइन एमआईएस में दर्ज किया जाता है। आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम की रीयल टाइम ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन एमआईएस के साथ एकीकृत है।

6.3 प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटन की प्रगति

6.3.1 राज्य एजेंसी सहित राज्य सरकारों को 14.08.2019 को समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पारंपरिक और संगठित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा अपने क्षेत्र संगठनों यथा विकास आयुक्त (डीसी)-हथकरघा, विकास आयुक्त-हस्तशिल्प, केंद्रीय रेशम बोर्ड और राष्ट्रीय पटसन बोर्ड को पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल/कौशल उन्नयन के लिए एक प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके अलावा, आरएफपी प्रक्रियाओं के माध्यम से वस्त्र उद्योग/उद्योग संघों को प्रवेश स्तर और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है। कार्यान्वयन भागीदारों की विभिन्न श्रेणियों के मध्य लक्ष्य आवंटन का विवरण नीचे दिया गया है:

कार्यान्वयन भागीदारों का प्रकार	कार्यान्वयन भागीदारों की संख्या	आवंटित प्रशिक्षण लक्ष्य (वर्तमान में)
प्रवेश स्तर पर		
राज्य सरकार की एजेंसियां	13	90,078
क्षेत्र संगठन	4	43,020
		8,815 (अतिरिक्त)
वस्त्र उद्योग/उद्योग संघ	59	1,03,235
		29,716 (अतिरिक्त)
एमएसएमई उद्योग संघ	6	34,572
		7,988 (अतिरिक्त)
कौशल उन्नयन/ पुर्नकौशल		
वस्त्र उद्योग/उद्योग संघ	38	28,979
कुल	120	3,46,403

केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, 8815 लाभार्थियों का अतिरिक्त लक्ष्य सीएसबी को आवंटित किया गया था क्योंकि मूल आवंटित लक्ष्य का 70% से अधिक समाप्त हो गया था। 16 कार्यान्वयन भागीदार जिन्होंने पहले ही 50% या उससे अधिक प्रारंभिक लक्ष्य पूरा कर लिया है, उन्हें इन एजेंसियों को आवंटित लक्ष्य 37,704 लाभार्थियों का अतिरिक्त प्रशिक्षण लक्ष्य स्वीकृत किया गया है।

6.3.2 कार्यान्वयन भागीदारों के पैनल को व्यापक आधार देने के लिए, वस्त्र उद्योग/उद्योग संघों के प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए सितंबर, 2021 में आरएफपी जारी किया गया था और राज्यों के मुख्य सचिव को उन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए पत्र जारी किए गए थे, जिनका अभी कार्यक्रम में भाग लेना शेष है।

6.4 कोविड-19 का प्रभाव

6.4.1 इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। मार्च 2020 के दौरान योजना के तहत चल रहे सभी बैचों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण निरस्त करना पड़ा था। प्रभावी रूप से, मार्च से अगस्त, 2020 तक छह माह के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका था। इसके अलावा, महामारी की दूसरी लहर ने अप्रैल, 2021 से कार्यक्रम को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रशिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया था और 1300 से अधिक प्रशिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है। उद्योग के अनुरोध पर और कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में सुरक्षित दूरी के मानदंडों के कारण, कार्यान्वयन भागीदारों को अधिक प्रशिक्षण

केंद्रों को पंजीकृत करने की अनुमति दी गई थी और कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा पंजीकृत लगभग 500 केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें सुलझाने के लिए कार्यान्वयन भागीदारों (राज्य एजेंसियों, उद्योग/उद्योग संघ, क्षेत्रीय संगठनों) के साथ 15 से अधिक वर्चूअल बैठकें आयोजित की गई हैं।

6.5 भौतिक प्रगति की स्थिति

6.5.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम की समग्र भौतिक प्रगति

(as on 14.12.2021)

कार्यान्वयन भागीदारों का प्रकार	आईपी की संख्या	सक्रिय आईपी	आवंटित प्रशिक्षण लक्ष्य	एईबीएएस में नामांकित लाभार्थी	लाभार्थी (प्रशिक्षित)	लाभार्थी (प्रशिक्षित + प्रशिक्षणाधीन)
प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम						
राज्य सरकार की एजेंसियां	13	5	90,078	26,799	2,717	5,107
क्षेत्र संगठन	4	3	51,835	31,967	13,047	18,036
वस्त्र उद्योग/ उद्योग संघ	59	50	132951	66,245	27,189	34,975
एमएसएमई उद्योग संघ	6	5	42560	9,810	2,529	5,036
कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम						
वस्त्र उद्योग/ उद्योग संघ	38	26	28979	12,844	4,447	5,433
कुल	120	89	3,46,403	1,47,665	49,929	68,587

समर्थ के अंतर्गत जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं: -

समर्थ के अंतर्गत जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं: -

6.6 बजट उपयोग की स्थिति

आरंभिक 2 वर्षों के दौरान, पिछली योजना अर्थात आईएसडीएस की देयता को पूरा करने के लिए निधि का उपयोग किया गया था। निधियों का वर्षवार उपयोग निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	उपयोग किया गया बजट
1	2017-18	173.99	100.00	100.00
2	2018-19	200.00	42.00	16.99
3	2019-20	100.50	102.10	72.06
4	2020-21	150.00	100.00	90.70
5	2021-22	100.00	-	11.23*
	कुल	**724.49**	**344.10**	**290.98**

* 30.12.2021 की स्थिति के अनुसार जारी निधि।

6.7 प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थिति

समर्थ पहले ही वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास के समूचे क्षितिज को पूरा करने के लिए एक लक्षित मजबूत कार्यान्वयन रूपरेखा की

स्थापना कर चुका हैं। योजना के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, लक्ष्य के अंतिम आवंटन को भौतिक निरीक्षण के माध्यम से सत्यापित कार्यान्वयन भागीदारों को संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता के आधार पर प्राधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। प्राधिकार प्राप्त समिति द्वारा 3.46 लाख लाभार्थियों के कौशल-उन्नयन की प्रक्रिया, संबंधित कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)

अपनी यात्रा के दौरान निफ्ट ने अपनी अकादमिक रणनीति को सुदृढ़ बनाया है। वैचारिक नेतृत्व, अनुसंधान को उत्प्रेरित करने वाले, उद्योग केंद्रित, रचनात्मक उद्यम और सहयोगियों से सीखने को प्रेरित करने के संस्थान के अकादमिक आधार को और मजबूत बनाया है। रचनात्मक विचारकों की एक नई पीढ़ी का पोषण करने वाला संस्थान, स्नातक, स्नात्कोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है। विश्वस्तरीय सीखने की प्रक्रियाओं के विचार को प्रस्तुत करते हुए इस संस्थान ने अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ रणनीतिक भागीदारी की है।

निफ्ट फैशन शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति कटिबद्ध है। संस्थान का दृष्टि-पत्र चुनौतियों को स्वीकार करता है और उच्चतम शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने पर बल देता है। निफ्ट सर्वोत्तम शैक्षणिक मानकों को हासिल करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

विगत वर्षों में डिजाइन की भूमिका और संभावनाएं, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में कई गुणा विस्तार हुआ है। निफ्ट में हमने निरन्तर उद्योग से आगे बने रहने और भारत में फैशन परिदृश्य को दिशा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्तमान और भावी मांगों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। निफ्ट उन्नत रचनात्मक क्षमता, अंतरविधा लचीलेपन के साथ एक नए पुनर्गठित पाठ्यक्रम को संचालित कर रहा है जो यह सुनिश्चित करता है कि यह संस्थान एक प्रेरक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो छात्रों को सीखने और विकसित होने को अनुमेय करता है।

निफ्ट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कूलों और विदेशी फैशन स्कूलों के साथ 30 एमओयू के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं। जारी वैश्विक महामारी के दौरान, संस्थान ने शिक्षण और अधिगम के नए तरीकों को अपनाया है, जिससे इन कठिन समय में भी छात्रों के लिए सर्वोत्तम सुनिश्चित किया जा सके। कैंपस ने ऑनलाइन शिक्षण मोड में अपने को ढाल लिया है और संकाय सदस्यों ने उत्कृष्ट प्रयासों का प्रदर्शन किया है ताकि छात्र अपने घरों से भी अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करे सकें। निफ्ट शैक्षणिक पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप, उद्योग दौरे, आउटबाउंड कार्यक्रमों के साथ-साथ वास्तविक जीवन की परियोजनाएं, संगोष्ठियों और चर्चाओं को समाहित करता हैं जो छात्रों को उद्योग के कार्यकरण को देखने और समझने के अवसर प्रदान करते हैं।

स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाला बैच 2021

वर्ष 2021 में स्नावतक हो रहे विद्यार्थियों का विवरण : परिसर-वार तथा कार्यक्रम-वार																	
अकादमिक कार्यक्रम	बेंगलुरू	भोपाल	भुवनेश्वर	चेन्नई	गांधीनगर	हैदराबाद	जोधपुर	कांगड़ा	कोलकाता	कन्नूर	मुंबई	नई दिल्ली	पटना	रायबरेली	शिलांग	श्रीनगर	कुल
बैचलर ऑफ डिजाइन (एसेसरी डिजाइन)	34	33	32	32	32	30	32	25	27		34	33	31	26	29		430
बैचलर ऑफ डिजाइन (फैशन कम्यूनिकेशन)	40		32	30	36	36	29	31	33	34	47	31	31	29		17	456
बैचलर ऑफ डिजाइन (फैशन डिजाइन)	45		34	40	60	34	32	30	37	30	62	30	36	42	34	17	563
बैचलर ऑफ डिजाइन (निटवियर डिजाइन)	32			28		29			28	29	37	28					211
बैचलर ऑफ डिजाइन (लैदर डिजाइन)				27					26			35		22			110
बैचलर ऑफ डिजाइन (टेक्सटाइल डिजाइन)	27	32	31	29	32	33	33	30	28	28	33	32	36				404
बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (अपैरल प्रोडक्शन)	30		28	30	26	30	27	26	28	26	31	31	36				349
मास्टर ऑफ डिजाइन	34									34	30	35					133
मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट	41	32	27	36	37	41	35		34	30	42	41	30	26	21		473
मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी	23			18	16							28					85
कुल	**306**	**97**	**184**	**270**	**239**	**233**	**188**	**142**	**241**	**211**	**316**	**324**	**200**	**145**	**84**	**34**	**3214**

प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है। वर्ष 2021 में अलग-अलग परिसरों ने अपने दीक्षांत समारोह आयोजित किए।

वर्ष 2021 में कुल 3214 स्नातकों को उपाधियां प्रदान की गईं। वर्ष 2021 में निफ्ट से स्नातक करने वाले छात्रों का परिसर-वार तथा कार्यक्रम-वार विवरण तालिका में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, निफ्ट दिल्ली कैंपस में आयोजित दीक्षांत समारोह 2021 में 2 छात्रों को माननीय वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधियां प्रदान की गई।

निफ्ट द्वारा शुरू की गई परामर्शी परियोजनाएं

निफ्ट विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्शी परियोजनाएं चलाता है। ये परियोजनाएं छात्रों को संकाय और अनुभवात्मक शिक्षा से अवगत कराती हैं। यह तकनीकी कौशल को उन्नत करके विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित करता है और डिजाइन मूल्य जोड़ता है। निफ्ट द्वारा शुरू की गई 50 लाख रुपये से अधिक के मूल्य वाली कुछ प्रमुख परामर्शी परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया हैं:

- राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी (एनसीएम और एचकेए) में संग्रहालय कलाकृतियों के डिजिटल अभिलेखागार के लिए एनसीएम और एचकेए, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सीएसआर वित्त-पोषण के अंतर्गत सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से जारी किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य संग्रहालय संकलनों (लगभग 30,000 शिल्प/कलाकृतियों) को डिजिटलीकृत और प्रलेखित करना और एक एकीकृत वेब समर्थित डाटाबेस बनाना और विभिन्न हितधारकों के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर एनसीएम और एचकेए की वैश्विक पहुंच (संग्रहों को डिजिटल रूप से संग्रह करने के लिए) का विस्तार करने के लिए संग्रहालय वस्तुओं के इंटरफेस का विकास करना है। परियोजना का मूल्य 9.36 करोड़ है।

- दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, जयपुर, कांचीपुरम, भुवनेश्वर और वाराणसी में 08 डब्ल्यूएससी में डिजाइन संसाधन केंद्रों की सफलतापूर्वक स्थापना के परिणामस्वरूप, 10 बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) यथा बेंगलुरु, भागलपुर, इम्फाल, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, कन्नूर, कोलकाता, मेरठ, नागपुर और पानीपत में डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना' के लिए एक परियोजना को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह क्षेत्रीय विशिष्टता के साथ विजुअल पहचान को बनाने और प्रत्येक डब्ल्यूएससी के वस्त्र घटनाक्रमों को दर्शाने तथा प्रत्येक डब्ल्यूएससी के लिए एक वार्षिक क्रियाकलाप कैलेंडर बनाकर डब्ल्यूएससी को विजुअल व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा। परियोजना का मूल्य 9.44 करोड़ रुपए है।

- राजीव गांधी भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में सरस गैलरी स्टोर का डिजाइन और नवीनीकरण जिसमें खुदरा क्षेत्र आयोजना/डिजाइन विन्यास और उत्पाद श्रेणी के अनुसार डिस्प्ले प्रॉप्सइन्सिग्निया डिस्प्ले प्रणाली विकसित करना शामिल है। परियोजना का मूल्य 1.43 करोड़ है।

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा स्वीकृत निफ्ट में 'खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना, 'हब और स्पोक मॉडल' पर खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत ऊंचे तबके के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए एक नया खादी उत्पाद विकसित करने की योजना और खादी ब्रांड को मजबूत करने के लिए बनाने के लिए की जाएगी। खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र , पांच निफ्ट परिसरों अर्थात निफ्ट दिल्ली, निफ्ट कोलकाता, निफ्ट गांधीनगर, निफ्ट शिलॉन्ग और निफ्ट बेंगलुरु में हब और स्पोक मॉडल में स्थापित किए जाएंगे। गतिविधियों के क्षेत्र में खादी के लिए वैश्विक मानकों की बेंचमार्क डिज़ाइन प्रक्रियाएँ तैयार करना, नए फैब्रिक और उत्पादों का निर्माण करना, फैब्रिक के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले मानकों का प्रसार करना और खादी की विजुअल मर्चेंडाइजिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रचार आदि शामिल होंगे। परियोजना का मूल्य 20 करोड़ रूपए है।

- भारत के वस्त्र उत्पादन के हब कोयंबटूर में वस्त्र में उन्नत अनुसंधान के लिए एक केंद्र की स्थापना, वस्त्र और परिधान क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी के समर्थन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र को स्थापित करना। केंद्र का उद्देश्य मौलिक अनुसंधान, उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समर्थन करना है, ताकि आउटरीच, आर्थिक विकास, सहभागिता और विस्तार की सुविधा के लिए, अनुसंधान और शिक्षण के साथ मिलकर और मौलिक अनुसंधान, उत्पाद विकास, परीक्षण और निर्माण सेवाओं के माध्यम से उद्योग, सरकार और भागीदारों के साथ कार्य करना है।।
- "शिल्प आधारित उद्यमों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म" विकसित करने की एक परियोजना, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा अनुमोदित की गई है। परियोजना शिल्प की ब्रिकी के लिए एक डिजिटल

प्लेटफॉर्म का निर्माण, स्थायी शिल्प-आधारित उद्यम बनाना, डिजिटल ज्ञान के अंतरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, रोजगार सृजन और बड़े बाजारों के साथ जुड़ाव और शिल्प क्षेत्र में उद्यमिता विकसित करने के माध्यम से शिल्प क्षेत्र के लिए उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगी। परियोजना का मूल्य 2.44 करोड़ रूपए है।

- नवाचार और उद्यमशीलता को सुकर बनाने के लिए एक ''निफ्ट डिज़ाइन इनोवेशन इन्क्यूबेटर'' (डीआईआई) की स्थापना और निम्नलिखित क्षेत्रों में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निफ्ट, मुम्बई, नई दिल्ली और चेन्नई कैंपसों में इन्क्यूबेशन सुविधाएं (क्षेत्रीय इन्क्यूबेटर्स) स्थापित करने को सुकर बनाना :

1. परिधान, घर और स्थान के लिए वस्त्र (दिल्ली)
2. स्मार्ट पहनने योग्य वस्त्र (मुंबई)
3. फैशन और लाइफस्टाइल एक्सेसरीज (मुंबई)
4. एथलीजर और एक्टिव वियर सहित परिधान (चेन्नई)

परियोजना का मूल्य 17.532 करोड़ रूपए है।

- ''विजननेक्स्ट-प्रवृत्ति अंतर्दृष्टि और पूर्वानुमान प्रयोगशाला'' परियोजना को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमता समर्थित देशीय फैशन पूर्वानुमान सेवा बनाने के लिए स्वीकृत किया गया है जो हमारे देश के लिए मौसमी फैशन प्रवृत्तियों को डिजाइन करने का प्रयास करती है। प्रवृत्ति पूर्वानुमान सेवा को हमारे राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा। परियोजना का मूल्य 20.41 करोड़ रूपए है।

- ''द रिपोजिट्री-भारतीय वस्त्र और शिल्प'', वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा वित्त पोषण सहायता के साथ निफ्ट क्लस्टर पहल के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। यह परियोजना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म/पोर्टल, वस्त्र और परिधानों का एक आभासी संग्रहालय मुहैया करवाती है, जिसमें डिजाइनर अभिलेखागार, शिल्पकारों, उनके समुदायों, उनकी कार्य प्रक्रियाओं और उत्पादों पर व्यक्तिगत जानकारी, मामला अध्ययन और शिल्प तथा वस्त्र के क्षेत्रों में अनुसंधान- निफ्ट, शिल्प संग्रहालय, बुनकर सेवा केंद्र और निजी संकलनों से शामिल होते है। परियोजना का मूल्य 15.57 करोड़ रूपए है।

- ''इंडियासाइज'' परियोजना पहनने के लिए तैयार वस्त्रों की बेहतर फिटिंग के लिए भारतीय आबादी के शरीर माप के आधार पर आकार चार्ट विकसित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुसंधान और विकास योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना है। परियोजना का मूल्य 31 करोड़ रूपए है।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की डिजाइन हस्तक्षेप, उत्पाद रेंज विकास, पैकेजिंग/प्रदर्शनी, फैशन शो और मीडिया के माध्यम से प्रचार, ई-मार्केटिंग पोर्टल्स के साथ संयोजन, ब्रांड निर्माण के लिए विकास हेतु पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन (उस्ताद) योजना के अंतर्गत निफ्ट एक ज्ञान भागीदार है। परियोजना का मूल्य 15.09 करोड़ रूपए है।

- निफ्ट, उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (आईआईडीसी), ग्वालियर में योजना के अंतर्गत परिधान विनिर्माण में एक इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना के लिए एक ज्ञान भागीदार है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के परिधान विनिर्माण में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित करने का एक पायलट चरण शामिल है।

- निफ्ट को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत परियोजना के लिए आधारभूत सर्वेक्षण, नैदानिक अध्ययन, डीपीआर तैयार करना, कार्यान्वयन में सहायता और परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए भागलपुर मेगा हैंडलूम क्लस्टर के एकीकृत और समग्र विकास हेतु क्लस्टर प्रबंधन और तकनीकी एजेंसी के रूप में नियोजित किया गया है।

सतत शिक्षा कार्यक्रम

वस्त्र क्षेत्र में विकास की तीव्र गति के साथ उद्योग में इच्छुक और कार्यरत पेशेवरों की सतत शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उद्योग की जनशक्ति प्रशिक्षण और ज्ञान उन्नयन आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) प्रारंभ किया गया है। सीईपी के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रम पेशेवरों और आकांक्षियों की निरंतर शैक्षिक आवश्यकताओं के व्यापक क्षितिज को पूरा कर रहे हैं, और हम उचित रूप से इस तथ्य पर गर्व करते हैं कि यह देश के भीतर परिधान क्षेत्र के लिए पसंदीदा सतत शिक्षा केंद्र में से एक है।

निफ्ट द्वारा पेशकश किया जाने वाला सीईपी परिधान उद्योग के डिजाइन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में सीमाओं से संबंधित प्रशिक्षण और ज्ञान के प्रसार के उद्देश्यों को बढ़ावा देना जारी रखता है। वर्ष 2021-2022 के दौरान, निफ्ट परिसरों में कुल 68 सतत शिक्षा कार्यक्रमों की घोषणा की गई, जिनमें 39- एक वर्ष के पाठ्यक्रम, 18-6 महीने के पाठ्यक्रम और 6 महीने से कम अवधि के 11 पाठ्यक्रम शामिल हैं।

सतत शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश के अलावा, निफ्ट डिप्लोमा कार्यक्रम भी मुहैया कराता है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और अन्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए परिसरों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाना है। डिप्लोमा कार्यक्रमों का उद्देश्य उस राज्य के स्थानीय छात्रों को मूल्य वर्धित कार्यक्रमों की पेशकश करना है जहां नए निफ्ट परिसर स्थित हैं। संशोधित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार और वर्तमान उद्योग की जरूरतों पर ध्यान देने के साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में संशोधन शुरू किया गया है। नए प्रारूप में डिप्लोमा कार्यक्रमों को 2021-22 शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। 4 परिसरों में प्रवेश के लिए 15 ऐसे डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

सतत शिक्षा और डिप्लोमा कार्यक्रम के साथ, ब्रिज कार्यक्रम को वर्ष 2009 में एक पूरक कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया था ताकि पूर्व निफ्ट स्नातकों को अपने डिप्लोमा का डिग्री में उन्नयन करने को अनुमेय बनाया जा सके। प्रारंभ में 2009-2014 के मध्य 5 वर्षों के लिए इसकी पेशकश की गई थी, इसे पूर्व छात्रों की मांग के आधार पर 2016 तक बढ़ा दिया गया था। वर्ष 2019 में विश्व स्तर पर फैले हुए पूर्व छात्रों के व्यापक आधार को पूरा करने के लिए ऑनलाइन ब्रिज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

वर्ष 2021 के लिए ब्रिज कार्यक्रम की घोषणा की गई है और कुल 35 सदस्यों को पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, जिसमें 22 स्नातक ब्रिज कार्यक्रम (एफडी और एडी) में दो सेमेस्टर के लिए और 13 स्नातकोत्तर ब्रिज कार्यक्रम (एलडी, केडी, टीडी, एफसी, जीएमटी और एएमएम) में एक सेमेस्टर के लिए है।

उद्योग और एलुम्नी मामले – कैंपस प्लेजसमेंट

उद्योग और पूर्व छात्र मामलों की इकाई निफ्ट के स्नातक छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करती है ताकि वे चुनौतीपूर्ण पदों पर अपना करियर शुरू कर सकें। निफ्ट पेशेवरों की भर्ती के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां नियोजन प्रक्रिया में भाग लेती हैं।

प्लेसमेंट में भाग लेने वाली कंपनियों की प्रोफाइल बड़े खुदरा विक्रेताओं, ब्रांड विपणक, विनिर्माताओं, परामर्श संगठनों, ई-खुदरा विक्रेताओं, वस्त्र मिलों, होम फर्निशिंग कंपनियों, डिजाइन और ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों और स्टार्ट-अप फर्मों जैसे उद्योग के विविध क्षेत्रों के साथ काफी विस्तारित हुई है। स्नातक छात्र अक्सर उन संस्थानों में कार्य करते हैं जहां उन्होंने इंटर्नशिप या जिनके लिए उन्होंने स्नातक परियोजनाएं की थीं। प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां निफ्ट पेशेवरों को भर्ती करने के लिए प्रयास करती हैं।

निफ्ट ने जारी कोविड-19 महामारी के मध्य 2020 की कक्षा के लिए ऑनलाइन कैंपस प्लेसमेंट और 2021 की कक्षा के लिए हाइब्रिड मोड में प्लेसमेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया। उद्योग और पूर्व छात्र मामलों की इकाई ने 2020 की कक्षा के वर्चुअल नियोजन को सुकर बनाने के लिए संभावित कंपनियों और नियोक्ताओं के साथ निरंतर संपर्क के माध्यम से उन कंपनियों से रोजगार के कई अवसर उत्पन्न किए, जिन्हें 2020 की कक्षा के स्नातकों को दिया गया था। 2020 की कक्षा को विशेष रूप से वैश्विक महामारी की स्थिति के दौरान समान अवसर प्रदान करने के लिए मई 2021 के अंत तक ऑनलाइन प्लेससमेंट की सुविधा प्रदान की गई थी।

उद्योग और पूर्व छात्रों के कनेक्ट डेटाबेस को कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभावों के कारण पुनर्जीवित किया गया था, क्योंकि इस महामारी के परिणामस्वरूप उद्योगों में छंटनी होने के चलते उद्योग कनेक्ट की प्रासंगिकता सुनिश्चित करना आवश्यक हुआ था। विभिन्न स्टार्ट-अप से जुड़ना और वैश्विक महत्व के अन्य संस्थानों और साझेदार संस्थानों से जुड़कर इनक्यूबेटरों की पहचान करने को प्राथमिकता दी गई क्योंकि निफ्ट लगातार उद्यमिता को बढ़ावा देता है और अपने स्नातकों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। विघटनकारी प्रौद्योगिकियों सहित नए और उभरते क्षेत्रों में निफ्ट के अकादमिक बल ने निफ्ट में उद्योग की बढ़ती रुचि में योगदान दिया है।

उद्योग चर्चाएं :

निम्नलिखित वेबिनार, डीन (अकादमिक), निफ्ट की अध्यक्षता में और आईएण्डएए प्रमुख की मेजबानी में आयोजित किए गए :

1. 9 अगस्त 2020 को 'इंडस्ट्री एकेडमिक एंगेजमेंट फॉर एनविजनिंग द न्यू नॉर्मल'

क. श्री के.एस. सनल कुमार - सीएमडी, क्लासिक फैशन अपैरल इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी, जॉर्डन
ख. श्री सरबजीतो घोष, ईडी (एशिया) - सीआईईएल टेक्सटाइल लिमिटेड और एमडी - लगुना क्लोदिंग
ग. श्री गौतम मुखर्जी, कार्यकारी निदेशक - हमीम ग्रुप, बांग्लादेश
घ. श्री राकेश रंजन , बिजनेस प्रोसेस मैनेजर (ग्लोबल सोर्सिंग) - एच एंड एम, हांगकांग

2. 13 सितंबर 2020 को 'फैशन में सस्टेनेबिलिटी'
क. श्री अभिषेक बंसल, प्रमुख - सस्टेनेबिलिटी, अरविंद ग्रुप, इंडिया ।
ख. सुश्री अनुप्रीत भुई, वरिष्ठ कमीशनिंग प्रबंधक, डब्ल्यूजीएसएन, हांगकांग।
ग. श्री निधि राज, उत्पाद निदेशक, एबीएफआरएल, भारत।
घ. श्री राकेश कुमार सिंह, प्रमुख-मर्केंडाइजिंग एंड ऑपरेशंस, ब्लू इंक, लंदन।

3. 11 अक्टूबर 2020 को ' भारत का पहला फैशन इकोसिस्टम - आत्मानिर्भर '
क. श्री नरेंद्र कुमार अहमद, क्रिएटिव हेड, अमेजन
ख. श्री वेंकी नागन, ग्रुप सीईओ, अस्मारा इंटरनेशनल
ग. श्री गौरव अरोड़ा, निदेशक, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस
घ. श्री अभिषेक जायसवाल, एमडी, अफियन इंटरनेशनल
4. 8 नवंबर 2020 को 'वस्त्र, शिल्प, वस्त्र, वाणिज्य और बहुत कुछ'
क. श्री संजय गर्ग, फाउंडर, रॉ मैंगो
ख. श्री डेविड अब्राहम, डिजाइनर, अब्राहम एण्ड ठाकोर
ग. सुश्री जया जेटली, शिल्प विशेषज्ञ और लेखक
घ. श्री पल्लब बनर्जी, समूह अध्यक्ष, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्नातक और पूर्व छात्रों संवाद:

"निफ्ट वी केयर", वरिष्ठ पूर्व छात्रों की एक टीम ने ऑनलाइन परामर्श सत्र "लेट्स चैट" की एक श्रृंखला के माध्यम से 2020 की कक्षा और 2021 की कक्षा के साथ चर्चा की। ये ऑनलाइन सत्र प्रत्येक शनिवार को शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच आयोजित किए जाते थे। वरिष्ठ पूर्व छात्रों ने निफ्ट के युवा स्नातकों के साथ बेहतर और निरंतर व्यक्तिगत संबंध के माध्यम से छात्रों का कौशल उन्नयन, उद्योग की तैयारी, करियर आयोजना, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, डिजाइन, इंटर्नशिप आदि में मार्गदर्शन किया। अगस्त-दिसंबर 2020 के दौरान ऐसे ग्यारह मॉडरेट मेंटरिंग सत्र आयोजित किए गए।

अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज

निफ्ट की अकादमिक रणनीति अंतरराष्ट्रीयता को अपनाती है। पिछले कई वर्षों में, निफ्ट ने सचेत रूप से अपनी अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता और समूचे विश्व में अन्य प्रतिष्ठित फैशन संस्थानों के मध्य अपनी ख्याति में वृद्धि की है। निफ्ट के 30 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय फैशन संस्थानों और संगठनों के साथ रणनीतिक समझौते और साझेदारी हैं जो समान शैक्षणिक दिशा साझा करते हैं। एक तरफ यह निफ्ट छात्रों को सहयोगी संस्थानों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम का अवसर देकर फैशन की वैश्विक मुख्य धारा के साथ एकीकृत होने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है और दूसरी तरफ, अंतराष्ट्रीय छात्रों को निफ्ट में इसी प्रकार के कई 'विदेश में अध्ययन' के विकल्प मुहैया करवाता है। यह निफ्ट और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के साथ संवाद करने, उनके दृष्टिकोण को विकसित करने तथा विविध संस्कृतियों को समझने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को इस तरह के 'विदेश में अध्ययन' के अवसर सभी 17 निफ्ट परिसरों में और कई पाठ्यक्रम विधाओं में उपलब्ध है।

छात्र आदान-प्रदान क्रियाकलापों के अतिरिक्त, आई एण्ड डीएल ऐसी प्रक्रियाओं को सुकर बनाता है जिससे संकाय सदस्य शैक्षिणक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और व्यापार शो में भाग लेते है जिससे कक्षा में पर्याप्त अनुभव प्राप्त होता है और निफ्ट का ज्ञान पूल समृद्ध होता है।

निफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

क्रम सं.	देश/क्षेत्र	विश्वविद्यालय का नाम
1	ऑस्ट्रेलिया	क्वींसलैंड **टेक्नोलॉजी** यूनिवर्सिटी (क्यूयूटी)
2		रॉयल मेलबर्न **टेक्नोलॉजी** इंस्टिट्यूट (आरएमआईटी)
3	बांग्लादेश	बीजीएमईए यूनिवर्सिटी ऑफ फैशन एण्ड **टेक्नोलॉजी** (बीयूएफटी)
4	चीन	डोंगहुआ यूनिवर्सिटी
5	डेनमार्क	केईए- कोपेनहेगन स्कूल ऑफ डिजाइन एंड **टेक्नोलॉजी**
6	फ्रांस	इकोले डुपेरे
7		इकोले नेशनल सुपेरेयूएर डेस आर्टस एट इन्डस्ट्रीज टेक्सटाइल्स (ईएनएसएआईटी)
8		एनामोमा (पीएसएल)
9	जर्मनी	ईएसएमओडी
10	इजराइल	शेनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन एण्ड आर्ट

11	इटली	आईईडी इस्टीटुटोयूरोपियो डि डिजाइन
12		नुओवा एकेडेमिया दी बेले आरटी (नाबा)
13		पॉलिटेक्नि को डी मिलानो (पीडीएम)
14	जापान	बंका गाकुएन यूनिवर्सिटी
15	मॉरीशस	फैशन और डिजाइन इंस्टीट्यूट (एफडीआई)
16	नीदरलैंड	एम्स्टर्डम फैशन इंस्टीट्यूट (एएमएफआई)
17		रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स (केएबीके)
18		सैक्सियन यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज
19	न्यूजीलैंड	मैसी यूनिवर्सिटी
20	स्विट्ज़रलैंड	शेवेजेरेशच टेक्सटिफाशचुले एसटीएफ
21	यूके	डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी (डीएमयू)
22		ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्टस (जीएसए)
23		मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी (एमएमयू)
24		नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी
25		यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्प्टन
26	अमेरीका	ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी,
27		बफ़ेलो स्टेट, द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यूयॉर्क, यूएसए
28		फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एफआईटी), स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क
29		नार्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी
30		सवाना कॉलेज ऑफ़ आर्ट एंड डिज़ाइन
31	क्यूम्यलस, विश्वविद्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय संघ और कला, डिजाइन और मीडिया के कॉलेज की वार्षिक सदस्यता	
32	इंटरनेशनल फ़ाउंडेशन ऑफ़ फ़ैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स (आईएफएफटीआई), अंतर्राष्ट्रीय फ़ैशन और वस्त्र संस्थानों का एक वैश्विक नेटवर्क की वार्षिक सदस्यता	

पिछले कुछ वर्षों में, निफ्ट ने कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे मैसी यूनिवर्सिटी (न्यूजीलैंड), एनामोमा (फ्रांस), कोवेंट्री यूनिवर्सिटी (यूके), रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स (केएबीके - नीदरलैंड्स) और ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए के साथ साझेदारी की है।

सहभागी संस्थानों से और उनके साथ छात्रों का आदान-प्रदान

आई एंड डीएल यूनिट द्वारा संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक छात्रों का आदान-प्रदान है। सहभागी संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ छात्रों का आदान-प्रदान या तो एक सेमेस्टर के लिए होता है या 2-3 सप्ताह के लिए ग्रीष्मकाल में एक अल्पकालिक कार्यक्रम के रूप में या एक वर्ष के दोहरे डिग्री कार्यक्रम के रूप में होता है। संस्थान अंतरराष्ट्रीय छात्रों को निफ्ट की ओर आकर्षित करता है और विदेशी छात्रों को अकादमिक और सांस्कृतिक समृद्धि में अनुभव प्रदान करता है। आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से, विदेशी संस्थानों के छात्र न केवल भारतीय संस्कृति, कला और शिल्प में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं बल्कि भारतीय बाजार और इसकी गतिशीलता की समझ भी विकसित करते हैं। इसलिए, आई एंड डीएल आने वाले विदेशी छात्रों और बाहर जाने वाले निफ्ट छात्रों दोनों के लिए आदान-प्रदान क्रियाकलापों को समर्थन करता है। हाल ही में निफ्ट को इकोले नेशनल सुपीरियरे डेस आर्टस एट इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल्स (एनसेट), फ्रांस, पॉलिटेक्नि को डी मिलानो (पीडीएम) और केईए-कोपेनहेगन स्कूल ऑफ़ डिज़ाइन एंड **टेक्नोलॉजी**, डेनमार्क से जनवरी-जून 2022 के लिए सेमेस्टर आदान-प्रदान के लिए पुष्टि प्राप्त हुई है ।

दोहरी डिग्री : फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ **टेक्नोलॉजी** (एफआईटी), न्यूयॉर्क, यूएसए के साथ निफ्ट की रणनीतिक साझेदारी निफ्ट और एफआईटी दोनों से दोहरी डिग्री प्राप्त करने के लिए एक अद्वितीय अवसर हेतु निफ्ट से मेधावी छात्रों के चयन को अनुमेय बनाता है। निफ्ट के छात्र गृह संस्थान में दो साल का अध्ययन करने के पश्चात बीच में एफआईटी में एक वर्ष का अध्ययन करते हैं, जिसके बाद वे निफ्ट में अपना अंतिम वर्ष पूरा करते हैं। निफ्ट और एफआईटी द्वारा 19 छात्रों को अगस्त 2020 से जून 2021 तक दोहरी डिग्री के लिए चुना गया था, लेकिन वे वैश्विक महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्रा नहीं कर सके थे। अगस्त 2021 से जून 2022 तक दोहरी डिग्री के भाग के रूप में एक वर्षीय एएएस कार्यक्रम के लिए एफआईटी, यूएसए द्वारा 57 छात्रों का चयन किया गया है।

2021-2022 में सेमेस्टर, ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम और दोहरी डिग्री के लिए छात्र आदान-प्रदान का विवरण:

क्रियाकलाप	समयावधि	जाने वाले/ आने वाले छात्र	आदान-प्रदान अवसर का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या
सहभागी संस्थान /विश्वविद्यालय के साथ सेमेस्टर आदान-प्रदान कार्यक्रम	जनवरी - जून 2021	बाहर जाने आने वाले विदेशी छात्र	एनसेट, फ्रांस - 15 पीडीएम, इटली - 02 केईए, डेनमार्क - 04
		आने वाले विदेशी छात्र	* शून्य (महामारी के कारण निफ्ट में कोई अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध नहीं कराया गया)
एफआइटी, न्यूयॉर्क में दोहरी डिग्री का अवसर	अगस्त 2020 से जुलाई 2021 तक एफआईटी में दोहरी डिग्री		* शून्य (19 छात्र जिन्हें निफ्ट और एफआईटी द्वारा दोहरी डिग्री के लिए चुना गया था, लेकिन वैश्विक महामारी की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध के कारण कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सका।
	अगस्त 2021 से जुलाई 2022 तक एफआईटी में दोहरी डिग्री		57 निफ्ट छात्र वर्तमान में एफआईटी, अमेरीका में दोहरी डिग्री के भाग के रूप में एक वर्ष का एएएस कार्यक्रम में अध्ययनरत हैं।

एनसेट : द इकोल नेशनल सुपीरियर डेस आर्ट्स एट इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल, फ्रांस
केईए: कोपेनहेगन स्कूल ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, डेनमार्क
एफआइटी : फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क, यूएस
पीडीएम: पॉलिटेक्निको डि मिलानो (पीडीएम), इटली

निफ्ट छात्रों के लिए आयोजित विशेषज्ञ सत्र :

डॉ. दीपक पंघाल, नोडल अधिकारी एलिस पायने, एसोसिएट प्रोफेसर, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ **टेक्नोलॉजी** (क्यूयूटी), ऑस्ट्रेलिया द्वारा "डिजाइनिंग फैशन फ्यूचर: प्रेजेंट प्रैक्टिस एंड टैक्टिक्स फॉर सस्टेनेबल चेंज" पर 12 मार्च 2021 को निफ्ट, श्रीनगर के छात्रों के लिए एक विशेषज्ञ सत्र आयोजित किया गया था।

फैशन संचार में एक विशेषज्ञ सत्र का आयोजन प्रमुख, आई एंड डीएल द्वारा अध्यक्ष, फैशन संचार के परामर्श से सभी परिसरों के एफसी छात्रों के लिए सवाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन (एससीएडी), यूएसए के एक प्रोफेसर द्वारा अनंतिम रूप से नवंबर 2021 रूप से आयोजित किया जाएगा।

वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ आयोजित आई एंड डीएल यूनिट के सदस्यों की बैठक :

- 27 जुलाई 2021 को फ्रांसीसी व्यापार आयोग के साथ बैठक।
- एमओयू नवीनीकरण के निबंधनों और शर्तों से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए यूनिट प्रभारी, आई एंड डीएल, नोडल अधिकारी, आईईडी ने आईईडी, इटली के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। बैठक 15 जुलाई 2021 को आयोजित की गई थी
- प्रमुख आई एण्ड डीएल और यूनिट प्रभारी, आई एंड डीएल ने 6 जुलाई 2021 को एनसीएसयू के साथ एक बैठक में भाग लिया।
- यूनिट प्रभारी, आई एंड डीएल ने 25 जून 2021 को एस्केनाज़ी स्कूल ऑफ़ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, इंडियाना विश्वविद्यालय के साथ एक बैठक में भाग लिया।
- प्रमुख आई एण्ड डीएल और यूनिट प्रभारी, आई एंड डीएल ने श्री गुस्ताव किबे, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, और प्रोफेसर जेनी बाल्को, वरिष्ठ लेक्चरर, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, स्वीडिश स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ 24 जून 2021 को निफ्ट के साथ स्वीडिश स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स के अकादमिक गठबंधन के सहयोग की संभावना को देखने के लिए एक बैठक में भाग लिया।

संदर्भित अवधि के दौरान कैंपस समन्वयक, आई एंड डीएल, नोडल अधिकारी की प्रमुख, आई एंड डीएल और यूनिट प्रभारी, आई एंड डीएल के साथ नियमित ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गईं ताकि उन्हें सेमेस्टर आदान-प्रदान के दौरान पालन की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में परिचित कराया जा सके

और उन्हें निफ्ट के विभिन्न सहयोग समझौतों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों के बारे में अद्यतन जानकारी दी जा सके। :

- 13 अक्टूबर 2021 को सीआईडीएल और एनएसएआईटी नोडल अधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई।
- 23 अगस्त 2021 को नव नियुक्त नोडल अधिकारी (जैसे ओएसयू, यूएसए, पीडीएम, इटली आदि) के साथ बैठक आयोजित की गई।
- 27 अगस्त 2021 को नोडल अधिकारी, एफआईटी के साथ एमओयू के नवीनीकरण पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई।
- निवर्तमान निफ्ट छात्रों के साथ एफआईटी और कैंपस समन्वयक, आई एंड डीएल के साथ बैठक 15 अगस्त 2021 को अगस्त 2021-जून 2022 में एफआईटी छात्रों द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान एफआईटी में दोहरी डिग्री के दौरान पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई।
- सभी अंतरराष्ट्रीय सहयोग समझौतों की स्थिति पर अद्यतन जानकारी के लिए सभी नोडल अधिकारियों के साथ 13 जुलाई 2021 को बैठक आयोजित की गई।
- 6 जुलाई 2021 को एमओयू के नवीनीकरण पर चर्चा के लिए नोडल अधिकारी, केईए के साथ बैठक आयोजित की गई।

संकाय सदस्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण और विकास

निफ्ट में एफओटीडी यूनिट, यह सुनिश्चित करने के लिए संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुकर बनाती है कि सभी निफ्ट परिसर आत्मनिर्भर रहें और बाहरी संकाय संसाधनों पर उनकी निर्भरता कम से कम हो। इस वर्ष, महामारी के कारण, अधिकांश प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड में आयोजित किए गए थे।

ऑनलाइन संकाय सदस्य प्रशिक्षण : जून 2021 से निफ्ट ने सभी परिसरों में संकाय सदस्यों के लिए 26 ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए । ऑनलाइन प्रशिक्षण के मुख्य आकर्षण में सामग्री प्रदाय की उच्च गुणवत्ता को सुकर बनाने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों को आमंत्रित करना शामिल था। फैशन डिजाइन और इलस्ट्रेशन, स्पोर्ट्सवियर, स्मार्ट टेक्सटाइल्स, डिजाइनर्स लैंडस्केप ऑफ सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, लग्जरी एंड कॉउचर, न्यू एज लेदर अल्टरनेट्स, बैग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन तकनीक, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, खुदरा संचालन और फर्श कवरिंग जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे।

विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे विश्व भारती पश्चिम बंगाल, एमएनआईटी जयपुर, यूपी टेक्सटाइल **टेक्नोलॉजी** इंस्टीट्यूट कानपुर, आईआईआईटीडीएम जबलपुर, आईआईटी मुंबई, एफडीडीआई नोएडा, आईआईटी हैदराबाद और आईआईसीडी जयपुर से इन प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षक नियोजित किए गए थे। यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, एशियन पेंट्स, यूएस-पोलो, एन्हांस हॉस्पिटैलिटी, अरविंद फैशन, ओबेटी टेक्सटाइल्स, पैरागॉन अपैरल, हेक्साग्राम डिजाइन, क्राफ्ट रिवाइवल ट्रस्ट, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ - इंडिया, यूनीक्यून.एआई, क्योरफिट, अर्न्स्ट एंड यंग, फ्यूचर ग्रुप, बिस्वा बांग्ला कोलकाता, एडोब, अमेजन यूएसए, मिन्त्रा, हैवल्स, के.एस.निट फैब्स, जीमेत्री एक्सआर प्लेटफॉर्म, स्टूडियो नॉन सेक्विटूर, मेटलवेयर कॉर्पोरेशन नोएडा, विलहेम टेक्सटाइल्स चेन्नई, स्काइकॉर्प ग्रुप कोलकाता, विहिन एंटरप्राइज चेन्नई, सीएलई नार्थ नई दिल्ली राइजोम अहमदाबाद और जतन संस्थान राजस्थान के उद्योग विशेषज्ञ भी इन प्रशिक्षणों में शामिल थे।

स्मार्ट मैकेनिज्म, यूएक्स (यूजर एक्सपीरियंस), यूआई (यूजर इंटरफेस), वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए प्रख्यात युवा हस्तियों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया गया। फैशन अनुसंधान अभिवृति को सुदृढ़ करने के लिए फैशन में अनुसंधान दृष्टिकोण नामक एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था जिसमें मैनचेस्टर फैशन इंस्टीट्यूट मिलान, कॉलेज ऑफ लेटर्स एंड साइंसेज नेशनल यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क, कला विभाग + डिजाइन टेक्सास यूएसए सहित प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ शामिल हुए थे।

स्थानों की समझ, ज्यामिति और डिजाइन में इसकी कार्यान्वित भूमिका, रचनात्मक सोच कौशल के प्रभावी तरीकों के क्षेत्रों में प्रशिक्षण, व्यापार क्षेत्र में इतिहासकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वास्तुकारों और नवाचारियों द्वारा सत्र शामिल हैं। निफ्ट के वरिष्ठ संकाय सदस्य और डोमेन विशेषज्ञों ने ऑनलाइन शिक्षण के तौर-तरीकों और अध्यापन पर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सहयोग किया। कुछ संकाय सदस्यों ने लोकप्रिय पोर्टल जैसे कोर्सएरा आदि द्वारा पेश किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को अपनाकर अपने कौशल का उन्नयन भी किया।

सभी परिसरों में लगभग 500 संकाय सदस्य विशेषज्ञों से अधिगम का लाभ लेने में सक्षम हुए थे। एफओटीडी यूनिट ने अधिक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए, ताकि भविष्य में निफ्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से संकाय के लिए मिश्रित प्रशिक्षण को सुकर बनाना जारी रखा जा सके।

शिल्प क्लस्टर

शिल्प क्लस्टर क्रियाकलाप निफ्ट के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग हैं जो छात्रों का उनकी समृद्ध शिल्प विरासत के बारे में सुग्राहीकरण के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ वस्त्र मंत्रालय के अनूठे शिल्प क्लस्टर पहल कार्यक्रम को जोड़ती हैं। पिछले वर्ष वैश्विक महामारी की चपेट में आने के बाद भी, सभी निफ्ट परिसरों ने भारत के जीआई पंजीकृत शिल्प पर प्रमुख ध्यान देने के साथ विभिन्न समूहों के कारीगरों की भागीदारी के साथ विभिन्न शिल्प क्लस्टर गतिविधियों का आयोजन किया। वैश्विक महामारी के समय में कारीगरों के लाभ और छात्रों की शिक्षा पर कोई समझौता किए बिना क्रियाकलापों के तौर-तरीकों में बदलाव आया। कारीगर जागरूकता कार्यशालाओं के तहत कारीगरों के लिए कार्यशालाओं का संचालन करने का तरीका और कारीगरों द्वारा, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग करके सब कुछ भौतिक से डिजिटल में परिवर्तित हो गया। इसने देश भर के कारीगरों के साथ प्रत्येक कैंपस संकाय सदस्य और छात्रों के संचार के क्षितिज को व्यापक किया। कुछ परिसरों ने कारीगरों से डेटा एकत्र किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उनके हस्तशिल्प उत्पादों को व्यापक आबादी के लिए प्रचारित करने के लिए ई-कैटलॉग विकसित किए। शिल्पकारों को शहरी ग्राहकों से सीधे जुड़ने का अवसर देने के लिए भौतिक शिल्प बाज़ारों का आयोजन किया गया। ज्ञान के प्रसार में निफ्ट हमेशा सबसे आगे रहा है और शिल्प भंडार उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिल्प भंडार परियोजना का उद्देश्य एक ही मंच पर निफ्ट समुदाय और उससे आगे के मध्य शिल्प क्लस्टर क्रियाकलापों के परिणामों को समेटना, प्रदर्शित और साझा करना है।

पीएचडी, अनुसंधान और आईपीआर

निफ्ट पूर्णकालिक और अंशकालिक डॉक्टोरल कार्यक्रम प्रदान करता है। यह कार्यक्रम अपनी उच्च शैक्षणिक उपलब्धियों, डिजाइन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान के स्वमतंत अनुसंधान और प्रसार के कारण जाना जाता है। यह कार्यक्रम शिक्षा और उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रयोग हेतु वास्तविक ज्ञान का निकाय बनाने के लिए वस्त्र, फैशन तथा परिधान क्षेत्र में अनुसंधान संचालित करने के लिए उद्देश्यन से किया गया है।

पीएचडी कार्यक्रम हेतु परिणामों की घोषणा तथा जुलाई माह में पंजीकरण के साथ दाखिले की प्रक्रिया सामान्यत: प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह के दौरान प्रारंभ होती है। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले हेतु योग्य ता योग्यता पात्रता डाक्टर की उपाधि की डिग्री के दिशानिर्देशों में दी गई हैं।

पीएचडी कार्यक्रम 2009 में सात छात्रों के साथ प्रारंभ किया गया था। इसमें शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान निफ्ट से पीएचडी के लिए नामांकित निफ्ट शिक्षण फेलो सहित 54 छात्र हैं। एक अंशकालिक अभ्यर्थी से पांच वर्ष के भीतर पर्यवेक्षित अध्ययन पूरा करने की आशा की जाती है, जिसे अधिकतम सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्णकालिक अभ्यर्थी से यह आशा की जाती है कि वह पर्यवेक्षित अध्ययन को चार वर्ष के भीतर पूरा कर लेगा, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इस अवधि के दौरान उन्हें मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। 28 छात्रों ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में पीएचडी पूरी कर ली है।

आईपीआर यूनिट ने विजननेक्स्ट परियोजना परियोजना के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ ट्रेडमार्क दायर किया है।

इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित पेटेंट के लिए पेटेंट प्रक्रिया प्रारंभ की गई है:

मूल्यांकन तिथि	आविष्कार का नाम	अन्वेषक
16-अप्रैल-21	नीडल रिप्लेसमेंट सिस्टम, अन्वेषकों द्वारा इंस्टेंट नीडल माउंटिंग सिस्टम भी कहा जाता है	श्री शुभम तिलारा, प्रो. डॉ. प्रबीर जना और प्रो. डॉ. सुहैल अनवर और अन्य
12-07-2021	सिंगल पीस फ्लैट स्प्रिंग प्रेशर फुट	सुश्री अभिलाषा सिंह, डॉ. प्रबीर जना, डॉ. दीपक पंघाल और अन्य

12-07-2021	न्यूमेटिक फ़ोल्डर	श्री नवीन, डॉ. प्रबीर जना, डॉ. दीपक पंघाल और अन्य
12-07-2021	दबाव फुट बाउल असेम्बली	डॉ प्रबीर जना, डॉ दीपक पंघाल और अन्य

निफ्ट में प्रकाशन यूनिट

1986 में स्थापित निफ्ट का अब पैंतीस वर्ष की अकादमिक विश्वसनीयता का इतिहास है और इसे व्यापक रूप से भारत के अग्रणी फैशन संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। निफ्ट संकाय सदस्यों द्वारा सृजित अकादमिक अनुसंधान की व्यापक मात्रा और संकाय सदस्यों के पर्यवेक्षण के तहत छात्रों के निर्देशित अनुसंधान को देखते हुए, भारत के अग्रणी फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में एक आंतरिक निफ्ट प्रकाशन यूनिट के माध्यम से इसके दर्जे के अनुरूप एक समेकित शैक्षणिक संसाधन बनाने हेतु एक संस्थागत अंतर-विधा प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस की गई थी। निफ्ट संकाय सदस्यों के अनुसंधान कौशल को उजागर करने के लिए, निफ्ट प्रकाशन यूनिट की स्थापना मार्च 2021 में की गई थी। इस यूनिट का उद्देश्य डिजाइन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में फैशन में वर्तमान और उभरते घटनाक्रम के ज्ञान साझाकरण को प्रोत्साहित करना तथा समाज और उद्योग के लिए अध्यापन, अभ्यास और वर्तमान शोध का योगदान दर्शाना है।' निफ्ट जर्नल ऑफ फैशन' (एनजेएफ) एक विषयगत शैक्षिक प्रकाशन है जो दुनिया भर के शिक्षाविदों, विद्वानों और फैशन पेशेवरों से उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेखों को आमंत्रित करेगा। यह मुद्रित और ऑनलाइन दोनों वर्जन में उपलब्ध होगा। डबल-ब्लाइंड पीयर-रिव्यू और ओपन-एक्सेस जर्नल के रूप में, इसका उद्देश्य डिजाइन, संचार, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित फैशन में विभिन्न डोमेन को शामिल करते हुए मूल शोध लेख प्रकाशित करना है। एनजेएफ का पहला अंक 'कोविड-19-पश्च युग में लचीलापन और नवाचार' विषय पर इस वर्ष जारी करने की योजना है।

ईएमआरएस वर्दी की डिजाइन और प्रोटोटाइप का विकास

निफ्ट दिल्ली ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में एकलव्य मॉडल के आवासीय विद्यालयों के लिए वर्दी तैयार की है। 23 राज्यों के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले 75,000 छात्रों की शैक्षिक और खेल गतिविधियों दोनों के लिए वर्दी के मानकीकरण के उद्देश्य से, ग्रीष्मकाल और शीतकाल दोनों मौसमों के लिए परिधान और सहायक उपकरण के विकल्प, अलग-अलग रंगों में एक प्रतीकात्मक लोगो की विशेषता के साथ एक विशिष्ट एकीकृत दृश्य पहचान के लिए बनाए गए थे।

निफ्ट में खादी उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके)

खादी उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके) की स्थापना निफ्ट में की गई है, जिसकी परिकल्पना भारत में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआईसी) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय और वैश्विक बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले विभेदित खादी उत्पादों को प्रभावी ढंग से डिजाइन, उत्पादन और विपणन करने के लिए खादी संस्थानों (केआई) की सहायता करना है।

सीओईके की खादी के कपड़े, परिधान, सहायक उपकरण और घरेलू फैशन के लिए प्रयोग, नवाचार और डिजाइन के लिए एक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है ।

खादी उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक मानकों की बेंचमार्क डिजाइन प्रक्रियाओं को बनाने पर कार्य करेगा:

- मौसम के अनुसार रंग पूर्वानुमान और फैशन के रुझान के आधार पर नए कपड़े और उत्पाद बनाना
- संपन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए खादी के फैब्रिक और कपड़ों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रसार करना।
- खादी के नए कपड़े और उत्पादों के बारे में दिलचस्प कथाएँ बनाकर ब्रांडिंग और प्रचार करना।
- खादी उत्पादों के लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग और पैकेजिंग बनाना।
- खादी फैशन शो और प्रदर्शनियों का आयोजन या भाग लेकर खादी की वैश्विक पहुंच बढ़ाना।

सीओईके की स्थापना निफ्ट में हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में की जाएगी। सभी चार स्पोक केंद्रों यथा बेंगलुरू, गांधीनगर, कोलकाता और शिलांग तथा दिल्ली में हब कार्यालय को खादी संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने और बुनकरों के कौशल की क्षेत्रीय विविधता का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में चुने जाने का निर्णय लिया गया है।

अवसंरचना हेतु सहायता

7.1 अवसंरचना विकास

7.1.1 पीएम-मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल पार्क (पीएम मित्र):

प्रस्तावना

वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने प्रचालन के स्तर को सक्षम बनाकर भारतीय वस्त्र उद्योग को मजबूत बनाने, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर लाकर परिवहन लागत को कम करने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने और निर्यात क्षमता में वृद्धि करने के लिए अक्टूबर, 2021 में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल पार्क (पीएम मित्र) योजना की शुरुआत की है। यह योजना वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला उदाहरण के लिए कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, गारमेटिंग, वस्त्र विनिर्माण, प्रसंस्करण और प्रिंटिंग मशीनरी उद्योग के लिए एकीकृत बड़ा पैमाना और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा का विकास करेगी। इन पार्कों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाएगी जहां वस्त्र उद्योग के समृद्ध होने की अंतर्निहित क्षमता हो और सफलता के लिए आवश्यक लिंकेज हो। यह योजना में समयबद्ध तरीके से त्वरित गति से कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माडल को बढ़ावा देने के लिए परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार की योजना इच्छुक राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करके ग्रीन फील्ड/ब्राउन फील्ड क्षेत्रों में 7 पीएम-मित्र पार्क स्थापित करने की है। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित एक आधुनिक, एकीकृत बड़े पैमाने पर, विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण करेगी।

उद्देश्य

पीएम-मित्र पार्क में भारत को संयुक्त राष्ट्र स्तत् विकास लक्ष्य 9 ('लोचशील अवसंरचना का निर्माण, स्तत् औद्योगीकरण को बढ़ावा और नवप्रवर्तन का संवर्धन') को प्राप्त करने में सहायता करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला हेतु एकीकृत बड़ा पैमाना और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा को विकसित करने के लिए है। यह योजना भारत मे निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और स्वयं को वैश्विक वस्त्र बाजार में मजबूत स्थिति में लाने में सहायता करेगी। इन पार्कों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाएगी जहां वस्त्र उद्योग के समृद्ध होने की अंतर्निहित क्षमता हो और सफलता के लिए आवश्यक लिंकेज हो।

योजना प्रोत्साहन संरचना

(क) ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क- ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पार्कों के लिए क्रमश: 500 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए प्रति पार्क की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजीगत सहायता (डीसीएस) का प्रावधान है। डीसीएस महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे विकसित कारखाना स्थलों, प्लग एंड प्ले सुविधा, इंक्यूबेशन केंद्र, सड़कें, बिजली, जल तथा अपशिष्ट जल प्रणाली और सामान्य प्रसंस्करण केंद्र और सीईपीटी, कामगार हॉस्टल एवं आवास, लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउसिंग, चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षण और कौशल विकास सुविधाओं जैसी सहायता अवसंरचना के सृजन के लिए एक सहायता है। इसमें दुकानों और कार्यालयों, शॉपिंगमॉल, हॉस्टल और सम्मेलन केंद्रों जैसे वाणिज्यिक विकास हेतु पार्क के क्षेत्र का 10% क्षेत्र का प्रयोग किए जाने का प्रावधान है।

(ख) प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) – पीएम मित्र पार्क में समय से पूर्व स्थापित करने के लिए विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु 300 करोड़ रुपए प्रति पार्क का प्रावधान है, जिसमें विनिर्माण इकाइयों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुल बिक्री कारोबार का 3% तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। यह केवल उन विनिर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो वस्त्र पीएलआई योजना से लाभांवित नहीं हो रहे हैं तथा यह पीएम मित्र पार्क हेतु प्रदान की गई निधि का पूर्ण रूप से प्रयोग न हो जाने तक उपलब्ध रहेगी।

गवर्नेंस

ग्रीनफील्ड पार्कों हेतु योजना 10 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ प्रत्ये क पीएम मित्र पार्क के लिए इस उद्देश्य से एक विशेष प्रयोजन तंत्र द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी और अधिकार में लाई जाएगी। यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत होगी। भारत सरकार पीएम मित्र पार्क के तहत सार पित की जाने वाली एसपीवी की प्रदत्त पूंजी का 49% इक्विटी का भुगतान करेगी और प्रतिभागी राज्य सरकार प्रदत्त पूंजी का 51% का भुगतान करेंगी। राज्य सरकार वस्त्र उद्योग की देखरेख करने वाले विभाग के प्रशासनिक सचिव को एसपीवी का सीईओ नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार

सांकेतिक न्यूनतम मूल्य पर एसपीवी को भूमि हस्तांतरण करेगी और बाद में यह भूसंपत्ति, रियायत अवधि के दौरान उच्च मानक विशिष्टता के साथ पीएम मित्र पार्क के विकास और रखरखाव हेतु पीएम मित्र पार्क में निवेश के लिए एसपीवी/मास्टर डेवलपर द्वारा बढ़ावा दिए जाने के लिए प्रयोग की जाएगी। इस योजना के विशेष प्रयोग हेतु शर्तें और रूपरेखा आरएफपी के निर्माण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित की जाएंगी। सचिव (वस्त्र), भारत सरकार को एसपीवी का अध्यक्ष नामित किया जाएगा। भारत सरकार इस परियोजना हेतु वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। इस संबंध में कार्य के समायोजन के लिए एक मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक पीएमयू की स्थापना की जाएगी।

ब्राउनफील्ड पार्कों के मामले में, एसपीवी की शेयरधारिता जारी रहेगी और मौजूदा एसपीवी पीएम मित्र को क्रियान्वित करेगी।

प्रचालनात्मक माडल

पीएम मित्र पार्क को डिजाइन – निर्माण – वित्त - प्रचालन - हस्तांहतरण (डीबीएफओटी) प्रारूप पर एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित मास्टर डेवलपर (एमडी) मॉडल में विकसित किया जाएगा। तथापि, सरकारी एसपीवी आधरित मॉडल या निजी डेवलपर की सीमित भागीदारी वाले हाइब्रिड मॉडल जैसे अन्य मॉडल पर भी भारत सरकार के अनुमोदन के साथ अपवाद स्वरुप स्थिति में भी विचार किया जा सकता है।

पात्रता तथा रुपरेखाएं: पीएम मित्र पार्क न्यूनतम 1000 एकड़ के निकटवर्ती और बाधारहित भूखंड को आसानी से उपलब्ध कराने वाली राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार विशेष प्रयोजन प्रणाली (एसपीवी) के लिए न्यूनतम मूल्य पर भूमि स्थानांतरण करेगी। यह भूमि उच्च मानक विशिष्टताओं के साथ विकास और रखरखाव हेतु पीएम मित्र पार्कों में निवेश को बढ़ावा देने/आकर्षित करने के लिए प्रयोग की जाएगी। एसपीवी, पीएम मित्र पार्क परियोजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक विधिक निकाय (राज्य सरकार की 51% और केंद्र सरकार की 49% की इक्विटी साझेदारी) होगा।

7.1.2 वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस)

भारत में वस्त्र उद्योग अंतर-निर्भर क्लस्टरों के रूप में विकसित हुआ है। इनमें से कुछ कलस्टरों को आधुनिक नहीं बनाया गया है और वे बदलते हुए माहौल के साथ स्वयं को गतिमान रखने योग्य नहीं है और पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी और मशीनरी से काम करना जारी रखे हुए है। इसके परिणाम स्वरूप इन कामगारों की अकुशलता और कम उत्पादकता उत्पन्न हुई है। अतएव, एक ठोस नीति द्वारा समग्र कलस्टर विकास मॉडल वस्त्र मूल्य श्रृंखला में स्थायित्व और परिचालन को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रालय उन्हें प्रचालनशील और वित्तीय रूप से व्यावहार्य बनाने के लिए भावी और मौजूदा वस्त्र इकाइयों हेतु एकीकृत कार्यस्थल और लिंकेज आधारित पारिस्थिति की प्रणाली का निर्माण करने की दृष्टि से वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) को क्रियान्वित कर रहा है। टीसीडीएस का कलस्टर विकास मॉडल पहलों को विशेष रूप तैयार किए जाने, प्रचलन में बड़ी अर्थव्यवस्था, विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता, लागत कुशल, प्रौद्योगिकी और सूचना की बेहतर पहुंच आदि हेतु बढ़े पैमाने पर लाभ प्रदान करेगा। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस योजना का कुल परिव्यय 853 करोड़ रुपए है।

टीसीडीएस के निम्नलिखित घटक हैं

(i) समूह वर्कशैड योजना (जी डब्यू एस): इस योजना का उद्देश्य आधुनिक बुनाई मशीनरी वाले विद्युतकरघों हेतु वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए अवसंरचना की स्थापना करना है। संशोधित योजना के अनुसार, वर्कशैड के निर्माण हेतु अधिकतम सब्सिडी 400 रुपए प्रति वर्ग फुट, जो भी कम हो, के अधीन इकाई की निर्माण लागत का 40% तक सीमित होगी। सामान्यत: एकल चौड़ाई (230 से.मी. तक) के 24 आधुनिक करघों के साथ न्यूनतम 4 बुनकर एक समूह बनायेंगे या और अधिक चौड़ाई वाले करघे (230 से.मी. और उससे अधिक) के प्रत्येक लाभार्थी के पास कम से कम 5 करघे होने चाहिए।

प्रति विद्युत करघा न्यूनतम 1.25 व्यक्तियों के आवासन हेतु डोरमिट्री/कामगार आवास जिसमें पर्याप्त स्वच्छ शौचालय तथा स्नानागार (स्टोर रूम के साथ किचन तथा डाइनिंग हॉल वैकल्पिक रूप में शामिल किया जा सकता है), के निर्माण हेतु 125 वर्ग मी. प्रति व्यक्ति की दर से अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। डोरमिट्री/कामगार आवास हेतु प्रति वर्ग मी. सब्सिडी की दर समूह वर्कशैड पर लागू प्रति वर्ग फुट सब्सिडी की दर के समान होगी। इस योजना के तहत जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 55.80 करोड़ रुपए की कुल राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2014-15 से मौजूदा छोटे विद्युतकरघा बुनकरों द्वारा न्यूनतम 4 विद्युतकरघा बुनकरों का एक समूह बनाकर 347 नए समूह वर्कशैड स्थापित किए गए। इन समूह वर्कशैडों में 12,492 शटलर हथकरघे स्थापित किए गए हैं।

(ii) व्यापक विद्युतकरघा, निटवियर एवं रेशम मेगा कलस्टर: भिवंडी (महाराष्ट्र) और (तमिलनाडु) में विद्युतकरघा मेगा कलस्टर विकसित करने के लिए वर्ष 2008-09 के बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा का क्रियान्वयन करने के लिए वर्ष 2008-09 में व्यापक विद्युत करघा

कलस्टर विकास योजना (सीपीसीडीएस) का निर्माण किया गया था। तदोपरांत, वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-10 वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2014-15 में अपने बजट भाषण में क्रमश: भीलवाड़ा (राजस्थान), इचलकरंजी (माहराष्ट्र), सूरत (गुजरात) के विद्युत करघा मेगा कलस्टर तथा बेंगलूरू (कर्नाटक) में रेशम मेगा कलस्टर के विकास की घोषणा की थी।

भिवंडी तथा भीलवाड़ा में भूमि की अनुपलब्धता और हितधारकों/राज्यसरकार से खराब प्रतिक्रिया के कारण विद्युतकरघा मेगा कलस्टर रद्द कर दिए गए थे।

कलस्टर के डिजाइन में निहित दिशानिर्देश/सिद्धांत विश्वस्तरीय अवसंरचना का सृजन करने के लिए हैं तथा उत्पादन श्रृंखला को इस रूप में एकीकृत करते हैं जोकि उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय छोटे और मध्यक्रम उद्यमियों की व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मेगा कलस्टर पहुंच योजना का विस्तृत उद्देश्य बढ़ी हुई बाजार हिस्सेदारी के संबंध में कलस्टरों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उत्पादों की उच्चतर इकाई मूल्य प्राप्ति करके बढ़ी हुई उत्पादकता सुनिश्चित करना है। यह योजना आवश्यक अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन विकास, कच्ची सामग्री बैंक, विपणन तथा संवर्धन, ऋण, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य संघटकों को प्रदान करती है जो कि विकेंद्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के स्थायित्व हेतु महत्वपूर्ण है।

यह योजना 3 वर्ष की अवधि (दिनांक 1.4.2017 से 31.03.2020 तक) हेतु क्रियान्वयन के लिए दिसंबर, 2016 में संशोधित की गई थी। संशोधित योजना के तहत, एक मेगा कलस्टर हेतु सरकारी सहायता अधिकतम 50 करोड़ रुपए के अधीन परियोजना लागत का 60% तक सीमित है। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 101.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

वर्ष 2014-15 से विभिन्न अवसंरचना संबंधी मामालों में बाधाओं को दूर करने के लिए इरोड और इचलकरंजी के दो विद्युतकरघा कलस्टरों को सहायता दी गई है। इरोड मेगा कलस्टर ने इरोड मेगा कलस्टर में और उसके आसपास उनके अपने उत्पादों को विद्युतकरघा बुनकरों को बेचने के लिए मार्किट लिंकेज विकसित किए हैं जबकि इचलकरंजी मेगा कलस्टर ने विद्युतकरघा पूर्व और पश्च प्रावधान किए हैं। इस योजना के तहत इचलकरंजी मेगा कलस्टर में एक अत्याधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है जिसमें विद्युतकरघा बुनकरों को कलस्टर से ही अपने तैयार उत्पादों को बेचने के लिए एक नया स्थान मिला है। इन पहलों में कलस्टरों के विद्युतकरघा बुनकरों को उनके उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए उत्साहित करने की क्षमता है।

(iii) सुविधा, प्रचार, आईटी, एमआईएस तथा प्रशासनिक व्यय: विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना; उत्पादकता और दक्षता में सुधार करना, प्रशिक्षण और कलस्टरों में विद्युतकरघा बुनकरों के कौशल का विकास/अद्यतन करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन एमओटी की समर्थ योजना के माध्यम से अथवा कौशल विकास मंत्रालय की योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, फिल्म मीडिया, मल्टीमीडिया के माध्यम से, कार्यक्रम आधारित प्रचार आदि सहित विस्तृत प्रचार प्रदान करना है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रोत्साहन योजनाओं के क्रियान्वयन प्रणाली डिजीटलीकरण करना है। इसके अलावा, इसमें संपूर्ण वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक लागत, एमआईएस तथा परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) व्यय भी शामिल होंगे। इस संघटक के तहत कुल 9.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

(iv) नॉन-टीएक्ससी विद्युतकरघा सेवा केंद्रों को सहायता अनुदान: वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के नियंत्रणाधीन 15, वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए) के तहत 26 और राज्य सरकार के तहत 6 विद्युतकरघा सेवा केंद्र कार्यशील हैं। ये पीएससी सरकार की ओर से विद्युतकरघा क्षेत्र को प्रशिक्षण, नमूना परीक्षण, डिजाइन विकास, परामर्श, सेमिनार आयोजन/कार्यशाला आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रही हैं। टीआरएएस/राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को मुख्य रूप से विद्युतकरघा क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने हेतु पीएससी चलाने के लिए होने वाले व्यय के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जाएगी। टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वस्त्र आयुक्त द्वारा सहायता अनुदान की मंजूरी दी जाएगी। इस घटक के तहत कुल 23.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

(v) विद्युतकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजना: भारत सरकार लचीली और लागत प्रभावी तरीके से, उनकी ऋण आवश्यकताओं, (सावधि ऋण) और कार्यशील पूंजीगत निवेश आवश्यकता पूरा करने के लिए विद्युतकरघा बुनकरों को पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में दो घटक अर्थात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत श्रेणी-। और स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत श्रेणी-।। है। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय ने योजना के प्रचालन के लिए ऋण देने वाली एजेंसियों को

सूचीबद्ध किया है। चल रही परियोजना को पूरा करने के लिए कुल 93.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, वर्ष 2014-15 में पीएम स्टैंडअप इंडिया के अंतर्गत आधुनिक शटल रहित करघों के साथ 510 महिला उद्यमियों ने अपनी नई इकाइयाँ को स्थापित की हैं।

(vi) साधारण विद्युतकरघा के लिए यथास्थान उन्नयन योजना: इस योजना का उद्देश्य कुछ अतिरिक्त अटैचमेंट के साथ अपने मौजूदा साधारण करघों का उन्नयन करके उत्पादित किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है और उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाना है। यह योजना 8 करघे तक विद्युत करघों इकाइयों के लिए है। 4 करघों से कम वाली इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए प्रति करघा 50%, 75% और 90% की सीमा तक उन्नयन लागत का अधिकतम सब्सिडी क्रमशः 45,000/- रुपये, 67,500/- रुपये और 81,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

भारत सरकार की सब्सिडी के अतरिक्त, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकार प्रति विद्युत करघा 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, बिहार, राज्य सरकार 12000 रुपये प्रदान कर रही है और तेलंगाना राज्य सरकार अपने संबंधित क्लस्टरों में अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में संलग्नक की लागत का 50% प्रदान कर रही है। वर्ष 2014-15 से इस योजना के अंतर्गत 2,26,680 साधारण विद्युतकरघा को अर्धस्वचालित करघों में उन्नयन किया गया है।

(vii) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी): वस्त्र उद्योग को विश्वस्तरीय संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना से एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसकी परियोजना लागत में अधिकतम 40 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन परियोजना लागत का 40% की वित्तीय सहायता के साथ आईटीपी की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन/सहायता के लिए सामान्य संरचना और भवन शामिल हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आईटीपी स्थापना में लोचशीलता प्रदान की गई है। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह योजना 2025-26 तक क्रियान्वित की जा रही है। एसआईटीपी को अब वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीसी) का एक घटक बना दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत कंपाउंडवॉल, सड़क, नाली, जलपूर्ति, कैप्टिव विद्युत संयंत्र सहित विद्युत आपूर्ति, बहिस्राव शोधन, दूरसंचार लाइन जैसी सामान्य अवसंरचना, परीक्षण प्रयोगशाला (उपकरण सहित), डिजाइन केंद्र (उपकरण सहित), परीक्षण केंद्र (उपकरण सहित), व्यापार केंद्र/प्रदर्शनी केंद्र, वेयरहाउसिंग सुविधा/कच्ची सामग्री डिपो, पैकेजिंग इकाई, क्रैच, कैंटीन, कामगार होस्टल, सेवा प्रदाता कार्यालय, श्रमिक विश्राम स्थल और मनोरंजन सुविधाएं, विपणन सुविधा प्रणाली (बैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज) आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए उत्पादन के लिए कारखाना हेतु भवन, संयंत्र एवं मशीनरी और वस्त्र इकाइयों के लिए कार्य स्थल और कामगारों के होस्टल, जो किराया/हायर परचेज आधार पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं, जैसे के घटकों के अंतर्गत वित्त पोषण किया जाता है।

भारत सरकार की कुल वित्तीय सहायता 40 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन परियोजना लागत का 40% तक सीमित है। तथापि, भारत सरकार की सहायता अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में प्रथम दो परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन परियोजना लागत का 90% की दर से प्रदान की जाएगी।

क्रियान्वयन की स्थिति:

उपर्युक्त पार्कों के पूरी तरह से प्रचालनशील हो जाने पर लगभग 5333 वस्त्र इकाइयों के शुरू होने, लगभग 3,44,443 व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 26,529 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किए जाने की संभावना है।

एसआईटीपी के तहत इन 56 वस्त्र पार्कों के लिए 1467.83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

अभी तक, 56 स्वीकृत वस्त्र पार्कों में से, 27 वस्त्र पार्कों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा कर लिया गया है और शेष 29 क्रियान्वयन के विभिन्न स्तर पर हैं।

7.1.3 एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस)

पर्यावरणीय मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों में मौजूदा प्रसंस्कीरण कलस्ट्रों तथा नए प्रसंस्करण पार्कों में नए सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी)/सीईटीपी के उन्नयन में सहायता करने के लिए वस्त्र मंत्रालय 12वीं पंचवर्षीय योजना से एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) का क्रियान्वियन कर रहा है। योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुभव और वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा सामना की गई चुनौतियों के आधार पर मंत्रालय ने उक्त योजना को कुछ संसाधनों के साथ 3 वर्षों की अवधि अर्थात 01.04.2017 से 31.03.2022 तक

जारी रखने का निर्णय लिया है। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह योजना वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रहेगी।

2. आईपीडीएस का मुख्य उद्देश्य वस्त्र उद्योग को सुविधा प्रदान करना है ताकि पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण मानकों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धी बन सके। यह योजना अपेक्षित पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए वस्त्र इकाइयों को सुविधा प्रदान करेगी। आईपीडीएस मौजूदा प्रसंस्करण कलस्टरों में और जल तथा अवशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष रूप से नए प्रसंस्करण पार्कों को सहायता करेगी जिसे प्रसंस्करण क्षेत्र में क्लीनर टेक्नोलॉजी के लिए अनुसंधान विकास को बढ़ावा मिलेगा।

3. आईडीपीएस के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं:

i. बलोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और बलोतरा, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा.लि., बलोतरा द्वारा 18 एमएलडी सीईटीपी का शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उन्नयन।

ii. जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और जसोल, राजस्थान

एसआईटीपी के अंतर्गत पार्कों की फोटों

ब्रांडिक्से वस्त्र पार्क, विशाखापट्टनम

गुजरात इकोटेक्सरटाइल पार्क:

में रिवर्स ओसमोसिस प्रा.लि., राजस्थान द्वारा 2.5 एमएलडी सीईटीपी का शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उन्नयन।

iii. सांगानेर, राजस्थान में सांगानेर इन्वायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट द्वारा 12.3 एमएलडी जेडएलडी परियोजना की स्थापना करना।

iv. पाली, राजस्थान में 12 एमएलडी सीईटीपी का जेडएलडी का उन्नयन।

v. गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, सूरत, गुजरात में 25 एनएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

vi. विरूधनगर, तमिलनाडु में सदन जिला टेक्सटाइल प्रसंस्करण कलस्टर (प्रा.) लि. द्वारा 6 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

vii. भवानी तालुका, इरोड जिला, तमिलनाडु में श्री भवानी सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र द्वारा 4 एमएलडी जेडएलडी की स्थाना करना।

4. अभी तक, अनुमोदित परियोजनाओं के लिए आईपीडीएस के तहत 144.44 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता

8.1 परिभाषा:

'तकनीकी वस्त्र सामाग्रियां हैं और इन उत्पादों का निर्माण मुख्य रूप से सौंदर्य विशिष्टताओं के अलावा तकनीकी निष्पादन और कार्यात्मक उद्देश्यों हेतु किया जाता है।'

उनकी कार्यात्मक आवश्यकताओं और अन्य उपयोग अनुप्रयोगों के आधार पर, तकनीकी वस्त्र की विभिन्ना श्रेणियों को 12 समूहों में निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

i. एग्रोटेक- (जैसे शैडनेटस, फसल-आवरण, आदि),
ii. मेडिटेक - (जैसे डायपर, पीपीई, कांटेक्ट,लेंस आदि),
iii. मोबिलटेक - (जैसे एयर-बैग, नायलॉनटायरकॉटस आदि),
iv. पैकटेक - (जैसे रैपिंगफैब्रिक, जूट बैग आदि),
v. स्पोर्टेक - (जैसे कृत्रिम टर्फ, पैराशूट आदि),
vi. बिल्डटेक - (जैसे आर्किटेक्चरल मेम्ब्रेन, होर्डिंग और साइनेज आदि),
vii. क्लोथेक - (छाते का कपड़ा, इंटरलिनिंग आदि),
viii. होमटेक - (ब्लेंकड, आग प्रतिरोधी पर्दे, आदि),
ix. प्रोटेक - (बुलेट प्रूफ जैकेट, रासायनिक सुरक्षा कपड़े आदि),
x. जियोटेक - (जियो-ग्रिड, भू-कंपोजिट आदि),
xi. ओयेकोटेक - (पर्यावरणीय संरक्षण, आदि),
xii. इंडूटेक - (जैसे कंवेयर बेल्ट, बॉलटिंग क्लॉथ आदि)।

8.2 मंत्रालय द्वारा विगत में की गई पहलें:

8.2.1. तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी)

देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को प्रभावित करने वाली बाधाओं को दूर करने और बढ़ रही मांग को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने दिसंबर, 2010 में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय से तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) की शुरूआत की थी। टीएमटीटी के दो मिनी मिशन थे (क) उत्कृष्टता कैंप की स्थापना करना; और (ख) बाजार विकास और फोकस उद्भव केंद्रों की स्थापना करना। टीएमटीटी के अंतर्गत, 8 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना, मुंबई (2), गाजियाबाद, कोयंबटूर (2), कोल्हापूर, अहमदाबाद और थाणे में किया गया है। इसी प्रकार 11 फोकस उद्भव केंद्रों (एफआईसी) का स्थापना की गई है जो देशभर में फैले हुए हैं इनमें आईआईटी खड़गपुर, मुंबई, दिल्ली और कानपुर: निटरा, सिटरा, अटिरा, डीकेटीई इंजीनियरिंग कॉलेज और पीएसजी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय शामिल हैं।

8.2.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रोटेक्सिटाइल्सग उपयोग संवर्धन योजना

यह योजना 55 करोड़ रुपए के परिव्यय से वित्त वर्ष 2012-13 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, एगोटेक्स टाइल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में 44 प्रदर्शन केंद्रों और शेष भारत में 10 प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत कुल 1218 एग्रोटेक्स टाइल्स किटों का वितरण किया गया है ओर 5012 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 48.23 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। प्राप्त प्रमुख लाभ थे (i) 30-45% जल संरक्षण (ii) कृषि उत्पादकता में दो गुना वृद्धि (iii) किसानों की आय में 60% वृद्धि हानि की सूचना दी गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2019-20 में बंद कर दी गई थी।

8.2.3. पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'जियो टेक्निकल टेक्सटाइल्स' उपयोग संवर्धन योजना:

यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास में जियो-टेक्सटाइल्स का संवर्धन और उपयोग के लिए 427 करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि (2014-15 से 2018-19) के लिए मार्च, 2014 में शुरू की गई थी। यह जागरूकता के निर्माण, परीक्षण दक्षता और पूर्वोत्तर क्षेत्र की अवसंरचना के लाभ के लिए प्रायोगिक परियोजना थी। इस योजना के अंतर्गत 12 सड़क परियोजनाएं, 11 जलाशय परियोजनाएं और 17 ढाल स्थिरीकरण परियोजनाएं शुरू की गई थी। सभी पूर्वोत्तर राज्यो, (सिक्किम को छोड़कर) को लाभ हुआ है। अवसंरचना का जीव काल लगभग दोगुना हो गया है और रखरखाव लागत 50% तक कम हो गई है। यह भी पाया गया था कि 30% जल की हानि पर रोक लगी है। प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए इस योजना को 2022-23 तक बढ़ाया गया है।

8.2.4 जूट सहित वस्त्र उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास योजना:

149 करोड़ रुपये के परिव्यय से 2014-15 से 2018-19 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत। इस योजना को तीन प्रमुख घटकों के साथ निम्नानुसार डिजाइन किया गया है:

घटक- I: वस्त्र और संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान में लगे वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए), अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों आदि सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियों द्वारा किए

जाने वाले अनुसंधान और विकास परियोजनाएं (कुलपरिव्यय: 50 करोड़ रु.)

घटक- II: जूट क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना; जूट क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण और प्रसार गतिविधियां (कुल परिव्यय: 80 करोड़ रु.)

घटक- III: बेंचमार्क अध्ययन, ज्ञान प्रसार और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से हरित पहल को बढ़ावा देना (कुल परिव्यय: 15 करोड़ रुपये)।
प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए योजना को 2022-23 तक बढ़ा दिया गया है।

8.3 207 तकनीकी वस्त्र मदों के व्यापार आंकड़े:-

207 तकनीकी वस्त्र मदों के निर्यात/आयात आँकड़े:-

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष (आयात-निर्यात)
2016-17	9,412.79	11,342.42	-1929.6
2017-18	11,192.92	13,704.70	-2511.8
2018-19	13,986.71	15,635.61	-1648.9
2019-20	14,193.14	14,382.06	-188.9
2020-21	16,123.54	12,537.48	+3586.1
अप्रैल-अक्तूबर 2021	12,028.58	9,888.48	+2140.1

* स्रोत: भारतीय विदेश व्यापार, डीजीसीआईएस, कोलकाता के वार्षिक/मासिक आंकड़े

8.4 तकनीकी वस्त्रों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:

सरकार ने देश में मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) अपैरल, एमएमएफ फ्रेब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्ष की अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय से वस्त्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है ताकि वस्त्र क्षेत्र को आकार और पैमाना प्राप्त करने तथा प्रतिस्पार्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके। पीएलआई योजना का लाभ तकनीकी वस्त्र उत्पादों तक पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से 65 तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए अलग से नए एचएसएन कोड बनाने का अनुरोध किया गया है।

8.5 बेसलाइन अध्ययन:

वस्त्र मंत्रालय ने उद्योग, उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों की भागीदारी के बाद क्षेत्र के समग्र विकास पर अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रबंधन अध्ययन विभाग, आईआईटी, दिल्ली के माध्यम से तकनीकी वस्त्र क्षेत्र का नवीन आधारभूत अध्ययन किया है। संस्थान ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है।

8.6 राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

देश को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से, वित्ती वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की कार्यान्वयन अवधि के साथ कुल 1480 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया है। मिशन के चार घटक हैं।

8.6.1 घटक-I (अनुसंधान, नवाचार और विकास) :

यह घटक (i) कार्बन फाइबर, अरामेड फाइबर, नायलान फाइबर और कंपोजिट में नवीन प्रौद्योगिकी उत्पादों के उद्देश्य से फाइबर स्तर पर मौलिक अनुसंधान और (ii) जियो- टेक्सटाइल्स, एग्रो-टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल्स, मोबाइल टेक्सटाइल्स और स्पोर्ट टेक्सटाइल्स तथा बायो डिग्रेडेबल तकनीकी वस्त्रों में अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान दोनों को बढ़ावा देगा। मौलिक अनुसंधान क्रिया कलाप पूल किए गए संसाधन की पद्धति पर आधारित होगा और इसे विभिन्न वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र (सीएसआईआर) प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और अन्य विख्यात वैज्ञानिक/औद्योगिक/शैक्षणिक प्रयोगशालाओं में किया जाएगा। अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान (सीएसआईआर), आईआईटी, भारतीय रेलवे का अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला (एनएएल), भारतीय सड़क अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) और ऐसी अन्य विख्यात प्रयोगशालाओं में किया जाएगा। परिव्यय 1000 करोड़ रुपए है।

8.6.2 घटक –II (संवर्धन और बाजार विकास):

भारतीय तकनीकी वस्त्र क्षेत्र 16 बिलियन अमरीकी डालर का होने का अनुमान लगाया है जो 250 बिलियन अमरीकी डालर के वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाजार का 6% है। भारत में तकनीकी वस्त्र के पहुँच का स्तर का विकसित देशों में 30-70% की तुलना में बहुत कम 5-10% के बीच है। इस मिशन का उद्देश्य बाजार

विकास, बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश संवर्धन, और 'मेक इन इंडिया' पहलों के माध्य म से वर्ष 2024 तक घरेलू बाजार के आकार को 40-50 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक ले जाने के लिए 15-20% की दर से वार्षिक औसत वृद्धि करना होगा। परिव्यय 50 करोड़ रुपए ।

8.6.3 घटक – III (निर्यात संवर्धन):

इस घटक का उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के निर्यात को 14000 करोड़ रु. के वर्तमान वार्षिक मूल्य से बढ़ाकर 2020-21 तक 2000 करोड़ रु. करना और 2023-24 तक निर्यात में प्रतिवर्ष 10% औसत वृद्धि सुनिश्चित करना है। इस क्षेत्र में प्रभावी समन्वय और संवर्धन क्रियाकलाप के लिए तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया जाएगा। परिव्यय10 करोड़ रुपए।

8.6.4 घटक- IV (शिक्षा ,प्रशिक्षण, कौशल विकास) :

देश में शिक्षा, कौशल विकास तथा मानव संसाधनों की उपयुक्त प्रौद्योगिकीय चुनौतीपूर्ण तथा तीव्र विकासशील तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के अनुसार पर्याप्त नहीं है। यह मिशन तकनीकी वस्त्र अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि तथा डेरी भागों को शामिल करने वाले अनुप्रयोग क्षेत्रों से संबंधित उच्चतर अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी स्तर पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा। संबंध प्रगतिशील तकनीकी वस्त्र निर्माण इकाइयों की आवश्यकता पूर्ति हेतु कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उच्च कुशल श्रम संसाधनों को उपयुक्त निकाय बनाया जाएगा। परिव्यय 400 करोड़ रुपए।

यह मिशन रणनीतिक क्षेत्रों सहित देश में विविध प्रमुख मिशनों, कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के प्रयोग पर संकेंद्रित होगा। कृषि, मतस्यं पालन, डेरी, कुक्कुटपालन आदि में तकनीकी वस्त्रो का प्रयोग, जल जीवन मिशन, स्वेच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत मितव्ययता जल तथा मृदा संरक्षण, बेहतर उत्पादकता तथा भारत में निर्माण तथा निर्यात क्रियाकलापों के अलावा किसानों के प्रति एकड़ स्वामित्व से उच्चतर आय में सुधार लाएगा। राजमार्गों, रेलवे तथा बंदरगाहों में जियो टेक्सटाइल के प्रयोग से सुदृढ़ अवसंरचना कम रखरखाव लागत तथा अवसंरचना परिसंपत्तियों की जीवन चक्र उत्तम होगा। नवप्रवर्तन तथा इंक्यूबेशन केंद्रों तथा 'स्टार्ट-अप तथा जोखिमों' के संवर्धन के निर्माण के साथ-साथ मिशन द्वारा युवा अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी विज्ञान मानकों और स्नातकों के बीच नवप्रवर्तन को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान नवप्रवर्तन तथा विकास क्रियाकलापों के माध्यम से इस प्रकार अर्जित सूचना के आसान तथा आंकलन योग्य प्रसारण हेतु अनुसंधान परिणाम सरकारी 'ट्रस्ट' में रखे जाएंगे। अनुसंधान का एक उप-घटक बायो-डिग्रेडेबल तकनीकी वस्त्र पदार्थों के विकास पर विशेषतया एग्रो टेक्स टाइल्स, जियो टेक्सटाइल्स तथा चिकित्सा वस्त्रों हेतु विकास पर संकेंद्रित होगा। यह चिकित्सा तथा स्वरच्छता अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण पर जोर दिए जाने के साथ उपयोग हो चुकी तकनीकी वस्त्रों के पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल निस्तारण हेतु उपयुक्त उपकरणों को भी विकसित करेगा।

हितधारकों के परामर्श से स्पेशलिटी फाइबर, कंपोजिट, जियो-टेक्सटाइल, एग्रो-टेक्सटाइल के क्षेत्र में अनुसंधान विषयों को अंतिम रूप दिया गया है। तकनीकी वस्त्रों के लिए अलग निर्यात संवर्धन परिषद के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंत्रालय को तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न क्षेत्रों में 800 करोड़ रुपये के 150 से अधिक शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एनटीटीएम के तहत मिशन संचालन समूह (एमएसजी) द्वारा अब तक 31 अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी-मद्रास और आईआईटी-रुड़की के माध्यम से भू-सिंथेटिक्स के क्षेत्र में डिजाइन/तकनीकी व्यक्तियों के कौशल उन्नयन पर एक पायलट परियोजना संचालित की जा रही है।

हथकरघा हाट, जनपथ, नई दिल्ली में संबंधित क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की अध्यक्षता में वस्त्र मंत्रालय में मिशन निदेशालय का एक समर्पित कार्यालय संचालित है। वर्तमान में मिशन निदेशालय दो संयुक्त मिशन निदेशकों, दो सलाहकारों और मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास प्रभाग द्वारा सहायता प्राप्त एक ज्ञान भागीदार के साथ कार्य कर रहा है।

मिशन चार वर्ष की अवधि के बाद बंद हो जाएगा।

8.7 वस्त्र अनुसंधान संघ

वस्त्र और परिधान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं की प्रगति में अनुसंधान और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान करते हुए, मंत्रालय वस्त्र अनुसंधान संघों का सहयोग कर रहा है जो इस क्षेत्र के संपूर्ण विस्तार को कवर करता है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कार्यरत आठ टीआरए हैं:

(i) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसिएशन (एटीआईआरए)
(ii) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बीटीआरए)
(iii) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (एसआइटीआरए)
(iv) उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए)
(v) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (एमएएनटीआरए)
(vi) सिंथेटिक और आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (एसएएसएमआईआरए)

(vii) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए)
(viii) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए)

क्षेत्रगत योजना

9.1 हथकरघा

9.1.1 प्रस्तावना

हथकरघा क्षेत्र सबसे बड़े असंगठित आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है और ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है। हथकरघा बुनाई भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सबसे समृद्ध और सबसे जीवंत पहलुओं में से एक है, और 35.22 लाख बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। इस क्षेत्र को कम पूंजी सघनता, विद्युत का न्यूनतम उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल, और छोटे उत्पादन के लचीलेपन, नवाचारों के लिए खुलापन तथा बाजार की आवश्यकताओं के अनुकूल होने का लाभ है। यह एक प्राकृतिक उत्पादक संपत्ति और कुटीर स्तर पर एक परंपरा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौशल के हस्तांतरण से कायम और विकसित हुई है।

हथकरघा बुनाई काफी हद तक विकेंद्रीकृत है और बुनकर मुख्य रूप से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों से हैं, जो अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बुनाई करते हैं और वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन के लिए भी योगदान करते हैं। इस उद्योग के बुनकर विभिन्न राज्यों के पारंपरिक शिल्पों को जीवित रखे हुए हैं। हथकरघा वस्त्रों में हासिल की गई कलात्मकता और जटिलता का स्तर अद्वितीय है तथा कुछ बुनाई/डिजाइन अभी भी आधुनिक मशीनों के दायरे से बाहर हैं। हथकरघा क्षेत्र उत्तम वस्त्रों, जिन्हें बुनने में महीनों लग जाते है, से लेकर दैनिक उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की लोकप्रिय वस्तुओं तक हर जरूरत को पूरा कर सकता है।

विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम
(ii) कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना

योजना-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

i. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम :

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) हथकरघा के एकीकृत और समग्र विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। यह योजना कच्चे माल, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से मार्केटिंग सहायता, शहरी हाट के रूप में स्थायी अवसंरचना, मार्केटिंग परिसरों, हथकरघा उत्पादों आदि की ई- मार्केटिंग के लिए वेब पोर्टल के विकास हेतु स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि सहित सहकारी क्षेत्र के भीतर और बाहर बुनकरों को सहायता करती है।

योजना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :-

1. क्लस्टर विकास कार्यक्रम
2. हथकरघा मार्केटिंग सहायता
3. मेगा हथकरघा क्लस्टर
4. रियायती ऋण (बुनकर मुद्रा योजना)
5. हथकरघा बुनकर कल्याण

1. क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी):

यह एनएचडीपी के घटकों में से एक है, सीडीपी एक विजिबल एन्टिटी के रूप में बुनकरों के समूहों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि समूह आत्मनिर्भर बन सकें। क्लस्टर की आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक क्लस्टर के लिए सहायता की मात्रा, क्लस्टर संगठन की तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता की परिकल्पना की गई गतिविधियों के दायरे, परिपक्वता के स्तर और क्लस्टर के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड आदि के आधार पर आवश्यकता आधारित होती है। भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुमेय वित्तीय सहायता प्रति क्लस्टर 2.00 करोड़ रुपये तक है।

बेसलाइन सर्वे, डायग्नोस्टिक स्टडी, कंसोर्टियम का गठन, जागरूकता कार्यक्रम, उत्पाद विकास, एक्सपोजर विजिट, प्रदर्शनियों/बीएसएम/प्रचार में भागीदारी, क्लस्टर गतिविधियों का दस्तावेजीकरण, नामित एजेंसी को सेवा शुल्क, परियोजना प्रबंधन लागत, वस्त्र डिजाइनर की नियुक्ति, प्रशिक्षुओं को कौशल उन्नयन के लिए वेतन प्रतिपूर्ति, आईए को प्रोत्साहन आदि जैसी पहलों के लिए भूमि लागत को छोड़कर, पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। हथकरघा संवर्धन सहायता और लाइटिंग इकाइयों जैसे व्यक्तिगत बुनकरों को सीधे लाभान्वित करने वाले अन्य पहलों को सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है। व्यक्तिगत वर्कशेड-एससी/एसटी/ महिला/दिव्यांगों को भारत सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाता है। अन्य मदों को भारत सरकार तथा लाभार्थी द्वारा 75% और 25% के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है। सामान्य वर्कशेड और सौर प्रकाश प्रणाली के लिए 90% भारत सरकार द्वारा और 10% लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

2018-19 से 2020-21 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत क्लस्टर (31.1.2022 तक):

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत क्लस्टरों की सं.
1	2018-19	16
2	2019-20	21
3	2020-21	2
4	2021-22 (31.1.2022)	66

2. हथकरघा मार्केटिंग सहायता:

हथकरघा मार्केटिंग सहायता का मुख्य उद्देश्य बुनकरों एवं हथकरघा संगठनों को अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए मार्केटिंग मंच प्रदान करना है। एचएमए के घटक (क) घरेलू मार्केटिंग संवर्धन; (ख) हथकरघा निर्यात संवर्धन; (ग) शहरी हाट की स्थापना और (घ) मार्केटिंग प्रोत्साहन हैं। इस घटक के मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं:-

i. एक्सपो, कार्यक्रमों एवं शिल्प मेलों का आयोजन
ii. निर्यात संवर्धन
iii. हैंडलूम मार्क
iv. इंडिया हैंडलूम ब्रांड
v. ई-कॉमर्स
vi. मार्केटिंग प्रोत्साहन
vii. हथकरघा पुरस्कार
viii. भौगोलिक संकेतक
ix. जेम (जेम) ऑन-बोर्डिंग

i. एक्सपो, कार्यक्रमों, दिल्ली हाट प्रदर्शनी एवं शिल्प मेलों का आयोजन: राष्ट्रीय हथकरघा संगठनों, राज्य सरकारों / संघ राज्य-क्षेत्रों और राज्य सरकार की नामांकित हथकरघा एजेंसियों को हथकरघा उत्पादों को जिले से राष्ट्रीय स्तर तक बेचने के लिए शिल्प मेला, अन्य मार्केटिंग कार्यक्रम आदि राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो (एनएचई) और विशेष हथकरघा एक्सपो (एसएचई), जिला हथकरघा एक्सपो (डीएचई) जैसे मार्केटिंग कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान स्वीकृत कार्यक्रम इस प्रकार हैं: -

वर्ष	स्वीकृत कार्यक्रम	जारी की गई राशि (करोड़ रू. में)
2018-19	165	16.34
2019-20	127	14.76
2020-21	70	16.20
2021-22 (31.1.2022 के अनुसार)	179	26.13

ii. निर्यात संवर्धन: हथकरघा निर्यात संवर्धन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, सेलर्स-बायर्स मीट आदि में भाग लेने तथा नवीनतम डिजाइन, रुझान, रंग पूर्वानुमान आदि उपलब्ध कराने के लिए हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों/शीर्ष और हथकरघा निर्यातकों की सहायता करना है। इस घटक के तहत, (i) निर्यात परियोजनाओं (ii) बीएसएम/आरबीएसएम का आयोजन तथा (iii) विविध प्रचार गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान एचईपीसी ने 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। वर्ष 2018-19 के दौरान हथकरघा वस्तुओं का निर्यात 2399.39 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2019-20 में 2248.33 करोड़ रूपए रहा। वर्ष 2019-20 के दौरान, एचईपीसी ने 9 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया है और 2020-21 में एचईपीसी ने 10 वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन किया है तथा हथकरघा उत्पादों का निर्यात 1644.78 करोड़ रुपये हुआ। वर्ष 2021-22 के दौरान, एचईपीसी ने 31.10.2021 तक 02 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया था और हथकरघा उत्पादों के निर्यात में 1266.95 करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल की।

iii. हैंडलूम मार्क: हैंडलूम मार्क खरीदारों को गारंटी के रूप में सेवा देने के लिए लॉन्च किया गया है कि उनके द्वारा खरीदा जा रहा उत्पाद एक वास्तविक हस्तनिर्मित उत्पाद है और पावरलूम या मिल निर्मित उत्पाद नहीं है। हैंडलूम मार्क को समाचार पत्रों और पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिंडिकेटेड लेखों, फैशन शो, फिल्मों आदि में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित और लोकप्रिय किया जाता है। वस्त्र समिति हैंडलूम मार्क के प्रचार के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार हैंडलूम मार्क के लिए कुल 22639 पंजीकरण जारी किए गए हैं। 815 खुदरा आउटलेट हैंडलूम मार्क लेबल वाले हथकरघा सामान बेच रहे हैं।

iv. इंडिया हैंडलूम ब्रांड: ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सामाजिक एवं पर्यावरणात्मक अनुपालनों के अलावा कच्ची सामग्री, प्रोसेसिंग, बुनाई एवं अन्यक मानकों की दृष्टि से उत्पातदों की गुणवत्ता की पुष्टि हेतु माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 07.08.2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएसबी) का शुभारंभ किया गया था। 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' केवल उत्कृष्ट हस्त' निर्मित उत्पादों के इच्छुक ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले त्रुटिरहित प्रीमियम एवं प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है।'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का उद्देश्य बुनकरों के लिए विशेष बाजार स्थान तथा आय में वृद्धि करना है।

v. मार्केटिंग प्रोत्साहन: हथकरघा उत्पादों के मार्केटिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करने के लिए हथकरघा एजेंसियों को मार्केटिंग प्रोत्साहन दिया जाता है। हथकरघा एजेंसी को इस राशि का उपयोग उन गतिविधियों के लिए करना है जो उपभोक्ताओं को हथकरघा वस्तुओं की समग्र बिक्री को बढ़ाने के लिए आकर्षित करेगी। यह अवधारणा परिकल्पना हथकरघा एजेंसियों को उत्पादों की बढ़ती लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, डिजाइन में सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए अपनी कीमतों को समायोजित करने में सक्षम बनाती है ताकि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हो सके। इन प्रोत्साहनों की गणना पिछले 3 वर्षों के हथकरघा उत्पादों की औसत बिक्री पर 10% की दर से की जाती है जिसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच (राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों/समितियों के मामले को छोड़कर, जहां पूरी सहायता भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी) समान रूप से साझा किया जाएगा। मार्केटिंग प्रोत्साहन (एमआई) सहायता के लिए राज्य हथकरघा निगमों, शीर्ष सहकारी समितियों, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों के लिए पात्र होगी। वित्ती वर्ष 2017-18 के दौरान 22.61 करोड़ रूपए और वर्ष 2018-19 के दौरान 26.36 करोड़ रूपए, वर्ष 2019-20 के दौरान 36.66 करोड़ रूपए और वर्ष 2020-21 के दौरान 57.17 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान 12.95 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

vi. हथकरघा पुरस्कार: वस्त्र मंत्रालय हथकरघा बुनकरों को हथकरघा क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कांर तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। पुरस्कारों का संक्षिप्त सार इस प्रकार है:-

(क) संत कबीर पुरस्कार: संत कबीर पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जो इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोई भी हथकरघा बुनकर, जिसे राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार, राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिला है अथवा असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने बुनाई परम्परा के संवर्धन, विकास और संरक्षण तथा बुनकर समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

वित्तीय सहायता: इस पुरस्कार में 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, स्वर्ण से मढ़ा हुआ एक सिक्का, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्टफोन और प्रमाण पत्र शामिल है।

(ख) राष्ट्रीय पुरस्कार: राष्ट्रीय पुरस्कार हथकरघा बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट कारीगरी में योगदान और हथकरघा बुनाई के विकास में पहचान के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान उन्हें और अधिक उत्साहवर्धक और सार्थक तरीके से काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अन्य को भी उनका अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने हथकरघा उत्पाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

वित्तीय सहायता: इस पुरस्कार में 1.50 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्ट फोन तथा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र: राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र (एनएमसी) उत्कृष्ट एवं हुनरमंद हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जिसने हथकरघा उत्पाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वित्तीय सहायता: राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र में 0.75 लाख रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र शामिल होगा ।

वर्ष 2015 के दौरान इस मंत्रालय ने हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन विकास के क्षेत्र में अतिरिक्त, 03 राष्ट्रीय पुरस्कार और 06 राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार और हथकरघा उत्पादों के मार्केटिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 05 राष्ट्रीय पुरस्कार और 10 राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किए हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2016 से बुनाई के क्षेत्र में मौजूदा संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र के अलावा विशेष रुप से महिला हथकरघा बुनकरों के लिए 02 संत कबीर पुरस्कार, 04 राष्ट्रीय पुरस्कार और 04 राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाणपत्र भी शुरु किए गए हैं। महिला हथकरघा बुनकरों को यह विशेष पुरस्कार' एसकेए/एनए/एनएमसी (कमला देवी चट्टोपाध्याय)' के रूप में नामित किए गए हैं।

संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र पुरस्कारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	पुरस्कार का नाम	श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या			कुल जोड़
			सामान्य	विशेष रुप से महिलाओं के लिए	कुल	
01	संत कबीर पुरस्कार (एसकेए)	बुनाई	10	02	12	12
02	राष्ट्रीय पुरस्कार (एनए)	बुनाई	20	04	24	32
		हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास	03	-	03	
		हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग	05	-	05	
03	राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र (एनएमसी)	बुनाई	20	04	24	40
		हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास	06	-	06	
		हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग	10	-	10	
	कुल		74	10	84	40

नोट: - हथकरघा क्षेत्र में (हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए बुनाई, डिजाइन विकास और हथकरघा उत्पादों के मार्केटिंग) कुल मिलाकर अधिकतम 12 संत कबीर पुरस्कार, 32 राष्ट्रीय पुरस्कार और 40 राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

vii. वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक: वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है और इनका दूसरों द्वारा अनाधिकृत प्रयोग किए जाने से रोका जाता है। पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता 1.50 लाख रूपए और प्रशिक्षण तथा सूचना के प्रचार-प्रसार आदि के लिए 1.50 लाख रूपए हैं। अभी तक इस अधिनियम के तहत 72 हथकरघा उत्पादों को पंजीकृत किया गया है।

viii. जेमऑन-बोर्डिंग: विकास आयुक्त (हथकरघा) और जेम (सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर) प्राधिकारियों द्वारा बुनकरों, सहकारी समितियों और हथकरघा एजेंसियों को जेम पर पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि सरकारी विभागों को हथकरघा उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए मार्केटिंग सुविधाएं प्रदान की जा सकें और उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। अभी तक, 149429 बुनकरों और बुनाई इकाइयों को जेम वेब पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

3. मेगा हैंडलूम क्लस्टर

व्यापक विकास योजनाएं की रूपरेखा तैयार करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मेगा हैंडलूम क्लस्टरों को उनके समग्र विकास के लिए शुरू किया जाएगा। प्रत्येक मेगा हैंडलूम कलस्टर में कम से कम 10,000 हथकरघों को शामिल किया जाएगा, जिसमें प्रति मेगा क्लस्टर 30.00 करोड़ रुपये तक का भारत सरकार का योगदान होगा। प्रत्येक मेगा क्लस्टर की प्रकृति और सहायता का स्तर आवश्यकता आधारित होगा। परियोजना की अवधि 5 वर्ष है।

वित्त पोषण की पद्धति

सामान्य राज्य – भारत सरकार : राज्य सरकार/आईए - 80:20 पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, – भारत सरकार : राज्य सरकार/आईए - 90:10 जम्मू के संघ शासित राज्य, कश्मीर और लद्दाख,

भूमि की लागत राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन की जाती है और यह परियोजना लागत का हिस्सा नहीं होगी। अब तक आठ मेगा हैंडलूम क्लस्टरों की शुरूआत हो चुकी है।

4. हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती ऋण

ये ऋण तीन वर्षों की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा ब्याज सहायता की सीमा 7% तक है, प्रति हथकरघा बुनकर 25,000/- रुपए तक और प्रति हथकरघा संगठन के लिए प्रत्येक 100 बुनकर/कामगार के लिए 2.00 लाख रुपए की दर से 20.00 लाख रुपए तक की दर से मार्जिन मनी सहायता बढाई गई है। क्रेडिट गारंटी शुल्क भी तीन साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। ऑनलाइन दावे और मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी तथा क्रेडिट गारंटी शुल्क के वितरण के लिए वित्तीय सहायता के समय पर अंतरण हेतु पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से 'हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल' नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है। मार्जिन मनी सीधे बुनकर के ऋण खाते में अंतरित की जाती है तथा ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी शुल्क बैंकों को हस्तांतरित किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान 119.86 करोड़ रुपये की स्वीकृत/संवितरित राशि के साथ 22353 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान 47.38 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ 31.03.2021 तक 8456 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष 2021-22 (30.1.2022 तक) के दौरान, 42.05 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ 7575 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

5. हथकरघा बुनकर कल्याण

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) का नाम बदलकर हथकरघा बुनकर कल्याण कर दिया गया है, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार देश भर में हथकरघा बुनकरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जाता है–

(क) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
पीएमजेजेबीवाई एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, जो साल-दर-साल आधार पर नवीकरणीय होगा। इसके लिए 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी हथकरघा बुनकर/कामगार पात्र हैं। किसी भी कारण से लाभार्थी की मृत्यु पर 2.00 लाख रुपये देय हैं। 330/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा इस प्रकार है:

भारत सरकार का हिस्सा	150/- रुपये
राज्य सरकार/लाभार्थी का हिस्सा	180/- रुपये
कुल प्रीमियम	330/- रुपये

(ख) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

पीएमएसबीवाई एक बीमा योजना है जो मृत्यु अथवा दिव्यांगता के लिए दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, जो साल-दर-साल आधार पर नवीकरणीय होगा। इसके लिए 18-70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी हथकरघा बुनकर/कामगार पात्र हैं। उपलब्ध जोखिम कवर दुर्घटना मृत्यु/स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर 2.00 लाख रुपये और स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 1.00 लाख रुपये होगा। 12/- रुपये का पूरा वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई):

परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना एक ऐसी बीमा योजना है जो 51-59 वर्ष की आयु समूह वाले ऐसे हथकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए मृत्यु अथवा दिव्यांगता के लिए जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है जो दिनांक 31.05.2017 को एमजीबीबीवाई के तहत पहले से ही शामिल हैं। प्राकृतिक मृत्यु पर 0.60 लाख रुपये, दुर्घटनावश मृत्यु/पूर्ण दिव्यांगता पर 1.50 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 0.75 लाख रुपये का जोखिम कवर उपलब्ध होगा। 470/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा निम्नानुसार है:

भारत सरकार का हिस्सो	290/- रूपए
राज्य सरकार/लाभार्थी का हिस्सा	180/- रूपए
कुल प्रीमियम	470/-रूपए

(घ) लाभों का विवरण

बीमा कवरेज	योजनाएं		
	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	परिवर्तित एमजीबीबीवाई
प्राकृतिक मृत्यु	रू. 2,00,000	-	रू. 60,000
दुर्घटना मृत्यु	-	रू. 2,00,000	रू. 1,50,000

स्थायी दिव्यांगता	-	रू. 2,00,000	रू. 1,50,000
आंशिक दिव्यांगता	-	रू. 1,00,000	रू. 75,000

* सामाजिक सुरक्षा कोष से एलआईसी द्वारा पूर्व में वहन किए जाने वाले 100/- रुपये के प्रीमियम हिस्से को रोक दिया गया है। नामांकन कम करते हुए, यह अब लाभार्थी/राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

(ङ) पुरस्कार विजेता बुनकरों/कामगारों को विकट परिस्थितियों में वित्तीय सहायता

60 वर्ष से अधिक आयु के पुरस्कार विजेता (पदम श्री/संत कबीर/राष्ट्रीय/राज्य) हथकरघा बुनकरों/कामगारों, जिनकी जिला कलेक्टर (डीसी) द्वारा प्रमाणित वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम है, को विकट परिस्थितियों में प्रति पुरस्कार विजेता 8,000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

(च) छात्रवृत्ति

केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वस्त्र संस्थानों से 3/4 वर्षीय डिप्लोमा/ स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए हथकरघा बुनकरों/ कामगारों के बच्चों (2 बच्चों तक) को अधिकतम 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

हथकरघा की सुरक्षा और हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

हथकरघा की सुरक्षा और हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों की आजीविका तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण से उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। इस समय दिनांक 3.9.2008 के सख्या.एस.ओ. 2160 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत केवल हथकरघों पर उत्पान के लिए कुछ विनिर्देशों के साथ 11 प्रकार की वस्त्र मदें आरक्षित हैं। विभिन्न कार्यान्वायन एजेंसियों द्वारा (31.1.2022 की स्थिति के अनुसार) किए गए विद्युतकरघा निरीक्षणों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा तालिका 1.1 में दिया गया है।

दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद स्थित तीन प्रवर्तन कार्यालय हथकरघा की सुरक्षा और हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन का पालन सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार हथकरघा की सुरक्षा और हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन योजना के तहत प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता देती है। राज्य सरकारों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा तालिका 1.2 में दिया गया है:-

तालिका 1.1

क्र.सं.	वास्ताविक प्रगति	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (31.1.2022 के अनुसार)
1.	विद्युतकरघा निरीक्षणों का लक्ष्य	3,67,860	4,01,400	1,58,160	1,58,160
2.	निरीक्षित विद्युतकरघों की संख्या	3,85,557	4,08,660	1,81,530	1,25,539
3.	दर्ज एफआईआर की संख्या	67	88	11	49
4.	दोष सिद्धि	66	62	34	26

तालिका 1.2

(लाख रू. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (31.1.2022 के अनुसार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	43.15	53.90	12.09
2.	पश्चिम बंगाल	33.37	11.97	9.20	11.17
3.	गुजरात	15.39	7.82	8.95	13.84
4.	राजस्थान	14.54	12.39	-	-

5.	मध्य प्रदेश	8.72	15.74	-	14.94
6.	हरियाणा	-	10.19	-	-
7.	तमिलनाडु	57.06	117.60	107.12	164.02
8.	उत्तनर प्रदेश	91.63	57.50	167.93	140.75
9.	केरल	-	-	-	-
10	तेलंगाना	7.18	-	44.08	-
	कुल	227.89	276.36	391.18	356.81

II कची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के यार्न उपलब्ध कराने के लिए देश भर में कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, हथकरघा और वस्त्र आयुक्त/निदेशक के माध्यम से राज्य सरकारें, शीर्ष सोसाइटियां तथा राज्य हथकरघा निगम राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। इस योजना के तहत मालभाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का 2% (प्रति माह 15,000/- रुपये तक सीमित) डिपो परिचालन शुल्क डिपो परिचालन एजेंसियों को दिया जाता है।

आईए को मालभाड़ा प्रतिपूर्ति, डिपो परिचालन व्यय और सेवा शुल्क की दरें निम्नानुसार हैं:

(आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का %)

क्षेत्र	मालभाड़ा			डिपो परिचालन शुल्क	कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क
	सिल्क यार्न	जूट/कॉयर यार्न	सिल्क के अलावा और जूट/ कॉयर यार्न		
सामान्य राज्यों में	1.0%	10%	2.5%	2.0%	2%
पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में	2.25%	10%	7.5%	2.0%	2.50%

इसके अलावा, कॉटन हैंकयार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन यार्न और प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न पर मात्रा प्रतिबंधों के साथ 15% मूल्य सब्सिडी प्रदान की जाती है।

2018-19 से परिवहन सब्सिडी के तहत यार्न आपूर्ति:

वर्ष	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (लाख रू. में)
2018-19	442.04	89714.50
2019-20	406.17	70061.02
2020-21	215.09	52167.40
2021-22 (31 जनवरी, 2022)	172.66	52558.05

2018-19 से कच्चा माल मूल्य सब्सिडी के तहत यार्न आपूर्ति:

वर्ष	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (लाख रू. में)
2018-19	146.26	50198.32
2019-20	93.26	36566.69
2020-21	78.56	30968.99
2021-22 (31 जनवरी, 2022)	75.11	34568.84

वर्ष 2018-19 से आरएमएसएस के तहत जारी की गई निधियां इस प्रकार है:-

वर्ष	जारी निधियां (करोड़ में)
2018-19	126.84
2019-	142.21
2020-2021	60.32
2021-22 (31 जनवरी, 2022)	79.15

हथकरघा संगठन

क) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) फैब्रिक्स, होम फार्निशिंग, कारपेट और फ्लोरकवरिंग आदि जैसे सभी हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नोडल एजेंसी है। एचईपीसी का गठन 96 सदस्यों के साथ 1965 में किया गया और समूचे देश में इसकी वर्तमान सदस्यता 1332 है। एचईपीसी का मुख्यालय चेन्नई में है और क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है।

एचएचईपीसी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार संवर्धन एवं अंतरर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए भारतीय हथकरघा निर्यातकों तथा अंतरर्राष्ट्रीय क्रेताओं को सभी प्रकार की सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है।

- तमिलनाडु में करूर एवं मदुरै, केरल में कन्नूर तथा हरियाणा में पानीपत में प्रमुख हथकरघा निर्यात केंद्र हैं। निर्यात योग्य हथकरघा उत्पाद जैसे कि टेबलमेट्स, प्लेसमेट्स, कशीदाकारी वस्त्र सामग्री, पर्दे, फर्श मैट, किचनवेयर आदि का उत्पादन करूर, मदुरै और कन्नूर में किया जाता है, जबकि पानीपत दरियों और अन्य भारी किस्मों के लिए प्रसिद्ध है जहां हाथ से बुने यार्न का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है।

- इसके अलावा, केरल, वाराणसी, भागलपुर, शांतिपुर, जयपुर, अहमदाबाद, वारंगल, चिराला, पोचमपल्ली और संपलपुर जैसे अन्य केंद्र भी हैंडलूम निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बड़ी संख्या में व्यापारी निर्यातक हैं जो अपने उत्पादों इन केंद्रों से खरीदते हैं।

एचईपीसी के उद्देश्य:

परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. सदस्य निर्यातकों को व्यापारिक सूचना तथा आसूचना का प्रचार-प्रसार,
2. भारतीय हथकरघा उत्पादों का विदेशों में प्रचार,
3. उत्पाद विविधीकरण एवं आधुनिक मार्केटिंग जरूरतों की पूर्ति को सुगम बनाना,
4. निर्यात-बाजार हेतु हथकरघों के आधुनिकीकरण की गति को तेज करना,
5. हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु डिजाइन संबंधी इनपुट का प्रावधान करना,
6. व्यापार मिशनों/बायर्स-सेलर्स मीट का आयोजन एवं विदेशों के व्यापार मेलों में भागीदारी,
7. हथकरघा निर्यातकों हेतु परामर्शी एवं मार्गदर्शी सेवाएं,
8. हथकरघा निर्यात व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के प्रक्रियात्म,क एवं नीतिगत मामलों में भारत सरकार के साथ सम्पर्क करना,
9. हथकरघा निर्यातकों से संबंधित व्यापारिक शिकायतों का निपटान,
10. हथकरघा निर्यातकों के लाभ के लिए विदेश स्थित वाणिज्यिक एजेंसियों के साथ आयात संवर्धन हेतु संपर्क करना।

निर्यात लक्ष्य और उपलब्धियां:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	
		करोड़ रुपये में	यूएस डॉलर में
2018-19	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2399.39	343.43
2019-20	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2248.33	315.62
2020-21	निर्धारित नहीं	1644.78	222.65
2021-22 (नवम्बर, 2021)	निर्धारित नहीं	1266.95	170.93

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी)

परम्परागत और समसामयिक डिजाइनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 में राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) की स्थापना की गई है ताकि हथकरघा क्षेत्र को तेजी से बदलती बाजार की मांग के अनुरुप बनाया जा सके। इस समय, एनसीटीडी दिल्ली स्थित बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यूएससी) के परिसर से कार्य कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान, कुल 333 डिजाइन नामित किए गए हैं जिन्हें अभी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना हैं। एनसीटीडी की वेबसाइट अभी विकसित की जानी है। वेबसाइट विकसित होते ही, उसे शीघ्र अपलोड कर दिया जाएगा।

9.2 हस्तशिल्प:

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक सार्थक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में शिल्पियों के बहुत बड़े समूह को रोज़गार प्रदान करता है तथा अपनी शिल्प विरासत को जीवित रखते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में अपना विशेष महत्व रखता है। हस्तशिल्प में विशाल सम्भावनाएं हैं, चूंकि इसमें न केवल देश के सभी भागों में फैले हुए मौजूदा लाखों कारीगरों को, बल्कि शिल्प कार्यकलापों में बड़ी संख्या में प्रवेश पाने वाले नए कारीगरों को बनाए रखने की भी क्षमता है। हस्तशिल्प क्षेत्र का रोजगार उत्पादन तथा निर्यात

में विशेष योगदान जारी है।

हस्तशिल्प क्षेत्र में कम पूंजी, नई तकनीकों की जानकारी का अभाव, विपणन आसूचना का अभाव तथा अपर्याप्त संस्थागत फ्रेमवर्क जैसी समस्याएँ रही हैं। इन समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और चालू वर्ष के दौरान उत्पाद विकास, घरेलू बिक्री और निर्यात के मामले में अब क्षेत्र में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय कार्यालय के साथ समग्र भारत में विद्यमान है। देश भर में 61 हस्तशिल्प केन्द्रों मुख्यत: शिल्प केन्द्रित क्षेत्रों के कार्यकरण को समन्वित करने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और गुवाहाटी में 06 क्षेत्रीय कार्यालय है।

कारीगर :अनुमानित हस्तशिल्प कारीगरों की कुल संख्या 68.86 लाख है, इनमें से 30.25 लाख पुरुष हैं और 38.61 लाख महिला कारीगर हैं।

कारीगरों की जनसांख्यिकीय रुपरेखा:

महिला	56.13 %
पुरुष	43.87 %
अनुसूचित जाति	20.8%
अनुसूचित जनजाति	7.5%
अन्य पिछडा वर्ग	52.4%
सामान्य	19.2%

9.2.1 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन सहित देश भर में कारीगरों को विभिन्न मेलों में मिल रही घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पहुंच [एक्स्पोज़र] और गुजरात, ओडिशा और उत्तराखंड में 66.31 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 3 सीएचसीडीएस परियोजनाओं की स्थापना से हस्तशिल्प क्षेत्र निर्यात के मामले में तेजी से बढ़ रहा है ।

वर्ष 2021-22 के दौरान (अक्टूबर, 2021 तक) हस्तनिर्मित कालीनों सहित हस्तशिल्प का निर्यात 29020.94 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात 39490.37 करोड़ रुपए था।

2018-19 से 2020-21 के दौरान (31 अक्टूबर, 2021 तक) हस्तशिल्पों का निर्यात

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उत्पादन और निर्यात

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपये में) *	रत्न एवं आभूषणों को छोड़कर हस्तशिल्प का निर्यात (करोड़ रुपये में)
2018-19	50606.00	37913.66
2019-20	49537.53	37069.59
2020-21	52524.35	39490.37
2021-22 (अक्टूबर, 2021 तक)	38649.02	29020.94

9.2.2 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्न दो योजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है-

क. "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" (एनएचडीपी)

उप योजनाएँ:

1. विपणन सहायता एवं सेवाएं
2. हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास
3. अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
4. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
5. इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौद्योगिकी सहायता
6. अनुसंधान एवं विकास

(ख) व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना [मेगा कलस्टर योजना]

(i) अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना [एएचवीवाई]

इस योजना का उद्देश्य कारीगरों के समूहों को प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं परस्पर सहयोग के सिद्धान्त के आधार पर व्यावसायिक रुप से व्यवस्थित और आत्मनिर्भर समुदाय उद्यमियों के रुप में विकसित करते हुए भारतीय हस्तशिल्पों का संवर्धन करना है। इस योजना में हस्तशिल्प के सतत विकास हेतु शिल्पियों की सहभागिता द्वारा परियोजना आधारित, आवश्यकता आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके। योजना के संघटक निम्न प्रकार से हैं-

1. चिन्हित शिल्प कलस्टर का नैदानिक सर्वेक्षण और कारीगरों को स्वंय सहायता समूहों (एसएचजी) में जोड़ना।
2. डीपीआर को तैयार करना
3. (क) उत्पादक कंपनी का निर्माण
   (ख) कार्यगत पूंजी समर्थन सहायता
4. कार्यशाला एवं संगोष्ठी
5. उद्यमिता विकास कार्यक्रम

6. डिजाइन मेंटरशिप कार्यक्रम
7. परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन
8. विदेशी बाज़ारों के लिए डिजाइन सहायता
9. अध्ययन एवं ज्ञान दौरा।

2577.00 लाख रुपये की सीमा तक 656 इंटरवेंशनों को मंजूरी दी गई है और 30.11.2021 तक 1401.65 लाख रूपये जारी कर दिये गए हैं।

(ii) हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास

हस्तशिल्प अपने सौंदर्यशास्त्र, संबद्ध पारंपरिक मूल्यों, विशिष्टता, गुणवत्ता और शिल्पकारिता के लिए प्रसिद्ध है। सामान्यतया पारंपरिक ज्ञान और शिल्प अभ्यास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राकृतिक शिक्षा के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। तथापि, नए औजारों और प्रोद्यौगिकी के उद्भव से, शिल्प ज्ञान की प्रक्रिया में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। परिवर्तनशील हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए मानकीकृत उत्पादन प्रक्रियाएँ, कुशल मानवबल, हस्तशिल्प उत्पादों के लिए डिजाइन डाटाबेस, त्वरित एवं प्रभावी प्रोटोटाइपिंग, संचार कौशल और अन्य सॉफ्ट स्किल अपरिहार्य आवश्यकताएं बन गई हैं। "हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास" उप योजना का सूत्रपात इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है और इसके निम्नलिखित चार घटक हैं:

1. डिज़ाइन एवं प्रोद्यौगिकी विकास कार्यशाला
2. गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. वृहत कौशल उन्नयन कार्यक्रम
4. उन्नत टूलकिट वितरण कार्यक्रम

डिजाइन एवं प्रोद्यौगिकी उन्नयन योजना के तहत, वर्ष 2021-22 के दौरान 177 विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए निधियां स्वीकृत की गई है और कारीगरों को 13852 उन्नत टूल किट प्रदान किए गए हैं और 30.11.2021 तक 23.34 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए जिससे 19422 कारीगर लाभान्वित हुए तथा मानव संसाधन विकास योजना के तहत, 30.11.2021 तक विभिन्न शिल्पों में 4270 कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1143.08 लाख रुपए व्यय के विविध प्रकार के 211 हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं।

(iii) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ (कल्याण):

यह योजना कारीगरों को स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, पहचान, ऋण सुविधाएँ देने, औजार एवं उपस्कर मुहैया कराने आदि जैसे कल्याणकारी उपायों की ओर परिकल्पित है। इस योजना के मुख्य संघटक निम्न प्रकार से हैं-

1. विषम परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता
2. ब्याज अनुदान
3. मार्जिन मनी
4. फोटो पहचान-पत्र जारी/नवीनीकरण करना और डाटाबेस का निर्माण
5. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना
   क. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
   ख. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
ग. अभिसरित संशोधित आम आदमी बीमा योजना (अभिसरित संशोधित एएबीवाई)
6. जागरूकता कैंप/चौपाल/शिविर
7. कार्यशाला सह सेमिनार
8. हस्तशिल्प पुरस्कार।

कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ (कल्याण) योजना के तहत 30.11.2021 तक 1.64 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

(iv) अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता

निकटतम संभावित स्थान पर अपेक्षित प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधिकरण, डिज़ाइन विकास, कच्चा माल बैंक तथा विपणन एवं संवर्धन सुविधाओं की उपलब्धता और देश में कौशलयुक्त व्यक्तियों के रिसोर्स पूल में सुधार सुनिश्चित करना। इस योजना का उद्देश्य देश में हस्तशिल्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है और विश्व बाज़ार में मुक़ाबला करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता एवं लागत को बढ़ाना है जिससे कि हमारे उत्पाद विश्व बाजार में मुकाबला कर सकें।

दिनांक 30.11.2021 तक अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजना के तहत, अवसंरचनात्मतक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16.24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

(v) विपणन सहायता एवं सेवाएँ

हस्तशिल्पों का संवर्धन एवं बाज़ार बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पात्र संगठनों को मेट्रोपॉलिटन शहरों/राज्यों की राजधानियों/ पर्यटक अथवा वाणिज्यक स्थलों/अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शनियां/संगोष्ठियां आयोजित करने/उनमें भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे देश के विभिन्न भागों के हस्तशिल्प कारीगरों/ स्वावलंबन समूहों को प्रत्यक्ष विपणन मंच मुहैया होगा।

दिनांक 30.11.2021 तक, 172 घरेलू विपणन कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं। ये कार्यक्रम कारीगरों को गांधी शिल्प बाजार, शिल्प बाजार, विषयगत प्रदर्शनी, राष्ट्रीय मेले आदि के माध्यम से घरेलू विपणन अवसर प्रदान करने में सहायक हैं। 2037.19 लाख रुपए

की कुल स्वीकृत निधि के साथ 11378 कारीगर लाभान्वित हुए हैं और 1053.62 लाख रुपए रिलीज़ किए गए हैं।

(vi) अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास योजना की शुरुआत महत्वपूर्ण शिल्पों के सर्वेक्षण एवं अध्ययन करने हस्तशिल्प क्षेत्र की समस्याओं तथा विशिष्ट पहलुओं का गहन विश्लेषण करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे नीति आयोजन में उपयोगी इनपुट सृजित किए जा सकें तथा चल रहे कार्यकलापों को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और इस कार्यालय द्वारा क्रियान्वित स्कीमों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके। 12वीं योजना के दौरान निम्न क्रियाकलाप किये जाएंगे :

1. विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन।
2. लेबलिंग/ प्रमाणीकरण के प्रयोजन से लीगल, पैरा लीगल, मानकों, ऑडिटों और अन्य प्रलेखनों को तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता।
3. क्षेत्र/खंड को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए लुप्तप्राय शिल्पों सहित शिल्पों के संरक्षण, डिज़ाइन, विरासत, ऐतिहासिक ज्ञान आधार, अनुसंधान एवं इनके क्रियान्वयन से जुड़ी क्रियाविधि (मैकेनिज़्म) को बनाने, विकसित करने हेतु संगठनों को वित्तीय सहायता।
4. देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना कराना।
5. जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत शिल्पों का पंजीकरण और क्रियान्वयन संबंधी आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई।
6. जेनेरिक उत्पादों के लिए हस्तशिल्प मार्क सहित बार कोडिंग और ग्लोबल मानकों को अपनाने में हस्तशिल्प निर्यातकों की सहायता करना।
7. भारतीय हस्तशिल्प के ब्रांड निर्माण तथा संवर्धन से जुड़ी समस्याओं /मुद्दों को उठाने के लिए वित्तीय सहायता ।
8. हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े विशेष प्रकार के मुद्दों पर कार्यशालाओं /सेमिनारों का आयोजन।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 02 सर्वेक्षण/अध्ययन एवम 139 कार्यशालाओं/सेमिनारों के लिए 30.11.2021 तक 3.78 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

9.2.3 व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (मेगा कलस्टर)

मेगा कलस्टर अप्रोच उन हस्तशिल्प कलस्टरों में आधारभूत संरचनात्मक एवं उत्पादन श्रृंखला को प्रवर्धित करने की एक मुहिम है जो असंगठित रहे हैं और जो अभी तक हुए आधुनिकीकरण और विकास के साथ बराबरी नहीं कर सके हैं। इस क्षेत्र की संभावनाएं आधारभूत संरचनात्मक उन्नयन, मशीनरी के आधुनिकीकरण और उत्पाद विविधीकरण में निहित हैं। कलस्टरों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए उपयुक्त बाज़ार सृजित करने हेतु मूल सिद्धांत के रुप में देशी उत्पादों के लिए ब्रांड निर्माण के अतिरिक्त अभिनव निर्माण सहित डिजाइनिंग की जानकारी अत्यावश्यक है। यह कार्यक्रम विपणन लिंकेजेस और उत्पाद विविधीकरण के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन का समर्थन करता है। हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, एनएचडीपी द्वारा प्राथमिक उत्पादकों की सहायता, डिज़ाइन में मदद करने तथा कारीगरों को प्रशिक्षण देने और विपणन सहायता के प्रावधान के साथ ब्लॉक स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की संशोधित रणनीति अपनाई गई है।

(i) नरसापुर, मुरादाबादबाद, मिर्जापुर-भदोही, श्रीनगर, जोधपुर, बरेली, लखनऊ, कच्छ और जम्मू एवं कश्मीर में नौ हस्तशिल्प मेगा कलस्टर मंजूर किए गए हैं और अब तक 218.38 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(ii) उत्तराखंड, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और हिमाचल प्रदेश में 12 हस्तशिल्प एकीकृत विकास तथा संवर्धन परियोजनाएँ (विशेष परियोजनाएं) हैं और अभी तक 103.19 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं।

9.2.4 हस्तशिल्प संगठन:

(i) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद

वर्ष 2021-22 (नवंबर, 2021 तक) के लिए परिषद की गतिविधियां

1. 2138 की सदस्यता (नवंबर, 2021 तक)

2. भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों और अन्य वस्त्र फर्श बिछावनों का निर्यात –

वर्ष	करोड़ रुपए में कुल निर्यात	कुल निर्यात यूएस मिलियन डॉलर में
2015-16	11,299.73	1,726.76
2016-17	11,895.17	1,773.98
2017-18	11,028.05	1,711.17
2018-19	12,364.69	1,765.94
2019-20	11,799.46	1,666.09
2020-21	13,810.41	1,869.18
2021-22 (सितंबर 2021)	8,098.42	1,095.42

3. वर्ष 2021-22 के दौरान (नवंबर, 2021 तक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:-

क्रमांक	गतिविधि	अप्रैल-नवंबर, 2021
1	जारी की गई कालीन लेबलें	72,500
2	घरेलू गतिविधि	6

आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

1. 20 से 26 सितंबर, 2201 तक वाणिज्य सप्ताह

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले उत्सव के लिए, वाणिज्य विभाग ने आर्थिक वृद्धि, विशेष रूप से भारत से निर्यात संवर्धन पर फोकस करते हुए 20 से 26 सितंबर, 2021 तक वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया। सप्ताह के दौरान भारत के निर्यात दर्शाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं का संवर्धन करना, सभी स्तरों पर सरकार द्वारा निर्यातकों को दिए जाने वाले समर्थन के बारे में जागरूकता फैलाना, पिछले 75 वर्षों में विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राप्त आर्थिक प्रगति और भारत की निर्यात क्षमता हासिल करने के लिए आगे का रोडमैप बनाना है।

1.1 21 एवं 22 सितंबर, 2021 को श्रीनगर(जम्मू एवं कश्मीर) में निर्यातक संगोष्ठी का आयोजन:

21 सितंबर, 2021 को, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद और वूल एवं वूलन निर्यात संवर्धन परिषद ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के सहयोग से कश्मीर हाट, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का सफल संचालन किया। इस उत्सव में निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों ने भाग लिया:

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर सरकार
महानिदेशक (विदेशी व्यापार)	कालीन निर्यात संवर्धन परिषद
वूल एवं वूलन निर्यात संवर्धन परिषद	ईसीजीसी
भारतीय पैकेजिंग संस्थान	स्पाइसेज बोर्ड
जे एंड के बैंक	आईआईसीटी, श्रीनगर
निफ्ट, श्रीनगर	एचडीएफ़सी बैंक

कार्यक्रम का उदघाटन श्री बसीरअहमद खान, जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार, सुश्री जीविशा जोशी (उप सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार), श्री मसूद अहमद खान (निदेशक हस्तशिल्प, जम्मू एवं कश्मीर सरकार), श्री उमर हमीद (अध्यक्ष, सीईपीसी), श्री शेख आशिक अहमद (सदस्य सीओए, सीईपीसी), श्री खजूरिया (उपाध्यक्ष डबल्यूडबल्यूईपीसी) द्वारा किया गया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर समारोह की गरिमा बढ़ाई। श्री बसीर ने सभी स्टॉलों का दौरा किया और इस कार्यक्रम में अपने उत्कृष्ट उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए निर्यातकों/कारीगरों को बधाई दी। कश्मीर हाट निर्यातकों, कारीगरों और अन्य सम्मानित संस्थानों द्वारा 60 से अधिक स्टॉल लगाए गए।

1.2 डीआईसी द्वारा 24 सितंबर, 2021 को भदोही में आयोजित निर्यातक संगोष्ठी

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले उत्सव के लिए, सीईपीसी ने 24 सितंबर, 2021 को भदोही कालीन एक्स्पोमार्ट, कार्पेट सिटी में आयोजित निर्यातक संगोष्ठी में भाग लिया। श्री रमेश चंदबिन्द, माननीय संसद सदस्य, भदोही मुख्य अतिथि थे और श्री योगेश्वर राम मिश्रा, कमिश्नर विंध्याचल मण्डल समारोह के विशेष अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान अनेक निर्यातकों ने उत्कृष्ट कालीनों का प्रदर्शन किया।

श्री आर्यका अखौरी, डीएम, श्री रामबदन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिला पंचायत प्रधान, श्री हरेन्द्र प्रताप, उपायुक्त उद्योग, श्री गगनदीप सिंह, उप निदेशक डीजीएफ़टी, श्री उमेश कुमार सिंह, संयुक्त आयुक्त (उद्योग) आदि ने अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई और उद्योग के हित में सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

1.3 24 सितंबर, 2021 को आगरा में निर्यातक संगोष्ठी

वाणिज्य सप्ताह के दौरान 24 सितंबर, 2021 को, सीईपीसी ने आगरा व्यापार केंद्र (उत्तर प्रदेश) में आयोजित निर्यातक संगोष्ठी में इस कार्यक्रम मे प्रो॰ एस पी बघेल, माननीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री, भारत सरकार मुख्य अतिथि थे और चौधरी उदयभान सिंह, माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री, निर्यात संवर्धन, वस्त्र, उत्तर प्रदेश सरकार समारोह के विशेष अतिथि थे।

1.4 24 सितंबर, 2021 को पानीपत में निर्यातक संगोष्ठी का आयोजन

24 सितंबर, 2021 को, जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग केंद्र पानीपत, हरियाणा सरकार ने पानीपत क्लब, जी टी रोड, पानीपत में निर्यातक संगोष्ठी का आयोजन किया। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले उत्सव के लिए, वाणिज्य विभाग ने आर्थिक वृद्धि, विशेष रूप से भारत से निर्यात संवर्धन पर फोकस करते हुए 20 से 26 सितंबर, 2021 तक वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया। परिषद ने निर्यातक संगोष्ठी में भाग लिया।

1.5 डीआईसी द्वारा 26 सितंबर, 2021 को मिर्जापुर में आयोजित निर्यातक संगोष्ठी

सीईपीसी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले उत्सव के लिए रविवार, 26 सितंबर, 2021 को रिद्धी वृद्धि बेंक्विट हॉल, जांघी रोड, मिर्ज़ापुर में आयोजित निर्यातक संगोष्ठी में भाग लिया। लगभग दो दर्जन स्टॉलों में निर्यातकों ने उत्कृष्ट दरियाँ, कांसे के बर्तनों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, विशेष अतिथि श्री योगेश्वर राम मिश्रा, कमिश्नर, विंध्याचल मण्डल, श्री प्रवीण कुमार लक्षकर, जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर और श्री सिद्धान्त सिंह, पूर्व अध्यक्ष सीईपीसी थे।

1.6 28 अक्टूबर, 2021 को आगरा में निर्यातक संगोष्ठीं का आयोजन

उत्तर प्रदेश को लोजीस्टिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन के माध्यम से देश का प्रमुख निर्यात हब सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट अथॉरिटी (एपीईडीए) ने 28 अक्तूबर, 2021 को आगरा व्यापार केंद्र में 'निर्यातक संगोष्ठी' का आयोजन किया, जिसमें चमड़ा, फुटवियर, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, कृषि और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के मुख्य पण-धारकों ने भाग लिया। 'निर्यातक संगोष्ठी' को संबोधित करते हुए, श्री बी वी आर सुब्रमणियम, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 400 बिलियन डॉलर के उत्पाद निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है।

'निर्यातक संगोष्ठी' में श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव और श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डॉ एम अंगमुथु, अध्यक्ष, एपीईडीए और विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद से श्री आर डी शर्मा, सदस्य सीओए, सीईपीसी ने भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग एवं परिषद का प्रतिनिधित्व किया।

(ii) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद.

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद: वर्ष 2021 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान हस्तशिल्पों के संवर्धन, विकास और निर्यात वर्धन के लिए ईपीसीएच द्वारा आरंभ की गई गतिविधियों की सूचना निम्न प्रकार से हैं:

1. वर्ष 2021 में आयोजित/भाग लिए गए प्रदर्शनियाँ/मेले/बीएसएम-

क्रमांक	मेले/प्रदर्शनी का नाम	तिथि
1	आईएचजीएफ़-दिल्ली मेला बसंत, 2021 का 51वां अंक-वर्चुअल व्यापार मेला	19-23 मई, 2021
2	भारतीय फैशन ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ शो-वर्चुअल व्यापार मेला	27 से 30 जुलाई, 2021
3	सीजीआई, टोरोंटो, कनाडा द्वारा आयोजित इंडिया डे 2021 वर्चुअल एक्स्पो कनाडा	08 से 15 अगस्त, 2021
4	ब्रिक्स व्यापार मेला 2021 (वर्चुअल मोड में)	16-18 अगस्त, 2021
5	वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक (यूरोप और सीआईएस क्षेत्र)	21-24 सितंबर, 2021
6	इंडिया इन्टरनेशनल हॉस्पिटेलिटी एक्स्पो (इंडिया एक्स्पो सेंटर एंड मार्ट में)	24-27 सितंबर, 2021
7	आयुर्योग एक्स्पो 2021 (इंडिया एक्स्पो सेंटर एंड मार्ट में)	25-27 सितंबर, 2021
8	आईएचजीएफ़-दिल्ली मेला शरद, 2021 का 52वां अंक (इंडिया एक्स्पो सेंटर एंड मार्ट में)	28-31 अक्तूबर, 2021
9	एचजीएच इंडिया फेयर (इंडिया एक्स्पो सेंटर एंड मार्ट में)	30 नवंबर-03 दिसं., 2021

2. वर्चुअल रीति से आयोजित सेमिनार

• सम्पूर्ण भारत में 15 सेमिनार आयोजित किए गए।

भारतीय फैशन ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ शो- वर्चुअल व्यापार मेला

IFJAS 2021
WELCOME
RESOURCE CENTER
AUDITORIUM
EXHIBITION HALLS
TRENDS PAVILION
INDIAN FASHION JEWELLERY & ACCESSORIES SHOW
SEE YOU NEXT !
DELHI FAIR
16 - 20 OCT. 2021
SCHEDULE OF ACTIVITY

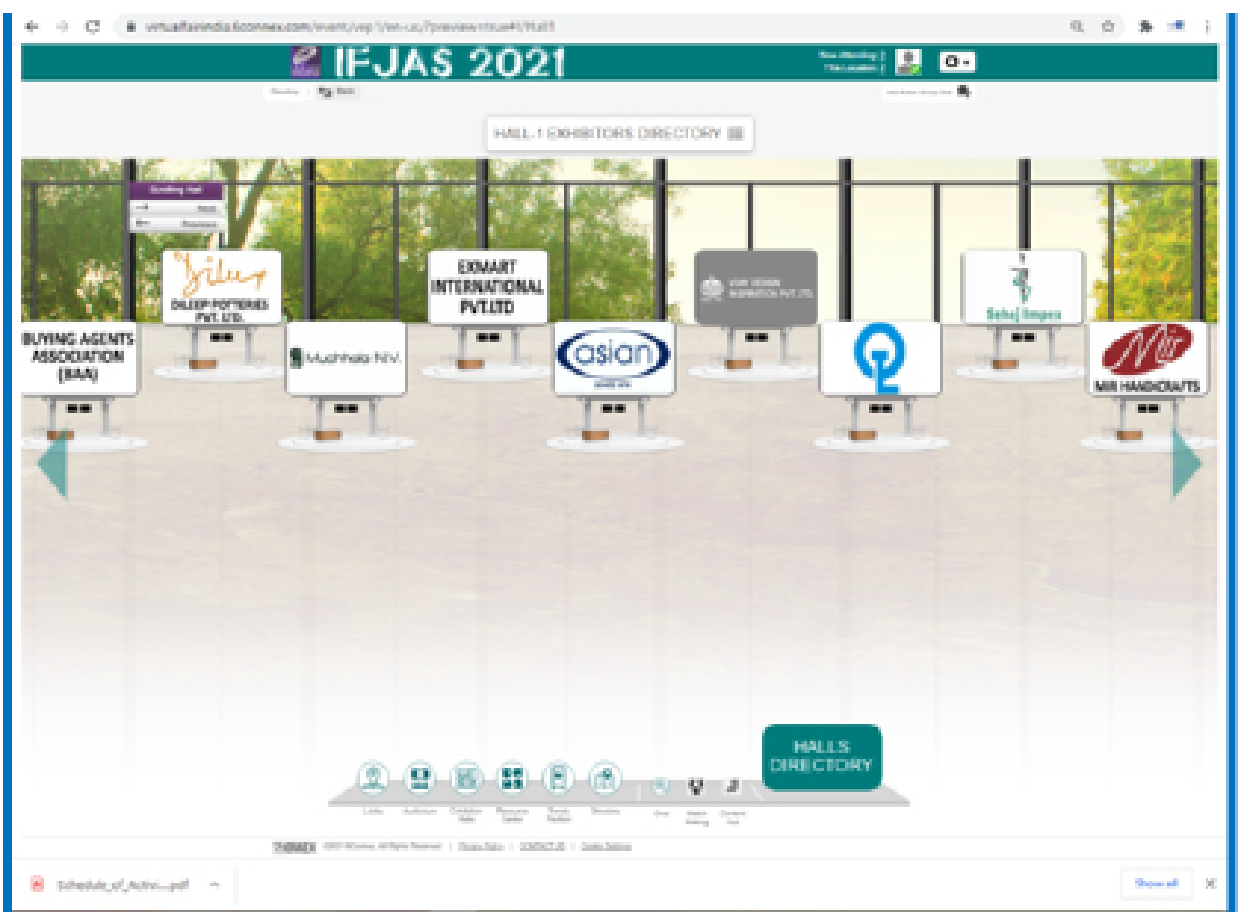
IFJAS 2021
HALL-1 EXHIBITORS DIRECTORY
BUYING AGENTS ASSOCIATION (BAA)
DILEEP POTTERIES PVT. LTD.
Mushala NV.
EXMART INTERNATIONAL PVT.LTD
asian
MIR HANDICRAFTS
HALLS DIRECTORY

सीजीआई, टोरोंटो, कनाडा द्वारा आयोजित इंडिया डे 2021 वर्चुअल एक्स्पो कनाडा

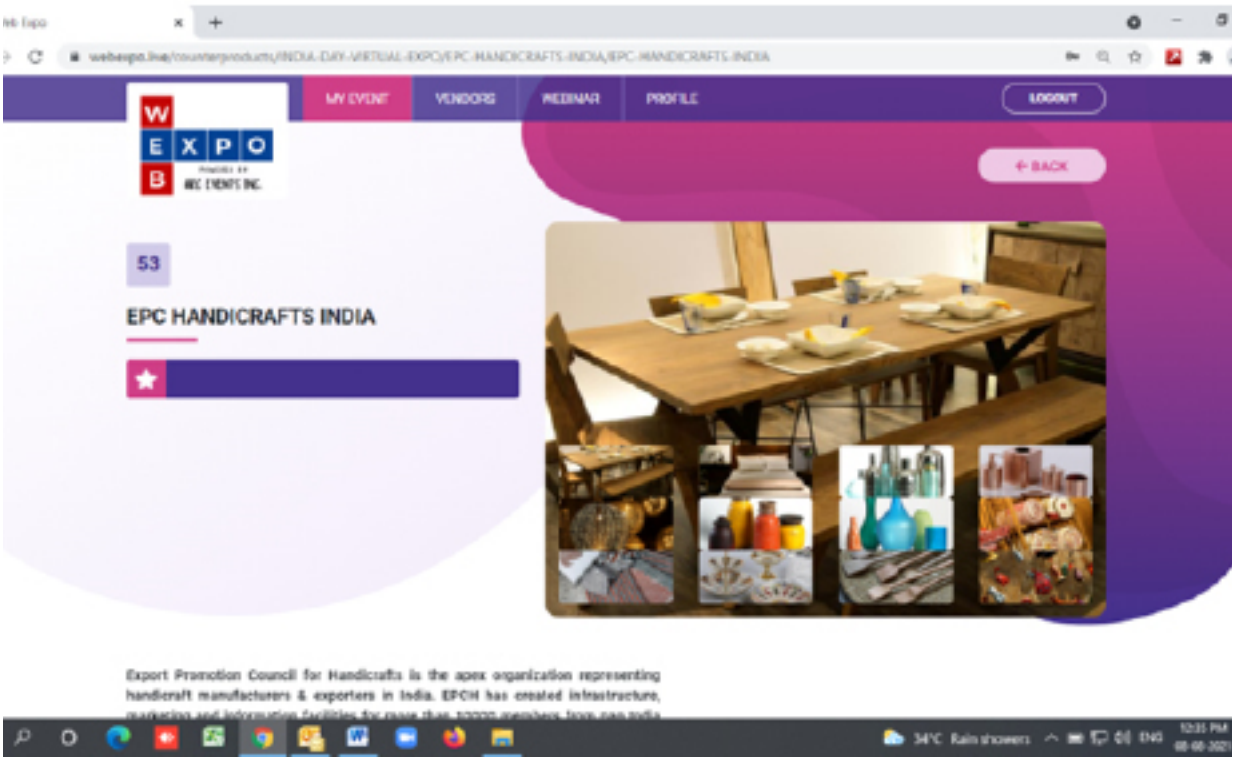

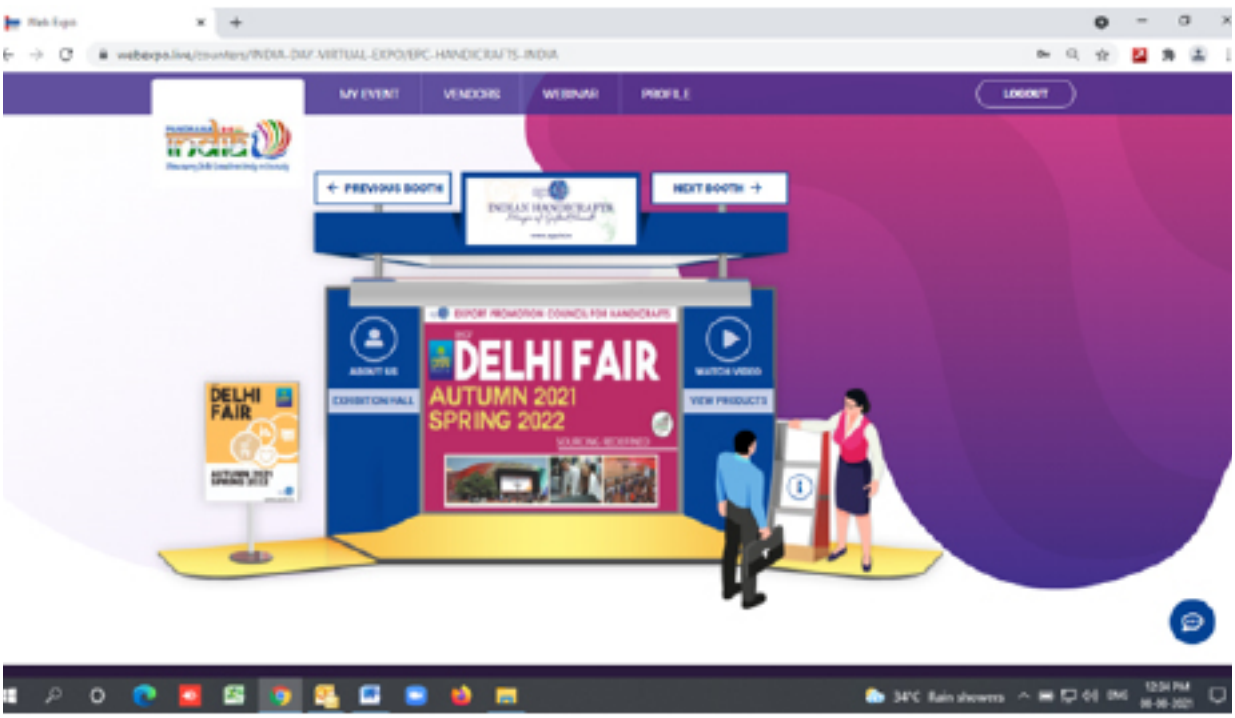

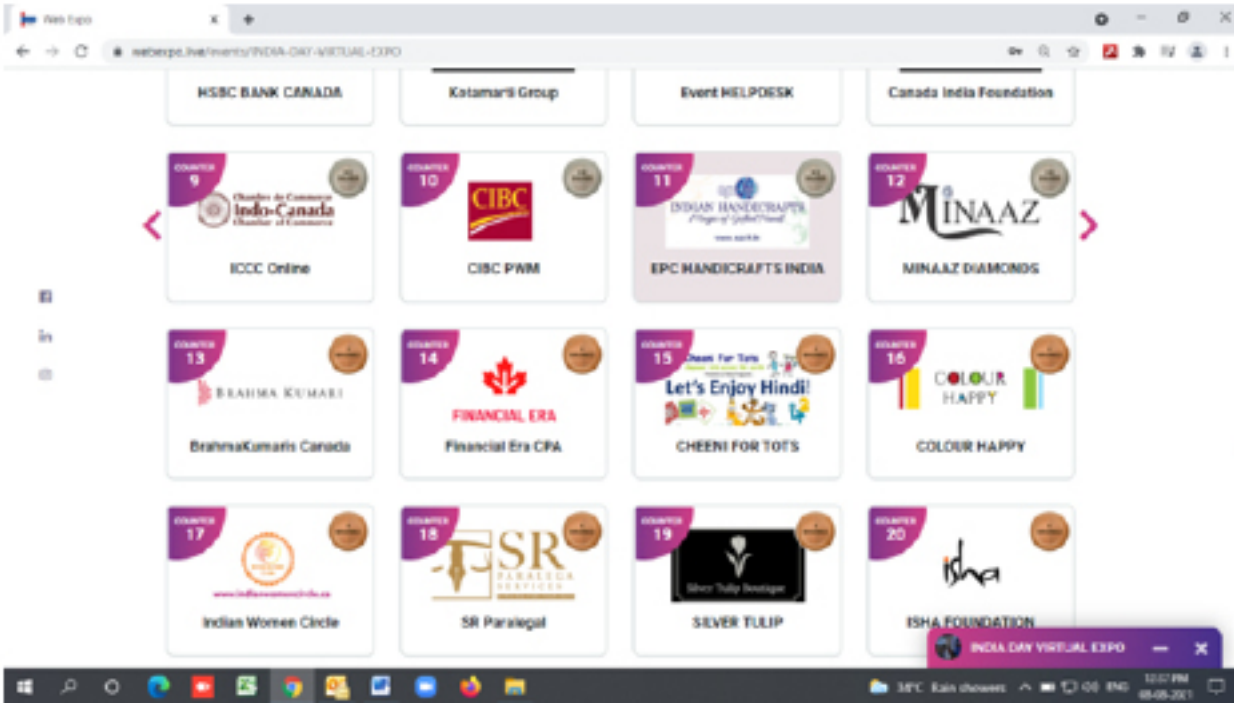

ब्रिक्स व्यापार मेला 2021 (वर्चुअल मोड में)

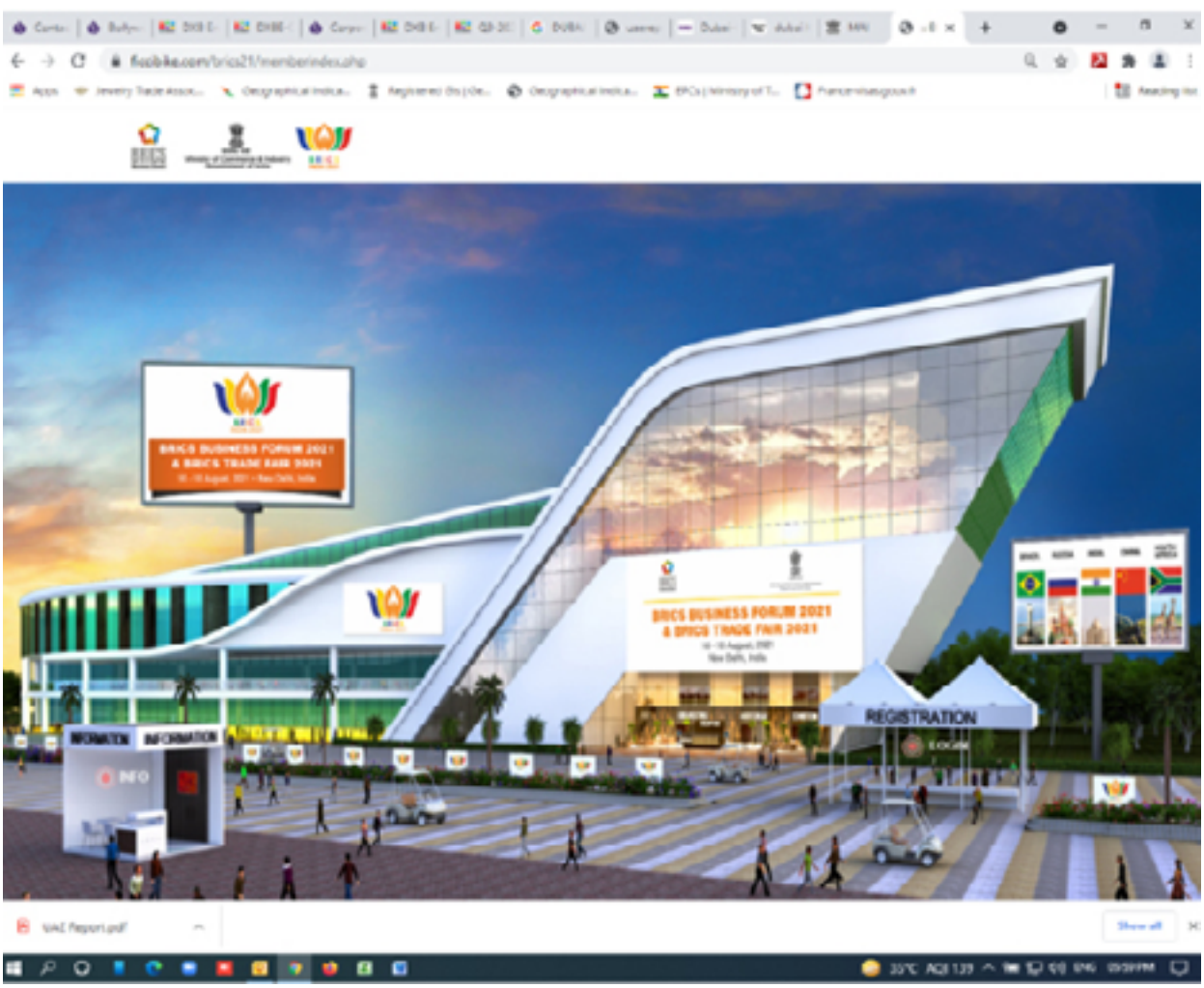

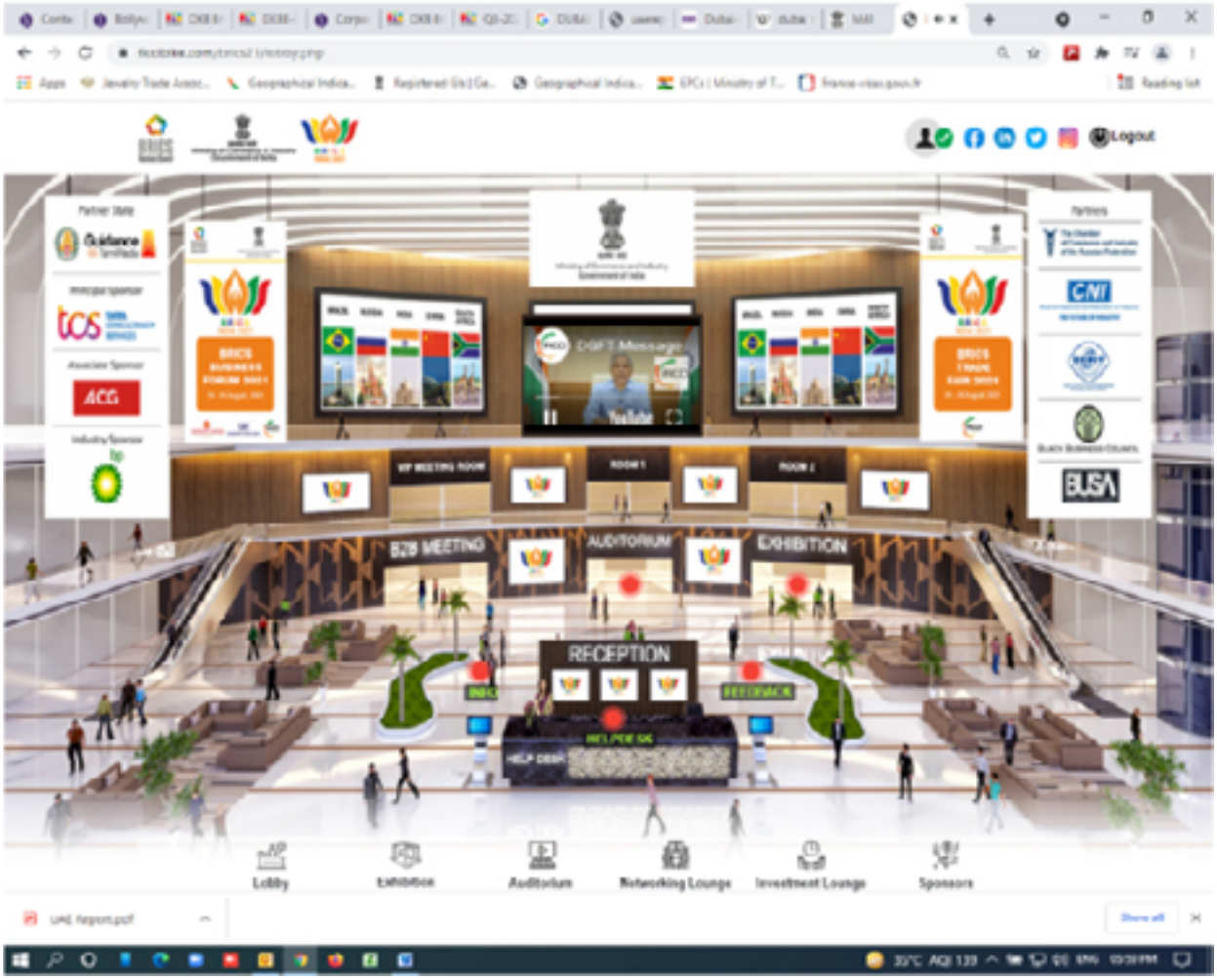
Logout
B2B MEETING
AUDITORIUM
EXHIBITION
RECEPTION
Lobby
Exhibition
Auditorium
Networking Lounge
Investment Lounge
Sponsors

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE
GOVERNMENT OF INDIA

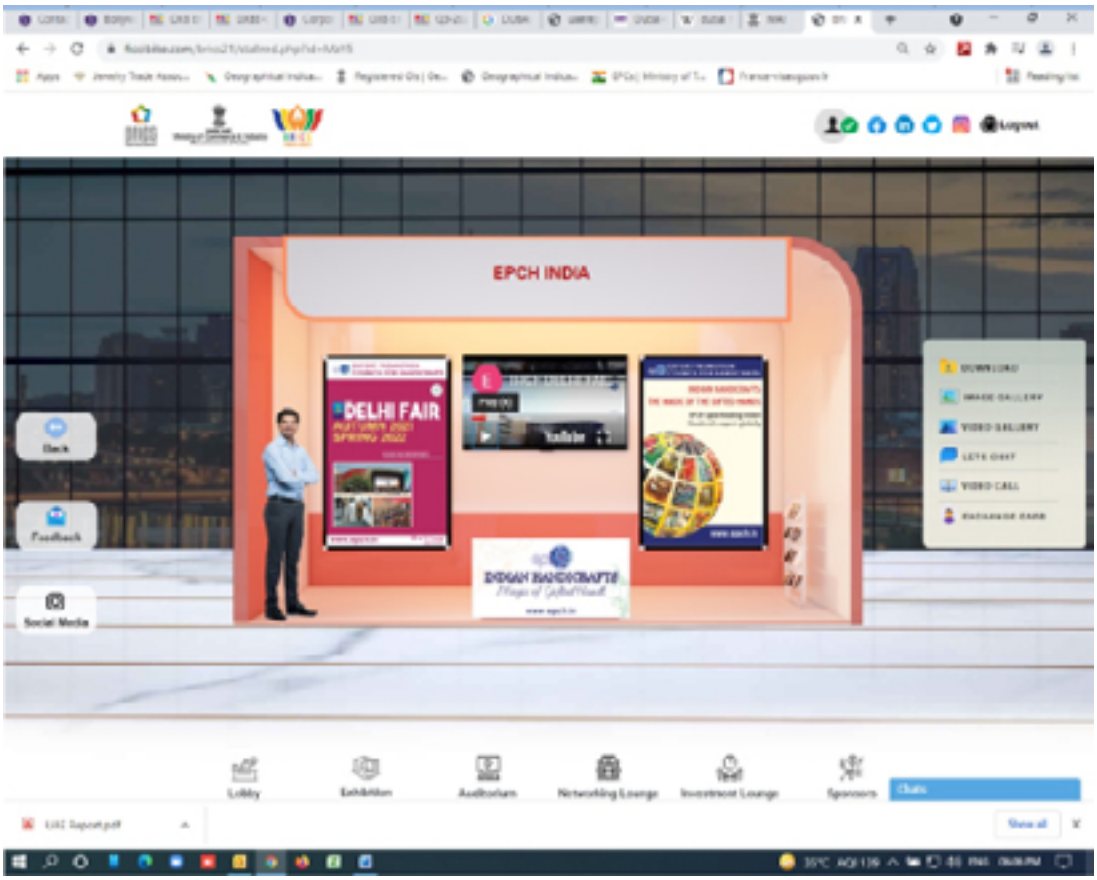

वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक (यूरोप और सीआईएस क्षेत्र)

VIRTUAL BUYER SELLER
MEET OF INDIAN HANDICRAFTS
21-24
Sep 2021
LIVE
zoom
Inauguration Ceremony
DIRECTORY

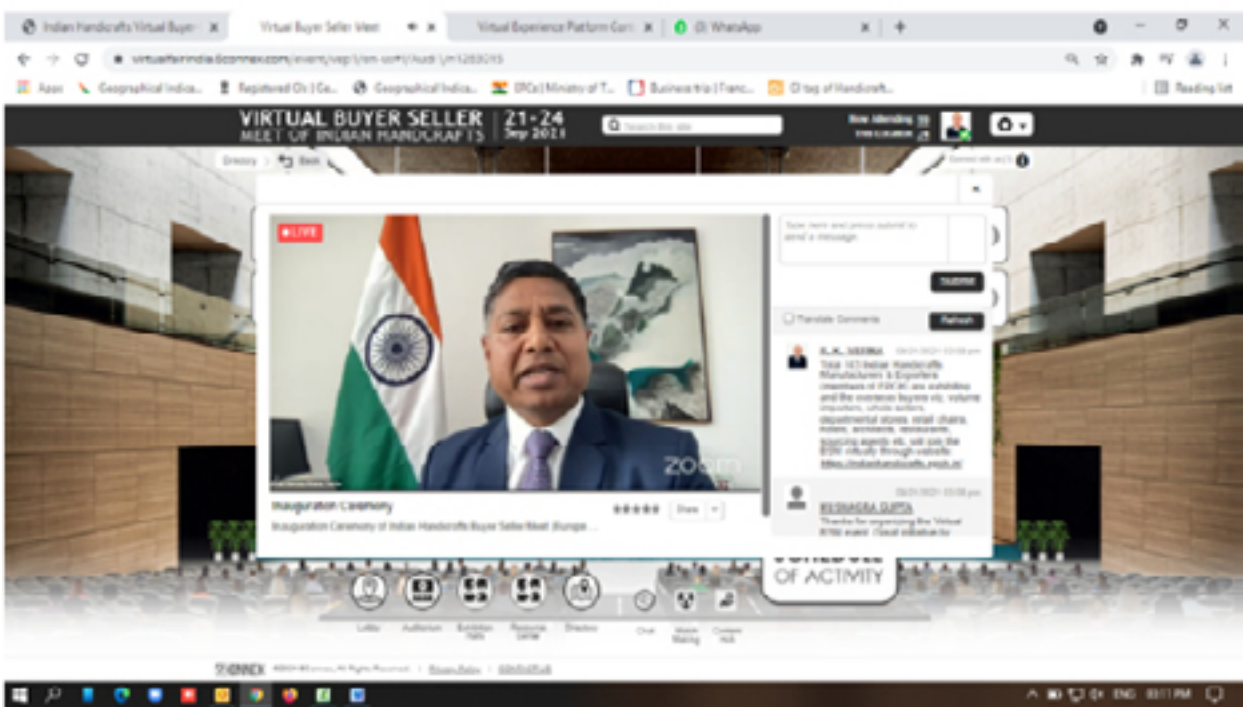
VIRTUAL BUYER SELLER
MEET OF INDIAN HANDICRAFTS
21-24
Sep 2021
LIVE
zoom
Inauguration Ceremony
OF ACTIVITY

इंडिया इन्टरनेशनल हॉस्पिटेलिटी एक्स्पो 2021

आयुर्योग एक्स्पो 2021

INAUGURATION

INAUGURATION

Shri Gajendra Singh Shekhawat
Hon'ble Union Minister of Jal Shakti
to
52nd IHGF DELHI FAIR – AUTU

AROFUME
RECYCLE

(iii) राष्ट्री य शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी

राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी (जिसे पहले राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय के नाम से जाना जाता था) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में स्थित है। यह विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प और हथकरघा की भारतीय प्राचीन परंपराओं के बारें में जन-जागरुकता को बढ़ाना, शिल्पकारों, डिज़ाइनरों, निर्यातको, विद्वानों और जन सामान्य के लिए एक संवादात्मक मंच उपलब्ध कराना है। शिल्पकारों को बिना बिचौलियों के विपणन हेतु एक मंच उपलब्ध कराना तथा भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराओं के लिए एक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना है। शिल्प प्रतिरुपों का संग्रहण, संरक्षण और परिरक्षण तथा कला और शिल्प का उत्थान पतन का अर्थ क्या है? इसे सुनें पुर्नउत्थान, पुर्नउत्पादन व विकास शिल्प संग्रहालय की गतिविधियां हैं। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी द्वारा कोविड-19 महामारी के बावजूद विभिन्न गतिविधियां और कार्य निष्पादित किए गए।

संग्रहालय संग्रहण

संग्रहालय में लगभग 28,000 कलाकृतियों का संग्रहण है जिसमें धातु और पत्थर की मूर्तियां, लैंप और हवन सामग्री, अनुष्ठान सामग्री, रोजमर्रा की वस्तुएं, चित्रित लकड़ी और पेपर मेशी, गुडियां, खिलौने, कठपुतलियां, मास्क, लोक और जनजातीय चित्रकारी, टेराकोटा, लोक और जनजातीय आभूषण तथा पारंपरिक भारतीय वस्त्रों का एक पूरा खंड है।

ये कलाकृतियां लोक एवं जनजातीय कला गैलरी, मंदिर गैलरी, कोर्ट शिल्प गैलरी एवं वस्त्र गैलरी में प्रदर्शित की गई हैं तथा शेष संग्रहालय संग्रहण स्टोर में रखी गई हैं।

शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम -

संग्रहालय वर्षभर आयोजित अपने नियमित शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए देश भर से शिल्पकारों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपने शिल्प उत्पादों की बिक्री करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और राज्यों में लॉकडाउन के कारण मई,जून, जुलाई 2021 के महीनों में कारीगरों की ओर से भागीदारी नहीं की गई थी।

अप्रैल 2021 और अगस्त 2021 से नवम्बर 2021 तक के महीनों में शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम (सीडीपी) में भाग लेने वाले शिल्पकारों और कलाकरों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है:-

क्र.सं.	माह	शिल्पकार	कलाकार	कुल	टिप्पणी
1.	1 से 16 अप्रैल 2021	29	06	35	
2.	मई 2021	0	0	0	कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर
3	जून 2021	0	0	0	कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर
4	जुलाई 2021	0	0	0	कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर
5	अगस्त 2021	11	04	15	
6	सितम्बर 2021	08	03	11	
7.	अक्तूबर 2021	25	5	30	
8	नवंबर 2021	22	6	28	
कुल		95	24	119	

ग्राम परिसर

"ग्रामीण भारत परिसर" के रूप में वर्ष 1972 में स्थापित संग्रहालय का ग्राम परिसर देश के विभिन्न भागों के ठेठ गांव सरंचनाओं के साथ ग्रामीण भारत का एक संस्मरण है, जिसमें झोपड़ियां और आवास-गृह, दीवारें और प्रागंण, सदृश रूप में निर्मित और उस क्षेत्र के पारंपरिक लोक कलारुपों से सुसज्जित देश के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताएं शामिल हैं। इस परिसर में

कुल्लू हट (हिमाचल प्रदेश); मेहर हट (सौराष्ट्र, गुजरात); गदबा हट (ओडिशा);बन्नी हट (गुजरात); मधुबनी प्रांगण (बिहार); आदि हट (अरुणाचल प्रदेश); निकोबार हट (अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह);टोडा हट (तमिलनाडु); गोंड हट (मध्य प्रदेश); देवनारायण मंदिर (राजस्थान); बंगाल प्रांगण (पश्चिम बंगाल) शामिल हैं।

परिसर में चार हवादार (ओपन-एअर) थिएटर भी विकसित किए गए हैं, जिनके नाम हैं:

- कादंबरी थिएटर
- सारंगा एम्फीथिएटर
- आंगन मंच
- पिलखन मंच

पुस्तकालयः

- संग्रहालय में एक विशेष संदर्भ पुसतकालय है, जिसमें पारंपरिक भारतीय कलाओं, शिल्पों वस्त्रों एवं भारतीय जनजातियों पर प्रमुख मानवशास्त्रीय कार्यों पर 10000 से अधिक संदर्भ पुस्तकें और अन्य पत्रिकाएं हैं।
- सामान्य तौर पर, विभिन्न संस्थानों से अध्येता और विद्यार्थी नियमित रूप से संग्रहालय का दौरा करते हैं, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण इस अवधि में केवल 263 आगंतुकों ने दौरा किया तथा नवंबर 2021 तक 118 पुस्तकें निर्गम की गई।

आगंतुको का ब्यौरा – सत्र 2021-22

क्र.सं.	माह	विदेशी	बच्चे/विद्यार्थी	सामान्य जनता/ भारतीय
1.	1 से 16 अप्रैल 2021	10	51	831
2.	मई 2021	0	0	0
3	23 से 30 जून 2021	4	12	226
4	जुलाई 2021	3	60	1587
5	अगस्त 2021	17	77	2351
6	सितंबर 2021	36	373	2764
7.	अक्तूबर 2021	46	481	2968
8	नवंबर 2021 (16 नवम्बर 2021) तक	19	84	1334
	कुल	135	1138	12061

कोविड-19 महामारी के कारण संग्रहालय 16 अप्रैल, 2021 से 22 जून, 2021 तक (2021-22 सत्र में) आगंतुकों के लिए बंद था।

सरंक्षण और परिरक्षण:

संरक्षण और परिरक्षण प्रयोगशाला का मुख्य कार्य वर्ष भर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों/वस्तुओं का निवारक और उपचारात्मकदेखभालकरना है। अप्रैल, 2021 से नवंबर 2021 के दौरान शिल्प संग्रहालय में किए गए सरंक्षण कार्य नीचे दिए गए हैं:

- 22 कलाकृतियों का रासायनिक उपचार किया गया; 09 वस्तुओं का सरंक्षण किया गया। इनके अलावा, 62 वस्तुओं का कीटनाशक स्प्रे, सफाई और रसायनिक उपचार भी किया गया।

- आरक्षित संग्रहण में से लगभग 3500 वस्त्रों की भौतिक जांच और वर्गीकरण किया गया है। डिस्प्ले अथवा आरक्षित संग्रहण में से प्रदर्शनी के लिए चुने गए कुछ वस्त्रों को पाए गए नुकसान के अनुसार परिरक्षित और संरक्षित किया गया है। वस्त्र संग्रहण में किसी भी हस्तक्षेप को इसकी खास विशेषताओं और परिरक्षण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मूल सामग्री में किसी भी कमी से बचने के लिए सभी इंटरवेंशनों, जैसे कि मिट्टी के कण और जमी हुई गंदगी हटाने के लिए यात्रिक सफाई, विलायक सफाई, सिलाई की मरम्मत आदि को अनुकूल और एक आवश्यक न्यूनतम स्तर पर रखा गया है। हालांकि, यदि अपरिहार्य हो तो, नई सामग्रियों और विधियों का उपयोग पिछले व्यापक वैज्ञानिक आंकड़ो और प्रयोगशाला में परीक्षण के सकारात्मक परिणामों द्वारा समर्थित होगा जैसे कि संबल और मजबूती बढ़ाने के लिए वस्तुओं (वस्त्र) को अस्तर या आधार देने तथा वस्त्रों में मौजूद छिद्रों के कमजोर किनारों को किसी नुकसान से बचाने के लिए घुमावदार सूंई और 2 प्लाई रेशमी धागों से सरंक्षण टांको का उपयोग कर इसे ठीक किया गया। अस्तर या आधार देने के लिए कपड़े को वस्तु के रंग से मेल खाती हुई लानासेट और सोलोफिनाइल डाई से रंगा गया। तलीय विकृतियों, उतार चढ़ाव और सिलवटों से बचाने के लिए ह्यूमिडीफिकेशन किया गया।

इसके अतिरिक्त, परिरक्षण की दृष्टि से पुराने नाम पत्र (टैग) की जगह नए नाम पत्र (टैग) लगाए गए। टाईवेक शीट पर नई लेबलिंग की गई क्योंकि यह इमर्सिबल लेबल है; इसे अपेक्षित आकार में काटा जा सकता है; नरम वजन कोमल व नाजुक वस्तुओं पर अनुकूल होते हैं; टाइपराईटर पर टाइप करने में सहज होते हैं और वस्तु तक स्याही फैलती या स्थानांतरित नहीं होती।

- इस अवधि के दौरान कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास (आईएनटीएसीएच) द्वारा हवेली का पुनरुद्धार किया गया।

अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान शिल्प संग्रहालय ने विभिन्न प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां/कार्यक्रम आयोजित किए। (कोविड-19 महामारी के कारण संग्रहालय 16 अप्रैल, 2021 से 22 जून, 2021 तक आगंतुकों के लिए बंद था)

1. राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली ने ओडिशा कला केंद्र, ओडिशा के सहयोग से 18 अगस्त, 2021 से 18 सितम्बर, 2021 तक "रीतियों से कलाकृतियों का सफर "नामक अतंर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, सचिव (वस्त्र), भारत सरकार (वस्त्र मंत्रालय) द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2021 को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन बहुत सफल रहा।

2. फैशन संगठन को शैक्षिक प्रयोजन व सोशल मीडिया के लिए ग्राम परिसर, शिल्प प्रदर्शन क्षेत्र और खुले क्षेत्र में फोटोग्राफी और वीडियो बनाने की अनुमति दी गई थी।

3. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर दिनांक 7 अगस्त, 2021 को ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के साथ एक वर्चुअल कार्यशाला की गई।

4. दिनांक 5 अगस्त, 2021 को आस्ट्रेलिया इंडिया ब्रिज स्कूल भागीदारी कार्यक्रम के माध्यम से आस्ट्रेलियाई और भारतीय शिक्षकों को लिए प्रोफेशनल कार्यशाला का आयोजन किया गया।

5. दिनांक 9 अगस्त, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक प्रदर्शनी "क्षेत्रेज्ञाः द इलूमिनेटेड" के लिए राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, दिल्ली से एनजीएमए, नई दिल्ली को 41 वस्तुएं उधार दी गई।

6. अन्नपूर्णा देवी प्रतिमां के लिए दिनांक 11 नवंबर, 2021 को आयोजित परंपरागत कार्यक्रम के लिए एनजीएमए को शिव मंदिर उधार दिया गया।

7. राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली में इंटर्नशिप के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से 21 इंटर्न शामिल थे।

8. लगभग 150 अध्येता, शिल्प विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता, आर्किटेक्ट, फैशन और डिज़ायनरों नें विभिन्न शिल्प डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखी। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली में आगंतुकों के लिए विभिन्न कला और शिल्पों पर लगभग 22 लघु फिल्में चलाई गई।

प्रतिनिधि मंडल और अन्य का दौराः

1. श्रीलंका के महामहिम उच्च आयुक्त की पत्नी ने दिनांक 30 सितंबर, 2021 को शिल्प संग्रहालय का दौरा किया।

2. सांस्कृतिक विभाग जर्मन दूतावास के अध्यक्ष, श्री जोहानस हॉबर ने दिनांक 20 अक्तूबर, 2021 को शिल्प संग्रहालय का दौरा किया।

3. अब तक स्कूल और कॉलेजों से 1138 विद्यार्थियों, 12061 भारतीयों और 135 विदेशी आगंतुकों ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी का दौरा किया है। कोविड-19 महामारी के कारण संग्रहालय 16 अप्रैल, 2021 से 22 जून, 2021 (2021-22 सत्र में) तक आगंतुकों के लिए बंद था।

क्र.सं.	माह	विदेशी	बच्चे/विद्यार्थी	सामान्य जनता/ भारतीय
1.	1 से 16 अप्रैल 2021	10	51	831
2.	मई 2021	0	0	0
3	23 से 30 जून 2021	4	12	226
4	जुलाई 2021	3	60	1587
5	अगस्त 2021	17	77	2351
6	सितंबर 2021	36	373	2764
7.	अक्तूबर 2021	46	481	2968
8	नवंबर 2021 (16 नवम्बर, 2021 तक)	19	84	1334
	कुल	135	1138	12061

वित्तीय प्रगतिः

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 15.00 करोड़ रुपए का एक अनुमानित वित्तीय व्यय/बजट है, जिसमें से 5.98 करोड़ रुपए (पांच करोड़ अठ्ठानवे लाख रुपए केवल) दिनांक 31.10.2021 तक खर्च कर दिये गए। उपरोक्त के अलावा, दस्तावेज़ीकरण कार्य सहित संग्रहालय भण्डार और डिजिटल अभिलेख कार्य के पुनर्गठन के लिए मैसर्स बीपीसीएल द्वारा 13.4 करोड़ रुपए (तेरह करोड़ चालीस लाख रुपए केवल) की सीएसआर राशि अनुमोदित की गई है।

संग्रहालय भण्डार के पुनर्निर्माण की परियोजना आईजीएनसीए को सौंपी गई है जो इस कार्य को राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में निष्पादित कर रहे हैं। संग्रहालय भण्डार के पुनर्गठन कार्य प्रगति पर है। अन्य कार्य जैसे डिजिटल अभिलेख जनवरी, 2022 से शुरू होने वाला है। इसके लिए राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं की जा रही हैं। यह संपूर्ण कार्य दिसंबर, 2022 तक पूर्ण हो सकता है।

(iv) भारतीय कालीन प्रोद्यौगिकी संस्थान (आईआईसीटी) – भदोही

भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि आईआईसीटी के नाम से लोकप्रिय है, की स्थापना समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा 1998 में एक पंजीकृत समिति के रुप में की गई। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ने वर्ष 2001 में बी-टेक (कालीन और वस्त्र प्रौद्योगिकी) कार्यक्रम की शुरुआत द्वारा कार्य करना आरम्भ किया, यह कार्यक्रम अपनी तरह का एक अनूठा कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 20 छात्रों से की गई थी और बाद में यह संख्या 60 तक पहुंच गई।

आईआईसीटी की गुणवत्ता नीति

- हमारे विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना जिससे कि पणधारियों की प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए सतत् आधार पर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाना।
- सभी पणधारियों और उद्योगों के सभी विभागों में समय पर और संतोषजनक सेवाएं देना।

1. मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

• कालीन एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी में बी-टेक कार्यक्रम

- बी–टेक कार्यक्रम में कुल 199 विद्यार्थी पढ़ रहे है।
- 700 विद्यार्थी इस उद्योग में कार्यरत हैं जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटीआईई, आईएसएम,

आईआईएम, निफ्ट आदि में उच्च शिक्षा शामिल है।

• परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण

- व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)- इस योजना के तहत 3500 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- आईएसडीएस के माध्यम से 1138 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- समय-समय पर उद्योग संचालित अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं।

• लघु अवधि पाठ्यक्रम:समय-समय पर तदनुकूल उद्योग संचालित लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

2. डिजाइन सृजन एवं विकास (डीसीडी)

15000 से अधिक डिज़ाइन बैंक तैयार किए गए हैं जिनमें से लगभग 4614 डिज़ाइन वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। डिज़ाइन बैंक के तहत 114 डिज़ाइन निर्मित किए गए हैं। विभिन्न डिजाइन बैंकों में पारंपरिक भारतीय मोटिफ (जैसे: हड़प्पा, अजंता, मुगल, रंगोली, जयपुरी, फुलकारी, कांथा, पैठनी, कलमकारी, बनारसी, जामवार आदि), ट्रेंड के अनुसार आधुनिक मोटिफ शामिल है।

3. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

उत्पाद विकास-संस्थान स्तर पर और सहयोग के कई उत्पाद विकास क्रियाकलाप किए गए जिनमें शामिल हैः

- कॉयर आधारित कालीन
- सिल्क कालीन
- ईरी सिल्क कालीन,
- मॉडएक्रेलिक आधारित कालीन
- हस्त निर्मित एस्ट्रोर्फकिस्म के कालीन
- प्राकृतिक फाईबर आधारित कालीन
- प्राकृतिक डाइंग
- ऑरगेनिक उत्पाद
- पॉलिएस्टरशेगी का विकल्प
- भुजबन उपयोगिता
- वर्टिकल ब्लाइंड
- कॉयर पेपर और कॉयरसिल्क
- पीपीई कवर ऑल(बॉडी सूट और शू कवर)
- कालीन उद्योग से निकले रेशेदार अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग
- बेकार कालीन से हीटिंगपैड का निर्माण और मूल्यांकन
- हस्तनिर्मित कालीन में जूट सामाग्रियों का प्रयोग
- एरगोनोमिक एंड फलैक्सिबल टफ्टिंग फ्रेम की संकल्पना
- हैंड नोटिड एवं तिब्बतन, शेगी,सौमक आदि के लिए क्रॉस बार हॉरिजॉन्टल लूम सीबीएचएल (वुडन या मैटेलिक)
- इंडियन नॉट: आईआईसीटी का स्वामित्व जिसमें लूम में सेमी नोटिंग अनुमत है,जो मेक इन इंडिया मिशन का पूरक है। ताकि उद्योग आगे आएं और एक्सप्लोर करें।
- स्नेह आभा कालीन बैंकिंग प्रणाली: पॉलीमर बेकिंग तकनीक, हल्का, धोने योग्य। इसकी विशेषताएं और व्यवहार्यता कार्पेट ई वर्ल्ड जैसे प्रकाशनों में प्रकाशित की गई है।
- एक अन्य टेरी लेनो संरचना: मेक इन इंडिया का सशक्त कदम है ताकि एक नई/किफायती कालीन टेरी संरचना प्रदान की जा सकें।
- इस आर एंड डी संकल्पना का लाभ कालीन एवं होम टेक्सटाइल द्वारा जिसमें मुख्यत: टावल उद्योग शामिल है अपने बाज़ार/बाज़ार हिस्से/निष्पादन में वृद्धि के लिए उठाया जा सकता है।
- ऊष्मा उत्पादन हेतु पॉलिपाइरोल-कोटेड गैर-बुने सम्मिश्रण को तैयार करने के लिए नीडल-पंचिंग पैरामीटर का प्रभाव पड़ता है। इस कार्य में ऊष्मा उत्पादन के लिए विद्युतीय सुचालक सुई-छिद्रित गैर-बुने सम्मिश्रणों की तैयारी और लक्षण निरुपति हैं। यह कार्य निम्नलिखित उद्धरणों के तहत "सुभंकरमेती, शिवांगीपाण्डेय, आलोक कुमार, टेक्सटाइल 64(2):172-183, 2021"में प्रकाशित किया गया है।
- ऊर्जा संग्रहण करने वाले स्मार्ट गार्मेंट की ओर नवीन दृष्टिकोणः
  स्मार्ट वस्त्रों पर सभी सेंसरों, ड्राईव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों को प्रदर्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन पारंपरिक शक्ति सरंचनाएं कठोर हैं और उनकी बहुत सीमाएं हैं। इस समस्या को हल करने के लिए, एक लचीला, कम भार वाला, पोर्टेबलस्टोरेज यंत्र विकसित करना आवश्यक है। सुपर कैपेसिटर उच्च शक्ति घनत्व, कम चार्जिंग समय, उत्कृष्ट उत्क्रमणीयता और गैलरीयु चक्र, ऊर्जा सरंक्षण वाला एक उभरता हुआ ऊर्जा भण्डारण यंत्र है। सुपर कैपेसिटर आधारित फाईबर विकसित करने का उद्देश्य उत्कृष्ट प्रदर्शन को बनाए रखते हुए लचीलेपन के साथ एक ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्मित करना है। इसे आगे चलकर धारणीय इलेक्ट्रॉनिक्स के रुप में प्रयोग किया जा सकता है।
- लचीले सुपर कैपेसिटर पर आधारित टर्नरी धातु ऑक्सी-हाईडॉक्साईड को निर्मित करने के लिए नेनो-ऑन-माइक्रो वियू, जरनल ऑफ इंडस्ट्रियल, प्रगति बाज़पेई, आलोक श्रीवास्तव, आलोक कुमार को प्रकाशन के लिए स्वीकृत किया गया है।

4. उद्योग को तकनीकी सहायता (टीएसआई)

- संस्थान अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे कैडलैब, डिज़ाइन स्टूडियो, फिज़िकल एवं कैमिकल लैब और कार्पेट लैब आदि के माध्यम से उद्योग को निरंतर तकनीकी सेवाएं

प्रदान कर रहा है जिससे वैश्विक बाज़ार के साथ प्रतियोगिता करने के लिए कालीन निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

- कालीन उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रेताओं की गुणवता आवश्यकताओं की पुष्टि करने के लिए उपलब्ध जांच सुविधाओं का उपयोग किया है।
- उद्योग अपने व्यवसायिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए परामर्श हेतु आईआईसीटी को हायर कर सकते हैं।
- आईआईसीटी प्रयोगशालाएं एनएबीएल मान्यता प्राप्त हैं अत: परीक्षण रिपोर्टें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हैं।
- कालीन बन्धु - उद्योग के लिए मंच- आईआईसीटी इंटरफेस संवादात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रही है।

मुख्य उपलब्धियां –

- संस्थान सभी चार पोर्टफोलियो में जनादेश और क्रियाकलापों को पूरा कर रहा है जैसे (1) मानव संसाधन विकास (एचआरडी), (2) डिज़ाइन सृजन और विकास (डीसीडी), (3) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), (4) उद्योगों को तकनीकी सहायता (टीएसआई)।
- आईआईसीटी के विभिन्न संकायों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशाला आदि में भाग लिया और विभिन्न मंचों पर आईआईसीटी का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया।
- उद्योग से कालीन उद्योग द्वारा सामना किए जाने वाले सामयिक विकास और हालिया चुनौतियों पर व्याख्यान देने के लिए उद्योग प्रायोजित व्याख्यान प्रख्यात वक्ताओं को आमंत्रित किया था।
- उद्योग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू): विद्यार्थियों के लाभ के लिए उद्योग भागीदारों के साथ शुरू किया गया समझौता ज्ञापन (एमओयू) अनुबंध बनाने और भविष्य के संबंधो को विकसित करने के लिए उपयोगी है।
- भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली की स्वीकृत योजना/परियोजना के अंतर्गत वाराणसी, भदोही एवं उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर कालीन बैल्ट में पंजीकृत कारीगरों (कालीन बुनकरों) को 2187 एलईडी आधारित सौर गृह प्रकाशीय यंत्र (सोलर होम लाईटनिंग सिस्टम) आवंटित किए गए हैं। इन इकाईयों का आवंटन कोविड महामारी की अवधि के दौरान इस बैल्ट के पहचान किए गए कारीगरों के लिए बहुत बड़ी समर्थन/सहायता है।

(v) धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र

मुरादाबाद धातु हस्तशिल्प उत्पादों के लिए पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। देश से कलात्मक धातु पात्रों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और यदि बेहतर फिनिशिंग, पैकेजिंग आदि के साथ उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं तो इसमें और भी वृद्धि की क्षमता है। निर्यात मदों की पारंपरिक तरीके से फिनिशिंग में कमी रह जाती है जो आयातक देशों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। मार्च, 1983 में परियोजना [यूएनडीपी-आईएनडी/एसएस/026] को वस्त्र विकास स्थायी वित्त समिति, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई एवं भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास निधि और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र की स्थापना की। वर्ष 1985 में परियोजना को अंतिम रूप दिया गया, जिसे बाद में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 [भारत सरकार के स्वायत्त निकाय के अंतर्गत भारत सरकार सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया।

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है जिसका प्रबंधन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, व्यापार एवं संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों से बनी शासी परिषद द्वारा किया जाता है।

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की स्थापना से पूर्व, कलात्मक धातु पात्र उद्योग में उत्पादन एवं सर्फेस फिनिशिंग की पुरातन तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। पारंपरिक तरीके से निर्यात मदों की फिनिशिंग में कमी रह जाती है जो आयातक देशों की कड़ी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। उपर्युक्त बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से भारत सरकार ने मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प विकास केंद्र की स्थापना की।

आरंभिक चरणों में केंद्र के मामलों को यूपी स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लि॰, उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम के माध्यम से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा देखा जा रहा था किन्तु अगस्त, 1991 में न लाभ न हानि के आधार पर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। संस्था के नीतिगत मामलों को सरकारी परिषद द्वारा देखा जाता है जिसमें विकास आयुक्त (हथकरघा) अध्यक्ष होते है और संस्था के दैनिक मामलों को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति द्वारा देखा जाता है।

परियोजना उपकरणों का स्थापन वर्ष 1987 में आरंभ किया गया। जून 1989 में लेकरिंग शॉप चालू होने पर परीक्षण उत्पादन आरंभ किया गया।

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की स्थापना सभी उन्नत प्रोद्योगिकी एवं लेकरिंग, एलेक्ट्रोप्लटिंग (गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, ब्रास, क्रोम आदि), एंटिकफिनिश, पाउडर कोटिंग एवं सैंड/शॉट ब्लास्टिंग आदि जैसी सुविधाओं और लेड एंड कैडमियम लिचिंग, लेड इन सर्फेसकोटिंग, एफ़डीए टेस्ट एवं केलिफोर्नियाप्रोप.65, मेटल एवं मेटलअलोय एनालिसिस, मल्टी लेयर मेटेलिकप्लेटिंगथिक्नेस

टेस्ट, एनालिसिस ऑफ एलेक्ट्रोलाइट, कोरोसनरेसिस्टेंस टेस्ट, साल्टस्प्रे टेस्ट, ह्यूमिडिटी टेस्ट, टेस्टिंग ऑफ लेकर कोटिंग, टेस्टिंग ऑफ पैंटकोटिंग, टेस्टिंग ऑफ पाउडर कोटिंग, टेस्टिंग ऑफ बरस्टिंगस्ट्रेन्थ ऑफ करुगटेसबोक्सेस, ड्रॉप टेस्ट ऑफ कार्टन्स, कलर शेड मेचिंग, मोइश्चरकंटेन्ट इन वुड, आरओएचएस टेस्ट, रेडियशन टेस्ट आदि जैसी टेस्टिंग सुविधाओं के साथ की गई हैं।

केंद्र के उद्देश्यः-

1. कलात्मक धातुपात्रों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना और उनकी निर्यात उत्तमता को बढ़ाना।
2. शिल्पियों के कौशल में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं और कलात्मक धातुपात्र उद्योग से जुड़ी तकनीकों को मुहैया कराना।
3. हस्तशिल्प उत्पादों की फिनिंशिंग में सुधार लाने में निर्यातकों के लिए मददगार सामान्य सुविधा केन्द्र (सी एफ सी) की स्थापना।
4. एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से अन्तरर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं के संबंध में परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराना।
5. मेटलफिनिशिंग तथा धातु हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े क्रियाकलापों के क्षेत्र में सतत अनुसंधान एवं विकास मुहैया कराना।

एमएचएससी के विभिन्न विभाग –

- एलेक्ट्रोप्लेटिंगशॉप
- लेकरिंग
- पाउडर कोटिंग
- पोलिशिंग
- अनुसंधान, टेस्टिंग और केलिबरेशन प्रयोगशाला
- सैंड/ शॉटब्लास्टिंग
- डिजाइन बैंक
- भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण

रिसर्च टेस्टिंग एंड केलिबरेशन लेबोरेटरी (आरटीसी लेबोरेटरी)

रिसर्च टेस्टिंग एंड केलिबरेशन लेबोरेटरी (आरटीसी लेबोरेटरी) की स्थापना वर्ष 2005 में धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की उन्नयन योजना के दौरान की गई थी। यह आईएसओ/ आईईसी:17025/2017 के अनुसार धातु एवं मिश्र धातु, पेंट एवं सर्फेसकोटिंग, एलेक्ट्रोप्लेटिंगबाथ एंड साल्ट, आरओएचएस, माइग्रेशन ऑफ हेवीमेटल एंड वाटर एंड वेस्ट के लिए एनएबीएल प्रत्यायित है।

एमएचएससी धातु हस्तशिल्प उत्पादों, रसायन, गैर-विनाशकारी, विषाक्त धातु टेस्टिंग, ड्रॉप टेस्ट और जंग प्रतिरोध टेस्टिंग, आरओएचएस, आरईएसीएच(एसएचवीसी) आदि के क्षेत्र में एक अग्रणी पदार्थ टेस्टिंग प्रयोगशाला है।

आरटीसी प्रयोगशाला ने, समकालीन टेस्टिंग उपकरणों जैसे आईसी-आईसीपी-एमएस, एफ़टीआईआर, ईडीएक्सआरएफ़,एएएस और बर्स्टिंग स्ट्रेन्थ टेस्टर आदि से सुसज्जित ईएन/आईएसओ/ आईईसी17025:2017 की अपेक्षाओं के अनुसार गुणवत्ता और कार्यान्वित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए विशाल प्रतिष्ठा हासिल की है। एमएचएससी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सर्वोत्तम सेवाओं की प्रदानगी सुनिश्चित करता रहा है।

इओनक्रोमैटोग्राफी- आईसीपीएमएस एंड एफटीआईआर के संस्थापन के पश्चात निर्यातकों, विनिर्माताओं और कारीगरों के लिए निम्नलिखित कुछ सुविधाएं शुरु की गई है-

1. नॉन-मेटलिककोटिंग में टॉक्सिकमेटल्स
2. यूरोपीय निदेश के अनुसार 23 एलिमिंट्स का माइग्रेशन
3. भारी धातु का विशिष्ट माइग्रेशन
4. जैविक विष एवं विषाक्त की पहचान
5. विषाक्त यौगिक की पहचान

निर्यातकों को लाभः-

सभी संबंधित टेस्ट सुविधाएं निर्यातकों के यहाँ पर ही उपलब्ध होगी जो किफायती भी होगी। टेस्टिंग ग्राहकों की आवश्यकतानुसार परिणामों की गुणवत्ता पर प्रभाव डाले बिना अल्प अवधि में की जाएगी। सैंपलों को दिल्ली के अन्य स्थानों या कहीं ओर ले जाने के कारण होने वाले निर्यातकों के समय और पैसे की बचत होगी। थर्ड पार्टी प्रेषित माल निरीक्षण सुविधाएं उनके दरवाजे पर उपलब्ध होंगी। आरटीसी प्रयोगशाला द्वारा जारी टेस्ट प्रमाणपत्र विभिन्न देशों के अनेक विदेशी खरीददारों, बाईंगहाउसेस, एक्सपोर्ट हाउसेस और ट्रेड टैक्स आदि जैसे सरकारी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त है। तैयार उत्पादों के साथ-साथ प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उनके उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर जानने से उद्योग को अधिक आत्मविश्वास प्राप्त होगा।

- धातु पात्र के उत्पादन में गुणात्मक सुधार एवं उनकी उत्तमता में बढ़ोतरी।
- उनके व्यापार में नवीनतम तकनीक से उन्नयन करना।
- मेटलफिनिशिंग, मेटलकास्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग एंड सेर्टिफिकेशन आदि के क्षेत्र में निर्यातकों/विनिर्माताओं आदि की समस्यों के समाधान का आसान तरीका।
- एमएचएससी सरकारी विभाग के लाभार्थियों जैसे जीएसटी, एसइजेड, आयकर, रेलवे, भेल, जल निगम, स्टेट मिशन फोरक्लीन गंगा – उत्तर प्रदेश, नेशनल मिशन फोरक्लीन गंगा, न्यायिक विभाग और दिल्ली एवं गुरुग्राम

के आभूषण निर्यातकों के अलावा प्रत्येक वर्ष धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र मुरादाबाद के आस-पास के हस्तशिल्प व्यापार निर्यातक, विनिर्माताओं एवं कारीगरों को बड़े पैमाने पर मेटलफिनिशिंग, टेस्टिंग, निरीक्षण एवं अन्य सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान करता रहा है।

- लगभग 2500 लाभान्वित कारीगर
- लगभग 2450 लाभान्वित निर्यातक
- लगभग 1600 लाभान्वित विनिर्माता

केंद्र की नवीनतम उपलब्धियां:

1. 01 अप्रैल, 2021 से नवंबर, 2021 तक एमएचएससी के धातु फिनिशिंग अनुभाग (एमएफ़एस) ने 9826921.00 रुपए का राजस्व प्राप्त किया तथापि 1 अप्रैल, 2020 से नवंबर, 2020 तक यह 6001101.00 रुपए थे।
2. 01 अप्रैल, 2021 से नवंबर, 2021 तक आरटीसी प्रयोगशाला से एमएचएससी ने 2973195.00 रुपए का राजस्व प्राप्त किया तथापि 1 अप्रैल, 2020 से नवंबर, 2020 तक यह 2693620.00 रुपए थे।
3. संस्थान द्वारा अन्य कौशल विकास गतिविधि से 960000.00 रुपये भी अर्जित किये गए हैं।
4. 01 अप्रैल 2021 से नवंबर, 2021 तक भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से धातु फिनिशिंग अनुभाग (एमएफ़एस), आरटीसी लेबोरेटरी एवं कौशल विकास गतिविधियों से कुल अर्जित राजस्व 13760116.00 रुपए है तथापि यह 8694721.00 रुपए थे। केन्द्र में उपलब्ध डेटा के अनुसार, 1150 निर्यातकों, विनिर्माताओं, क्रेता/क्रेता एजेंट और मुरादाबाद एवं आसपास के कारीगरों ने टेस्टिंग एवं प्रमाणीकरण या फिनिशिंग जैसे विविध रूपों में इसका लाभ उठाया है।
5. संस्थान उनकी केलिब्रेशन सुविधाएं जैसे प्रेशर, एलेक्ट्रिकल, थरमल एवं डाईमेनशन बढ़ाने जा रहा है।

वित्तीय वर्ष – 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में केन्द्र की आय एवं व्यय का ब्यौरा [नवंबर 2021 तक]-

वर्ष	आय (भारतीय रुपए में)	व्यय (भारतीय रुपए में)
2018-19	1,83,33236.00 रुपए	1,79,16648.00 रुपए
2019-20	1,86,16425.00 रुपए	1,76,33655.00 रुपए
2020-21 [नवंबर]	17996188.00 रुपए	17816580.00 रुपए

(क) नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड केलिब्रेशनलेबोरेट्रीज़ ने एनएबीएलए क्रेडिशन के नवीकरण के लिए मुख्य आंकलनकर्त्ता डॉ. आर.के सोलंकी, श्री जी.वीरामामूर्ति– एमएसएमई, चेन्नई, श्री प्रभात रंजन जाना, डॉ. संजय अग्रवाल– वैज्ञानिक – बीआईएस एंड डॉ. डी.पी. सिंह एनएबीएल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों की टीम द्वारा दिनांक 11.07.2020 – 12.07.2020 तथा 18.07.2020 – 19.07.2020 को आरटीसी लेबोरेट्री का मूल्यांकन किया और इसमें संस्थान द्वारा सफलता प्राप्त की गई। अभी दिनांक 09.09.2020 से 08.09.2022 तक संस्थान की आरटीसी लेबोरेट्री प्रत्यायित है।

(ख) धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र ने निदेशक कार्यालय- उद्योग के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) [ओडीओपी] कार्यक्रम के तहत भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान [आईआईएचटी] के समर्पित प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से धातु शिल्प में 292 कारीगरों को प्रशिक्षित किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नामित किया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनएसक्यूएफ [नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेम वर्क] के अनुपालन में हमारे पाठ्यक्रम जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट, एनग्रेविंग, क्वालिटी कंट्रोल, लेकरिंग एंड पेंटिंग, वैल्डिंग एंड सोल्डरिंग, पाउडर कोटिंग और पैकेजिंग हैं।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1000 कारीगर लाभान्वित हुए। उनमें से कुछ ने स्वयं अपने व्यवसाय शुरु किए हैं। संस्थान हस्तशिल्प व्यापार के लिए बहुत उपयोगी है इसलिए संबंधित मंत्रालय से बेहतर सहयोग चाहता है।

उद्योग को लाभ-

- धातु पात्र के उत्पादन में गुणात्मक सुधार एवं उनकी उत्तमता में बढ़ोतरी।
- उनके व्यापार में नवीनतम तकनीकी से उन्नयन करना ।
- मेटलफिनिशिंग, मेटलकास्टिंग, क्वालिटि कंट्रोल, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन आदि के क्षेत्र में निर्यातकों/विनिर्माताओं आदि की समस्यों के समाधान का आसान तरीका।

एमएचएससी, मुरादाबाद में गणमान्य व्यक्तियों का हाल ही में दौरा।

(क) श्री सुरेश चंद्र, आईएएस अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 04.07.2021 को श्री राजेश सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ एमएचएससी का दौरा किया और संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं से प्रभावित हुए। उनकी टिप्पणी के अनुसार, यह मुरादाबाद के निर्यातकों के लिए बहुत मददगार है।

(ख) श्री अनुज कुमार – उपायुक्त, उद्योग ने एमएचएससी का दौरा किया और एमएचएससी, मुरादाबाद की पूर्ण कार्यप्रणाली की समीक्षा की एवं दिनांक 10.08.2021 को ओडीओपी के प्रथम बैच का उद्घाटन किया।

(ग) बी.एन यादव, अपर प्रभागीय आयुक्त, मुरादाबाद ने एमएचएससी का दौरा किया एवं निर्यातकों, कारीगरों एवं विनिर्माताओं को दी जानी वाली सारी गतिविधियों/सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने दिनांक 06.09.2021 को ओडीओपी प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया।

(घ) – उपायुक्त, कस्टम मुरादाबाद के साथ भारतीय व्यापार सेवाएं (आईटीएस), भारत सरकार के नए बैच ने दिनांक 23.09.2021 को एमएचएससी का दौरा किया।

(ङ) – दिनांक 29.09.2021 को आदरणीय योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा यूपी राज्य सरकार की 'एक जिला एक उत्पाद' (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) योजना पर आधारित एक 'पोस्टल स्टैम्प' एवं पोस्टल कवर शुरु करते हुए ओडीओपी योजना के लिए 75 विशेष स्टैम्प कवर के दौरान 'मिशन शक्ति' – धातु शिल्प – मुरादाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(च)- श्री विनोद अग्रवाल– मुरादाबाद के मेयर ने एमएचएससी में नारी मिशन शक्ति कार्यक्रम के दौरान केन्द्र का दौरा किया।

(छ) श्री आनंद वर्धन, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद ने दिनांक 07.10.2021 को संस्थान का दौरा किया एवं संस्थान की सभी सेवाओं की समीक्षा की और संस्थान द्वारा कोस्टिंग शुल्क का गहराई से अवलोकन किया।

(ज) श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ने दिनांक 08.10.2021 को श्री अनुज कुमार, उपायुक्त, उद्योग के साथ एमएचएससी का दौरा किया एवं एमएचएससी, मुरादाबाद की पूर्ण कार्यप्रणाली की समीक्षा की।

(झ) श्री विशेष गुप्ता, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण आयोग, मुरादाबाद ने संस्थान का दौरा किया।

(ञ) श्री विशेष गुप्ता, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण आयोग, मुरादाबाद ने संस्थान का दौरा किया।

वस्त्र क्षेत्र में आईसीटी पहलें

10.1 वस्त्र मंत्रालय में डिजिटल तैयारी

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की डिजिटल पहल का सक्रिय रूप से सवंर्धन कर रहा है; डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं पारदर्शी हो और नागरिकों को आसानी से प्राप्त हो सकें। मंत्रालय का आईटी प्रभाग, नेटवर्क अवसंरचना में सुधार करने और एप्लीकेशन सिस्टम को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पर उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अधिकांश एप्लीकेशन नेशनल क्लाउड सर्विसेज (मेघराज) पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मंत्रालय और इसके संगठनों की अधिकांश योजनाएं और सेवाएं कभी भी कहीं भी नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

सरकार के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने अपनी ई-गवर्नेंस सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु कई पहलें की हैं। ई-ऑफिस स्यूट, ई-खरीद आदि जैसे जी2जी/जी2बी/जी2ई एप्लीकेशनों को क्रियांवित किया गया है। मंत्रालय और इसके संगठन, नियमित आधार पर विभिन्न राज्यों और विभागों के साथ व्यापक रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी डेस्कटॉप वीडियो क्रांफ्रेंस सुविधा दी गई है। मंत्रालय, संबद्ध कार्यालयों के अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान मंत्रालय, एनआईसी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र, शास्त्री पार्क, दिल्ली में विभिन्न एप्लीकेशनों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एनआईसी-वस्त्र सूचना प्रभाग, मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों को तकनीकी और कार्यात्मक सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह वेबसाइट के विकास, कार्यान्वयन, रख-रखाव और समन्वय तथा उसकी 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वे क्लाउड पर विभिन्न ऑनलाइन ई-गवर्नेंस सेवाओं, विभिन्न एप्लीकेशनों के विकास/विस्तार, नेटवर्क सहायता सेवाएं प्रदान कराने और आईसीटी अवसंरचना के रख-रखाव को भी सुगम बनाते हैं।

10.2 वेबसाइट प्रबंधन

वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय की सामग्री प्रबंधन रूपरेखा (सीएमएफ) आधारित वेबसाइट को जीआईजीडब्यूर (भारत सरकार की वेबसाइट) के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया था जिससे यह ऐक्सिसबिलिटी के मल्टिपल-मोड के अनुसार बन गई है, द्विभाषी रूप में होने से यह नेत्रहीन लोगों के लिए भी उपयोगी है। संबंधित कर्मचारियों/प्रभागों द्वारा वेबसाइट की सामग्री का समय पर अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) शुरू की गई है।

10.3 आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और लैन/वैन/पीसी के बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए एनआईसी नेटवर्क प्रभाग द्वारा आवश्यक उन्नयन किया जाता है। साइबर सुरक्षा संबंधी स्थिति का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार और अधिक फायरवाल और प्रबंधनीय नेटवर्क उपकरण लगाने जैसे आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

10.4 ई-गवर्नेंस

इन-हाउस वर्क-फ्लो को मजबूत करने के लिए नई विशेषताओं के साथ वेब आधारित ई-ऑफिस स्यूट को उन्नत किया गया है। रिकॉर्डों और फाइलों का डिजीटलीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। मंत्रालय में ई-ऑफिस क्रियान्वित किया गया है, मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए ई-ऑफिस पर नियमित व्यासवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फाइल बनाने, उसके मूवमेंट आदि में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र/ई-हस्ताक्षर को क्रियान्वित किया गया है और संबंधित अधिकारियों द्वारा इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

10.5 नई पहलें

1. वस्त्र मंत्रालय के लिए पीएलआई पोर्टल

एनआईसी ने वस्त्र मंत्रालय के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) पोर्टल को डिजाइन और विकसित किया है। यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दस पीएलआई योजनाओं में से एक है। इसका यूआरएल https://pli.texmin.gov.in है।

कार्यात्मकता:

- औद्योगिक और व्यक्तिगत प्रकार के आवेदन का पंजीकरण
- पार्ट-I के लिए पंजीकृत आवेदक द्वारा भागीदारी के उद्देश्य के लिए आवेदन प्रस्तुत करना जिसमें न्यूनतम 300 करोड़ रुपए का निवेश किया गया हो और पार्ट-II जिसके लिए न्यूनतम 100 करोड़ का निवेश किया गया हो।
- क्रम-वार प्रस्ताव को भरने के लिए टैब फॉरमेट में साधारण फार्म को आसान बनाना।
- ई-भुगतान और ई-हस्ताक्षर की विशिष्टता क्रियान्वित की गई
- पावती और एमआईएस का सृजन किया गया
- मंत्रालय का डैश बोर्ड तैयार किया गया

2. वस्त्र मंत्रालय का डैश बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय का डैशबोर्ड बनाया गया है और इसे एनआईसी का मिरर स्ट्रक्चर का प्रयोग करके विकसित किया गया है। संबंधित प्रयोक्ताओं को पहले ही प्रशिक्षण दिया गया है और परियोजना प्रशासकों ने अपनी योजनाओं/परियोजनाओं के आंकड़ों का प्रबंधन करने के लिए बनाया है। डैशबोर्ड सार्वजनिक डोमेन में है।

3. माई हैंडी क्राफ्ट पोर्टल

माई हैंडीक्राफ्ट पोर्टल- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की सभी योजनाओं को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए एक व्यापक पोर्टल विकसित करने के प्रयास किए गए हैं। इस पहल के अंतर्गत कालीन विविंग प्रशिक्षण योजना विकसित की गई है। जम्मू और कश्मीर में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के क्षेत्रीय कार्यालय को परीक्षण उपलब्ध कराया गया है और सिस्टम का परीक्षण क्षेत्रीय स्तर पर जारी है। इस पद्धति को सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद शुरु किया जाएगा।

राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

11.1 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यकलाप

संघ सरकार की राजभाषा हिंदी है और सरकार की राजभाषा नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तीरोत्तर प्रयोग में वृद्धि सुनिश्चित करना है। वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

11.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अधिसूचनाओं, संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों आदि जैसे सभी दस्तावेज और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी रूप से अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया।

मंत्रालय में, राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 का अनुपालन उसकी मूल भावना के अनुरूप किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण लगाए गए देश व्यापी लॉकडाउन के दौरान भी मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा राजभाषा नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया।

11.3 निगरानी और निरीक्षण

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा समय-समय पर निरीक्षण के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कार्यालयों को अपेक्षित निदेश दिए जाते हैं तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

11.4 अनुवाद कार्य

मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा नियमित रूप से मंत्रिमंडल नोट, अधिसूचनाओं, पीएलआई के दिशानिर्देशों, सामान्य आदेशों, निविदाओं, बजट संबंधी कागजातों, आउटपुट-आउटकम, अनुदान मांगों, वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्नोत्तरों, संसदीय आश्वासनों, स्थायी समितियों व अन्य संसदीय समितियों से संबंधित दस्तोवेजों, वस्त्र मंत्री के कार्यालय से प्राप्त विभिन्न कागजातों तथा प्रेस विज्ञप्तियों आदि जैसे दस्तावेजों का अनुवाद किया जाता है।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण लगाए गए देश व्यापी लॉकडाउन के दौरान भी मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने आवश्यकतानुसार कार्यालय में आकर तथा घर से ऑनलाइन हर प्रकार के अनुवाद कार्यों को पूरा किया।

11.5 हिंदी पखवाड़ा एवं पुरस्कोर वितरण समारोह

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी मंत्रालय में 14 से 28 सितंबर, 2021 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ सचिव (वस्त्र) द्वारा दीप प्रज्जवलन एवं माननीय गृह मंत्री, वस्त्र मंत्री और वस्त्र राज्य मंत्री की अपील को पढ़कर किया गया । सरकारी कामकाज हिंदी में करने को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु पखवाड़े के दौरान हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी अनुवाद एवं भाषा ज्ञान, हिंदी निबंध, हिंदी वाद-विवाद, हिंदी कविता पाठ, हिंदी टंकण एवं हिन्दी श्रुतलेख आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस वर्ष मंत्रालय में कार्यरत डाटा एंट्री आपरेटरों के लिए भी हिन्दी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वस्त्र मंत्रालय और उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, वस्त्र मंत्री, वस्त्र राज्य मंत्री और सचिव (वस्त्र मंत्रालय) की अपीलें परिचालित की गईं।

मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी विषयक विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल घोषित किए गए प्रतिभागियों को दिनांक 27 अक्तूबर, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह एवं काव्य संध्या के दौरान श्री यू.पी. सिंह, सचिव (वस्त्र) द्वारा पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही "सरकारी कामकाज (नोटिंग/ड्राफ्टिंग) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना" में भाग लेने वाले सफल प्रतिभागियों को भी सचिव (वस्त्र) द्वारा पुरस्कृत किया गया।

11.6 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव एवं प्रभारी राजभाषा की अध्यक्षता में गठित है। समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित निर्णयों के अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

सचिव (वस्त्र) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में वस्त्र मंत्रालय के विजयी अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत करते हुए।

11.7 हिंदी सलाहकार समिति

मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समिति का गठन हो जाने के पश्चात नियमित रूप से इसकी बैठक आयोजित की जाएगी।

11.8 हिंदी कार्यशाला

मंत्रालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। इन कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञ/अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए मंत्रालय में आयोजित प्रत्येक कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यशाला के विषय से संबधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्नोतरी में सफल होने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है।

एससी/एसटी/महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय

12.1 रेशम क्षेत्र:

वर्ष 2020-21 के दौरान सिल्क समग्र योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) का क्रियान्वयन

12.1.1. अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी):

वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान रेशम उत्पादन के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए 35.00 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। एससीएसपी के अंतर्गत घटकों के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक,आंध्र प्रदेश,तमिलनाडु,हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को 13.46 करोड़ रुपए की राशि (दिसंबर, 2021 तक) जारी की गई है।

12.1.2. जनजातीय उप-योजना (टीएसपी):

वर्ष 2021-22 के दौरान, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने जनजाति उप-योजना (टीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए 25.00 करोड़ रुपए की राशि और जनजाति रेशम उत्पादन स्टेक होल्डरों के कल्याण के लिए पूर्वोत्तर जनजातीय (एनईटी) श्रेणी के अंतर्गत 25.00 करोड़ रुपए स्वीकृत की है। दिसंबर, 2021 तक टीएसपी के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार और उत्तराखंड राज्यों को 10.05 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और लाभार्थी उन्मुखी घटकों के क्रियान्वयन के लिए एनईटी के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को 6.25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

12.1.3. टसर विकास के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) परियोजनाएं

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय की सहायता से 7160.96 लाख के परिव्यय से वर्ष 2013-14 से 6 राज्यों अर्थात झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा,पश्चिम बंगाल (पीआरएपीएएन के समन्वय में), महाराष्ट्र (बीएआईएफ, पुणे द्वारा) और बिहार (बीआरएलपीएस एंड पीआरएपीएएन के समन्वय से) में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना-नॉन टिम्बर वन उत्पाद (एमकेएसपी-एनटीएफपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक उप-घटक के अंतर्गत बड़े पैमाने पर टसर रेशम उत्पादन आधारित आजीविका का संवर्धन पर एक परियोजना 23 ऐसे जिलों के 36,000 लाभार्थियों को शामिल करते हुए क्रियान्वित की गई थी जो अधिकतर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्यूई) से प्रभावित हैं।

परियोजना के अंतर्गत, परियोजना राज्यों के 759 राजस्व, गांवों, 67 ब्लॉकों और 26 जिलों से (18,589, टसर लाभार्थी और 13,560 कृषि एवं अन्य लाभार्थी सहित) 36,108 के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 36,723 किसानों को शामिल किया गया। 2,471 किसानों द्वारा 1,521 हेक्टेयर टसर होस्ट पौध रोपण तैयार किए गए। 119.40 लाख न्यूक्लियस बीज कोकून और 387.53 लाख मूलभूत बीज कोकून का उत्पादन करने के लिए 13.120 लाख डीएफएलएस मूलभूत बीजों को तैयार किया गया है। 365 निजी ग्रेनियर ने 280.447 लाख बीज कोकून का प्रसंस्करण किया और 64 लाख वाणिज्यिक डीएफएलएस का उत्पादन किया। विभिन्न क्षमता और संपूर्ण टसर मूल्य श्रृंखला में संस्था निर्माण गतिविधियों के अतिरिक्त 14,224 वाणिज्यिक पालनकर्ताओ; 65 लाख डीएफएलएस तैयार किए और 2404 लाख रिलिंग कोकून उत्पादित किए हैं।

12.4. दिव्यांग व्यक्ति

पीडब्यूडी अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत समूह क, ख,ग और घ के विभिन्न पदों में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाने वाली 3% रिक्तियों की तुलना में उनकी संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	कार्यालय/संगठन	समूह क		समूह ख		समूह ग		समूह घ	
		एसएस	पीडब्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्यूडी की संख्या
1.	वस्त्र मंत्रालय	44	01	87	02	51	00	00	00
2.	विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और इसके संगठन	102	-	288	02	715	13		
3.	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन								
4.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रींज कारपोरेशन इंडिया लि.	41	00	102	02	14	02	87	03
5.	भारतीय कपास निगम लि.	80	03	84	00	883	11	139	03
6.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्यौगिकी संस्थान	1213	03	472	00	1251	01		
7.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	65	01	241	03	325	04		
8.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय	39	--	398	--	1383	04	छठी सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार ग्रेड सी के साथ ग्रेड डी का विलय कर दिया गया है।	
9.	भारतीय पटसन निगम	164	00	77	03	196	05	00	02
10	वस्त्र समिति का कार्यालय	80	36	156	104	280	139	00	00
11	केंद्रीय रेशम बोर्ड	617	10	1008	21	879	17	00	00

एसएस: स्वीकृत कार्यबल पीडब्यूडी: दिव्यांग व्यक्ति

12.5 लैंगिक न्याय एवं लैंगिक बजट

(क) रेशम

रेशम उत्पाादन अपने कम निवेश, उच्च सुनिश्चित आय, अल्प परिपक्वता अवधि और आय को बढ़ाने के अधिक अवसरों तथा वर्ष भर परिवार के सदस्यों के लिए रोजगार सृजन के कारण सीमांत तथा छोटे स्तर के भू-स्वामियों के लिए उपयोगी है। रेशम उत्पादन महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए भी संभावनाएं उपलब्ध करवाता है। यह अनुमान है कि रेशम उत्पादन में संलग्न लोगों में से 55% से अधिक महिलाएं हैं। महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उत्पादन तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं जिससे वे परिवार तथा समाज में अपनी पहचान तथा सम्मान प्राप्त करती हैं।

औसतन 30% महिला लाभार्थी केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'सिल्क समग्र' (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना) के अंतर्गत शामिल हैं। सीएसबी का आरएंडडी संस्थान रेशम उत्पादन में महिलाओं की और अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रेशम उत्पादन श्रृंखला से संबंधित सभी क्रियाकलापों में मानवीय थकान को कम करने पर बल देता है।

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए सिल्क समग्र (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना) के अंतर्गत सीएसबी में एससी/एसटी तथा महिला कर्मचारियों से संबंधित जनशक्ति का विवरण तथा आबंटन क्रमश:अनुबंध-I तथा II में दर्शाया गया है।

अनुबंध – I

अनु.जाति एवं अनु. जनजाति विकास योजना							[करोड़ रुपए में]
क्र.सं.	योजना का विवरण	बी.ई. 2021-22 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)		आर.ई. 2021-22 (केंद्रिय रेशम बोर्ड द्वारा प्रस्तावित)		बी.ई. 2022-23 (केंद्रिय रेशम बोर्ड द्वारा प्रस्तावित)	
		कुल आबंटन	एससी/ एसटी का हिस्सा	कुल आबंटन	एससी/ एसटी का हिस्सा	कुल आबंटन	एससी/एसटी का हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासनिक लागत (सीएसबी के कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी) पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभ छोड़कर	500.44	136.57	500.00	100.00	545.00	122.71
2	रेशम उत्पादन का विकास	374.56	85.00	405.60	60.00	401.99	60.00
	कुल	875.00	221.57	905.60	160.00	946.99	182.71
	प्रतिशतता (%)	25.32		17.67		19.29	

अनुबंध – II

महिला विकास योजना						(करोड़ रुपए में)	
क्र.सं.	योजना का विवरण	बी.ई. 2021-22 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)		आर.ई. 2021-22 (केंद्रिय रेशम बोर्ड द्वारा प्रस्तावित)		बी.ई. 2022-23 (केंद्रिय रेशम बोर्ड द्वारा प्रस्तावित)	
		कुल आबंटन	महिलाओं हिस्सा	कुल आबंटन	महिलाओं हिस्सा	कुल आबंटन	महिलाओं हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासनिक लागत (सीएसबी के कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी) पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभों को छोडकर	500.44	100.08 (20%)	500.00	100.00 (20%)	545.00	109.00 (20%)
2	रेशम उत्पादन का विकास	374.56	112.36 (30%)	405.60	121.68 (30%)	401.99	120.59 (30%)
	कुल	875.00	212.44	905.60	221.68	946.99	229.59

सतर्कता कार्यकलाप

13.1. मंत्रालय की सतर्कता इकाई के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की मंजूरी से की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय की सतर्कता व्यवस्था में नोडल बिन्दु है और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैः

- कदाचार/लालच संबंधी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना;
- शिकायतों की जांच करना और उन पर जांच/जांच पड़ताल संबंधी उपयुक्त उपायों की पहल करना;
- निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा अपेक्षित टिप्पणियों सहित वास्तंविक रिपोर्ट/जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में समुचित कार्रवाई करना;
- जहां कहीं आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की पहले और दूसरे स्तर की सलाह प्राप्त करना और जहां कहीं आवश्यक हो,अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- आरोपी अधिकारी पर लगाए जाने वाले दंड की मात्रा पर संघ लोक सेवा आयोग की सांविधिक सलाह प्राप्त करना।
- वस्त्र मंत्रालय में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित सतर्कता स्वीकृति जारी करना और मंत्रालय के अंतर्गत कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना।
- सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा और अनिच्छुक संपर्क व्यक्तियों (यूसीएम) की सूची तैयार करना।
- मंत्रालय के नियत्रंणाधीन संगठनों में सीवीओ/अंशकालिक सीवीओ की नियुक्ति/विस्तार से संबंधित कार्य।
- प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना और सीवीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

13.2. वस्त्र मंत्रालय के नियत्रंणाधीन कार्यशील निम्नालिखित संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के 5 पद स्वी्कृत हैं:

(i) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसीएल)
(ii) भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआईएल)
(iii) भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआईएल)
(iv) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)
(v) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एवं हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईसी एवं एचएचईसीएल)।

उपर्युक्त् के अलावा, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यशील संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों में अंशकालिक मुख्य (सतर्कता अधिकारी/सतर्कता) अधिकारी हैं। तथापि, इन कार्यालयों के सतर्कता क्रियाकलापों की समग्र जिम्मेवारी मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास होती है।

13.3. मुख्य रूप से कदाचार तथा लालच संबधी संवेदनशील अथवा संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर प्रमुख जोर देते हुए निवारक सतर्कता की ओर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाता है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जाता है। की गई कार्रवाई निम्नलिखित हैः

(i) मंत्रालय में संवेदनशील प्रकृति के क्षेत्रों की पहचान की जाती है और उन पर नजर रखी जाती है।
(ii) सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाया गया है और गलत प्रकियाओं से बचने के लिए उचित संस्थातगत प्रणालियां लागू की गई हैं।
(iii) वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों को समय-समय पर सीवीसी, लोक उद्यम विभाग और डीओपीटी के परिपत्रों / दिशानिर्देशों के अनुसार अपने आचरण, अनुशासनिक और अपील नियमावली को संशोधित और अद्यतन करने का अनुरोध किया गया है। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत सभी संगठनों के अलावा सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानांतरण नीति का अनुपालन किया गया है।

13.4. इस वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों अर्थात केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय पोर्टल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा व्यक्तियों से 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक डिवीजनों और सीवीओ को समय पर अग्रेषित करके कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। सीवीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ शिकायतों पर जांच रिपोर्ट/की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है।

13.5. इस वित्त वर्ष के दौरान 4 अनुशासनिक मामले प्रक्रियाधीन हैं। सीवीसी ने अपने दूसरे चरण की सलाह में एक पदधारी को बरी किया है। शेष 3 मामले विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं।

13.6. मंत्रालय में एवं इसके अंतर्गत कार्यरत 103 अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता स्वीकृति जारी की गई है। सीवीसी से सतर्कता स्वींकृति मांगने के लिए पीएसयू के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के 4 मामलों पर कार्रवाई की गई है।

13.7. सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 की शुरूआत दिनांक 26.10.2021 को मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ की गई। 'भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भारतीयों को क्या कदम उठाने चाहिए' विषय पर दिनांक 27.10.2020 को एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और दिनाक 28.10.2021 को 'भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था विरोधी, गरीब विरोधी और राष्ट्र विरोधी है' विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन सभी कार्यक्रमों के प्रति उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। 22 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का समापन 1 नवंबर, 2021 को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया गया। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए।